

बौर सेवा मन्दिर  
दिल्ली



४४९६

क्रम संख्या


२८२ (गांधी)

काल न०

नेहरू

खण्ड





# रा ष्ट्र पि ता

जवाहरलाल नेहरू



१९५९

सत्साहित्य प्रकाशन

सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली

प्रकाशक

मार्तण्ड उपाध्याय, मन्त्री

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

---

---

द्वितीय बार . १९५१

मूल्य

दो रुपये

---

---

मुद्रक

रामप्रताप त्रिपाठी

सम्मेलन मुद्रणालय, प्रयाग

## सूची

प्रकाशकीय	पांच
क्या लिखूँ ।	सात
संदेश	नौ
अध्याय १	१-३२

गांधी और टैगोर—१; भारत की राजनीतिक चेतना की जागृति—१; पहली मुलाकात—३, सत्याग्रह-आन्दोलन—५; अमृतसर-हत्याकांड—७; कांग्रेस मंदिर में—८, एक मुस्लिम सभा—१२; भय का अंत—१४; सत्य क्या है?—१७; किसानों का सहयोग—१९; उपाधियां और नरेश—२०; हिन्दू धर्म—२३, आत्मिक एकता—२६; जन-आन्दोलन—२८; जनता का उत्थान—२९; विश्व-सध—३१।

अध्याय २	३३-५४
----------	-------

तनातनी का वर्ष—३३; धर्म पर जोर—३४; नीतिपूर्ण राजनीति—३६; योड़ी घृणा—३७; गांधीजी की पहली गिरफ्तारी—४१; तलवार का सिद्धात—४४; अहिंसा एक प्रणाली के रूप में—४६; बीमारी और रिहाई—४८ पिताजी और गांधीजी—५०।

अध्याय ३	५५-७८
----------	-------

भारत की जनता से संबंध—५५, खादी-यात्रा—५५; स्वतन्त्रता दिवस—५७; डांडो-यात्रा—६०; गोलमेज कांफ्रेंस के बाद—६३; गांधीजी के ऊचे नक्षत्र—६४, जनतन्त्र—६६; किसानों की छाप—६९; 'दासों के प्यारे कर्णधार'—७१; दिल्ली का समझौता—७२; कराची-कांग्रेस—७७।

## अध्याय ४

७९-१०५

जेल-जीवन में बम-विस्कोट—७९; उपवास का जाहू—८०; हरिजन-आदेलन—८२; इक्कोस दिनों का उपवास—८३; एक नई चुनौती—८५; ग्राम-उद्योग और भशीन—८९; वरवदा जेल में—९२; काश्रेस से अवकाश—९४; समाजवादियों की आलोचना—९५; भारत की प्रतिमूर्ति—९७; पाप और मोक्ष—९९; धर्म का क्या अर्थ है—१०१; गांधीजी का समाजवाद—१०३।

## अध्याय ५

१०६-१३५

गांधीजी का जीवन आधार—१०६; यूरोप का युद्ध—१०७, कम बुराई—१०८; अहिंसा का प्रश्न—११२; दूसरी फूट—११४, युद्ध भारत के निकटतर—११५, आजादी को पुकार—११७, अन्तर्राष्ट्रीय बिचार—११९; आक्रमणकारी का विरोध—१२१, भारत की मनःस्थिति में परिवर्तन—१२४; समझौते के लिए अपील—१२५; 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव—१२७, आजादी के बाव—१३०, युद्ध से शिक्षा—१३१, कैसा भारत?—१३४।

## अध्याय ६

१३६-१६९

'चिराग गुल हो गया'!—१३६; विगत गौरव—१३८; बापू—१४३; 'महात्मा गांधी की जय'—१४७; उनका योग्य स्मारक—१५५, गांधी ने हमें क्या सिखाया?—१६०; एक साल बाद!—१६५; 'एक खयाल'—१६७।

## प्रकाशकीय

इस पुस्तक में हम श्री जवाहरलाल नेहरू के उन लेखों और भाषणों का संग्रह प्रकाशित कर रहे हैं, जिनमें उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति केवल अद्वांजाल ही अप्रिय नहीं की है, अपितु उनके व्यक्तित्व और उनकी विविध प्रवृत्तियों पर अपनी भावनाएं एवं मानविक प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की हैं। पुस्तक में अनेक सजीव चित्र हैं। कहों भावुक कवि की कल्पना मिलती है तो कहों एक तटस्थ अन्वेषक की सुक्ष्म दृष्टि और उसके गहरे अध्ययन का पता बलता है। निससदैह इस पुस्तक को हम बापू के मानवीय और राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त इतिहास कह सकते हैं।

हमे हर्ष है कि नेहरूजी के कईएक भाषण हमें मूल रूप में प्राप्त हो गए हैं। उन्हे यथासंभव ज्यो-का-त्यों दिया जा रहा है। यथा, बापू के अस्थि-विसर्जन के समय त्रिवेणी पर और पहली बरसी के अवसर पर राजघाट पर दिये गए भाषण। सर्वोदय प्रदर्शनी (राजघाट) का उद्घाटन-भाषण भी उन्होंकी बोली में दिया गया है।

इस पुस्तक की सामग्री के सकलन में पंडितजी की पुस्तकों के अलावा अंगूष्ठ-इडियो रेडियो तथा 'हिन्दुस्तान' से काफी सहायता मिली है। संपादन एवं अनुवाद का कार्य श्री बकिबिहारी भट्टाचार्य एम० ए० (सहकारी संपादक—'हिन्दुस्तान') ने किया है। पुस्तक के चित्र श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री कनू गांधी की कृपा से प्राप्त हुए हैं। पुस्तक की तैयारी में इन तथा जिन अन्य बन्धुओं से हमें मदद मिली है उन सबके हम हृदय से आभारी हैं।

## पुनर्श्च—

इस द्वासरे संस्करण में सन् १९४८ में गौधोजयंती के दिन दिया गया श्री जवाहरलालजी का रेडियो-भाषण भी ले लिया गया है। इसके अनुवाद के लिए हम श्री सीतलासहायजी के आभारी हैं।

## क्या लिखूँ

[इस पुस्तक के लिए हिन्दी में कुछ और लिख देने के लिए जब हमने श्री जवाहरलालजी से अनुरोध किया तो उन्होंने अपनी फिरक दिखाते हुए लगभग वही भावनाएँ व्यक्त की, जो उन्होंने करीब १० वर्ष पहले श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा सपादित 'गांधी-अभिनन्दन-ग्रन्थ' के हिन्दी संस्करण के लिए विशेष रूप में लिखित इन प्रक्रियों में की है। नेहरूजी की और दुनिया की निगाह में बापू का क्या स्थान था और ही, इसका अनुमान पाठकों को इन चद प्रक्रियों ने भली भांति हो जायगा।

—सपादक]

कुछ महीने हुए श्री राधाकृष्णन ने मुझे लिखा था कि वह गांधी-जयन्ती के लिए एक किताब तैयार कर रहे हैं, जिसमें दुनिया के बहुत सारे बड़े आदमी गांधीजी के बारे में लिखेंगे। मुझे भी उन्होंने इस किताब के लिए एक लेख लिखने को कहा था। मैं कुछ राजी हुआ; लेकिन फिर भी एक भिजक-सी थी। गांधीजी के बारे में कुछ लिखना मेरे लिए आसान बात नहीं थी। फिर मैं ऐसी परेतानियों में फंसा कि लिखना और भी कठिन हो गया और आखिर मैं भेने कोई मजमून नहीं लिखा।

मैं यो अक्सर कुछ-न-कुछ लिखा करता हूँ और लिखने में दिलचस्पी भी है। फिर यह फिरक कौसी? कभी-कभी गांधीजी पर लिखा है। लेकिन जितना भेने सोचा; यह मजमून मेरे काबू के बाहर निकला। हाँ, यह कुछ आसान था कि मैं कुछ ऊपरी बातें जो दुनिया जानती हैं उनको दोहराऊं। लेकिन उससे फायदा क्या? अक्सर उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आईं, कुछ बातों में उनसे मतभेद भी हुआ। एक जमाने से उनका साथ रहा। उनको निगरानी में काम किया,

उनका छापा मेरे ऊपर पड़ा, मेरे खयाल बदले और रहने का ढंग भी बदला। जिन्वती ने एक करबट ली, दिल बढ़ा, कुछ-कुछ ऊचा हुआ, आखों में रोशनी आई, नए रास्ते देखे और उन रास्तों पर लाखों और करोड़ों के साथ हमकदम होकर चला। क्या मैं ऐसे शख्स की निस्बत लिलूं जो कि हिन्दुस्तान का और मेरा जुज हो गया और जिसने जमाने को अपना बनाया?

हम जो इस जमाने में बढ़े और उसके असर में पले, हम कैसे उसका अन्दाजा करें? हमारे रग और रेशे में उसकी मोहर पड़ो और हम सब उसके टुकड़े हैं।

जहाँ-जहाँ में हिन्दुस्तान के बाहर गया, चाहे यूरोप का कोई देश हो या चीन या कोई और मुल्क, पहला सवाल मुझसे यही हुआ—“गांधीजी कैसे हैं? अब क्या करते हैं?” हर जगह गांधीजी का नाम पहुँचा था, गांधीजी की शोहरत पहुँची थी। गंगो के लिए गांधी हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान गांधी। हमारे देश की इज्जत बढ़ी, हँसियत बढ़ी। बुनिया ने तसलीम किया कि एक अजीब ऊचे दर्जे का आदमी हिन्दुस्तान में पैदा हुआ, फिर से अधेरे में रोशनी आई। जो सवाल लाखों के दिल में थे और उनको परेशान करते थे, उनके जवाबों की कुछ झलक नजर आई। आज उस जवाब पर अमल न हो तो कल होगा, परसों होगा। उस जवाब में और जवाब भी मिलेंगे, और भी अधेरे में रोशनी पड़ेगी; लेकिन वह बुनियाद पक्की है और उसी पर इमारत खड़ी होगी।

अंबरटा लाटू नेहरू

## संदेश

“हिंदुस्तान अपनी आजादी के लिए पीढ़ियों से जो लड़ाई लड़ता आया है, उसमें उसे दुःख भी उठाने पड़े और कामयाबी भी मिली—कितनी ही बार उसकी जीत हुई और कितनी ही बार उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन राष्ट्रपिता बापू ने हमें जिस खूबी के साथ रास्ता दिखाया उससे वह दुःख दुःख नहीं रह गया, उसने जनता को पवित्र और शुद्ध किया और हर हार दुगने उत्साह के साथ काम करने की प्रेरणा और जीत की भूमिका में बदल गई।

“हाल के वर्ष हमारे लिए परीक्षा और कठिनाई के वर्ष थे, लेकिन उनमें भी गांधीजी के संदेश ने कौम का उत्साह बढ़ाया। इन वर्षों में हमें कुछ हद तक कामयाबी मिली और जिस आजादी के लिए हम लड़ते और दुःख उठाते आये थे, वह हासिल हो गई। लेकिन इस कामयाबी के लिए हमें सचमुच बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी; क्योंकि मातृभूमि के दो टुकड़े हो गए और उस अभागी घटना के बाद जनता पर पागलपन छा गया और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि वे सब बड़े अदर्श, जिनके गांधीजी हामी थे, अंधेरे में छिप गये हो। उस अंधेरे में गांधीजी के उत्साह दिलाने वाले संदेश की रोशनी दिखाई दी और शोक से भरे हुए अनगिनत लोगों को उससे ताकत और तसल्ली मिली।

“और उसके बाद मुल्क को सबसे बड़ा धक्का लगा—उस महापुरुष की हत्या हुई जो कि प्रेम का अवतार था और या कौम की सरल व न जीती जा सकने वाली आत्मा की मृति। इसलिए वह कामयाबी, जिसके लिए जनता ने इतनी तपस्या की थी और जो इतनी लड़ाई के बाद मिली थी, हमारे लिए आजादी की चमक नहीं, बल्कि दुःख और निराशा लेकर आई।

“गांधीजी की पवित्र याद में और उनके उपदेशों का आवर करने के लिए कौम ने इन जबर्दस्त खतरों का सामना किया। इनमें सबसे बड़ा खतरा उस भावना का खतरा था जो कि लोगों के दिमाग पर छा गई थी और जिसकी वजह से कुछ समय के लिए वे महान् उपदेश भुला दिये गए थे, जो उन गुणदेव ने हमें दिये थे।

“जिसने, कौम को आजादी दिलाई और उसे जीवन दिया, उसकी मृत्यु को पूरा एक साल हो गया। उसकी इस पहली बरसी पर हम उस महात्मा और उसके महान् सदेश को श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं और इस बात का पक्षका इरादा करते हैं कि जीवन देनेवाले उस संदेश की रोशनी में हम अपने देश की जनता की और मानवता की सेवा जारी रखेंगे।

“गांधीजी के नेतृत्व में मुल्क के लिए अँहूसक तरीकों पर राजनीतिक आजादी हासिल कर चुकने के बाद अब हमें सामाजिक और आर्थिक आजादी के लिए भेहनत करनी है, ताकि हिंदुस्तान के सभी आदमी बिना किसी जाति या भजहब के भेदभाव के, आगे बढ़ सकें और उन्हें उप्रति का बराबर मौका मिले। इस काम के लिए एक बिलकुल नये रास्ते की जरूरत है और यह भी जरूरी है कि हम रचनात्मक भावना के साथ मातृभूमि की सेवा में अपने को समर्पित कर दें।

“हिंदुस्तान की जनता आजादी पा चुकी है, लेकिन इसके भीठे फलों का स्वाद छानने के लिए उसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होगी। हमें यह याद रखना चाहिए कि जनता की सेवा करना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना ही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है और आइन्हा भी होना चाहिए। जो लोग इन जिम्मेदारियों को भूलकर नौकरी पाने या ताकत हासिल करने की जून में रहते हैं वे मुल्क का बुरा कर रहे हैं।

“गांधीजी ने हमें खास तौर से यह शिक्षा दी थी कि हमें अपनी सेवा विशेष रूप से देश की जनता में एकता और सद्भावना बढ़ाने, छोटे-बड़े का ही भेद-भाव नहीं बल्कि जन्म, जाति या धर्म के नाम पर किये जाने वाले सभी तरह के भेदभावों को मिटाने और शांतिपूर्ण तरीकों से वर्गहीन जनतन्त्रीय समाज स्थापित करने में लगानी चाहिए। इन सबसे भी बड़ी उनकी शिक्षा यह थी कि चाहे कितनी भी कीमत देनी पड़े और जैसी भी स्थिति हो, हमें उन नैतिक सिद्धातों का पालन करना चाहिए जिनसे जीवन अर्थमय बनता है।

“इस संदेश की दीशनी में हम पूरी सचाई के साथ आज की सारी—राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय —कठिनाइयों और संकटों का सामना करने की चेष्टा करेंगे जिससे कि देश की आजादी बढ़े, उसकी नैतिक मर्यादा ऊँची उठे और वे महान् उद्देश्य पूरे हो जिनके गांधीजी हासी थे।”

: ९ :

## गांधी और टैगोर

बीसवीं शताब्दी के पूर्वांड में टैगोर और गांधी निस्संदेह भारत के दो प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी तुलना करना और साथ ही उनके भेदों को देखना शिक्षाप्रद होगा। स्वभाव और आकारप्रकार में जितने ये दोनों एक द्व्यमरे-से भिन्न थे उतने शायद ही कोई दो व्यक्ति होंगे। टैगोर एक राजसी कलाकार थे, बाद में उनके विचार जनतत्रीय बने और श्रमहारा श्रेणी के लोगों के साथ उनकी सहानभूति हो गई। वह मुख्यतः भारत की उस सांस्कृतिक परम्परा के प्रतिनिधि थे जो जीवन को उसके पूर्ण वंभव के साथ स्वीकार करती है और उसे कलापूर्ण ढंग से बिताने में विश्वास करती है। गांधी जी प्रधानतः जनता के आदमी थे, वह एक प्रकार से भारतीय किसान की प्रति मूर्ति थे और भारत की एक द्विसरी पुरातन परम्परा का प्रतिनिधित्व करते थे—त्याग और सन्यास की परम्परा। फिर भी टैगोर प्रधानतः एक विचारक थे और गांधीजी एकाग्र व सतत क्रियाशीलता के हामी। अपने-अपने ढंग पर दोनों के विचार अन्तर्राष्ट्रीय थे, फिर भी दोनों कट्टर भारतीय थे। वे भारत के दो अलग-अलग पर सामंजस्यपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे और एक-द्विसरे के पूरक थे।

### भारत की राजनीतिक चेतना की जागृति

पहली बड़ी लड़ाई से पहले (अर्थात् सन् १९१४ से पूर्व) जबकि भारत में कोई राजनीतिक चेतना नहीं थी, एक सुदूर देश में भारत की मर्यादा के लिए एक वीरतापूर्ण और अद्वितीय लड़ाई छिड़ी। वह देश दक्षिण अफ्रीका था, जहाँ भारत के बहुत-से मजदूर और कुछ व्यापारी भी जा बसे थे। वहां उनका बड़ा अनादर होता

था और उनके साथ तरह-तरह का दुरा बर्ताव किया जाता था, क्योंकि उन दिनों वहां जातीय अहंकार का बोलबाला था। तभी ऐसा हुआ कि भारत का एक नौजवान बैरिस्टर एक मुकदमे की पेंट्री करने के लिए दक्षिण अफ्रीका ले जाया गया। वहां उसने अपने देश के भाईबंदों की दुर्दशा देखी और इससे वह बड़ा अपमानित और दुखी हुआ। उसने उनकी सहायता में अपना तन, मन, धन—सब कुछ लगा देने का सकल्प कर लिया। कई वर्ष तक वह चुपचाप काम करता रहा, उसने अपना वकालत का पेशा छोड़ दिया, उसके पास जो कुछ भी था सब त्याग दिया और जिस ध्येय को लेकर वह आगे बढ़ा था उसी में पूरी तरह से लौन रहा।

यह आवमी भोहनदास करमचन्द गांधी था। आज भारत का बच्चा-बच्चा उसे जानता और प्यार करता है, किंतु उन दिनों उसे दक्षिण अफ्रीका से बाहर बहुत ही कम लोग जानते थे। एकाएक उस का नाम बिजली की तरह कौंध कर भारत तक पहुंच गया और लोग उसकी तथा उसके बीरतापूर्ण संघर्ष की आश्चर्य, प्रशंसा और गर्व के साथ चर्चा करने लगे। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने वहां के भारतीयों को और भी अधिक अपमानित करने की चेष्टा को पर भारतीयों ने गांधी के नेतृत्व में सिर झुकाने से इन्कार कर दिया। यह एक ताज्जुब की बात थी कि गरीब, पद-दलित और अज्ञानी मजदूरों ने और उनके साथ कुछ छोटे-मोटे व्यापारियों ने स्वदेश से इतनी दूर रहते हुए भी ऐसा साहस दिखलाया।

इससे भी अधिक आश्चर्यजनक था वह तरीका, जिसे इन लोगों ने अपनाया था और जो एक राजनीतिक हथियार के रूप में विश्व के इतिहास में बिलकुल नया प्रयोग था। तब से हम उसका नाम अक्सर सुनते आए हैं। वह था गांधी का सत्याग्रह—जिसका अर्थ है 'सत्य पर डटे रहना'। कभी-कभी वही 'निलिक्षण प्रतिरोध' के नाम से भी पुकारा जाता है, किंतु यह उसका शुद्ध अनुवाद नहीं है, क्योंकि उसमें काफी क्रियाशीलता होती है। यद्यपि अर्हसा उसका एक मुख्य अंग है तथापि वह केवल विरोध का अभाव मात्र नहीं है। गांधी ने अपने इस अर्हसात्मक युद्ध से भारत

और दक्षिण अफ्रीका को अकित कर दिया और भारतवासिश्वें को यह जानकर धड़ा हृष्ट और गौरव अन्मव हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में हमारे हजारों भाई-बहन हृसते-हृसते जेल जा रहे हैं। अपने देश को मुलायी और नपुंसकता पर हम मन-ही-मन बड़े लक्जित थे और अब अपने ही भाई-बहनों द्वारा ही गई इस साहसपूर्ण चुनौती का नमूना देख कर हमारा आत्म-सम्मान ऊंचा उठ गया। एकाएक इस प्रश्न पर सारे भारतवर्ष में राजनीतिक चेतना जाग उठी और रप्या धड़ाधड़ दक्षिण अफ्रीका पहुंचने लगा। यह संघर्ष तब तक बंद नहीं हुआ जब तक कि गांधीजी और दक्षिण अफ्रीका की सरकार में समझौता नहीं हो लिया।

### पहली मुलाकात

गांधीजी से मेरी पहली मुलाकात लखनऊ कांग्रेस के समय सन् १९१६ में बड़े दिनों में हुई। जिस बहादुरी के साथ वह दक्षिण अफ्रीका में लड़े थे उसके लिए हम सब उनकी प्रशंसा करते थे, किंतु हममें से बहुत-से नौजवानों को वह अपने से बहुत दूर, बिलकुल भिन्न और अराजनीतिक मालूम पढ़ते थे। उन दिनों उन्होंने कांग्रेस या राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने से इन्कार कर दिया था और अपने को दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के प्रश्न तक ही सीमित रखा था। इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने चम्पारन में किसानों की ओर से जो साहसिक कार्य किये और इन कार्यों में उन्हें जो विजय मिली उससे हममें उत्साह की एक लहर दौड़ गई। हमने देखा कि वह अपने तरीकों का भारत में भी प्रयोग करने को तैयार हैं और उन तरीकों में हमें सफलता की आशा दिखाई दी।

महासमर के बाद भारतवासी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करते रहे कि वेलों अब हमें क्या मिलता है। उनके मन में क्रोध था, वे लड़ने को उतारू दिखाई देते थे, उन्हें कुछ आशा भी नहीं थी, किर भी वे प्रतीक्षा में थे। कुछ ही महीनों में नई ब्रिटिश नीति का पहला फल, जिसका कि इतनी उत्सुकता के साथ इन्तजार किया

जा रहा था, एक ऐसे प्रस्ताव के रूप में दिखाई दिया, जिसमें कानूनी आंदोलन को दबाने के लिए खास कानून पास करने की व्यवस्था की गई थी। अधिक स्वतंत्रता के बदले अधिक दमन होने वाला था। इन कानूनों का प्रस्ताव एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था और वे 'रौलट बिल' कहलाते थे। कुछ ही दिनों में ये बिल देश के कोने-कोने में 'काले बिल' कह कर पुकारे जाने लगे और सब जगह सब वर्गों के भारतवासियों ने, जिनमें नरम से नरम विचार वाले भी शामिल थे, उनको निन्दा की। इन बिलों में सरकार को बड़े-बड़े अधिकार दिये गये थे और पुलिस को लोगों को गिरफ्तार करने, अदालत में पेश किये बिना ही जेल में रखने या जिस किसी को वह पसन्द नहीं करती थी या शक की नजर से देखती थी, उस पर गुप्त अदालती कार्रवाई करने का हक दिया गया था। उन दिनों इन बिलों का वर्णन आम तौर पर इन शब्दों में किया जाता था . 'न बकील, न अपील, न दलील'। जैसे-जैसे इन बिलों का विरोध जोर पकड़ता गया वैसे-वैसे एक नई वस्तु प्रकट होती गई—देश के राजनीतिक आकाश में बादल का एक छोटा टुकड़ा दिखाई दिया जो बड़ी तेजी से बढ़ा और फैलते-फैलते सारे आकाश में छा गया।

यह नया तत्व या मोहनदास करमचन्द गांधी। लड़ाई के दिनों में ही वह दक्षिण अफ्रीका से लौट आया था और सावरमती के आश्रम में अपने साथियों को लेकर जा बसा था। अब तक वह राजनीति से अलग रहा था। उसने सरकार को युद्ध के लिए रंगरूठों की भरती तक करने में सहायता दी थी। दक्षिण अफ्रीका के अपने सत्याग्रह संघर्ष के बाद से वह भारत में काफी रुकाति पा चुका था। सन् १९-१७ में उसने बिहार के चम्पारन जिले के पूरोपियन निलहे गोरो के दुःखी और पदवलित किसानों के पक्ष का बड़ी सफलता के साथ समर्थन किया था। बाद में वह गुजरात में खेड़ा के किसानों का पक्ष लेकर खड़ा हुआ था। सन् १९१९ के आरम्भ में वह बहुत बीमार पड़ गया और अभी वह स्वस्थ भी न हो पाया था कि

रौलट बिल के विरोध से देश का कोना-कोना गूंज उठा। इस व्यापक क्रांति में उसने भी अपनी आवाज मिला थी।

किन्तु उसकी आवाज औरों की आवाज से कुछ जुदा थी। वह एक शांत और धीमी आवाज थी, लेकिन जन समुदाय की चीज़ से ऊपर सुनाई देती थी। वह आवाज कोमल और मधुर थी, किन्तु उसमें कहीं-न-कहीं फौलावी स्वर छिपा दिखाई देता था। उस आवाज में शील था और वह हृदय को छू जाती थी, फिर भी उसमें कोई ऐसा तत्त्व था जो कठोर और भय उत्पन्न करने वाला था। उस आवाज का एक-एक शब्द अर्थपूर्ण था और उसमें एक तीव्र आत्मीयता का अनुभव होता था। शांति और मित्रता की उस भाषा में शक्ति व कर्म की कांपती हुई छाया थी और या अन्याय के सामने सिर न झुकाने का संकल्प। अब हम उस आवाज से परिचित हो चुके हैं, पिछले १४ दर्ढों में हम उसे काफी सुन चुके हैं। किन्तु सन् १९१९ की फरवरी और मार्च के महीनों में वह हमारे लिए एक बिलकुल नई आवाज थी। उस समय हमारी समझ में नहीं आता था कि हम उसका ज्या करे, फिर भी हम उसे सुन-सुन कर रोमाचित हो उठते थे। वह हमारी उस राजनीति से बिलकुल भिन्न थी जिसमें शोरगुल बहुत होता था और निराकार के सिवा और कुछ नहीं किया जाता था। वह उन लंबे-लंबे भाषणों से भी बिलकुल अलग थी, जिनके अन्त में विरोध के बे निरर्थक और निष्फल प्रस्ताव पास होते थे, जिन्हे कोई अधिक महत्व नहीं देता था। गांधी की राजनीति कर्म की राजनीति थी, बात की नहीं।

### सत्याग्रह-आदोलन

महात्मा गांधी ने ऐसे लोगों की एक सत्याग्रह-सभा बनाई जो कुछ चुने हुए कानूनों को भंग कर अपने आपको गिरपतार करने को तैयार थे। उस समय यह एक बिलकुल नया विचार था और हम में से बहुत से लोग उससे उत्सेजित

हुए, यद्यपि बहुत-से पीछे भी हटे। आज वही सत्याग्रह एक रोजमर्दी की घटना बन गया है और हममें से अधिकांश के लिए तो वह जीवन का एक नियमित और स्थायी अंग हो गया है। जैसा कि गांधाजी किया करते थे पहले उन्होंने बाइस-राय के पास एक नम्र अपील और चेतावनी भेजी, लेकिन जब उन्होंने देश कि भारत के सभी वर्गों के विरोध के बावजूद ब्रिटिश सरकार रौलट बिलों को कानून का रूप देने पर तुली है तो उन्होंने कानून बनने के बाद पहले इतवार को ही सारे देश में शोक मनाने, हड्डताल करने, हर तरह का काम बद रखने और सभाएं करने की अपील की। यह सत्याग्रह आवोलन का श्रीगणेश करने के लिए किया गया था और इसी अपील के अनुसार रविवार, ६ अप्रैल, १९१९ को सारे देश में—गांव-गांव और शहर शहर में—सत्याग्रह दिवस मनाया गया। अपने ढंग का यह पहला अखिल भारतीय प्रदर्शन था। उसका लोगों पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा और उसमें सभी प्रकार के लोगों और जातियों ने भाग लिया। हममें से जिन लोगों ने इस हड्डताल के लिए कार्य किया था, वे उसकी सफलता पर स्तंभित रह गये। हम शहरों के बहुत ही कम लोगों तक पहुंच पाये थे, किंतु देश में एक नई फिजा छाई हुई थी और किसी-न-किसी तरह हमारा संदेश लबे-चौड़े देश के दूर-दूर के गावों तक पहुंच गया था। यह पहला अवसर था जब गांव और शहर बालों ने साथ-साथ एक जन-श्यापक राजनीतिक प्रदर्शन में भाग लिया।

दिल्ली में तारीक की भूल से हड्डताल एक सप्ताह पहले अर्थात् ३१ मार्च १९१९ ही को मना ली गई थी। उन दिनों दिल्ली के हिन्दुओं और मुसलमानों में गजब का भाईचारा और प्यार था और वह वृद्ध कितना रोमाचकारी था जब कि आर्यसमाज के महान् नेता स्वामी श्रद्धानन्द ने दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद में जा कर एक बहुत बड़े मजमे के सामने भाषण दिया था। उस ३१ मार्च को पुलिस और फौज ने गलियों में जमा हुई बड़ी-बड़ी भीड़ों को तितर-बितर करने की बेष्टा की और उन पर गोलियाँ तक चलाईं, जिससे कई लोग मारे गये। स्वामी श्रद्धानन्द ने,

जिनका लंबा शरीर संन्यासियों के बस्त्र में बड़ा भव्य विलाई देता था, चांदनी घोक में गुरखों की संगीनों का निश्चल दृष्टि और खुली हुई छाती के साथ सामना किया । ये संगीने उनका कुछ नहीं बिगड़ सकें और इस घटना से सारे भारत वर्ष में रोमांच हो गया; किंतु दुर्भाग्य की बात है कि आठ साल भी नहीं बोतने पाये थे कि एक मतवाले मुसलमान ने घोखे से रोग शंखा पर ही उनकी हत्या कर डाली ।

६ अप्रैल को सत्याप्रह-दिवस मनाने के बाद घटनाएं बड़ी तेजी से आगे बढ़ीं । १० अप्रैल को अमृतसर में गड़बड़ी हुई जब कि अपने नेता डाक्टर किचलू और डाक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी पर घोक मनाती हुई निश्चास्त्र और नगे सिर भोड़ फौज की गोलियों का शिकार बनी और उसमें से कई लोग मारे गये । इस पर भीड़ ने बदले के उन्माद में दफ्तरों के बैठे हुए पांच या छः निर्दोष अंग्रेजों को मार डाला और बैंकों की इमारतें फूक डाली । इसके बाद मानों पंजाब पर एक परदा पड़ गया । वहां कड़ा सेन्सर बैठा दिया गया और पंजाब शेष भारत से बिलकुल कट-सा गया । वहां से शायद ही कोई खबर आ पाती थी और लोगों का वहा आना-जाना मुश्किल था । वहा फौजी कानून भी जारी कर दिया गया था जिसका कष्ट जनता को कई महीनों तक उठाना पड़ा । धीरे-धीरे हफ्तों और महीनों की यातनापूर्ण प्रतीक्षा के पश्चात् परदा उठा और वहांके भीषण सत्य का पता चला ।

### अमृतसर-हत्याकांड

१३ अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो कत्लेआम हुआ था उसे सारी दुनिया जानती है । मौत के उस फंदे में फंसकर, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था, हजारों की जानें गईं और हजारों घायल हुए । 'अमृतसर' शब्द ही नरसंहार का पर्यायवाची बन गया है । वहां की घटना तो भयकर थी ही, उससे भी अधिक लज्जाजनक घटनाएं सारे पंजाब में घटीं ।

यह एक अजीब संयोग की बात थी कि उसी साल, दिसंबर के महीने में, कांग्रेस का अधिवेशन भी अमृतसर में हुआ। इस अधिवेशन में कोई महस्त्वपूर्ण निर्णय नहीं किया गया, क्योंकि बहुत-सी बातों की जांच की गई थी और उसके परिणाम का इन्तजार था। फिर भी एक बात साफ दिखाई देती थी—वह यह कि कांग्रेस अब पहले बाली कांग्रेस नहीं रह गई थी। उसमें अब सामूहिकता या जन-व्यापकता आ गई थी और एक नई—कुछ पुराने कांग्रेसियों की समझ में एक चिताजनक—जीवनी-शक्ति आ गई थी। उस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक उपस्थित थे, जो सदा की भाँति समझौते के लिए तैयार नहीं थे। वह आखीरी अधिवेशन था, जिसमें उन्होंने भाग लिया था, क्योंकि अगले अधिवेशन से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उसमें गांधीजी भी थे, जो जनता के प्रिय बन गये थे और कांग्रेस तथा भारतीय राजनीति पर अपनी दीर्घकालीन प्रभुता का आरभ ही कर रहे थे। उसी कांग्रेस में सीधे जेल से ऐसे बहुत-से नेता आये थे जिनका फौजी कानून के दिनों में बड़े भयंकर बड़ूयन्त्रों से सबध रहा था और जिन्हे लबी-लबी कैद की सजा हुई थी, किन्तु जिन्हे अब क्षमा कर दिया गया था। प्रसिद्ध अली-बधु भी कई साल तक नजरबन्द रहने के बाद ठीक उसी समय छूट कर आये थे।

### कांग्रेस मैदान में

अगले साल कांग्रेस मैदान में कूद पड़ी और गांधीजी का असहयोग का कार्य-क्रम अपना लिया गया। यह निर्णय कलकत्ते के विशेष अधिवेशन में किया गया और नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई। सघर्ष की यह प्रणाली चिल्कुल शांत था जैसा कि उसे नाम दिया गया था, अहसात्मक थी। उसका बुनियादी सिद्धांत यह था कि ब्रिटिश सरकार को उसके शासन-कार्य और भारत के शोषण में सहायता देने से इन्कार कर दिया जाय। श्रीगणेश कई प्रकार से बहिष्कारों से किया जाने वाला था—विदेशी सरकार द्वारा वी गई उपाधियों का

बहिष्कार 'सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, वकीलों और भविकिलों द्वारा अदालतों का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार और मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के अन्तर्गत बनाई गई नई कौन्सिलों का बहिष्कार ! बाद में सिविल और फौजी नौकरियों और टैक्सों का भी बहिष्कार किया जाने वाला था । रचनात्मक दिशा में हाथ से सूत कातने, खद्दर पहनने और अदालतों के बदले पंचायती न्यायालयों की स्थापना पर जोर दिया जाता था । इनके अलावा कांग्रेस कार्यक्रम के बो और मुख्य स्तम्भ थे—(१) हिंदू-मुस्लिम एकता और (२) हिंदुओं में से छुआ-छूत की भावना का निवारण ।

कांग्रेस ने अपना विधान भी बदल दिया और वह एक कार्य-क्रम संस्था बन गई । साथ ही उसने अपने सामने जनता की सामूहिक सदस्यता का ध्येय भी रखा ।

कांग्रेस का यह कार्यक्रम उसके अब तक के कार्य से बिल्कुल भिन्न था । निस्तं-देह यह इस संसार में एक निराली योजना थी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का कार्यक्षेत्र बहुत ही सीमित था । परिणाम यह हुआ कि कुछ वर्ग के लोगों को तत्काल बड़े-बड़े त्याग करने पड़े । उदाहरण के लिए, वकीलों से वकालत छोड़ने के लिए कहा गया और विद्यार्थियों को सरकारी कालिजों का बहिष्कार करने का आदेश दिया गया । इस महान् प्रयोग के मूल्य को आंकना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि और कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिससे उसकी तुलना की जाती । इसलिए कोई ताज्जुब नहीं कि पुराने और अनुभवी कांग्रेसी नेता भिन्नके और उन्हे नये कार्य-क्रम की सफलता पर संदेह हुआ । उस समय के सबसे बड़े नेता लोकमान्य तिलक कुछ ही पहले मर चुके थे । दूसरे प्रमुख नेताओं में से श्रूण-श्रूण में केवल एक मोती-लाल नेहरू ने गांधीजी का समर्थन किया, किन्तु आम कांग्रेसियों और जनसाधारण की प्रवृत्ति के संबंध में कोई संदेह नहीं रह गया । उन पर गांधीजी का बड़ा जबर्दस्त प्रभाव पड़ा । ऐसा लगता था जैसे गांधीजी ने उन पर कोई जादू कर दिया है और उन्होंने 'महात्मा गांधी की जय' के ऊंचे-ऊंचे नारे लगाते हुए उनके अंहिसा-

स्मक असहयोग के नए सिद्धांत को अपनी स्वीकृति प्रदान की । मुसलमानों ने भी कम उत्साह नहीं दिखाया । सच पूछिये तो अलो-बन्धुओं के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी ने इस कार्यक्रम को कांग्रेस से पहले ही अपना लिया था । थोड़े ही दिनों बाद जनता के उत्साह और असहयोग आंदोलन की प्रारंभिक सफलताओं ने अधिकांश पुराने कांग्रेसी नेताओं को भी अपनी ओर खोंच लिया ।

राष्ट्रीयता के विकास ने जनता का ध्यान राजनीतिक स्वतन्त्रता की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया । यह आवश्यकता केवल इसलिए नहीं थी कि निर्भर और दास बने रहना अपमानजनक था, या जैसा कि तिलक ने कहा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था और उसे प्राप्त करना हमारे लिए अनिवार्य था, बल्कि इसलिए भी कि जनता पर से निर्धनता का बोझ कम करना था । आखिर यह स्वतन्त्रता कैसे मिल सकती थी ? स्पष्ट ही वह हमारे चुपचाप बेठकर प्रतीक्षा करते रहने से नहीं मिल सकती थी । यह भी स्पष्ट हो गया था कि केवल विरोध करने और भीख मागने की नीति, जिसका अनुकरण अबतक कांग्रेस न्यूनाधिक उत्साह से करती आई थी, न केवल असमानजनक, बल्कि निरर्थक और निष्फल भी थी । विश्व के इतिहास में ऐसी नीति भी कभी सफल नहीं हुई थी और न उससे प्रभावित होकर किसी शासक या शक्तिशाली वर्ग ने अपने अधिकारों का त्याग ही किया था । इसके विपरीत, इतिहास ने हमें सिखाया था कि गुलाम बनाये गये लोगों और देशों ने हिंसात्मक विद्रोह और विप्लव से ही अपनी स्वाधीनता प्राप्त की है ।

भारतवासियों के लिए सशस्त्र विद्रोह का तो कोई प्रश्न हो नहीं उठता था । हमारे पास न शस्त्र थे और न हम में से अधिकांश लोगों को शस्त्र चलाना ही आता था । इसके अलावा हिंसात्मक सघर्ष के लिए हम ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चाहे कितनी भी शक्ति संग्रहीत क्यों न करते, उसके संगठित बल की बराबरी किसी तरह भी नहीं कर सकते थे । फौजें तो विद्रोह कर सकती थीं, किन्तु निश्चस्त्र जनता विद्रोह कर सशस्त्र शक्ति का सामना कैसे कर सकती थी ? इसके अलावा व्यक्ति-

गत रूप से आंतक फेलाना या बम और पिस्तौल से किसी अक्सर को मारना भालों अपना दिवालियापन दिखाना था। वह जनता के आचार को भ्रष्ट करने वाली बात थी और यह सोचना बिलकुल उपहासात्पद था कि उससे किसी शक्तिशाली और संगठित सरकार को जड़ हिलाई जा सकती थी, चाहे अवितरण रूप से उससे लोग कितने ही आतंकित थे न हो जाते।

अतः ये सब रास्ते बन्द थे और अपमानजनक दासता की उस असहृष्ट अवस्था से कोई छुटकारा नहीं दिखाई देता था। जिन लोगों में थोड़ी बहुत भी भावुकता थी वे बड़े ही दुःखी और असहाय-से हो रहे थे। यही वह अवसर था जब गांधीजी ने अपना असहयोग का कार्यक्रम लोगों के सामने रखा। आयरलैण्ड के शिन फैन\* की भाँति इस कार्यक्रम ने हम अपने पर भरोसा रखना और अपनी शक्ति बढ़ाना सिखाया और निस्सवेह वह सरकार पर बबाक ढालने का एक बड़ा ही को कारण तरीका था। बहुत हव तक सरकार भारतवासियों के सहयोग पर ही निर्भर थी—चाहे यह सहयोग इच्छा से हो, चाहे अनिच्छा से—और यदि इस सहयोग को हटाकर सरकार का बहिष्कार किया जाता तो बहुत संभव था कि संदातिक रूप से उसकी सारी इमारत ही ढह जाती। यदि असहयोग से इतना न भी हो पाता तो इसमें तो संदेह ही नहीं था कि उससे सरकार पर बड़ा जबरदस्त बबाक पड़ सकता था और साथ ही जनता की शक्ति भी बड़ सकती थी। इस आंदोलन की रूप रेखा पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण थी, फिर भी वह केवल विरोधहीन नहीं था। वह

\*आर्थर प्रिफिथ नामक आयरिश युवक द्वारा प्रवर्तित एक नवीन नीति, जिसके मानने वालों का कहना था कि महायता के लिए आयरलैण्ड को इंगलैण्ड का मुह नहीं ताकना चाहिए, बल्कि अपने राष्ट्र को ही शक्तिशाली बनाना चाहिए।

•

अन्याय के विरोध का एक निश्चित किंतु अहिंसात्मक रूप था। वस्तुतः वह एक शांतिपूर्ण विद्रोह था, युद्ध का सभ्य-से-सभ्य तरीका था, फिर भी शासक संस्था के स्थायित्व के लिए खतरनाक था। जनसाधारण को क्रियाशील बनाने का वह एक बड़ा ही सफल साधन था और भारतीय जनता की विशेष प्रतिभा के बिलकुल अनुकूल प्रतीत होता था। उससे हमारा व्यवहार निर्मल बन गया और शत्रु बगले भाँकने लगा। जिस भय ने हमें दबोच रखा था वह जाता रहा और हम निढ़र होकर लोगों की आंखों से आंखें मिलाने लगे, जैसा कि हमने पहले कभी नहीं किया था और अपने मन की बाते साफ-साफ और पूरी तरह से कहने लगे। ऐसा मालूम होता था जैसे हमारे दिमाग पर से एक बड़ा भारी बोझ उतर गया है। बोलने और कार्य कर सकने की इस नई स्वतन्त्रता ने हममें विश्वास और बल भर दिया। इसके अलावा बहुत हव तक इस शांतिपूर्ण युक्ति ने उन भयंकर और कड़वी जातीय व राष्ट्रीय घृणाओं को बढ़ने से रोका, जो तब तक के ऐसे संघर्षों में सदा दिखाई देती रही थीं और इस प्रकार अंतिम समझौते का मार्ग सरल बन गया।

इसलिए आश्चर्य नहीं कि असह्योग के इस कार्यक्रम ने महात्मा गांधी के द्वितीय अधिकार्त्त्व से आलोकित होकर देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उसे आशा से भर दिया। यह आशा बढ़ी और उसके साथ-ही-साथ हमारा पुराना नैतिक पतन समाप्त हो गया। नई कांग्रेस ने देश के अधिकांश महत्वपूर्ण तत्त्वों को अपनी ओर लीचा और दिन-पर-दिन उनकी शक्ति और मर्यादा बढ़ती गई।

### एक मुस्लिम सभा

१९२० में राजनीतिक और खिलाफत आंदोलन साथ-साथ चलते रहे। दोनों की एक विशा थी और अन्त में जब कांग्रेस ने गांधीजी के अहिंसात्मक असह्योग को अपनाया तो दोनों एक में मिल गए। असह्योग के कार्यक्रम को पहले खिलाफत कमेटी ने इसी अपनाया और उसके श्रीगणेश के लिए पहली अगस्त निश्चित की गई।

उसी वर्ष कुछ पहले इस कार्यक्रम पर विचार करने के लिए इलाहाबाद में एक मुस्लिम सभा हुई थी (मैं समझता हूँ कि वह मुस्लिम लोग की कॉन्सिल थी)। बैठक संयद रजा अली के घर पर हुई। मौलाना मुहम्मद अली उस समय भी यूरोप में थे, किन्तु मौलाना शौकत अली बैठक में शोजूद थे। मुझे उस बैठक की याद है, क्योंकि उससे मुझे पुरी-पुरी निराशा हुई थी। मौलाना शौकत अली में तो उत्साह था, किन्तु करीब-करीब और सब लोग बड़े ही दुःखी और परेशान थे। उनमें असहमत होने का तो साहस ही नहीं था फिर भी यह साफ मालूम होता था कि वे कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। मैंने सोचा कि क्या ये ही बे लोग हैं जो क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे और ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देंगे? गांधीजी ने उनके बीच भाषण दिया और उनकी बातें सुनने के बाद सभा में भाग लेने वाले पहले से भी अधिक भव्यभीत दिखाई देने लगे। अपने आदेशात्मक स्वर में गांधीजी खूब अच्छी तरह बोले। वह विनीत किन्तु हीरे की तरह साफ और कठोर थे। उनकी बातें मीठी किन्तु दृढ़ और हृदय के अन्तररत्न प्रदेश से निकली हुई थीं। उनकी आंखें नम्र और गहरी थीं, फिर भी उनमें गजब की शक्ति और सकल्प की चमक थी।

उन्होंने चेतावनी दी कि यह लड़ाई एक अत्यंत शक्तिशाली शत्रु से लड़ी जानेवाली बहुत बड़ी लड़ाई होगी, अगर आप इसे लड़ना चाहते हैं तो आपको सब कुछ खोने और साथ ही कड़ी-से कड़ी अहिंसा और अनुशासन का पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि जिस तरह युद्ध की घोषणा होने पर कौजी कानून जारी किया जाता है उसी तरह यदि हम जीतना चाहते हैं तो हमें भी अपनी अहिंसात्मक लड़ाई में तानाशाही और कौजी कानून का प्रयोग करना होगा। आपको इस बात का पूरा अधिकार है कि आप मुझे ठोकर मार कर निकाल दें, मेरा सिर मांग लें और जब चाहे या जैसे चाहे मुझे बंड दें। किन्तु जब तक आप मुझे अपना नेता बनाकर रखना चाहते हैं, आपको मेरी शर्तें माननी होंगी और

तानाशाही तथा कोजो कानून के अनुशासन को स्वीकार करना होगा । किन्तु वह तानाशाही सदा आपकी सदृशावना, आपकी स्वीकृति और आपके सहयोग पर निर्भर होगी । जैसे ही आप यह समझें कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं रह गई, आप मुझे निकाल फेंकें, मुझे पैरों तले कुचल दें, मैं रसी भर भी शिकायत नहीं करूँगा ।

उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें कहीं और बीच-बीच में जो संतिक उपमाएं वीं व जिस वृद्धतापूर्ण सच्चाई से अपने विचार प्रकट किये उससे अधिकांश श्रोताओं के रोगटे खड़े हो गये । किन्तु शोकतअली वहां ढिल मिल लोगों को सम्मालने के लिए मौजूद थे और जब राय देने का समय आया तो अधिकांश लोगों ने चुपचाप और शर्म से मुँह छिपाये गांधीजी के गुद्ध-प्रस्ताव का समर्थन किया ।

सभा से घर लौटते समय मैंने गांधीजी से पूछा कि क्या एक बड़े मध्यर्थ को आरभ करने का यही ढंग है ? मैंने उम्मीद की थी कि वहां बड़ा उत्साह दिखाई देगा, बड़े-बड़े जोशीले मालवण होंगे और लोगों की आंखें चमक उठेंगी, किंतु इनके बजाय वहां डरयोद और अचेह उम्म के लोगों की एक दिविल-सी भीड़ दिखाई दी । फिर भी जनसत का इतना दबाव था कि इन लोगों को संघर्ष का समर्थन करना पड़ा ।

### भय का अन्त

हमारी जनता उत्सेजना, पीड़ा और संशय से भरे हुए कुछ इने-गिने वर्षों से नहीं, बल्कि पीढ़ियों से अपना खून और पसीना बहाती आई थी और यह किया भारत की रग-रग में घुसती हुई इतनी गहरी पहुंच जूकी थी कि उससे हमारे सामाजिक जीवन का एक-एक पहलू विवाहत हो गया था—ठीक उसी भयंकर दोष को तरह जो फेंकते के तंतुओं को ला जाता है और मनुष्य का धीरे-धीरे किन्तु निविदत रूप से अन्त कर देता है । कभी-कभी तो हम सोचा करते थे कि ज्यादा

अच्छा यह होता कि हंजे या प्लेग की तरह हमारी मृत्यु का कोई अधिक तीव्र और स्पष्ट साधन मिल जाता। लेकिन वह एक क्षणिक भावना थी, क्योंकि इस प्रकार की साहसिकता से कुछ हाथ नहीं आता। गहरी बोमारियों का नीम हकीको से इलाज कराने से कोई लाभ नहीं होता।

और तब गांधी आये। वह ताजी हवा के एक जबर्दस्त झोके की तरह थे, जिसके स्पर्श का अनुभव होते ही हमने अपनी छातियाँ फैलाकर गहरी सांसें लीं। वह रोशनी की एक किरण जैसे थे जिसने अंधकार को बेथ दिया और हमारी आँखों पर से परदा हटा दिया। वह एक तुफान की तरह थे, जिसके झोके में सब चीजें अस्तव्यस्त हो गईं—सबसे अधिक लोगों की मानसिक किया। वह किसी छोटी में नहीं उतरे, बल्कि भारत के करोड़ों जन में से ही प्रकट होते दिखाई दिये—उन्हींकी भाषा बोलते हुए, सदा उन्हीं की ओर संकेत करते हुए और उनके हृदय को दहला देने वाली स्थिति की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए। उन्होंने हमसे कहा कि जो लोग किसानों और भजदूरों का शोषण करके जीवित रहते हैं वे उन पर से अपना बोझ हटा लें और उस कुरीति को मिटा दें, जो उनकी निर्भता और विषय को जन्म देती है।

इसके बाद राजनीतिक स्वतन्त्रता ने एक नवा क्षय घटाया और उसमें नये-नये विषयों का प्रवेश होने लगा। जो कुछ भी गांधीजी ने कहा उसमें से अधिकांश को हमने या तो केवल जंशतः स्वीकार किया, या कभी-कभी बिलकुल स्वीकार नहीं किया। किन्तु यह सब गौण था। उनके अद्वेश का सार यह था कि सब जनता के कल्पाण को दृष्टि में रखते हुए अभय और सत्य से कान करो। हमें पुराने ग्रन्थों में सिखाया गया था कि अभय अविकृत या राष्ट्र की सबसे बड़ी निषि है और उसका अभिप्राय केवल जारीरिक साहस से हो नहीं, बल्कि मानसिक निर्भयता से भी है। हमारे हतिहास के आरंभ में ही चापचय और याज्ञवल्य ने कहा था कि जन-नेताओं का कर्तव्य जनता को अभय-दान देना है। किन्तु लिंगिश राज्य में

भारत में सबसे प्रमुख भावना भय की थी—एक सर्वध्यापी, दुःखदायी और गला घोटने वाला भय—फौज का भय, पुलिस का भय, कोने-कोने में फैली हुई खुफिया पुलिस का भय, अफसरों का भय, दमनकारी कानूनों का भय, केंद्र का भय, जर्मांदार के गुमाश्ते का भय, महाजन का भय और उस बेकारी तथा भूत का भय जो हर समय मुंह बाये खड़ी रहती थी। गांधीजी ने अपनी शात किन्तु बढ़ आवाज इसी सर्व ध्यापी भय के विरुद्ध बुलन्द की। उन्होंने कहा—“डरो मत !”

किन्तु क्या यह बात इतनी सरल थी ? नहीं। भय के भूत खड़े हो जाते हैं, जो असली भय से भी अधिक डरावने होते हैं। जहा तक असली भय का सवाल है, जब शांति के साथ उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके परिणामों को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया जाता है तो उसका बहुत कुछ डरावनापन नष्ट हो जाता है।

इस तरह भय का मानो काला परदा जनता की आँखों से एकाएक उतर गया—पुरा तो नहीं, किन्तु इतना अधिक कि आश्चर्य होता था। जिस तरह भय और झूठ में घनिष्ठ मिश्रता है, उसी तरह सत्य और अभय में भी। यह तो ठीक है कि भारत की जनता पहले से बहुत अधिक सत्यवादी नहीं बन गई और न रातों ही रात उनके असली स्वभाव में ही परिवर्तन हुआ, लेकिन जैसे-जैसे झूठ और जोरों जैसे व्यवहार की आवश्यकता कम होती गई जैसे-जैसे परिवर्तन का एक समुद्र-सा लहराता दिखाई दिया। यह एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था, ऐसा मालूम होता था जैसे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले किसी विशेषज्ञ ने रोगी के अतीत में गहरा उत्तर कर उसकी कमियों के उद्गम का पता लगा लिया हो और उन्हें उसकी बृष्टि के सामने ला-खड़ाकर उसके मन पर से उसका बोझ उत्तर दिया हो।

इसके अलावा हममें एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया भी हुई। जिस विदेशी शासन ने हमारा पतन और अपमान किया था उसके सामने इतने तक घृटने

टेके रखने के कारण हमें लड़ा आई और यह इच्छा उत्पन्न हुई कि अब जाहे कुछ भी हो, हम उसके आगे सिर नहीं झुकायेंगे। जितना सच हम पहले बोलते थे शायद उससे अधिक सच बोलता हमें नहीं आया, किन्तु गांधीजी कहूर सत्य के प्रतीक बने सदा हमें सहारा देते रहे और लज्जित कर-करके हममें सत्य बोलने की आवश्यकता डालते रहे।

### सत्य क्या है ?

सत्य क्या है ? मेरे इसकी परिभाषा ठीक-ठीक नहीं जानता। शायद सत्य एक नुल्लात्मक वस्तु है और संपूर्ण सत्य हमारी पहुंच से बाहर है। सत्य के सबै में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग धारणाएँ हो सकती हैं और प्रत्येक व्यक्ति पर उसकी अपनी पुष्टभूमि, अपनी विज्ञान और अपनी भावनाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है। यही बात गांधीजी के साथ थी। फिर भी जहां तक किसी एक व्यक्ति का सवाल है, कम-से-कम उसके लिए सत्य वही है, जिसका वह स्वयं अनुभव करता है और जिसे वह जानता है कि यह सच है। इस परिभाषा के अनुसार मेरी सबस्तु में शायद ही कोई आवश्यक सत्य का इतना पालन करता हो जितना गांधीजी करते हैं। राजनीतिज्ञ के लिए सत्य एक खतरनाक गुण है, क्योंकि वह अपने सभी की सारी चाहें बताते देता है और जबता कि उसके बाहरसे हुए क्या तक दिखा देता है।

गांधीजी ने भारत के साथों व्यक्तियों को भिज-भिज सीखत का प्रभावित किया। कुछ लोगों ने अपने जीवन को सारी कृप रेखा ही बदल डाली और कुछ लोगों पर उनका केवल अंतिक प्रभाव पड़ा। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन दर से उनकी प्रभाव जाता रहा, किन्तु ऐसा पूर्ण रूप से नहीं हुआ, क्योंकि उनके प्रभाव के कुछ अंश को पूरी तरह से भिटाना संभव नहीं हो सका। जुदा-जुदा लोगों पर जुदा-जुदा तरह की प्रतिक्रिया हुई और प्रत्येक व्यक्ति इस प्रश्न का अपना अलग-अलग

उनर देता था। कुछ लोग तो करीब-करीब आल्सीबियाडीज<sup>१</sup> के ही शब्दों में कहते थे—“इसके अलावा जब कभी हम किसी और को कुछ कहते सुनते हैं तो उसकी बातें चाहे कितनी भी जोशीली क्यों न हो, हम इस बात की रत्ती भर भी परवा नहीं करते कि वह क्या कह रहा है, किंतु जब हम आपको सुनते हैं या किसी और को आपको बातों को दोहराते सुनते हैं तो चाहे वह उनका कितनी ही बुरी तरह से बण्ठन क्यों न करता हो और उसको सुनने वाला चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री, चाहे बालक, हम बिलकुल स्तंभित और विमुग्ध हो जाते हैं। और, महाशयों, जहा तक मेरा प्रश्न है, अगर मुझे यह भय न हो कि आप कहेगे कि मेरे बिलकुल मुग्ध हो गया हूँ तो मेरे शपथ लेकर कह सकता हूँ कि उनके शब्दों का मुझपर कितना अद्वितीय प्रभाव पड़ा और अब भी पड़ता है। जब तक मेरे उनका बोलना सुनता रहता है मुझमें एक पवित्र रोष भरा रहता है जो कि किसी भी कोरीबेंट<sup>२</sup> से बुरा होता है और मेरा हृदय उछलता रहता है और मेरी आखों से आमू बहते रहते हैं—और यह दशा मेरी ही नहीं, बल्कि और बहुत से लोगों की भी होती है।

“हा, मैंने पेरिक्लीज<sup>३</sup> और दूसरे सभी बड़े वक्ताओं को सुना है और मेरे समझा करता था कि वे बड़े ही जोशीले वक्ता हैं, किंतु उनका मुझपर कभी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा, उन्होंने कभी मेरी आत्मा में उथल-पुथल नहीं मचाई और उन्हें सुनने के बाद मेरे सदा यही अनुभव करता रहा कि मेरी नीचों से भी नीच हूँ; किंतु इन दिनों मरियाज को सुनने के बाद मुझे अक्सर ऐसा लगता रहा है जैसे अब

१. प्रेस का जनगल और गजनेता।

२. एक भीक दवी की सविका, जो माना जाता है—वि, अपनी दंडी के साथ भयकर मुद्राओं के नृत्य करती जानी थी।

३. एथेन्स का गजनेता और विद्यान वक्ता।

भविष्य में भेरे लिए इस तरह का जीवन बिनाना बिलकुल असंभव है।

“और एक बात ऐसी है जो मैंने किसी और के साथ कभी अनुभव नहीं की और जिसे अप मुझमें भी पाने की आशा नहीं कर सकते—वह है लज्जा की भावना। इस संसार में सुकरात की ही एक ऐसी हस्ती है जो मुझे लज्जित कर सकती है। चूंकि उससे बचने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए मैं सोच लेता हूँ कि वह मुझे जो करने को कहता है उसे मुझे कर लेना चाहिए। इतने पर भी जैसे ही मैं उसकी आखो से ओफल होता हूँ मुझे इस बात को बिलकुल चिंता नहीं रह जाती कि मैं जनसाधारण में मिले रहने के लिए क्या कर रहा हूँ। इसलिए मैं एक भागे हुए गुलाम की तरह तेजी से निकल जाता हूँ और जितनी दूर तक उससे बच सकता हूँ बचता हूँ। जब उससे फिर कभी मुलाकात होती है तो मुझे वे सब बातें याद आती हैं जो मुझे पहले अंगीकार करनी पड़ी थीं और स्वभावतः मुझे लज्जा आती है।

“मुझे तो साप से भी ज्यादा विषेले जानबर ने डसा है। सच पूछिए मुझे जो ढंक लगा है वह सबसे अधिक कष्टदायक है। मेरा हृदय डसा गया है या यों कहिए कि मेरा मस्तिष्क डसा गया है या आप जो कहना चाहे वही सही है।”\*

### किसानों का सहयोग

गांधीजी ने कांग्रेस में घुसते ही फौरन उसके विधान में पूर्ण परिवर्तन कर दिया। उन्होंने उसे प्रजावादी और साधारण जनता की सम्पत्ति बना दिया। प्रजावादी तो वह पहले भी थी, किन्तु अभी तक उसका मताधिकार सीमित था और वह उच्च वर्ग के लोगों तक ही परिमित थी। किन्तु अब उसमें घड़ाघड़ किसान प्रवेश करने लगे और अपने नये रूप में वह एक महान प्रामोज संस्था जैसी दिखाई देने

\*प्लेटो की पंचवार्ता (फाइव डाइलॉग्स आव प्लेटो)

लगी, जिसमें मध्यम वर्ग के लोगों की बहुलता थी। काप्रेस का यह शामीण रूप अभी और भी विकास पाने वाला था। उसमें औद्योगिक मजदूर भी आने लगे—अपनी पृथक सगठित हैमियत में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप में।

कर्म इस सम्प्रयोग का आधार और उद्देश्य भाना गया—वह कर्म जो शातिपूर्ण युक्तियों पर आधारित होता है। अब तक काप्रेस के सामने केवल दो ही विकल्प रहे थे—कोही बातचीत करना और प्रस्ताव पास करना या फिर आतंककारी कार्रवाई करना। अब ये दोनों बातें हटा दी गईं। आतंकवाद की तो विशेष रूप से निवार की गई और वह काप्रेस की आधारभूत नीति के बिलकुल प्रतिकूल भाना गया। कार्य की एक नई प्रणाली निकाली गई, जो थी तो पूर्णतः शातिपूर्ण, किंतु जिसमें अन्याय के सामने सिर न झुकाने और, फलतः, उसमें निहित पीड़ा और कष्ट को स्वेच्छा से स्वीकार करने का आदेश था। गांधीजी एक बड़े ही विलक्षण हंगे के शातिवादी थे, क्योंकि वह विस्फोटक स्फूर्ति से परिपूर्ण कर्मशोल व्यक्ति थे। वह भाग्य या किसी भी ऐसे तत्व के सामने जिसे वह बुरा समझते थे सिर नहीं झुकाते थे। उनमें अपार विरोध-शक्ति थी, यद्यपि वह शक्ति शांत और विनम्र थी। गांधीजी के कर्म की पुकार दुहेरी थी—एक तो विवेकी शासन को चुनौती देने व उसका विरोध करने की, और दूसरी स्वयं अपने देश की सामाजिक बुराइयों से मध्यवं करने की। देश की स्वाधीनता और शातिपूर्ण कार्य-प्रणाली के आधार-नित लक्ष्य के अतिरिक्त काप्रेस के दो और भी मुख्य उद्देश्य थे—एक राष्ट्रीय एकता, जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान निहित था और दूसरा दलित जातियों का उत्थान तथा अस्थिरता के अभिशाप का निराकरण।

### उपाधियों और नरेश

गांधीजी ने देखा कि ब्रिटिश राज्य मुख्यतः इन आधारों पर खड़ा है—भय, भर्यादा, जनता का इच्छित या अनिच्छित सहयोग और कुछ ऐसे लोग, जिनका

स्वार्थ ब्रिटिश राज्य के साथ बंधा हुआ था। अतः उन्होंने इन्हीं जड़ों पर आघात करना आरंभ किया। उन्होंने कहा, “उपाधियों का बहिष्कार करो।” और गो कि बहुत ही कम उपाधिवासियों ने उनकी बात मानी तो भी अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली उपाधियों पर से लोगों की आस्था हट गई और वे अपमान के चिह्न माने जाने लगे। जीवन की सार्वकता के नये-नये मान स्थापित होने लगे और बाह्य-राय के दरबार और नरेंद्रों की जो शान-शौकृत लोगों को इतना प्रभावित करती थी, वह चारों ओर जनता की गरीबी और मुसीबतों से धिरी होने के कारण एक-एक बहुत ही हास्यास्पद, भट्टी और लज्जाजनक मालूम बने लगी। घनी लोगों में अब अपने धन का मिथ्या प्रदर्शन करने की उतनी उत्सुकता नहीं दिखाई देनी थी और कम से कम दिखावे के लिए तो उन्होंने सरल जीवन को अपना लिया। पोशाक में तो वे साधारण जनता से प्रायः अभिन्न हो गये।

कांग्रेस के जो पुराने नेता एक बिलकुल ही और तरह की व ज्यादा आराम-तलब परम्परा में पले थे, उन्होंने ये नई बातें आसानी से नहीं अपनाईं और उन्हे जनता की भोड़ को देखकर चिन्ता हुई। फिर भी सारे देश को अपने प्रवाह में बहा लेजानेवाली नई विचारधारा की लहर इतनी तीव्र थी कि उसका कुछ प्रभाव उनपर भी पड़ा। कुछ लोगों ने उधर से मूँह भी भोड़ लिया और उनमें से एक मुहम्मदअली जिन्ना थे। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया—इसलिए नहीं कि उनका हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नपर कांग्रेससे कोई मतभेद हो गया था, बल्कि इसलिए कि वह अपने को इस नई और अधिक उन्नत विचारधारा के अनुकूल नहीं बना पाये। इससे भी अधिक इस कारण से कि उन्हें बेढ़ंगे कपड़े पहने हुए हिन्दुस्तानी झोलने वाले लोगों का इस प्रकार भुंड-के-भुंड कांग्रेसमें घुसना अच्छा नहीं लगा। उनकी समझ में राजनीति एक उच्च कोटि की वस्तु थी और बारा-सभाओं या कमेटी के कमरों के लिए अधिक उपयुक्त थी। कुछ वर्ष तक वह अपने को बिलकुल अलग समझते रहे और उन्होंने सदा के लिए भारत छोड़कर चले जाने

का भी निश्चय कर लिया। वह इस्लैण्ड में जा बसे और वहाँ कई साल तक रहे।

कहा जाता है, और मे समझता हूँ कि ठीक ही कहा जाता है, कि भारत-वासियों का स्वभाव प्रधानतः शात है। शायद जीवन के प्रति पुरानी जाति के लोगों की मनोवृत्ति ऐसी ही ही जाती है और बहुत दिनों से चली आई आध्यात्मिक परम्परा का भी कुछ ऐसा ही परिणाम होता है। फिर भी गांधीजी भारत के एक आर्द्ध प्रनिनिधि होने हुए भी, शातिवाद के पूरे प्रतिवाद हैं। उनमें गजब की स्फूर्ति और कर्मण्यता है, वह अपने का ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी खदेढ़ते रहते हैं। भारत-वासियों को धार्मिक परम्परा से युद्ध करने और उसे बदलने के लिए जितना अम गांधीजी ने किया है उतना मेरी जान में किसी और ने नहीं किया।

उन्होंने हमें गार्वों में भेजा और भारत के देहात नए कर्म-सिद्धांत के अनश्चिन्त सरेशवाहकों के कार्य-कलाप से गूज उठे। किसानों की आखें खुल गई और वे आलस्य को तिलाजन्ति दे बाहर निकलने लगे। हमपर कुछ और ही तरह का प्रभाव पड़ा गोकि वह भी उतना ही गहरा और व्यापक था। हमने, मानो अपने जीवन में पहली बार, गाववालों को पास से देखा कि मिट्टी की झोपड़ीयों में सदा भूख की काली छाया उनका पीछा किस तरह किये रहती है। हमें अपने देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान पुस्तकों और विद्वतापूर्ण भाषणों से भी अधिक इन दौरों से हुआ। इस प्रकार हमें जो भावुकतापूर्ण अनुभूति हुई वह दिन-पर-दिन बढ़ती और पुष्ट होती गई और उसके बाद हमारे लिए अपने पुराने ढग के जीवन या उसके पुराने स्नर पर जाने का कोई प्रश्न नहीं रह गया, चाहे उसके पश्चात् हमारे विचारों में कितना हां परिवर्तन क्यों न होता।

आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधीजी के विचार बड़े उपर थे, किंतु उन्होंने काप्रेस पर अपने सारे विचार लाने नहीं चाहे, यद्यपि वे उन्हें विकसित करते रहे और ऐसा करते समय कभी-कभी अपने लेखों द्वारा उनमें परिवर्तन भी

करते गये। फिर भी अपने कुछ विचारों को उन्होंने काप्रेस में अवश्य छुसाना चाहा। इस दिशा में उन्होंने बड़ी सावधानी से कदम बढ़ाया, क्योंकि वे अपने साथ-साथ जनता को भी ले चलना चाहते थे। कभी-कभी वे इतने आगे बढ़ जाते थे कि काप्रेस बहा तक नहीं पहुच पाती थी और इसलिए उन्हें पीछे लौटना पड़ता था। उनके विचारों को पूर्ण रूप से बहुत ही कम लोग मानते थे और कुछ लोग तो उनके आधार-भूत दृष्टिकोण से असहमत भी थे। किन्तु तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल बने रहने के लिए उनके विचार जिस संशोधित रूप में काप्रेस के सामने आते थे उसे बहुत-से लोग स्वीकार कर लेते थे। दो बातों में उनके विचारों की पृष्ठभूमि का एक अनिवार्य किन्तु पर्याप्त प्रभाव पड़ता था। हर बात की असली कसौटी यह थी कि उससे जनता को कितना लाभ पहुचता है। साधन को सदा महत्व दिया जाता था और साध्य चाहे कितना ही ठीक क्यों न हो, साधन की अवहेलना नहीं की जाती थी; क्योंकि साधन ही साध्य को सचालित और परिवर्तित करता था।

### हिन्दू धर्म

गांधीजी प्रधानतः एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनके अंग-अंग में हिंदुत्व भरा हुआ था। फिर भी उनकी धार्मिक विचारधारा का किसी भत्ता या रीति-रिवाज से सम्बन्ध नहीं था।\* उसका आधारभूत सम्बन्ध उनके नैतिक नियम में बूढ़ी विश्वास

\*जनवरी, १९२८, मे गांधीजी ने 'फेडरेशन आव इन्टरनेशनल फेलोशिप्स' (अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री सघ) के समक्ष कहा था—“बहुत दिनों के अध्ययन और अनुभव के बाद मैं इन निष्कर्षों पर पहुचा हूँ (१) सभी धर्म सत्य होते हैं, (२) सभी धर्मों में कोई-न-कोई भूल या कभी अवश्य होती है, (३) सभी धर्म मेरे लिए लगभग उतने ही प्यारे हैं जितना मेरा अपना हिंदू धर्म। दूसरे धार्मिक विश्वासों के लिए भी मेरे मन में उतना ही सम्मान है, जितना अपने धार्मिक विश्वास के लिए। इसलिए धर्म परिवर्तन की कल्पना असभव है। औरंग के लिए हमारी

से आ, जिसे वह सत्य या प्रेम का नियम कहते हैं। उनकी दृष्टि में सत्य और अहिंसा एक ही वस्तु है या एक ही वस्तु के दो पहलू हैं, इसीलिए वे इन शब्दों का एक-दूसरे के लिए प्रयोग करते रहते हैं।

चूंकि गांधीजी हिन्दू धर्म की आत्मा को समझने का दावा करते हैं, इसलिए वे उन सब बातों को अस्वीकार कर देते हैं जो उनकी हिन्दू धर्म की आदर्शवादी ध्यालय से मेल नहीं खातीं। इन्हें वे क्षेपक या बाद की बढ़ाई हुई बातें कहकर पुकारते हैं। उन्होंने कहा है—“मैं किसी भी ऐसे पुराने विश्वास या प्रचलन का गुलाम बनने से इन्कार करता हूँ जिसे मैं समझ नहीं सकता या जिसका मैं नैतिक आधार पर समर्थन नहीं कर सकता।” इसलिए व्यवहार में गांधीजी अपने चुने हुए मार्ग का अनुसरण करने, अपने को परिवर्तित कर परिस्थिति के अनुकूल बनाने और अपने जीवन तथा कर्म सम्बन्धी अध्यात्म का विकास करने में पूर्ण स्वतंत्रता से काम लेते हैं।

ऐसा करते हुए यदि उन्हें किसी बात का ध्यान रहता है तो केवल नैतिक नियम का, जैसा कि वह उनकी समझ में होना चाहिए। इस अध्यात्म की शुद्धता-अशुद्धता पर विवाद हो सकता है, किन्तु वह सभी बातों को—विशेषतः अपने को—एक ही आधारभूत मापदण्ड से नापने पर जोर देते हैं। इसके फलस्वरूप साधारण ध्यक्ति के लिए राजनीति और जीवन के अन्य क्षेत्रों में कठिनाई और अक्सर भ्रम उत्पन्न हो जाता है। किन्तु कठिनाइयां उन्हे अपने चुने हुए सीधे मार्ग पर चलने से विचलित नहीं करतीं, यद्यपि कुछ सीमा तक वह अपने को सदा परिवर्तन शील परिस्थिति के अनुकूल बनाते रहते हैं। वह दूसरों के लिए जो कुछ भी सुधार बताते

प्रार्थना यह नहीं होनी चाहिए कि हे प्रभु, जो प्रकाश तूने हमें दिखाया है वही उन्हे भी दिखा, बल्कि हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिए कि हे प्रभु, उन्हे अपने उच्चतम विकास के लिए जितने भी प्रकाश और सत्य की आवश्यकता है वह सब तू उन्हे दे।”

है या वह दूसरों को जो कुछ भी सलाह देते हैं उसका फौरन अपनेआप पर प्रयोग करते हैं। वह सदा अपने से ही आरम्भ करते हैं और उनके बच्चन और कर्म सदा एक-दूसरे के अनुकूल होते हैं। यही कारण है कि कभी उनकी समग्रता नष्ट नहीं होती और उनके जीवन तथा कार्य में सदा अभिन्नता रहती है। अपनी असफलताओं तक में वह उप्रति की ही ओर बढ़ते दिखाई देते हैं।

जिस भारत को वह अपनी इच्छा और आदर्श के अनुकूल बनाना चाहते हैं उसके सम्बन्ध में उनको भावनाएँ क्या हैं? उन्होंने कहा है—“मैं एक ऐसे भारत के लिए प्रयत्न करना चाहता हूँ, जिसमें निर्वन-से-निर्वन व्यक्ति भी यह अनुभव कर सकेंगे कि यह उनका अपना देश है, जिसके निर्माण में उनकी भी सुनी जायगी, जिसमें ऊंच-नीच का भेदभाव नहीं होगा, जिसमें सभी जातियाँ पूर्ण सामंजस्य के साथ जीवनयापन करेंगी। ऐसे भारत में छुआङूत और मादक पदार्थों का शाप नहीं होगा, स्त्रियों को पुरुषों के ही समान अधिकार मिलेंगे...यह है वह भारत जिसके में स्वप्न देखा करता हूँ।”

गांधीजी को हिन्दू जाति में जन्म लेने का गर्व था। उन्होंने हिन्दू धर्म को एक प्रकार का विश्वव्यापक रूप देना चाहा और सत्य की सीमा में सभी प्रकार के धर्मों को सम्मिलिन कर लिया। उन्होंने अपने पूर्वजों से पाई हुई सांस्कृतिक सम्पर्कों को संकुचित करना नहीं चाहा। उन्होंने लिखा है—“भारतीय सम्झूलि न तो पूर्ण रूप से हिन्दू है, न मुस्लिम, न कोई और। वह इन सबका मेल है।” उन्होंने यह भी कहा, “मैं चाहता हूँ कि सभी देशों की सकृतियाँ मेरे घर के पास जितनी भी सभव हो उतनी स्वतंत्रता के साथ उड़ती रहें, किन्तु मैं इस बात के लिए तेयार नहीं कि उनमें से कोई मुझे उड़ा ले जाय। मैं दूसरों के घर में बिना अधिकांश प्रवेश करने-वाले व्यक्ति या भिखारी या दास के रूप में रहने को तेयार नहीं।” आधुनिक चिचार-चारओं में पड़कर गांधीजी ने कभी भी अपनी जड़ों को हिलने नहीं दिया और उन्हें मजबूती के साथ पकड़े रखा।

### आत्मिक एकता

इसलिए उन्होंने लोगों की आत्मिक एकता को पुनः स्थापित करने, पवित्रमी रंग में रंग द्वारे उच्च स्तर के लोगों और जनता के बीच की दीवार को गिराने, पुरानी जड़ों के सजीव तत्त्वों को ढूढ़कर उन्हे ज्ञानितशास्त्री बनाने और जनता को उसकी मूर्छा तथा अवद्ध अवस्था से निकाल कर कर्मठ बनाने का कार्य आरम्भ किया। उनके एकमुखी मार्ग और बहिर्मुखी स्वभाव को देखकर लोगों की जो लास धारणा होती थी वह यह थी कि उन्होंने अपने को जनता में लीन कर दिया है, उसकी आत्मा के साथ अपनी आत्मा को मिला दिया है और केवल भारत ही नहीं, बल्कि समस्त समाज के असाहायों और निर्वनों के साथ तावात्म्य की उनमें एक आश्चर्यजनक भावना है। पदवलितों के उत्थान की उनमें जो उत्कट अभिलाषा थी उसके सामने उनके लिए धर्म तक गोण बन जाता था। “जिस देश के लोग अबभूत हो उसका न कोई धर्म हो सकता है, न कोई कला, न कोई संगठन।” “जो भी चीज भूलो मरती हुई लाखों जनता के लिए उपयोगी हो सकती है, वही मेरी दृष्टि में सुन्दर है। उन्हे हमें पहले जीवनकी सबसे आवश्यक चीजें देनी चाहिए, किर तो जीवन की सब शोभाएं और झलंकार बाद में आ ही जाएंगे।”,..... “मैं ऐसी कला और ऐसा सार्वात्म्य चाहता हूँ जो लाखों से बोल सके।” ये लाखों असहाय और अभागे सदा उनके मस्तक में चक्कर काटते रहते थे और ऐसा लगता था जैसे उनकी सारी विचारधारा उन्हीं के चारों ओर धूमती रहती है। “लाखों के सामने वो ही ‘विकल्प है—या तो निरन्तर चौकीदारी या चिरनिर्दा।’ वह कहते थे कि मेरी आकांक्षा “हर आंख से हर आसू को पोछ डालना है।”

इसमें कोई तज्जुब नहीं कि इस आश्चर्यजनक जीवनी-ज्ञानितवाले व्यक्ति ने, जो आत्म-विश्वास और असाधारण ढंग के बल से ओतप्रोत था, और जो प्रत्येक अवित को समानता तथा स्वाधीनता का हामी था और जो इन सब बातों को

निर्भन-से-निर्भन अधिकत की दृष्टि से देखता था, भारत के जनसाधारण को भूत्त कर लिया और उन्हें एक चुन्दक की तरह अपनी ओर लौट लिया। लोगों को ऐसा लगता था कैसे यह अधिकत भूत और भविष्य को छोड़नेवाली एक कड़ी है और उसने नोरस वर्तमान को भावी जीवन और आजाओं तक पहुँचने की सीढ़ी बना दिया है। ऐसा केवल जनता को ही नहीं लगा, बल्कि सुशिक्षित विद्वानों और दूसरे लोगों को भी अनुभव होता था—यद्यपि उनके चित्त सदा चित्त और भ्रम से भरे रहते थे और उन्हें जन्म-जन्मान्तर की छलों आईं परम्पराओं को छोड़ना अधिक कठिन था। इस प्रकार उन्होंने केवल अपने अनुयायियों में ही नहीं, बल्कि अपने विरोधियों और उन तटस्थ लोगों में भी, जो यह विश्वय ही नहीं कर पाते थे कि उन्हें क्या सोचना और क्या करना है, एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक छाति उत्पन्न कर दी।

कांप्रेस पर गांधीजी का प्रभुत्व था और वह एक विचित्र प्रकार का प्रभुत्व था, क्योंकि कांप्रेस एक किशाशील, विद्रोही और बहिर्भूती संस्था थी, जिसमें जुड़े-जुड़े भत के लोग थे और जिसे इधर या उधर ले जाना आसान नहीं था। अक्सर गांधोजी दूसरों की इच्छाएं पूरी करने के लिए अपना आप्रह कम कर देते थे, और कभी-कभी तो प्रतिकूल निर्भय भी स्वीकार कर लेते थे। किसी-किसी महस्वपूर्ण विषय पर वे टस-से-मस नहीं होते थे और अक्सर उनमें और कांप्रेस में भतनेव हो जाता था। किर भी वे सदा भारत की स्वतन्त्रता और संघर्षशील राष्ट्रीयता के प्रतीक थे और जो लोग मातृभूमि को दास बनाये रखने की चेष्टा करते थे उनके बे कहूर विरोधी थे। इसी प्रतीक के रूप में जनता दूसरी बातों में असहमत होती हुई भी उन्हें घेरे रहती थी और उनका नेतृत्व स्वीकार करती थी। जब कोई किशामक संघर्ष नहीं चलता होता था तब तो कभी-कभी लोग उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करते थे, किन्तु जब संघर्ष अनिवार्य हो जाता था तब सबसे अधिक अहता उन्हें ही थी जाने लगती थीं और अन्य आते गौण भन जाती थीं।

### जन-आंदोलन

समरण रहे कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, अन्य सभी राष्ट्रीय आंदोलनों की भाँति, धनिक वर्ग का आंदोलन था । वह उन्नति के एक, स्वाभाविक और ऐतिहासिक क्रम का स्थोतक था और उसे मजदूर-वर्ग का आंदोलन कहना या इस नाम से उसकी आलोचना करना ठीक नहीं । गांधीजी इस आंदोलन का और उससे सबधित भारतीय जनता का बड़े ही उत्तम प्रकार से प्रतिनिवित्व करते थे और इस दृष्टिकोण से वह जनसाधारण की आवाज बन गये थे । वह सदा अपने को राष्ट्रीय विचार धारा की सीमा के भीतर रखकर ही कार्य किया करते थे, किन्तु जो भाग उनके अन्तर्गतमें हर समय जलती रहती थी वह थी जनता को अंचा उठाने की आकांक्षा । इस दृष्टि से वह सदा राष्ट्रीय आंदोलन से आगे रहे और उसे उन्होंने धीरे-धीरे—स्वयं उसी की विचारधारा की सीमा के भीतर—इस नई दिशा में मोड़ा । अकेले भारत ही नहीं, बल्कि समस्त सासार की आर्थिक घटनाओं ने बड़े जोरों से भारतीय राष्ट्रीयता को महस्त्वपूर्ण सामाजिक सुधारों की ओर ढकेला और आज वह एक नई सामाजिक विचारधारा के तट पर कुछ-कुछ अनिश्चित-सी खड़ी है ।

किन्तु गांधीजी ने भारत और भारतीय जनता को जो कुछ मुख्य रूप से दिया वह कांग्रेस के जरिये शक्तिशाली आंदोलन चलाकर ही दिया । देशब्यापी कार्रवाई द्वारा उन्होंने लाखों को नए साले में ढालना चाहा और इस कार्य में उन्हे बड़ी सफलता मिली । उन्होंने पतित, काथर और निराश जनताको, जिसे अपनी-अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए सभी प्रमुख दल पीछित और पदवलित करते आये थे और जिनमें विरोध की शक्ति ही नहीं रह गई थी, ऐसा बना दिया जिसमें भात्म-सम्मान की भावना आग उठी, जिसे अपने पर भरोसा होने लगा, जो अत्यधिक का विरोध करने लगी और जिसमें मिलकर काम करने तथा एक बड़े हित के लिए स्थान करने की सामर्थ्य आ गई । उन्होंने उसे इस योग्य बना दिया कि वह राज-

नेतिक और आधिक समस्याओं पर विचार कर सके, यहां तक कि गोद-गांव और बाजार-बाजार में इस नई विचारचाराओं और आशाओं की जर्जाई होने लगी। यह एक आदर्शजनक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। इसके लिए समय भी अनुकूल था और परिस्थितियों तथा विद्व को घटनाओं ने इस परिवर्तन को लाने में योग दिया। किंतु परिस्थितियों से लाभ उठाने के लिए एक महान् नेता की आवश्यकता होती है। वह नेता हमें गांधीजी के रूप में मिला, जिसने हमें उन अनेक बन्धनों से मुक्त कर दिया जिन्होंने हमें ज़कड़ रखा था और हमारे मस्तिष्क को निरर्थक बना दिया था। भारतीय जनता के हृदय पर छा जाने वाली मुश्ति और हर्ष की उस महान् अनुभूति को हममें से जिन स्त्रियों ने भी महसूस किया वे उसे कवाच नहीं भूल सकते। गांधीजी ने भारत के उत्थान में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कांतिकारी भाग लिया, क्योंकि उन्हें पराषीत परिस्थितियों से अधिक-से-अधिक लाभ उठाना आता था और वे जनता के हृदय को छू सकते थे। इसके विपरीत बहुत-से अधिक उप्पत विचारबाले दल यों ही लटकते रह गये, क्योंकि वे अपने को परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बना सके और इसलिए जनसाधारण में डास नहयोग की भावना आप्रत नहीं कर सके।

### जनता का उत्थान

यह बिलकुल सत्य है कि राष्ट्रीय क्षेत्र के घरातल पर कार्य करते समय गांधीजी वर्ग-संघर्ष के दृष्टिकोण से कुछ नहीं सोचते, बल्कि अर्गेंस मतभेदों को दूर करने का ही प्रयत्न करते हैं। किंतु उन्होंने जो कुछ भी किया और जनता को सिखाया है उससे सदा ही बड़ी जबरदस्त जन-आप्रति तुर्हि है और सामाजिक समस्याओं को महत्ता मिली है। इसके अलावा उन्होंने ज़करत पड़ने पर कुछ क्षितेष जर्जों को नुकसान पहुंचाकर भी जनता को ऊपर उठाने पर बार-बार जो जोर दिया, उससे राष्ट्रीय अंदोलन में जन-यज्ञ में एक जबरदस्त परिवर्तन तुआ।

निवाय हो गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस साम्राज्यवाद के विरोध में एक संयुक्त भोजे का काम करती रही है ।

गांधीजी और कांग्रेस का मूल्य उनके द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों और किये जाने वाले कार्य के आधार पर ही आका जाना चाहिए । किन्तु इसमें व्यक्तित्व काम करता है और इन नीतियों तथा कामों को अपने रंग में रंग देना है । जहाँ तक गांधीजी जैसे अत्यत विशिष्ट व्यक्ति का सवाल है, उन्हें समझने और उनका मूल्य आकने के लिए व्यक्तित्व का प्रश्न बिशेष रूप से महस्वपूर्ण हो जाता है । अंग्रेज पत्रकार श्री जार्ज स्लोकस्ब ने, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले संसार भर के साधारण और असाधारण व्यक्तियों का अनुभव है, अपनी एक नई पुस्तक में गांधीजी का उल्लेख किया है । वह प्रकरण रोचक और उद्भूत करने योग्य है । उसमें लिखा है—“इतना ज्यादा ईमानदार और सच्चा आदमी मेने अपने जीवन में कभी नहीं देखा । आत्म-प्रश्नसा, अहंकार, अवसरवादिता और महस्वाकंक्षा की ओर उसका बहुत ही कम भ्रूकाव है, पद्धति ये बातें अधिक या कम मात्रा में इस संसार के अन्य सभी भ्रान् राजनीतिक व्यक्तियों में पाई जाती है ।”—हमें किसी अंग्रेज पत्रकार के भत्त से अधिक प्रभावित होने को अकरत नहीं और न किसी के हृवय को सचाई के बल पर उसकी अशुद्ध नीति या भ्रमपूर्ण विचारों का ही समर्थन किया जा सकता है; किन्तु स्थिति यह है कि यही भत्त भारत के लाखों व्यक्तियों का है । जो शब्द बिना सोचे-समझे सभी साधारण राजनीतिज्ञों के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं, उन्हीं शब्दों में गांधीजी जैसे अनोखे और अद्वितीय व्यक्तित्व का उल्लेख करना एक बड़ी ही ऊपरी आलोचना है । हम भारतीयों का गांधीजी से अक्सर भत्तभेद रहा है, अब भी कई बातों में हम उनसे सहमत नहीं होते और कभी-कभी पृथक् मार्ग भी ग्रहण कर लेते हैं, किन्तु उनके साथ और उनकी अवीनता में रहकर एक महान् हित के लिए कार्य करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है । हमारे लिए वह भारत की आत्मा और मर्दाना के प्रतीक रहे हैं, लाखों

संतप्तों की अपने अनगिनत बोझों से मुक्त होने की लालसा की प्रतिमूर्ति रहे हैं और छिटिज संस्कार या किसी और के हारा उनका अपमान किया जाना मानो भारत और भारतीय जनता का अपमान रहा है।

### विश्व-संघ

गांधीजी ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई विश्व विद्यार्थि जिससे हमारी निराशा और कटूता की भावनाएं कम हो गईं। ये भावनाएं बिलकुल समाप्त तो नहीं हुईं, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कोई दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन नहीं जो धूणा से इतना मुक्त रहा हो जितना कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन रहा है। गांधीजी के दूर राष्ट्रवादी थे, पर साथ ही वह यह भी महसूस करते थे कि उन्हें भारत ही नहीं, बल्कि सारे संसार को संदेश देना है। उन्हे विश्व-जाति की बड़ी उत्कट अभिलाषा थी। इसलिए उनकी राष्ट्रीयता में एक प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण था। वह राष्ट्रीयता आक्रमणकारी लालसा से पूरी तरह से मुक्त थी। भारत की स्वतन्त्रता के आकांक्षी होने के कारण गांधीजी को यह विश्वास हो गया था कि एक-दूसरे पर निर्भर रहने वाले राष्ट्रों का विश्व-संघ ही एक-मात्र सच्चा उद्देश्य है, चाहे वह कितना ही दूर क्यों न हो। उन्होंने कहा था—“राष्ट्रीयता के संबंध में मेरा विचार यह है कि मेरा देश स्वतन्त्र हो जाय, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो मानव-जाति को जीवित रखने के लिए वह सारा-का-सारा नष्ट हो जाय। इसमें जातीय धूणा को कोई स्थान नहीं। हमारी राष्ट्रीयता ऐसी ही होनी चाहिए।” और—“मैं सारे विश्व के दृष्टिकोण से सोचना चाहता हूँ। मेरे देश-प्रेम में सधारण रूप से सारी मानव—जाति का हित सम्मिलित है। इसलिए भारत के प्रति मेरी सेवा में मानव-जाति की सेवा शामिल है। . . . विश्व-राज्यों का लक्ष्य पृथक स्वतन्त्रता नहीं, बल्कि स्वेच्छित अन्तर्राष्ट्रियता है। संसार के उभय विचारवाले लोग आज एक-दूसरे से लड़ने वाले पूर्णतः स्वतन्त्र

राहग्रों की इच्छा नहीं रखते, बल्कि मिश्रतापूर्ण और एक-दूसरे पर निर्भर राज्यों का मध्य चाहते हैं। हो सकता है कि इस आकांक्षा की पूर्ति अभी दूर हो। मैं अपने देश के लिए कोई बहुत बड़ा दावा नहीं करना चाहता, किन्तु स्वतन्त्रता के बदले अनन्दराष्ट्रीय अन्तर्-निर्भरता का समर्थन करना मेरी समझ में कोई बड़ा अथवा अमर्भव कार्य नहीं। मैं चाहता हूँ कि हममें पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होने की योग्यता नो हो, लेकिन उसको ढोंग हांकने को नहीं।”

## : २ :

### तनातनी का वर्ष

सन् १९२१ का साल बड़ी ही तनातनी का साल था और अफसरों को शोधित, परेज्ञान और विचलित करने की बहुत-सी बातें हुईं। जो कुछ हो रहा था वह तो बुरा था ही, जो कुछ सोचा जा रहा था वह उससे भी बुरा था। मुझे एक उद्ध-हरण याद है जिससे इस मानसिक उपद्रव का प्रमाण खिलता है। मेरी बहन स्वरूप<sup>1</sup> की शादी के लिए १० मई, १९२१ की तारीख ते की गई थी। यह शादी इलाहाबाद में होने वाली थी, और जैसा कि ऐसे अवसरों पर हुआ करता है, उसकी ठोक-ठोक तारीख पत्रा से हिसाब लगाकर निश्चित की गई थी और दिन भी शुभ छांटा गया था। गांधीजी और बहुत-से दूसरे प्रभुओं कांग्रेसी, जिनमें अली बन्धु भी शामिल थे, इस अवसर पर निमन्त्रित किए गए थे और उनकी सुविधा के लिए उन्होंने दिनों कांग्रेस कार्यसमिति को एक बैठक भी इलाहाबाद में बुला ली गई थी। स्थानीय कांग्रेसियों ने बाहर से आने वाले प्रतिद्वंद्वी नेताओं की उपस्थिति से लाभ उठाना चाहा और बड़े पैमाने पर एक जिला कांफ्रेंस का आयोजन किया। उन्हें आशा थी कि आसपास के किसान उसमें भाग लेने के लिए बहुत बड़ी संख्या में आयें।

इन राजनीतिक सभाओं की बजह से इलाहाबाद में बड़ी चहल-पहल और उत्तेजना केली हुई थी। कुछ लोगों के स्नायु पर तो इसका उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। एक दिन मुझे अपने एक बैरिस्टर भिन्न से पता चला कि अंग्रेज लोग बिल-

<sup>1</sup> श्रीमती विजयलक्ष्मी पडित

कुल घबरा गए हैं और वे शहर में एक आकस्मिक उपद्रव की आशका कर रहे हैं। उन्हे अपने भारतीय नौकरों पर विश्वास नहीं होता था और वे अपनी जेबों में रिवाल्वर लिये फिरने थे। प्राइवेट तौर पर तो यहा तक कहा जाता था कि इलाहाबाद के किले को इस बात के लिए तैयार रखा गया है कि ज़फरत पड़ने पर अंग्रेज लोग भागकर वहाँ चले जायें। मुझे बड़ा ताज़जुब हुआ और मे समझ नहीं सका कि किसी को इलाहाबाद जैसे सुप्त और शांत शहर में एकाएक उपद्रव की सभावना की कल्पना क्यों हुई और वह भी एक ऐसे समय में जब कि अंहृसा का देवदूत ही बहाँ आने वाला था। कहा जाता था कि १० मई—जो कि संयोग-बश मेरो बहन की शादी के लिए तं हुई थी—सन् १८५७ में भेरठ मे आरंभ हुए गदर की वार्षिक तिथि है और वह इलाहाबाद में मनाई जाएगी।

### धर्म पर जोर

गांधीजी सदा राष्ट्रीय आंदोलन के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू पर जोर दिया करते थे। उनका धर्म कोई कटूरथी धर्म नहीं था, किर भी उसमें जीवन के प्रति एक निश्चित धार्मिक वृष्टिकोण का निर्देश अवश्य था। इसका सारे आंदोलन पर बड़ा गहरा असर पड़ा और जहा तक जनता का सवाल है उसने एक मजोद आंदोलन का रूप धारण कर लिया। स्वभावतः कांग्रेस के अधिकाक्ष कार्य-कर्ताओं ने अपने को अपने नेता के सांचे में ढालने की बेढ़ा की और उनके शब्दों तक को दुहराया। किर भी कार्य समिति में गांधीजी के मुख्य-मुख्य साथी—मेरे पिता, देशबन्धु दास, लाला लाजपतराय और द्वासरे लोग—साधारण अर्थ में धार्मिक पुरुष नहीं थे और वे राजनीतिक प्रश्नों का राजनीतिक धरातल पर ही बिचार किया करते थे। अपने सार्वजनिक भाषणों में वे धर्म को नहीं लेपेटते थे, किन्तु वे जो कुछ भी करते थे उसका जनता पर उनके द्वारा उपस्थित किये गये निजी उदाहरण की तुलना में बहुत ही कम प्रभाव पड़ना था। यह संसार जिन बीजों को बहुमूल्य सम-

महता है उनमें से बहुतों का परिस्थापन करके उन्होंने सरल जीवन को अपनाया था। उनका यह कार्य ही धर्म की निशानी भाना जाता था और उससे पुनरुत्थान का वातावरण उपस्थित करने में सहायता मिली।

हिन्दुओं और मुसलमानों द्वेषों की ओर से राजनीति में इस प्रकार के धार्मिक तत्व का विकास होते देख मुझे दुःख हुआ करता था। मुझे यह चिलकुल पतन्त्र नहीं था। मौलवी, मौलाना, स्वामी और ऐसे ही दूसरे लोग अपने सांबंद्धनिक भाषणों में जो कुछ कहा करते थे उसमें से अधिकांश मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत होता था। उनका इतिहास, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र सब कुछ मुझे गलत मालूम होता था और हर बात को धुमा-फिरा कर धर्म के रंग में रंगने का जो प्रयत्न किया जाता था उसके कारण साफ-साफ सोच सकना असंभव हो जाता था। कभी-कभी तो गांधीजी के भी कुछ शब्द मुझे बुरे लगते थे, जैसा कि उनका बार-बार रामराज्य का उल्लेख करना और कहना कि वह सुनहरा युग फिर आने वाला है। किन्तु मुझमें हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं थी और मैं यह सोचकर अपने मन को समझा लिया करता था कि गांधीजी इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जनता उन्हें अच्छी तरह से जानती और समझती है। जनता के हृदय तक पहुंचने की उनमें आश्चर्यजनक योग्यता थी।

लेकिन मैं इन बातों की अधिक चिंता नहीं किया करता था। मेरे पास अपना ही काम इतना ज्यादा था और आंदोलन की उत्तरिति की इतनी चिंता रहती थी कि इन छोटी-मोटी बातों की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता था—उन दिनों में इन्हें छोटी बातें ही समझा करता था। हमारे बड़े आंदोलन में सभी तरह के लोग थे और जब तक हमारे कार्य की मुख्य विद्या ठीक थी तब तक छोटी-मोटी विपरीत धाराओं से कुछ बनता-बिगड़ता नहीं था। अहाँ तक स्वयं गांधीजी का प्रश्न है, उन्हें समझना बड़ा कठिन था। कभी-कभी उनकी भाषा आज कल के एक साधारण व्यक्ति के लिए प्रायः यूर्जतः अप्राहृष्ट होती थी, किन्तु हम यह

अनुभव कहते थे कि हम उन्हे इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि इस बात को समझ सकते हैं कि वह एक महान् व निराले पुरुष व कोर्टिवान् नेता है। इस प्रकार गांधीजी पर विश्वास कर हमने अपनी ओर से उन्हे, कम-से-कम उस समय के लिए सफेद-स्पृह करने का पूरा अधिकार दिया था। अक्सर हम उनकी झक और विचित्रताओं पर अपने आप में बहस किया करते थे, और हँसी-हँसी में कहा करते थे कि स्वराज्य मिलने पर उनकी इन झकों को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए।

फिर भी हममें से बहुत से लोग राजनीतिक और दूसरे मामलों में उनसे इतने अधिक प्रभावित थे कि धार्मिक क्षेत्र में भी उस प्रभाव से पूरी तरह से बच नहीं सकते थे। जहां कि प्रत्यक्ष रूप से आकर्षण करने में सफलता नहीं मिल सकती थी वहा बहुत-सी परोक्ष युक्तियों से हमारी रक्षा-प्रबंधित कमज़ोर बना दी गई थी। धर्म के विश्वावटी तरीके मुझे प्रभावित नहीं करते थे और तथाकथित धर्मस्वामी द्वारा जनता का शोषण मुझे बिलकुल पसन्द नहीं आता था, फिर भी मैं उसकी ओर योड़ा बहुत भुक ही गया। धार्मिक प्रवृत्ति के जितना निकट में सन् १९२१ में पहुंच गया था उतना अपने बचपन से लेकर अब तक कभी नहीं पहुंचा था। फिर भी मैं उसके बहुत निकट नहीं गया।

### नीतिपूर्ण राजनीति

जो बात मुझे अच्छी लगती थी वह थी हमारे आंदोलन और सत्याग्रह की नेतृत्व दिला। मैंने अहिंसा के सिद्धात की पूरी-पूरी अधीनता नहीं मानी और न उसे सदा के लिए स्वीकार ही किया, किन्तु मैं उसकी ओर दिन-पर-दिन अधिक आकर्षित होता गया और मेरे मन में यह विश्वास जड़ पकड़ता गया कि अपनी परिस्थिति, पृष्ठभूमि और परम्पराओं के कारण हम भारतीयों के लिए यही ठीक नीति है। राजनीति के आध्यात्मीकरण का विचार मुझे बड़ा सुन्दर प्रतीत हुआ। यहां आध्यात्मीकरण से मेरा अभिप्राय उसके संकीर्ण धार्मिक अर्थ से नहीं है।

एक योग्य साध्य तक पहुँचने के साधन भी योग्य होने चाहिए। यह बात एक अल्प नेतृत्व किंवदंत ही नहीं, बल्कि एक स्वस्थ आबाहारिक राजनीति मालूम पड़ती थी, क्योंकि जो साधन अच्छे नहीं होते वे अक्षर साध्य का ही अंत कर देते हैं और उससे नई समस्याएं तथा कठिनाइयाँ उठ जाती होती हैं। और किंतु, ऐसे साधनों को अंगीकार करना, जो कोचड़ में से होकर गुजरने के समान हैं, व्यक्तिया राष्ट्र के आत्मसम्मान के लिए बड़ा अशोभनीय और अपमानजनक मालूम होता है। हम उसके दृष्टिप्रभाव से किस तरह बच सकते हैं? यदि हम भ्रुक कर या रेंग कर चलते हैं तो हमारे लिए तेजी से और मर्यादा के साथ चलना कैसे संभव हो सकता है?

उस समय मेरे विचार ऐसे ही थे और असहयोग आंदोलन ने मुझे वे ही चीजें दीं जो मैं चाहता था—अर्थात् राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का लक्ष्य और (जैसा कि मैं समझता था) पदविलितों के शोषण का अन्त। साथ ही उसने मुझे एक ऐसा साधन प्रदान किया जिससे मेरी नेतृत्व किञ्चासा शांत हो गई और मुझे एक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की अनुभूति हुई। यह व्यक्तिगत संतोष इतना जबरदस्त था कि उसके सामने असफलता की संभावना तक नगण्य प्रतीत हुई, क्योंकि इस तरह की असफलता अस्थाई हो सकती थी। मैं भगवद्गीता के दार्शनिक अंग की नहीं समझ पाता था और न उसकी ओर आकृष्ट ही होता था, किन्तु मैं उसके उन इलोकों को पढ़ना पसन्द करता था जो कि गांधीजी के आश्रम में सायंकालीन प्रार्थना में रोज पढ़े जाते थे और जिनमें बताया गया है कि मनुष्य को अपने उद्देश्य में शांत, प्रसन्नचित और दृढ़ रहते हुए कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए और उसके परिणाम की अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। चूंकि मैं स्वयं बहुत शांत और विरक्त नहीं था, इसलिए मैं समझता हूँ कि वह आदर्श मुझे और भी भाया।

### आङ्ग धूरण

सन् १९२१ हमारे लिए एक अहितीय साल था। राष्ट्रीयता के साथ राज-

नीति का और धर्म के साथ रहस्यवाद और धार्मिक उन्माद का एक विचित्र मेल खल रहा था। इन सबकी जड़ में गावों की अशांति और बड़े शहरों में निवित अवस्था से जागते हुए मजदूरों का आंदोलन था। राष्ट्रीयता और सारे देश में फैली हुई एक अनिश्चित किंतु तीव्र आदर्शवाद की लहर इन भिन्न-भिन्न—और कभी-कभी एक दूसरे के विरोधी—अमंतुष्ट तत्त्वों को एक सूत्र में बाधने का प्रयत्न कर रही थी और इसमें उसे जबरदस्त कामयाबी भी हासिल हुई। इतने पर भी यह राष्ट्रीयता स्वयं एक मिश्रित प्रेरणा थी और उसमें तीन तरह की राष्ट्रीय धाराएं साफ-साफ बहती बिलाई दे रही थीं—एक हिन्दू राष्ट्रीयता, दूसरी मुस्लिम राष्ट्रीयता, जिसकी दृष्टि कुछ हद तक भारतीय सीमाओं के उस पार लगी हुई थी और तीसरी भारतीय राष्ट्रीयता, जो उस समय की विचारधारा के अधिक अनुकूल थी। कुछ समय के लिए तो वे सब एक दूसरे में मिल गई थीं और साथ-साथ जोर लगा रही थीं। सब जगह हिन्दू-मुसलमान की जय” सुनाई देती थी। यह एक अद्भुत बात थी कि गांधीजी ने मानों सभी श्रेणियों के और समूहों के लोगों पर एक मन्त्र-सा डाल दिया था और उन्हे एक ही दिक्षा में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करती हुई एक सामूहिक भीड़ में ला लड़ा किया था। यदि मेरे एक दूसरे नेता के लिए प्रयोग में लाए गए शब्दों का उल्लेख करूँ तो कह सकता हूँ कि गांधीजी “जन साधारण की भ्रमित आकांक्षाओं की एक साकेतिक अभिव्यक्ति बन गये थे।”

इससे भी ज्यादा मार्कें की बात यह थी कि जिन विदेशी शासकों के विशद्द ये आकांक्षाएं और अत्कठाएं निर्देशित थीं, उनके प्रति उनमें घृणा की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत ही कम थी। निश्चय ही राष्ट्रीयता एक विरोधी भावना है और वह दूसरे राष्ट्रीय समूहो—द्वास तौर से एक मुलाम देश के विदेशी शासकों—के प्रति घृणा और क्रोध का पोषण करके ही फूलती-फलती है। सन् १९२१ में भारतवासियों के हृदय में अंग्रेजों के विशद्द घृणा और क्रोध की यह भावना अवश्य थी, किंतु ऐसी ही स्थिति वाले दूसरे देशों की तुलना में वह बहुत ही कम थी।

निश्चय ही यह गांधीजी के बराबर अंहसा पर जोर देने के कारण था। इसकी एक दूसरी बजह मुकित और शक्ति की वह भावना भी थी जो असहयोग अंदोलन के आरंभ होने से सारे देश में आ गई थी। उसके साथ ही निकट भविष्य में ही उसके सफल होने का व्यापक विद्वास भी था। हम सोचते थे कि जब हमें इतनी सफलता मिल रही है और जल्दी ही विजयी होने की आशा है तो कोष क्यों करें और अपने हृदय में धूणा को स्थान क्यों दें? हमने यह अनुभव किया कि हम दया-लुता दिखला सकते हैं।

इतनी दयालुता हमारे हृदय में उन इन-गिने अपने ही भाई-बच्चुओं के लिए नहीं थी जो हमारे विषय में थे और राष्ट्रीय अंदोलन का विरोध करते थे, यद्यपि उनके प्रति भी हमारा काम सावधानीपूर्ण और उचित ही था। सब पूछिये तो उनसे धूणा और कोष करने का कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि वे बिलकुल प्रभाव-शून्य थे और हम उनकी उपेक्षा कर सकते थे। फिर भी उनकी कमज़ोरी, अव-सरवादिता और राष्ट्र की मर्यादा व आत्म-सम्मान के साथ धोखा करने के कारण उनके लिए हमारे अन्तः-प्रदेश में धूणा भरी रही थी।

इस प्रकार हम अपने कार्य के उत्साह में भरकर अनिश्चित हंग से किन्तु दृढ़ता-पूर्वक चलते रहे, पर हमारे लक्ष्य के संबंध में कोई भी स्पष्ट विचारधारा नहीं थी। अब हमें यह सोचकर आश्चर्य होता है कि हमने संदातिक पहलुओं को—अर्थात् अपने अंदोलन के आधारितिक और निश्चित लक्ष्य को—किस तरह बिल-कुल भुला दिया था। यह तो ठीक है कि 'स्वराज्य' के संबंध में हम सब छढ़ी ऊंची-ऊंची बातें करते थे, किन्तु हमसे से प्रत्येक व्यक्ति इस शब्द की अपनी अपाल्या अलग-अलग करता था। अधिकांश नवयुवकों के लिए स्वराज्य का अर्थ या राजनीतिक स्वतन्त्रता (या कुछ ऐसी ही चीज) और जनतन्त्रीय शासन-प्रणाली। यह बात हम अपने सार्वजनिक भावणों में कहा भी करते थे। हमसे से बहुत से लोग ने यहाँ तक सोचते थे कि इससे भजदूरों और किसानों पर से वह बोझ अवश्य

उत्तर जायेगा जिसके नोचे आज वे दबे हुए हैं। किन्तु यह स्पष्ट था कि अधिकांश नेताओं को दृष्टि में स्वराज्य का अर्थ स्वतन्त्रता से बहुत कम था। इस विषय में गांधीजी के विचार भी कुछ अजीब अनिश्चितता से थे और वे इस दिशा में स्पष्ट चिंतन को प्रोत्साहन भी नहीं देते थे। किर भी वह सदा पदवलितों की ओर से—अनिश्चित रूप से, किन्तु दृढ़तापूर्वक—बोला करते थे जिससे हममें से बहुतों को बढ़ा सतोष होता था। लेकिन गांधीजी सद। उच्च श्रेणी के लोगों को भी आश्वासन दिया करते थे। वह कभी किसी समस्या पर बौद्धिक दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता पर जोर नहीं देते थे, बल्कि सदा चरित्र और पवित्रता की महिमा गाया करते थे। भारतीय जनता की रीढ़ की हड्डी को इकित प्रदान करने और उसे चरित्रवान बनाने में उन्हें निस्संदेह भारी सफलता मिली।

जनता में इस आवश्यकता के उत्थान ने ही हममें विश्वास की भावना भरी। भ्रष्ट, पिछड़ी हुई और निराश जनता ने एकाएक अपनी पीठ सीधी की, अपना सिर ऊपर उठाया और वह एक देवाध्यापी अनुज्ञासित तथा संयुक्त आंदोलन में भाग लेने लगी। हमें ऐसा लगा कि अकेला यही काम जनता में अवाध इकित भर देगा। हमने इस बात की चिंता नहीं की कि कार्य के पीछे विचारशक्ति भी होनी चाहिए, हम यह भूल गये कि चेतनापूर्ण विचारधारा और लक्ष के बिना जनता की शक्ति और उत्साह का अत में अधिकतः हास हो जाता है। कुछ सीमा तक हम अपने आंदोलन की सजीव भावना के सहारे चलते रहे। हममें यह धारणा बंध गई कि राजनैतिक या आर्थिक आंदोलनों को चलाने या अन्याय को दूर करने के लिए अहिंसा की जो कल्पना को गई है उसमें एक नया संदेश है जिसे संसार के कोने-कोने तक पहुंचाने का सीधार्थ हमारी जनता को मिलता है। सभी लोगों और सभी राष्ट्रों में यह जो विचित्र भ्रम होता है कि वे किसी-न-किसी रूप में इस संसार के चुने हुए अधिकत हैं, उसी भ्रम के हम भी जिकार बन गये। अहिंसा-युद्ध और सभी प्रकार के हिंसात्मक संघर्ष का नैतिक पर्यायवाची था। वह केवल नैतिक ही नहीं,

बल्कि प्रभावकारी भी था। मैं समझता हूँ कि गांधीजी के मक्षीन और आनुभविक सभ्यता संबंधी पुराने विचारों को हममें से बहुत ही कम लोगों ने स्वीकार किया। हम सोचते थे कि वह खुद भी इन विचारों को पुराने और आनुभविक स्थितियों के अधोग्य समझते थे। निस्संदेह हममें से अधिकांश लोग आनुभविक सभ्यता की सफलताओं को अस्वीकार करने को तैयार नहीं थे, जहाँ हमने यह क्यों न अनुभव किया हो कि उन्हे भारतीय परिस्थिति के अनुकूल बनाने के लिए योड़ा-बहुत परिवर्तन संभव है। व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ी-बड़ी मक्षीनों और तेज यात्रा में सवा ही एक आकर्षण का अनुभव होता रहा है। किर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि गांधीजी की विचारधारा का बहुतों पर प्रभाव पड़ा और वे लोग मक्षीन युग तथा उसके समस्त परिणामों के आलोचक बन गये। इस प्रकार जहाँ कुछ लोग भविष्य की ओर बेखते थे वहाँ कुछ अतीत की ओर देखने लगे और आइचर्य की बात यह कि दोनों ही यह अनुभव करते थे कि वे मिलकर जो काम कर रहे हैं वह करने योग्य है। इससे त्याग और आत्मोत्तरण करना आसान हो गया।

### गांधीजी की पहली गिरफ्तारी

अनुमान किया जाता है कि असहयोग आंदोलन के सिलसिले में सन् १९२१ के दिसंबर और १९२२ के जनवरी महीनों में लगभग ३० हजार भारतवासी गिरफ्तार किये गये। किंतु यद्यपि अधिकांश प्रमुख नेता और कार्यकर्ता जेल में थे, सरे संघर्ष के नेता महात्मा गांधी अभी बाहर ही थे और दिन-प्रति-दिन संदेश तथा निर्देश देकर न केवल जनता को प्रेरित करते रहते थे, बल्कि उनके अनेक अनुचित कार्यों को रोकते भी रहते थे। सरकार ने अभी तक उन्हे स्पष्ट नहीं किया था, क्योंकि उसे इस बात का भय था कि पता नहीं, इसका क्या परिणाम होगा और भारतीय फौज व पुलिस में इसकी कंसी प्रतिक्रिया होगी।

फरवरी, १९२२ के आरंभ में एकाएक सारा दृश्य बदल गया और हमने

जल में आश्वर्य और व्याकुलता के माय सुना कि गांधीजी ने आंदोलन की आच-  
मणकारी क्रियाएं बंद करवा दी हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर  
दिया है। हमने अखबारों में पढ़ा कि यह बात चौरीचौरा गांव के निकट घटी एक  
घटना के कारण की गई है, जहाँ कि गांववालों की एक भीड़ ने पुलिस से बदला सेने  
के लिए थाने में आग लगा दी थी और उसमें लगभग आषे दर्जन पुलिसमनों को  
जला दिया था।

एक ऐसे समय में, जब कि हम अपना पैर जमाते जा रहे थे और सभी मोर्चों  
पर आगे बढ़ रहे थे, संघर्ष के इस तरह बन्द किये जाने का समाचार पढ़कर हमें  
फोष आया। किंतु जेल में पड़े-पड़े हमारी निराशा और हमारे फोष से किसी को  
लाभ नहीं पहुंच सकता था। सत्याग्रह बंद हो गया और असहयोग भी समाप्त  
हो गया। कई महीनों के तनाव और चिंता के बाद सरकार ने फिर आराम की सांस  
ली और उसे पहली बार कदम बढ़ाने का अवसर मिला। कुछ ही हफ्तों बाद गांधीजी  
गिरफ्तार कर लिये गये थे और उन्हें एक लंबे असें के लिए जेल में डाल दिया गया।

मैं ममझता हूँ कि चौरीचौरा की घटना के बाद इस आंदोलन का इस प्रकार  
एकाएक स्थगित किया जाना गांधीजी को छोड़कर कांग्रेस के ग्रायः सभी प्रमुख  
नेताओं को बुरा लगा। मेरे पिता (जो उस समय जेल में थे) इससे बहुत ही  
विचलित हुए। नवयुवक लोग तो स्वभावतः और भी व्यथ हुए। हमारी बड़ती  
हुई आशाएं एकाएक भंग हो गईं। यह मानसिक प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही थी  
इससे भी अधिक दुःख हमें आंदोलन को स्थगित करने के लिए बताये गये कारणों  
और उनके फलस्वरूप होने वाले परिणामों पर हुआ। संभव है कि चौरीचौरा  
की घटना निदनीय रही हो, जैसी कि वह वस्तुतः थी। यह भी ठीक है कि वह घटना  
हमारे अहंसात्मक आंदोलन के सिद्धांत के विरुद्ध थी, किंतु क्या हमारे राष्ट्र का  
स्वतन्त्रता-संग्राम एक दूर के गांव और एक अवज्ञा स्थान के उत्तेजित किसानों  
की भीड़ के कारण बन्द होने वाला था? यदि एक आकस्मिक अहंसात्मक

घटना का अनिवार्य परिणाम ऐसा होना था कि निष्पत्ति ही हमारे अंहिसात्मक संग्राम के दर्शन और कला में कोई कमी थी, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि इस प्रकार की अनुचित घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने की गारंटी करना बस भव है। तो क्या हमारे लिए यह आवश्यक था कि आगे बढ़ने से पहले हम अपने देश के तीस करोड़ निवासियों को अंहिसा के सिद्धांत और अभ्यास की शिक्षा दें? और इतना होते हुए भी हममें से कितने आदमी यह कह सकते थे कि पुलिस द्वारा अतिशय उत्तेजित किये जाने पर भी वे पूरी तरह से शांत रह सकते? और यदि हमें सफलता मिल भी जाती तो हम उत्तेजना फैलाने वाले उन एजेन्टों आदि के लिए क्या करते जो हमारे आंदोलन में धूस आये थे और या तो स्वयं हिसात्मक कारंबाइया किया करते थे या दूसरों को ऐसा करने के लिए उकसाते थे। यदि अंहिसात्मक कार्य-प्रणाली की एकमात्र दार्त यही है, तो इसमें संवेदन नहीं कि वह सदा असफल रहेगी।

हमने अंहिसात्मक प्रणाली को अपना लिया था, कांग्रेस ने भी उसे अपनी कार्य-प्रणाली के रूप में अंगीकार कर लिया था, क्योंकि हमें उसकी कार्यक्षमता में विश्वास था। गांधीजी ने उसे देश के सामने राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल उचित ही नहीं, बल्कि सबसे अधिक कारंबार तरीके के रूप में रखा था। अपने नकारात्मक नाम के बावजूद वह एक विस्फोटक कार्य-प्रणाली थी—अस्थाचारी की इच्छा के सामने नम्रतापूर्वक भुक्तने की किया के बिलकुल विपरीत। वह किसी कायर की काम से बचने की युक्ति नहीं थी, बल्कि एक बहादुर की दुराई और राष्ट्रीय दासता से लड़ाई थी। किंतु बहादुरों और बलवानों से लाभ ही क्या यदि कुछ थोड़े से आदमी—हो सकता है कि मित्रों के बेश में वे हमारे जानु ही हो—अपने अविवेकपूर्ण आकार द्वारा हमारे आंदोलन को उलट या समाप्त कर देने की क्षमता रखते हों?

## तलबार का सिद्धांत

अंहिसा और शांत असहयोग के तरीकों को अपनाने को अपील गांधीजी ने अपनी पुरी बाक्सटुता और प्रेरक शक्ति के साथ की थी, जिनकी कि उनमें व्युत्तिरूपता थी। उनकी भाषा सरल और अलंकारहीन थी, उनकी आवाज और उनकी आकृति शात्, स्पष्ट तथा भावुकता से शून्य थी, किंतु उस बाहरी शोतल आवरण के पीछे एक केन्द्रीभूत तीक्ष्ण आकाशका की आग धधक रही थी और जो शब्द उनके मुख से निकलते थे वे सीधे हमारे मस्तिष्क और हमारे हृदय के अन्तर्रतम कोने तक पहुंचकर वहां एक विचित्र हलचल पैदा कर देते थे। उन्होंने जो रास्ता विख्याता वह कठोर और कठिन था, किंतु वह एक बहावुरो का रास्ता था और ऐसा प्रतीत होता था कि वह हमें स्वतन्त्रता की उस भूमि तक पहुंचा देगा जिसकी कि हमसे प्रतिज्ञा की गई थी। उसी प्रतिज्ञा के कारण हमने उन पर विश्वास किया था और हम आगे बढ़े बढ़े जा रहे थे। तलबार का सिद्धांत संबंधी अपने एक प्रसिद्ध लेख में उन्होंने १९-२० में लिखा था—“मेरा विश्वास है कि जब मेरे सामने केवल दो विकल्प रह जायेंगे—कायरता और हिसा—तो मैं हिसा के लिए सलाह दूंगा। इसके बजाय कि भारत कायरतापूर्वक अपने ही असम्मान का विकार बने या बना रहे मैं यह पसन्द करूंगा कि वह अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाये। किंतु मेरा विश्वास है कि अंहिसा हिसा से कही ऊची है और क्षमावान दण्ड से अधिक बोरतापूर्ण है।

“क्षमा सिपाही को शोभा है, किंतु सर्वम क्षमा तभी बन सकता है जब अपने में दण्ड देने की शक्ति हो। उसका किसी असहाय व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाना निरर्थक है। जब एक चूहा अपने को बिल्ली से ढुकड़े-टुकड़े करवा लेता है तो क्या यह उसकी क्षमाशीलता है? किंतु मैं भारत को या अपने को असहाय नहीं मानता। . . .

“आप मुझे गलत न समझिये । शक्ति शारीरिक सामर्थ्य से नहीं प्राप्त होती, वह एक अजेय संकल्प से उत्पन्न होती है ।

“मैं स्वप्न नहीं देखा करता । मैं एक व्यावहारिक आदर्शकादी होने का दावा करता हूँ । अहिंसा का धर्म केवल अधियोगी और महात्माओं के लिए नहीं है । वह जनसाधारण के लिए भी है । जिस तरह से हिंसा पशुओं का बीचन-सिद्धांत है, उसी तरह अहिंसा हम मानवों का । पशु में आत्मा सुप्त पड़ी रहती है और पशु शारीरिक बल के अतिरिक्त और कोई नियम नहीं जानता । मनुष्य की मर्दादा के लिए एक उच्च नियम—आत्मिक शक्ति—के प्रति आकाशकारिता आबृश्यक है ।

“इसीलिए मैंने भारत के सामने आत्मत्याग का पुराना सिद्धात रखने का साहस किया है । सत्याग्रह और उसकी शाखाएँ—असहयोग व सद्विनय अवज्ञा—और कुछ नहीं, बल्कि कष्ट सहन के नये नाम हैं । जिन अधियोगों ने हिंसा के बीच अहिंसा सिद्धांत का पता लगाया वे न्यूटन से भी अधिक प्रतिभा-संपन्न थे । वे वेलिंगटन से भी बड़े योद्धा थे । शस्त्रों के प्रयोग को स्वयं जानकर भी उन्होंने उनकी निर्णयकता को समझा और इस थके हुए संसार को सिखाया कि मुक्ति हिंसा नहीं; बल्कि अहिंसा के द्वारा ही मिल सकती है ।

“गतिमान अवस्था में अहिंसा का अर्थ स्वेच्छित कष्टसहन है । उसका अर्थ दुष्ट के सामने नश्तापूर्वक घुटने टेकना नहीं । बल्कि अत्याचारी की इच्छा के विरह अपना तन-मन लगा देना है । जीवन के इस नियम के अनुसार कार्य करते हुए अकेला एक व्यक्ति अपने सम्मान, अपने धर्म और अपनी आत्मा की रक्षा के लिए एक अन्यायपूर्व सम्मान्य की पूरी शक्ति का सामना कर सकता है और उस सम्मान्य के पतन या पुनरुद्धार की नींव रख सकता है ।

“अतः मैं भारतवासियों से अहिंसा का अभ्यास करने की प्रार्थना इसलिए नहीं करता कि वे बुर्बल हैं । मैं चाहता हूँ कि वे अपने बल और अधिकार की शूर्ण

चेतनता के साथ अंहसा का अभ्यास करें । . . . मैं चाहता हूँ कि भारत इस बात को समझ ले कि उसके पास एक आत्मा है जो भर नहीं सकती, जो सब तरह की आरे-रिक दुर्बलताओं पर विजयी हो सकती है और पूरे संसार के शारीरिक सगठन का विरोध कर सकती है । . . .

“मैं इस असह्योग को शिन फैनवाद से अलग समझता हूँ, क्योंकि इसकी कल्पना कुछ इस ढंग से की गई है कि यह हिंसा के साथ-साथ प्रयोग में नहीं लाई जा सकती । किंतु मैं तो हिंसाधारियों को भी एक बार अंहसात्मक असह्योग की परीक्षा करने का निमन्त्रण देता हूँ । अंहसात्मक असह्योग अपनी किसी आंतरिक दुर्बलता के कारण असफल नहीं हो सकता, वह केवल लोगों का समर्थन न प्राप्त होने के कारण असफल हो सकता है । असली खतरे का समय वही होगा । उच्च आत्मा वाले लोग, जो राष्ट्रोदय अपमान को अब और सहने में असमर्थ हैं, अपना क्रोध निकालना चाहेंगे । वे हिंसा का अनुगमन करेंगे । जहां तक मैं जानता हूँ ऐसे लोग अपने को या अपने देश को अन्याय से मुक्त कराये जिना ही नष्ट हो जायेंगे । समझ है कि भारत तलवार के सिद्धांत को अपना कर क्षणिक विजय प्राप्त कर सके । किंतु सब भारत वह भारत नहीं रह जायगा जिस पर मैं गर्व कर सकूँ । भारत से मेरा सबध इसलिए है कि मुझे सब कुछ उसी से मिला है । मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि उसे सारे संसार को एक सदेश देना है ।”

### अंहिंसा एक प्रणाली के रूप में

इन तर्कों ने हमें प्रभावित तो किया, किंतु अंहिंसा हमारे लिए और सपूर्ण रूप से कांग्रेस के लिए कोई धर्म या कोई निर्विवाद मत या सिद्धांत नहीं थी और न हो सकती थी । वह हमारे लिए एक नीति, एक तरीका, भर हो सकती थी, जिससे हम कुछ परिणामों की आशा रख सकते थे । इन्हीं परिणामों की कसौटी पर उसे अंतिम रूप से कहना भी होगा । अलग-अलग लोग इसे धर्म या अविवादित मत

का रूप दे सकते हैं, किन्तु कोई भी राजनीतिक संस्था, जब तक कि उसका रूप राजनीतिक रहता है, ऐसा नहीं कर सकती।

बौद्धिकीयों को घटना और उसके परिणामों ने हमें अर्हसा पर एक प्रणाली के रूप में सोचने के लिए विद्या किया और हमने महसूस किया कि सविनय अवश्या आंदोलन को स्थगित करने के लिए गांधीजी ने जो तर्क किया है वह अगर ठीक है तो हमारे विरोधियों के हाथ में सदा ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की शक्ति बनी रहेगी जिससे कि वे हमें अपने संघर्ष को स्थगित करने के लिए आध्य कर सकें। यह दोष अर्हसात्मक प्रणाली का था या गांधीजी द्वारा की गई उसकी व्याख्या का ? अंतिम बहुत तो इसके जन्मदाता थे ! किर उनसे ज्यादा कौन इस बात को समझ सकता था कि यह आंदोलन क्या है और क्या नहीं ? और उनके बिना हमारे आंदोलन में रखा ही क्या था ?

मैं हड्डताल के लिए पचें बांटने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था । उस समय यह कोई कानूनी अपराध नहीं था, गोकि मैं समझता हूँ कि अब हो गया है, क्योंकि हम औपनिवेशिक स्वराज्य की ओर बढ़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं + कुछ भी हो, मुझे केवल की सजा मिली । तीन महीने बाद जेल में, जहां मेरे पिताजी और दूसरे लोग भी थे, मुझे ज्ञाताया गया कि मेरे दण्ड पर पुनः विचार करनेवाला कोई अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि मैं गलती से गिरफ्तार कर लिया गया था अतः छोड़ दिया जाऊँगा । इस पर मुझे आश्वर्य हुआ, क्योंकि मेरी ओर से किसी ने कोई पेरबी नहीं की थी । साफ़ मालूम होता था कि सविनय अवश्या आंदोलन के स्थगित होने से सक्षोषक जज एकाएक कियाशील हो उठे हैं । अपने पिताजी को बहीं जेल में छोड़कर जाने में मुझे बड़ा दुःख हुआ ।

मैंने कौरन ही गांधीजी के पास अहमदाबाद जाने का निश्चय किया, किन्तु मेरे बहां पहुँचने से पहले ही वे गिरफ्तार कर लिये गये थे और मेरी उनकी मुलाकात साबरमती जेल में हुई । जिस समय उन पर मुकदमा चल रहा था, मैं भी बहा-

मोबूद था। वह एक स्मरणीय अवसर था और हममें से जो लोग वहाँ उपस्थित थे वे उसे कदापि नहीं भूल सकते। जज ने, जो कि एक अंग्रेज था, बड़ी मर्यादा और सहानुभूति के साथ व्यवहार किया। गांधीजी ने अदालत में जो बयान दिया उसने सब को हिला दिया और जब हम वहाँ से लौटे तो हमारे हृदय का एक-एक तार कंपित हो रहा था, हमारे कानों में उनके स्पष्ट और सजीव शब्द गुंज रहे थे और हमारी आँखों के सामने वहाँ के दृश्य के अनेक उल्लेखनीय चित्र नाज़ रहे थे।

### बीमारी और रिहाई

सन् १९२४ के आरम्भ में एकाएक खबर मिली कि गांधीजी जेल में सहस्र बीमार हो गए हैं। बाद में मालूम हुआ कि वह अस्पताल भेज दिये गए हैं और वहाँ उनका आपरेशन हुआ है। सारा भारत चिता में डूब गया और हम भयभीत-से सांस रोके प्रतीक्षा करते रहे। अंत में सकट टल गया और देश के कोने-कोने से लोग गांधीजी को देखने के लिए पूना की ओर टूट पड़े। उस समय भी वह अस्पताल में ही थे और उन पर पहरा बैठा हुआ था, किन्तु उन्हें घोड़े-बहुत मित्रों से मिलने की अनुमति मिल गई थी। पिताजी और मैंने उनसे वहाँ अस्पताल में भेट की।

अस्पताल से वह जेल बापस नहीं भेजे गये। अभी वह अच्छे हो ही रहे थे कि सरकार ने उनकी कंद की बची हुई मियाद छोड़ दी और वह रिहा कर दिये गये। उस समय तक वह ६ वर्ष में से लगभग २ वर्ष की सजा काट चुके थे। स्वास्थ्य-लाभ के लिए वह बम्बई के पास समुद्र पर जूह चले गये।

हमारा परिवार भी जूह जा धमका और वहाँ हम समुद्र के किनारे एक छोटे-से तम्बू में जम गये। वहाँ कई सप्ताह तक रहे और मुझे एक लम्बे असें के बाद मनमाने ढंग से छुट्टी मनाने का अवसर मिला, ज्योकि वहाँ में समुद्र में तंर सकता था और तट पर दौड़ तथा सवारी कर सकता था। किन्तु हमारे वहाँ ठहरने

का बुखरा अभियान कुछी जनाना नहीं, बल्कि गांधीजी से विचार-विनियम करना था। चित्रजी ने उन्हें स्वराज घाटी का दृष्टिकोण समझना चाहा और उसके लिए अगर उनको सक्रिय सहानुभूति नहीं तो कम-से-कम विरोधहीन सहयोग अवश्य प्राप्त करना चाहा। मैं भी अपनेको परेशान करने वाली कुछ समस्याओं पर प्रकाश उल्लंघन के लिए विस्तृत था। मैं यह जानना चाहता था कि गांधीजी का भाष्म कार्यक्रम क्या होगा?

बुहु को वार्ता गांधीजी को स्वराजवादियों के बड़ा में सीधने या उन्हे उस विश्वास में कण मात्र भी आकर्षित करने में सफल न हो सका। मंत्रीपूर्ण वार्ता और भद्रतापूर्ण सद्भावना-प्रबोधन के बाद भी असलियत यही रही कि समझौता नहीं हो सका। उनमें भत्तेव बना रहा और इस संबंध में समाचारपत्रों में वक्तव्य भी प्रकाशित करा दिये गए।

बुहु से मैं भी कुछ निराश हो कर ही लौटा, क्योंकि गांधीजी ने मेरी एक भी शंका का समाधान नहीं किया। जैसा कि बहु साधारणतः किया करते हैं, उन्होंने भविष्य की चिंता करने या कोई दूरस्थ कार्यक्रम बनाने से हृकार कर दिया।

गांधीजी जब से भारत के राजनीतिक क्षेत्र में अवतरित हुए हैं, जनता की दृष्टि में उनकी सोकारियता कभी घटी नहीं है। इसके विपरीत वह दिन-यर-दिन बढ़ती ही रही है और यह क्रम अब भी जारी है। हो सकता है कि जनता उनकी इच्छाओं के अनुसार कार्य न करती हो, क्योंकि अनुष्ठय अक्सर दुर्बल स्वभाव का होता है; किंतु भी उसका हृदय उसके प्रति सद्भावना से ओतप्रोत है। जब कभी उसकी विजी अवस्था अनुकूल होती है तभी वह बड़े-बड़े सामूहिक आंदोलन ले खड़ी होती है, नहीं तो चुपचाप दबो पड़ी रहती है। कोई भी नेता जाहूणर का डंडा चुमाकर धूम में से जन-आंदोलन की उत्पत्ति नहीं कर सकता। जब जनता जाहूण हो तभी नेता भी उसकी अवस्था से लाभ उठा सकता है। वह उसे तैयार कर सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता।

पढ़े-लिखे लोगों में गांधीजी की लोकप्रियता घटती-बढ़ती रहती है। आगे बढ़ने का उत्साह जागने पर वे उनके पीछे-पीछे चल पड़ते हैं, किन्तु जब इस उत्साह की अनिवार्य प्रतिक्रिया होती है तो वे टीका-टिप्पणी करने लगते हैं। इतने पर भी उनमें से अधिकांश लोग उनके आगे सिर झुकाते हैं। इसका एक कारण यह है कि उनके सामने कोई दूसरा कारणकम नहीं है। उदार बलवालों और उनसे मिलते-जुलते दूसरे दलों की कोई विसात नहीं; आवृत्तिक युग में आतंक वादी हिंसा में विश्वास करनेवालों का भी कोई स्थान नहीं; वे बेकार और पिछड़े हुए समझे जाते हैं। जहां तक समाजवाद का सवाल है, उसे आभी बहुत कम लोग जानते हैं और उसमें काग्रेस के उच्च श्रेणी के सबस्य भय खाते हैं।

### पिताजी और गांधीजी

सन् १९२४ के मध्य में कुछ दिनों के राजनीतिक मतभेद के बाद मेरे पिताजी और गांधीजी में फिर पुराने संबंध स्थापित हो गए और बहते-बहते पहले से भी अधिक घनिष्ठ होगए। उन्यें चाहे कितना भी मतभेद क्यों न रहा हो, उनके मन में एक-दूसरे के लिए अधिक-से-अधिक आदर था। आखिर वह कौन-सी बात थी, जिसका वे इतना आदर करते थे? ‘विचारधाराएं’ शीर्षक पुस्तक में, जो गांधी-जी के कुछ चुने हुए लेखों का संग्रह है, मेरे पिताजी ने एक छोटी-सी भूमिका लिखते हुए अपने मन को बातों का थोड़ा-सा आभास दिया है। उन्होने लिखा है—  
 “साधुता और वंदो पुरुषों की बात तो मैंने सुनी है, किन्तु उनसे मिलने का सौभाग्य कभी नहीं मिला। मैं यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि मुझे इस प्रकार के प्राणियों को बास्तविक विश्वासनता में शक्ता हूँ। मैं मनुष्यों और मानवोचित बातों में विश्वास करता हूँ। जो विचारधाराएं इस पुस्तक में सुरक्षित की गई हैं वे एक मनुष्य से प्रवाहित हुई हैं और मनुष्योचित हैं। उनमें मानविक स्वभाव के दो महान् गुण विसर्जित होते हैं—विश्वास और बल।...

“बाहिर इस सब का क्या नतीजा निकलेगा ? यह एक ऐसे व्यक्ति का प्रहन है जिसमें न विश्वास है, न बल । ‘विजय या मृत्यु’—यह उसर उसके मन को नहीं भाता । ... उधर वह बिनोत और कृशकाय व्यक्ति बृह विश्वास और अद्यत बल के शमितशाली आधार पर डटकर लड़ा होकर अब भी अपने देशवासियों को यातुभूमि के लिए त्याग करने और कष्ट सहने का संदेश दे रहा है । यह संदेश लाखों के हृदय में गूंज उठता है । ...”

और अंत में उन्होंने स्विनबर्न की ये वंचितयां उद्भूत की हैं—

“क्या हमारे साथ कोई राजसी आदमी नहीं—ऐसे आदमी, जिनका परिस्थिति पर काबू हो ?”

स्पष्ट है कि पिताजी इस बात पर जोर देना चाहते थे कि वह गांधीजी का संत या महात्मा नहीं, बल्कि मनुष्य के रूप में आदर करते हैं । स्वयं बृह-संकल्पी होने के कारण वह गांधीजी के आत्मिक बल की प्रशংসा करते थे । स्पष्ट दिखाई देता है कि कृश शरीरवाले उस छोटे-से आदमी के भीतर कोई चोज इस्पात की बनी हुई है, कोई चोज चट्टान-जीती है, जो प्रबल-से-प्रबल शारीरिक शक्ति के सामने नहीं भुकती । अपनी प्रभावहीन आकृति, अपनी छोटो घोटी और अपने नगे शरीर के आबूल उसमें एक राजसीपन था जिसके सामने सभी लोग स्वेच्छा से सिर झुकाते थे । वह जानबूझ कर नम्म और बिनोत बना रहता था, किर भी उसमें बल और अधिकार था । इस स्थिति से वह पूर्णतः भिन्न या और कभी-कभी तो एक सम्भाद की तरह आदेश भी दिया करता था जिसका वालन करना अनिवार्य था । उसकी शांत गहरी अंखें लोगों को अपनी ओर लोंब लेती थीं और घोरे-घोरे उसके अन्तःप्रदेश में प्रवेश कर जाती थीं । उसकी साफ और नियंत्रण वाली लोगों के हृदय को छू जाती थी और उनमें भावुकतापूर्ण समर्थन की भावना आपत कर देती थी । उसके शोताखों की मंडरा एक हो चाहे असंख्य, उसका आकर्षण उम्मत का पहुंच हो जाता था और प्रत्येक के हृदय में उसके प्रति आत्मिक सम्पर्क की

भावना जागत हो जाती थी। इस भावना का मस्तिष्क से बहुत ही कम संबंध था, क्योंकि गांधीजी लोगों के मस्तिष्क को भी व्याकरणित करने की आवश्यकता की बिलकुल अवहेलना नहीं करते थे। किन्तु निश्चय ही उनकी दृष्टि में मस्तिष्क और तर्क का स्थान गौण था। लोगों को मुख्य करने का यह काम किसी बाक्पटुता अथवा लक्ष्यदार शब्दों द्वारा नहीं होता था। गांधीजी की भावा सदा सरल और विद्य-संगत होती थी। किसी अनावश्यक शब्द का प्रयोग वह शायद ही कर्ती करते हों। लोगों को जो बस्तु जकड़ लेती थी वह यी गांधीजी की अंतिश्चय सचाई और उनका व्यक्तित्व। उन्हें देख और सुनकर ऐसा लगता था जैसे उनके भीतर प्रबल शक्ति का एक अनन्त सागर लहरा रहा है। शायद उनके चारों तरफ एक ऐसी परम्परा जड़ी होगई थी जो अनुकूल बातावरण को जन्म देने में सहायक होती थी। सम्भव था कि इस परम्परा से अनिभ्य और बातावरण से सामंजस्य न रखनेवाले किसी अबनवी पर उनकी मोहनी का बिलकुल या इतना प्रभाव न पड़ता। किर भी गांधी-जी का एक बहुत बड़ा गुण यह था और है कि वह अपने विरोधियों को जीत लेते हैं या कम-से-कम उन्हें निवाशस्त्र कर देते हैं।

गांधीजी को मनुष्य द्वारा बनाई गई जीजों में बहुत ही कम सुन्दरता या कला दिखाई देती थी। उनकी दृष्टि में ताजबहल और कुछ नहीं, बल्कि जबरदस्ती कराई गई मेहनत का प्रतीक मान था। उनकी सूंधने की शक्ति भी दुर्बंध थी। किर भी उन्होंने अपने हंग पर झीकन की कला का पता लगा लिया था और अपने झीकन को कलावय बना लिया था। उनके प्रत्येक हँगित में एक अर्थ और झोड़ा थी और असत्य तो उसे छू भी नहीं गया था। उनके व्यवहार में कोई सुखरापन या तीक्ष्णता नहीं थी। उनमें उस भ्रेष्टन का भी अभाव था जो दुर्भाग्यवश हुए रे मध्यम आणों के लोगों का एक विशेष गुण है। स्वयं आंतरिक शांति प्राप्त कर सेने के बाद उसे उन्होंने औरें तक पहुंचाया और झीकन के कष्टज्ञनित मामों पर वह बहस्ता और गिरेवता के साथ बढ़ते रहे।

उनमें और मेरे पिताजी में किसना अंतर था ! किन्तु मेरे पिताजी में भी अस्तित्व का बल और एक प्रकार का राजसीपन था । स्विनबर्न की ओर विस्तरीय उन्होंने गांधीजी के लिए उद्भूत की थीं उनका प्रयोग स्वयं उनके लिए भी ही सकता था । जिस किसी सभा में वह भाग लेते थे, जनता के आकर्षण के केन्द्र बन जाते थे । टेब्ल यर जिस जगह भी वह बैठते थे वहीं जगह, जैसा कि बाद में एक प्रसिद्ध अंग्रेज जब ने कहा था, भूख्य अतिथि की जगह बन जाती थी । वह न तो विनीत थे, न नम्म, और न ही गांधीजी को तरह अपने से भ्रमनेवालों को छोड़ देते थे । उनकी यह राजसी प्रवृत्ति ऐसी नहीं थी जिसका उन्हें स्वयं जान हो । बहुत-से लोग उनके कहूर आकाकारी और बहुत-से कहूर विरोधी थे । उनके प्रति तटस्थ रहना असंभव था । उन्हें या तो पसन्द किया जा सकता था, या नापसन्द । उनका साथ चौड़ा, होंठ कसे हुए और टोड़ी बृक्षता की सूचक थी । इटली के अजायबघरों में रोमन समादों की जो ऊपरी घड़ की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, उनसे वह बहुत मिलते-जुलते थे । इटली के बहुत से मित्रों ने, जिन्होंने हमारे पास उनका चित्र देखा, इस सावृश का उल्लेख किया । सास तौर से बाद की उम्र में जब उनके बाल सफेद हो गये थे —मेरी तरह उन्होंने अपने बाल कटवाये नहीं थे—उनमें एक तेज और शाही ढंग था जो आजकल के संसार में दूँहे नहीं मिलता । मैं समझता हूँ कि मैं उनके साथ पक्षपात कर रहा हूँ, किन्तु क्षमता और दुर्बलता से भरे हुए इस संसार में मुझे उनकी उत्कर्षकारी उपस्थिति का अभाव बढ़ा अस्तरता है । आज मैं उनके उस शाही ढंग और अपूर्व बल को निरर्थक ही ढूँढ़ने का प्रयत्न करता हूँ ।

मुझे याद है कि कभी सन् १९२४ में मैंने पिताजी को एक तस्वीर गांधीजी को दिखाई थी । उन दिनों उनकी स्वराज्य पार्टी से छोड़ा तानी चल रही थी । इस चित्र में पिताजी के मूँछ नहीं थी और उस समय तक गांधीजी ने उन्हें सदा शानदार मूँछ के साथ देखा था । उस चित्र को देखकर वह जैसे चौंक-से पड़े और उसे बड़ी बेर तक आंख गड़ाये देखते रहे, क्योंकि मूँछ के हट जाने से पिताजी के मुँह

और लोडी की कठोरता विस्तार्ह देने लगी थी। गांधीजी ने कुछ-कुछ रस्ती हंसी के साथ कहा कि अब पता चला कि मुझे किससे लोहा लेना है। फिर भी आंखों और प्राचीर हंसने से पढ़ी हुई रेखाओं के कारण उनका चेहरा कुछ मुलायम विस्तार्ह देता था। किन्तु कभी-कभी वे आँखें अमर उठती थीं।

विसंवर, १९२४ में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में हुआ जिसके अध्यक्ष गांधीजी थे। गांधीजी का कांग्रेस का अध्यक्ष बनना एक प्रकार से उच्चतम स्तर पर पहुंचकर नीचे उतरना था, क्योंकि वह तो स्थायी रूप से उसके महाअध्यक्ष थे।

## : ३ :

### भारत की जनता से संबंध

कुछ वर्ष के लिए साथी का प्रकार ही गांधीजी का मुख्य कार्य रहा था और इस उद्देश्य से उन्होंने सारे देश में दूर-दूर तक दौरा किया था। उन्होंने हर प्रांत को एक-एक कर के लिया था और वह हर जिले के हर शहर और दूर-दूर के देहातों तक भी गये थे। सब बग़ह उन्हे देखने और सुनने के लिये विज्ञाल-जन समुदाय उमड़ पड़ता था और उनके कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कार्यवाक्षिकों को पूछे से ही बहुत काम करना पड़ता था। इस तरह उन्होंने भारत का कई बार दौरा किया है और इस विज्ञाल देश के कोने-कोने को उत्तर से लेकर सूदूर दक्षिण तक और पूर्वी पर्वतों से लेकर पश्चिमी सागर तक—जान लिया है। मैं समझत, हूँ कि भारत में जितना भ्रमण उन्होंने किया है उतना किसी और ने कभी नहीं किया।

पूर्व काल में बहुत बड़े-बड़े यात्री होते थे जो सदा चलते ही रहते थे। उनमें यात्रा की एक प्रकार की लालसा सी लगी रहती थी; किन्तु उनके आवागमन का साधन बड़ा घीमा था और जितना रेल और बोटर से एक साल में भ्रमण किया जा सकता है उतना वे जीवन भर में भी शायद ही कर पाते थे। गांधीजी रेल और बोटर से भ्रमण किया करते थे, किन्तु उनकी यात्रा इन्हीं तक सीमित नहीं थी। वह पैदल भी चला करते थे। इस रीति से उन्होंने भारत और भारतीय जनतर के संबंध में अनोखा ज्ञान प्राप्त कर लिया और इसी रीति से भारत के करोड़ों लोग उनसे मिले और उनके धनिष्ठ सम्पर्क में आये।

#### साथी-यात्रा

तन् १९२९ में गांधी जी अपनी साथी-यात्रा पर युक्तप्रात आये और साल के

उस सबसे गरम मौसम में वहा कई हस्ते छहरे। थोड़े-थोड़े दिनों के स्लिए में उनके साथ कई बार रहा और यहाँपि मेरे लिये यह कोई नया अनुभव नहीं था तथापि में उन बड़ी-बड़ी भीड़ों को देख कर चकित रह जाता था जो उन्हें सुनने के लिए सब जगह उमड़ पड़ती थीं। यह बात विशेषरूप से गोरखपुर आदि पूर्वी जिलों में दिखाई देती थी, जहाँ विशाल जनसमूहों को देखकर टिड़डी-बल का स्मरण हो आता था। देहातों में भोटर से जाते समय हमें रास्ते में हर पांच भील पर दस से लेकर पच्चीस हजार आवामियों तक की भीड़ मिलती थी और उस दिन की भूल्य सभा में तो उनकी गिनती लाल्ह से भी ऊपर चली जाती थी। उन दिनों लाउडस्पीकरों की सुविधा नहीं थी, सिवा इसके कि कभी-कभी किसी बड़े शहर में इनका प्रवास हो जाता था। इसलिए इतनी बड़ी-बड़ी भीड़ में प्रत्येक स्थिति के पास तक आवाज का पहुँचना बिलकुल असम्भव था। शायद जनता कुछ सुनने की आशा भी नहीं रखती थी; वह महात्माजी को देख कर ही संतुष्ट हो जाती थी। अक्सर गांधीजी बहुत ही सक्षेप में बोला करते थे और अपने को अनावश्यक अम से बचाते थे, नहीं तो हर दिन और हर घंटे इस तरह काम करना कैसे सम्भव हो सकता था?

में गांधीजी के साथ सब जगह नहीं गया, क्योंकि न तो में उनके कुछ विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकता था और न उनके साथ चलने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाने में ही कोई तथ्य था। बैसे मैं भोड़ से घबराता नहीं था, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी। जिसके लिये मैं अपने को धक्कमधक्का में फंसता और अपने पंरों को कुचलवाता जैसा कि गांधीजी के साथ चलने वाले लोगों के भाग्य में बदा होता है। मुझे बहुत-सा दूसरा काम भी करना था और मैं अपने को सावी-प्रचार के ही काम तक सीमित नहीं रखना चाहता था, क्योंकि देश की बड़ती हुई राजनीतिक स्थिति को देखते हुए वह मुझे अपेक्षाकृत गौण मालम पड़ता था। कुछ हव तक मुझ गांधीजी का अपने को अराजनीतिक समस्याओं में उलझाये रखना दुरा भालूम देता था और मैं उनके विचारों की पृष्ठभूमि को कभी नहीं

समझ पाता था। उन दिनों वह लाली के काम के लिए रुपया इकट्ठा कर रहे थे और अक्सर कहते थे कि मुझे दरिद्रनारायण के लिए रुपया आहिए। 'दरिद्रनारायण' का अर्थ है दरिद्रों का नारायण अर्थात् वह नारायण जो दरिद्रों में बसता है। शायद इससे उनका सतत यह था कि वह गरीबों को घरेलू उद्योगशालों में लाना कर उनकी बेकारी को दूर करने में सहायता देना चाहते थे। किंतु उनके 'दरिद्रनारायण' शब्द के प्रयोग में एक प्रकार से दरिद्रता की महत्ता नहीं करती थी। वह कहा करते थे कि दूसरे विशेषरूप से दरिद्रों का नारायण हैं, दरिद्र उसके अधिकारियों। न सलभता है कि इस संबंध में सब जगह यही आर्द्धनी भावना है। नुस्खा यह है कि वहीं लाता था, क्योंकि दरिद्रता मुझे एक धूणित बस्तु बालूम होती थी, जिसे किसी के रूप में प्रोत्साहन देने की नहीं, बल्कि लड़कर जड़ से उत्ताड़ फेंकने की आवश्यकता थी। इसके लिए स्वाधावतः उस सामाजिक पद्धति पर कुठारा घात करना आवश्यक था, जो न केवल गरीबी को सहन करती है, बल्कि उसे उत्पन्न भी करती है। जो लोग इस काम से बचते थे वे किसी-न-किसी रूप में निर्णनता का समर्थन अवश्य करते थे। वे केवल अभाव की बात सोच सकते थे और जीवन के समस्त आवश्यक पदार्थों से सम्पन्न संसार की कल्पना कर सकते थे। शायद उनके मत के अनुसार इस संसार में गरीब और असौर सदा रहेंगे।

जब कभी इस विषय पर मेरी गांधीजी से बात चीत होती थी वह इस बात पर जोर देते थे कि धनवानों की अपने धन को गरीबों की याती समझना आहिए। यह एक बहुत ही पुराना दृष्टिकोण था और हम इसे अक्सर भारत में और मध्य-कालीन यूरोप में भी पाते हैं।

### स्वतंत्रता-दिवस

२६ जनवरी, १९३० को स्वतंत्रता-दिवस मनाया गया और उसने भारतीय बिजली की चमक की तरह हमें देश की सजाई और उत्साहपूर्ण भानोस्तिति का

दर्शन करा दिया। जगह-जगह बड़ी-बड़ी भीड़ों का जमा होना और उनमें आवश्यक था जनता के उद्बोधन के बजाय ज्ञान और सौम्यता के साथ स्वतंत्रता की प्रतिक्रिया का लिया जाना—यह सब अधिक प्रभावोत्पादक था। इससे गांधीजी को आबृद्धक प्रोत्ताहन मिला और उन्होंने जनता की नज़र पर हाथ रखने की अपनी अनुरता से समझ लिया कि अब काम करने का समय आया है। इसके पश्चात् एक के बाद दूसरों घटना बड़ी तेजी से घटी—ठोक बैंसे ही बैंसे एक नाटक की घटनाएं चरमात की ओर बढ़ती हैं।

जैसे-जैसे सविनय अवज्ञा के दिन पास आते गये और बातावरण में गृह विकल्पी भी व्याप्त होती गई बैंसे-बैंसे हमारा ध्यान सन् १९२१-२२ के आवेदन के बीच-बीच बोरा की घटना के बाद उसके सहसा स्वगित होने की ओर जाता रहा। देशवासी अब पहले से अधिक अनुशासन सीख गये थे और संघर्ष की रूपरेखा को अधिक स्पष्ट रूप से समझने लगे थे। उसकी कला भी अब कुछ-कुछ समझ में आने लगी थी, किन्तु गांधीजो के वृष्टिकोण से इससे भी बड़ी बात यह थी कि हर आदमी पूरी तरह से समझ गया था कि अंहिसा के लिए गांधीजी के हृदय में एक जबरदस्त सचाई और लगन है। इस सबंध में अब किसी को सन्देह नहीं रह गया जैसा कि वह साल पहले कुछ लोगों को था; इतने पर भी हमें यह निश्चय कैसे हो सकता था कि कहीं एक-एक या किसी घड़ियत्र के फलस्वरूप अंहिसा नहीं फूट पड़ेगी? और यदि ऐसी कोई घटना हुई तो उसका हमारे आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पहले को तरह वह इन बार भी सहसा बंद कर दिया जायगा? यह संभावना सबसे ज्यादा घबराहट पैदा कर रही थी।

गांधों जी ने शायद इस प्रश्न पर भी अपने ढंग से विचार कर लिया था; लेकिन जिस समस्या से उन्हे परेशानी थी—जैसा कि मैं उनसे इधर उधर की बातों में समझ पाया था—उसे उन्होंने कुछ और ही रूप में रखा।

उनकी समझ में देश की स्थिति को सुधारने का एकमात्र ठोक तरीका अंहिसा

का तरीका था और यहि उसका उचित रूप से पासन किया जाय तो वह एक अचूक तरोका था। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि इस पढ़ति की किया और सफलता के लिए विशेष अनुकूल परिस्थिति प्रयोगनीय है और बाहरी स्थितियों के अनुकूल न होने पर उसकी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। इससे निष्कर्ष यह निकला कि अहिंसात्मक पढ़ति सब परिस्थितियों के लिए नहीं है और इसलिए न तो विद्य-ध्यापो हैं न अचूक। यह निष्कर्ष गांधीजी के लिए असहृष्ट था, क्योंकि उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास था कि अहिंसा की पढ़ति एक सर्वव्यापी और अचूक पढ़ति है और इसलिए बाह्य परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर भी, यहां सक भगड़े और और हिंसा के समय भी, उसका अवश्य प्रयोग होना चाहिए। भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के अनुसार उसकी कार्य-रीति में तो परिवर्तन किया जा सकता है, किन्तु उसे बंद करना उसकी असफलता को स्वीकार करना है।

शायद वह कुछ ऐसे ही ढंग पर विचार किया करते थे, किन्तु मैं उनके विचारों के संबंध में कुछ निश्चित रूप नहीं कह सकता। उनकी बातों से हमें लगता तो यही था कि उनकी विचार धारा में कुछ-कुछ परिवर्तन आ गया है और सविनय अवश्य के आरम्भ हो जाने पर उसे किसी आकस्मिक हिंसावृत्ति के कारण बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी; किन्तु अगर हिंसा किसी रूप में आंदोलन का ही अंग बन जाय तो निस्संदेह वह आंदोलन एक शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं रह जायगा और उसकी कार्रवाईयों को कम करना या बदलना होगा। गांधीजी के इस आवश्यकता ने हममें से बहुतों को काफी संतुष्ट कर दिया।

अब जो बड़ा सवाल हमारे सामने रह गया था, वह था आरम्भ कैसे किया जाय? सविनय अवश्य को किस रूप में प्रारूप किया जाय कि वह कारपर, परिस्थितियों के अनुकूल और जनता को प्रिय सिद्ध हो। और तब महात्मा जी ने संकेत किया।

\* एकाएक नमक एक रहस्यपूर्ण, एक बलवान् शब्द बन गया। नमक-कर पर

जाग्रत करने और नमक कानून को तोड़ने का निश्चय किया था। इससे हम अकिस रह गये और एक राष्ट्रीय आदोलन का साधारण नमक से ठीक-ठीक मेल नहीं बँडा तके। दूसरी आश्वर्यजनक घटना गांधीजी की 'ग्यारह सूत्रों' की घोषणा थी। जब हम स्वतंत्रता की बातें कर रहे थे तो घोड़ेसे राजनीतिक और सामाजिक सुधारों की सूची बनाने का क्या मतलब था, चाहे वे सुधार अच्छे हो क्यों न थे? क्या इस अवधि का प्रयोग करते समय गांधीजी का भी वही मतलब हुआ करता था जो हमारा? या हमारा कुछ और अभिप्राय था? बहस करने के लिए समय नहीं था, क्योंकि घटनाओं का कम आरम्भ हो गया था, भारत में तो वे हमारी आंखों के सामने हो राजनीतिक रूप धारण कर दिन-पर-दिन आगे बढ़ रही थीं और भारत से बाहर संसार के अन्य देशों में भी तेजी से बढ़ रही थीं और उसे एक भव्यंकर आर्थिक संकटके जाल में कसती जा रही थीं, यद्यपि इस बात को हम उस समय समझ नहीं पाये थे। कीमतें गिर रही थीं, शहर बाले अतिक्षम लाभ का संकेत समझ कर प्रसन्न हो रहे थे, किंतु किसान और आसामी उसे घबराहट के साथ देख रहे थे।

### डांडी-यात्रा

इसके बाद गांधीजी को बायसराय से लिखा-यही हुई और नमक का कानून भंग करने के लिए सावरमती आश्रम से डांडी की तरफ कूच आरम्भ हुआ। जैसे-जैसे आगे बढ़ते हुए इस यात्रा-बल के रोज-रोज के समाचार आते रहे वंसे-वंसे देश में उत्सेजना फैलती गई। संघर्ष अब बिलकुल समीप आ गया था और उसके अन्तिम प्रबंध करने के लिए अहमदाबादमें कांग्रेस महासमिति की एक बैठक को गई। संघर्ष का नेता उसमें मौजूद नहीं था, क्योंकि उस समय वह यात्रियों के एक जट्ठे के साथ समुद्र की ओर बढ़ रहा था।

अंतिम तयारी करने के बाद कांग्रेस के महासमिति के सदस्यों ने अहमदाबाद-

में एक दूसरे से अलविदा की, जबोंकि किसी को पता नहीं था कि आगे हम क्या और कैसे मिलेंगे और कभी मिलेंगे भी या नहीं । कांपेस महासमिति के नये निवेशों के अनुसार स्थानीय संयासियों को अंतिम रूप देने के लिए और, जैसा कि सरोजनी नाथदू ने कहा, जेल-यात्रा के निमित्त अपने बाहर साफ करने के लक्ष्यों को तैयार रखने के लिए हम जल्दी-जल्दी अपने-अपने छिकालों को भागे ।

लौटते समय में और पिताजी गांधीजीसे मिलने गए । उस समय वह अपने जात्ये के साथ जम्बूसर में थे । वहां हम उनके साथ कुछ बांटे रहे, जिसके बाद वह दलबल सहित लारे समुद्र को यात्रा के अगले पड़ाव की ओर चल दिये । उस रूप में मेरे लिए उनकी वह अंतिम भल्लक थी—हाथ में ढंडा लिए वह अपने अनु-यायियों के आगे-आगे मजबूत कदम और शांतिपूर्ण किंतु निष्ठल दृष्टि से चल रहे थे । निष्पत्ति ही वह हृदय को हिला देने वाला दृश्य था ।

तन् १९१९ की घटनाओं की याद में हर साल (सत्याग्रह-दिवस से जासिदां-जाल बाग दिवस तक का) जो राष्ट्रीय सप्ताह भनाया जाता है उसकी पहली तारीख छः अप्रैल थी । उसी दिन गांधीजी ने डॉर्डो के समुद्र तट पर नमक-कालून को भंग करना आरम्भ किया और तीन या चार दिन बाद सभी कांपेशी संस्कारों को ऐसा ही करने और अपने-अपने क्षेत्र में सविनय व्यवस्था आरम्भ करने की अनुचिति ह दी गई ।

ऐसा मालूम होता था मानो सहसा बसंत छा गया । देश के शहर-शहर और गांव-गांव में नमक बानाने की जर्दा थी और नमक तैयार करने के लिए बड़े-बड़े विचित्र तरीके काम में लाये जा रहे थे । इस संबंध में हम जानते ही बहुत कम थे, इसलिए जहां से सहभव होता था वहां से कुछ पड़-पड़ा कर पचे बांट-बांट कर हिंदायतें देते थे । हम बर्सन और कड़ाहे इकड़ा करते थे और अंत में ओड़ा-बहुत नमक तैयार कर ही लेते थे । उसी को हम विषय के उन्माद में उठाये किरते थे और ऊंचे-ऊंचे बाजों पर मोलाम कर देते थे ।

चोज अच्छी तैयार होती था बुरी, इसका कोई सबाल नहीं था। असली काम मनहूस नमक-कर को तोड़ना था और इस कार्य में हमें सफलता मिली, चाहे हमारे द्वारा तैयार किया गया नमक निम्न कोटि का हो वर्षों न था। जब हमने देखा कि जनता में अगाध उत्साह है और नमक बनाने का काम धास की आग की तरह फैलता जा रहा है तो हमें इस बात पर लज्जा आई कि जब गांधीजी ने पहले पहल नमक बनाकर नमक-कानून को भंग करने का प्रस्ताव रखा था तो हमने उसकी कार्य-क्षमता पर झंका प्रकट की थी। आज हम उनके जनता को प्रभावित करने और उससे संगठित रूप में काम कराने के आश्चर्यजनक कौशल को देखकर स्तम्भित रह गये।

सन् १९३० का वह साल नाटकीय स्थितियों और जोश दिलाने वाली घटनाओं से भरा हुआ था। हमें सबसे अधिक आश्चर्य गांधीजी की समस्त जनता में प्रेरणा और उत्साह भरनेकी विस्मयकारी शक्ति पर हुआ। उनमें मानो एक भोहिनी थी और हमें गाल्ले के उन शब्दों का स्मरण हो आया जिनका उन्होंने एक बार गांधीजी के लिए प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था—“इनमें मिट्टों के घोषे से बड़े-बड़े बहादुरों का निर्माण करने की शक्ति है।” राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक कार्य-प्रणाली के रूप में शांत सविनय अवज्ञा आंदोलन अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका था और देश भर में—मिश्रो और शत्रुजो दोनों के हृदय में—यह भौत विश्वास उत्पन्न हो गया कि हम विजय की ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग आंदोलन में सक्रिय भाग ले रहे थे उनमें एक विश्वित्र उत्सेजना भरी हुई थी और वह उत्सेजना कुछ-कुछ जेलों तक में पहुँच गई थी। साधारण कंडी कहते थे—‘स्वराज आ रहा है’ और इस स्वार्थपूर्ण आशा में कि इससे उन्हें कुछ लाभ होगा वे उसकी बेचंनी के साथ प्रोत्साहन करते रहे। जेल वाले भी बाजार की जबाओं को सुनकर यह उम्मीद करने लगे थे कि स्वराज निकट है। जेल के छोटे-छोटे अधिकारी कुछ ज्यादा परेशान विलाई देने लगे थे।

### गोलमेज कान्फ्रेंस के बाद

६ फरवरी, १९३१, को—ठीक उसी दिन और शायद ठीक उसी समय जब मेरे पिता जी की मृत्यु हुई—गोलमेज कान्फ्रेंस के भारतीय सदस्यों का एक दल बन्धी लौटा। अधिनियास शास्त्री, सर तेज बहादुर सप्रू और शायद कुछ और लोग जिनकी मुझे याद नहीं हैं सीधे इलाहाबाद आये। गांधीजी और कांगड़ेस कार्यसमिति के कुछ सदस्य पहले से ही वहाँ थे। हमारे घर पर कुछ प्राइवेट बैठकें हुईं जिनमें गोलमेज कान्फ्रेंस में किये गए कामों का व्योरा दिया गया।

गोलमेज कान्फ्रेंस के निर्णयों का कोई महसूस नहीं, यह भल हमारा पहले भी था और अब उसी को पुष्टि हुई। उस समय किसीने—मुझे याद नहीं किसने— यह सुझाव दिया कि गांधीजी वायसराय को पत्र लिखकर उनसे मुलाकात की अनुभति मांगें और साफ-साफ बातें करें। गांधीजी ऐसा करने के लिए तंयार हो गए, यद्यपि मैं समझता हूँ कि इस मामले में उन्हें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी।

जो लोग गांधीजी से सहमत नहीं होते थे उनसे मिलना गांधीजी हमेशा पसंद करते थे; लेकिन किसी एक आदमी से निजी मामलो पर या छोटे-छोटे सवाल पर बात चीत करना और बात थी और विजयी साम्राज्यवाद का प्रतिनिधित्व करने वाली ब्रिटिश सरकार जैसी अव्यक्तिगत संस्था से लोहा लेना और बात। गांधीजी इस बात को जानते थे और इसलिए वह लाड इविन से मिलने कोई ऊँची उम्मीद लेकर नहीं गए। सविनय अवकाश आदोलन तथा भी बल रहा था, किन्तु सरकार से विचार-विनियम होने को अधिक चर्चा होने के कारण उसकी उम्रता कुछ कम हो गई थी।

मुलाकात की व्यवस्था फौरन हो गई और गांधीजी यह कह कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए कि अगर अस्वायी समझौते के लायक कोई गवर्नर बातचीत हुई तो कार्यसमिति के सदस्यों को बुला लूँगा। कुछ दिनों बाद हम सब दिल्ली बुलाये गये।

वहाँ हम तीन हफ्ते रहे। इस बीच हमारी हर रोजबेठक होती थी जिसमें हम देर तक विस्तार के साथ विचार-विनियम करते थे। लार्ड इर्विन के साथ गांधीजी की जल्दी-जल्दी मुलाकातें होती थीं, लेकिन कभी-कभी तीन-चार दिन का अन्तर पड़ जाता था, जिसका कारण शायद यह था कि इस बीच भारत सरकार लंबन-स्थित इंडिया आफिस से परामर्श करती थी। कभी-कभी छोटी-छोटी बातों—यहाँ तक कुछ शब्दों—के कारण प्रगति रुक जाती थी। इनमें से एक शब्द सविनय अबका आन्दोलन का 'स्थगित किया जाना' था। गांधीजी यह बात हमेशा साफ-साफ कहते आये थे कि सविनय अबका कह आन्दोलन सदा के लिए बंद या छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जनता के हाथ में वही एकमात्र शस्त्र है। फिर भी वह स्थगित किया जा सकता था। लार्ड इर्विन को इस शब्द पर आपत्ति थी। और वह उसे एक निश्चित रूप देना चाहते थे, जिसके लिये गांधीजी तैयार नहीं होते थे। अंत में 'सिलसिला बंद कर देना' शब्द का प्रयोग हुआ।

### गांधीजी के ऊंचे नक्षत्र

उन दिनों बिल्ली तभी तरह के लोगों का आकर्षण बनी हुई थी। वहाँ बहुत से बिदेशी—विशेष रूप से अमरीकी—पत्रकार थे। वे हमारी चुप्पी से कुछ-कुछ तंग आगे थे और कहते थे कि गांधी-इर्विन वार्सा के संबंध में हमें आपकी बनि-स्पत नई बिल्ली के सेकेटेरियेट से ज्यादा सबरें मिल जाती है। यह एक सही बात थी। उन्हीं दिनों बिल्ली में बहुत से उच्च श्रेणी के ऐसे लोग थे जो गांधीजी को प्रणाम करने आते थे। इसका कारण शायद यह था कि उन दिनों गांधीजी के नक्षत्र ऊंचे हो रहे थे। इन लोगों को देखकर बड़ी हसी आती थी; क्योंकि अब तक तो वे गांधीजी और कांग्रेस से बिलकुल अलग रहे थे और अक्सर उमड़ी मिन्दा भी करते आये थे और अब जल्दी-जल्दी अपनी भूल सुधारने चले थे। कांग्रेस ने अच्छी अतिथि प्राप्त कर ली थी और किसी को पता नहीं था कि भवित्व के गर्भ में क्या

छिपा है। फिर भी कांप्रेस और उसके नेताओं से बनाये रखने में ही अधिक बुद्धि-भावी थी। एक साल बाद इन लोगों में फिर परितंत्र हुआ और वे चित्तला-चित्तला कर कांप्रेस तथा उसके सारे कार्य के प्रति अपनी प्रगति धूमा प्रकट करने लगे और कहने लगे कि उनका कांप्रेस से कोई संबंध नहीं।

ठटनाओं ने सम्प्रदायवादियों तक को विचलित कर दिया और उन्हे कुछ-कुछ ज़ांका होने लगे कि भावों व्यवस्था में शायद उन्हे अधिक प्रमुख स्थान न मिले। इसलिए उनमें से बहुत-से लोगों ने महात्मा गांधी के पास आकर विचारणा किए कि साम्प्रदायिक प्रश्न पर वे समझौता करने को बिलकुल तैयार हैं और अगर गांधीजी पहल करें तो समझौता होने में कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी।

गांधीजी से मिलने के लिए बड़े-बड़े समृद्धशाली लोग भी आये। उन्होंने मनुष्य-स्वभाव का एक दूसरा पहलू दिखलाया। यह पहलू अपने को परिस्थिति के अनुकूल बना लेने का पहलू था। इन लोगों को जिस-ओर से भी शक्ति और सफलता की सुगंध आती थी वे उसी ओर मुड़ जाते थे और उसका मुसकराते हुए स्वागत करते थे। उनमें से बहुत से तो भारत स्थित लिंगिश सरकार के बृहस्पति थे। लेकिन यह जानकर संतोष होता था कि भारत में जो कोई भी सरकार फले-फूलेगी वे उसी के बृहस्पति स्तम्भ बन जायेंगे।

उन दिनों नई दिल्ली में मैं अक्सर गांधीजी के साथ सबेरे टहलने जाया करता था। अक्सर वहीं एक ऐसा समय होता था जब कोई उनसे बातचीत कर सकता था, क्योंकि दिन का शेष भाग तो छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट जाता था और हर मिनट किसी आवमी या किसी काम के लिए निविच्छित होता था। कभी-कभी सबेरे का टहलने का समय भी किसी भुलाकाती—विशेषकर विवेशी भुलाकाती—को या किसी ऐसे मित्र को दे दिया जाता था जो उनसे अधिकतर परामर्श करने के लिए आता था। हम भूत, वर्तमान और विशेषकृप से भवित्व के संबंध में बहुत-सी बातें करते थे। मुझे याद है कि एक दिन उन्होंने कांप्रेस के भवित्व के संबंध

में अपना विचार बता कर मुझे चकित कर दिया था। मैं सोचा करता था कि स्वतन्त्रता मिल जाने पर कांग्रेस का कांग्रेस के रूप में आप-से-आप अत हो जायेगा। किन्तु उनका विचार यह था कि कांग्रेस को रहना चाहिए, लेकिन एक शर्त पर— वह यह कि कांग्रेस अपने लिए एक आन्ध्रत्याग का कानून बना ले और यह निष्पत्ति कर ले कि उसका एक भी सदस्य राज्य की अधीनता में कोई वैतनिक पद स्वीकार नहीं करेगा और यदि कोई व्यक्ति राज्य में किसी अधिकारी का पद ग्रहण करना चाहेगा तो उसे कांग्रेस से अलग हो जाना पड़ेगा। इस समय मुझे ठीक से याद नहीं कि उन्होंने यह बात किस-किस तरह से समझाई, किन्तु उनका असली मन्तव्य यह था कि कांग्रेस अपने आन्ध्रत्याग के बल पर और चिताहीन रहकर सरकार के काम-कारी और अन्य विभागों पर बड़ा जबर्दस्त नेतृत्व दबाव डाल सकती है और उन्हें ठीक भार्ग पर रख सकती है।

यह एक असाधारण विचारधारा है, जिसे ग्रहण करना मेरे लिए मुश्किल है और जिससे अनेक कठिनाइया उत्पन्न हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की सत्या का (यदि उसकी कल्पना की जाय तो) किसी-न-किसी विशेष स्वार्थ वाले व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग अवश्य होगा। किन्तु यदि हम इसकी व्यावहारिकता के प्रश्न को छोड़ भी दें तब भी हमें इससे गांधीजी की विचारधारा को पृष्ठभूमि को कुछ-कुछ समझने में सहायता अवश्य मिलती है।

### जनतन्त्र

गांधीजी के जनतन्त्र-विचार का जनसत्या, बहुमत अथवा साधारण अर्थ में प्रतिनिधित्व से कोई संबंध नहीं है। उसका आधार सेवा और त्याग है और उसमें नेतृत्व दबाव का प्रयोग होता है। गांधीजी का दावा है कि मैं “जन्म से ही जनतन्त्री हूँ।” अगर यह दावा अपने को गरीब-से-गरीब जनता के साथ पूरी तरह से मिला देने, उससे अच्छा जीवन जिताने की आकाशा न रखने और साथ-ही-साथ

उसके स्तर तक पहुंचने की भरसक चेष्टा करने के बल पर कर सकता है तो भी वही वह दावा करता हूँ।” यही गांधीजी की जनतन्त्रवादी की परिभाषा है। वह आगे कहते हैं:

“हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि कांग्रेस के जनतन्त्रीय रूप और प्रभाव [प्राप्त करने का सौभाग्य इसलिए नहीं मिला है कि उसके वार्षिक अधिवेशनों में बहुत से प्रतिनिधि और दर्शक आते हैं। बल्कि इसलिए कि वह जनता की दिन-पर-दिन अधिक सेवा करती रही है। पश्चिमी जनतन्त्र यदि असफल रिहूँ नहीं हो चुका है तो इसमें संदेह नहीं कि उसकी अग्नि परीक्षा हो रही है। ईश्वर करे कि जनतन्त्र के सच्चे विज्ञान को जन्म देने का श्रेय भारत को भिले और वह उसकी सफलता का खुला प्रदर्शन कर सके।

“भ्रष्टाचार और पालंड जनतन्त्र के अनिवार्य परिणाम नहीं होने चाहिए, जैसे कि वे आजकल निःसंदेह हैं। जनतन्त्र का सच्चा प्रभाव संख्या से नहीं मिलता। सच्चे जनतन्त्र में ऐसे व्यक्तियों की कम संख्या का होना असंगत नहीं है जो जनता की अन्तर्भुवना, आशा और महस्त्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा मत है कि जनतन्त्र का विकास जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकता। जनतन्त्र की भावना ऊपर से नहीं लादी जा सकती। उसका उद्गम अन्तर से ही होता है।”

निश्चय ही यह जनतन्त्र पश्चिमी जनतन्त्र नहीं है, जैसा कि गांधीजी स्वयं कहते हैं। फिर भी इसमें और साम्यवादी विचारधारा में कुछ समानता अवश्य है। ऐसे साम्यवादी बहुत ही कम हैं जो जनसाधारण की असली ज़रूरतों और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर सकते हों, वही जनसाधारण स्वयं भी उनसे अनभिज्ञ क्यों न हो। फिर भी यह समानता नाममात्र को ही है। सच पूछिये तो दोनों के दृष्टिकोण में जो अन्तर है वह इस समानता से कहीं अधिक है—विशेषतः कार्य-पद्धतियों और हितों के प्रयोग के संबंध में।

गांधीजी जनतन्त्रवादी हों या न हों, इसमें संदेह नहीं कि वह भारत की किसान

जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह इन लालों किसानों की चेतनापूर्ण और अद्दे चेतनापूर्ण आकाश्च के सार है। यह शायद प्रतिनिधित्व से भी कुछ अधिक ही है, क्योंकि गाथोजो उनको आदर्शपूर्ण प्रतिमूर्ति है। फिर भी वह एक साधारण किसान नहीं है। कुशाग्रतम बुद्धि, सुन्दर भाव, उत्तम पसन्द और विस्तृत दृष्टिकोण, अतिशय मानुषिक; फिर भी एक ऐसा सत जिसने अपनी लालसाओं और भावनाओं को कुचल दिया है, उन्हे अपना दास बनाकर आत्मिक प्रवाह में डाल दिया है; एक जबर्दस्त व्यक्तित्व जो लोगों को चुम्बक की तरह अपनी ओर खींच लेता है और उनमें वफादारी व प्रेम की उत्कट भावनाएँ जाप्रत कर देता है—ये हैं उसके गुण जो एक किसान से बिलकुल भिन्न और परे हैं। लेकिन इस सब बातों के होते हुए भी वह सबसे बड़ा किसान है; उसका जीवन संबंधी दृष्टिकोण किसानों जैसा है और वह किसानों जैसे ही अपनी आंखें जीवन के कुछ पहलुओं की ओर से बन्द रखता है। लेकिन भारत किसानों का भारत है और इसलिए वह अपने भारत को खूब अच्छों तरह से जानता है, उसके हल्केने-हल्के स्पन्दन को अनुभव करता है, स्थिति को ठोक-ठोक और अन्त-प्रेरणा से ही समझ लेता है। उसमें अनुकूल भनोवेज्ञानिक अवसर पर कार्य करने का अद्भुत कौशल है।

श्रिटिश सरकार ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता और अपने निकटतम साथियों तक के लिए गांधीजी एक समस्या और एक पहेली ये। शायद दूसरे सभी देशों में भाज वह असंगत मालूम दे, किन्तु भारत भाज भी पाप, मोक्ष और अहिंसा की बात करने वाले इस भविष्यवक्ता और धार्मिक व्यक्ति को समझता या परसंद करता है। भारत को पौराणिक गाथाएँ ऐसे साधु-संन्यासियों की कहानियों से भरी पड़ी हैं, जिन्होंने अपने त्याग और अपनी तपस्या के बल पर इतनी समर्पण प्राप्त कर ली कि उससे छोटे-छोटे देवताओं के सिंहासन हिल उठे और स्थापित व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई। गाथोजो की आश्चर्यजनक स्फूर्ति और आंतरिक शक्ति को मानों किसी अनन्त आध्यात्मिक स्रोत से प्रवाहित होते बेलकर मुझे अक्सर इन गाथाओं का

स्वरम हो आया है। निश्चय ही वह इस संसार के एक साधारण अवित नहीं थे, वह एक बिलहुल भिज और दुर्बल संघ में ढले हुए मानव थे और अक्सर उनकी आंखों में से कोई अशात वस्तु हमें भूरती प्रतीत होती थी।

### किसानों की छाप

भारत—देहाती भारत नहीं बल्कि शहरी और औद्योगिक भारत—पर भी किसानों की छाप है। अतः यह स्वाभाविक ही था कि भारतमाता अपने उस पुत्र को, जो उससे इतना मिलता-जुलता है किन्तु फिर भी भिज है, अपना आराध्य और प्यारा नेता बनाती। उसने पुरानी और अद्वितीय स्मृतियाँ जापत कर दीं और भारतमाता को उसकी आत्मा का दर्शन करा दिया। वर्समान की अंष्टकार-पूर्ण विपदाओं में दबकर उसने विवशतापूर्ण वाणी और भूत तथा भविष्य के अनिश्चित-से स्वप्न बनाने में ही अपनी आत्मा को संतोष देना चाहा। किन्तु गांधी ने आकर उसके मस्तिष्क को आशाओं से भर दिया, उसके क्षत-विक्षत शरीर को बल प्रदान किया और भविष्य एक आकर्षक दृश्य बन गया। जानस\* की तरह द्विमुखी बनकर उसने पीछे अतीत की तरफ और आगे भविष्य को ओर भी देखा और दोनों का एकीकरण करने का प्रयत्न किया।

हममें से बहुत-से लोग इस कृषक दृष्टिकोण से अलग हट गये थे और पुराने ढंग के विचारों, रोति-रिवाज तथा धर्म को अपने लिए विदेशी समझने लगे थे। हम अपने को आधुनिक कहा करते थे और सब बातों को उच्चति, औद्योगिकरण, उच्चतर जीवन-मान तथा समूहवाद के दृष्टिकोण से देखा करते थे। हम किसानों के दृष्टिकोण को प्रतिगामी समझते थे और हममें से कुछ लोग, जिनकी कि संख्या बढ़ रही है, समाजवाद और साम्यवाद का पक्ष लेने लगे। तो फिर हमने गांधीजी

\* जानस एक ग्रीक देवता है, जिसके दो मुख होते हैं। एक आगे और दूसरा पीछे देखता है।

के साथ अपना राजनीतिक संबंध कैसे जोड़ा और किस तरह हममें से घटृत से लोग उनके कहुर अनुयायी बन गये। इसका उत्तर आसान नहीं है और जो आदमी गांधीजी को नहीं जानता वह तो किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हो सकता। व्यक्तित्व की परिभाषा नहीं की जा सकती। वह एक विचित्र शक्ति है, जिसका मनुष्य की आत्मा पर प्रभुत्व होता है। इस शक्ति की गांधीजी में बहुलता है और जो लोग उनसे मिलने आते हैं उन्हें वह एक बिलकुल भिन्न रूप में दिखाई पड़ते हैं। वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे, किन्तु अन्ततः यह इन लोगों का बौद्धिक विश्वास ही था जो उन्हे गांधीजी के पास ले आता था और वहाँ बनाये रखता था। वे उनके जीवन संबंधी दर्शन या कितने ही आदर्शों से भी सहमत नहीं होते थे। अक्सर वे उन्हे समझते भी नहीं थे। किन्तु गांधीजी ने जो काम बताया वह ऐसा था जो समझ में आ सकता था और पसन्द भी किया जा सकता था। इतने दिनों की लब्दी निष्क्रियता के बाद, जिसका हमारी राजनीति ने पोषण किया था, किसी भी प्रकार को क्रियाशीलता प्रिय हो सकती थी। ऐसी दशा में नेतिक प्रभा से चमकते हुए वीरतापूर्ण और उपर्योगी कार्य में मस्तिष्क और हृदय को छूनेवाली एक दुर्दमनीय अपील का होना स्वाभाविक था। धीरे-धीरे उन्होंने हमें विश्वास दिला दिया कि यह एक ठीक कार्य है और यद्यपि हमने उनके अध्यात्म को स्वीकार नहीं किया तथापि हम उनके साथ-साथ चले। कार्य को उसकी अन्तर्भूत भावना से पृथक् रखना शायद एक मुनासिब तरीका नहीं था और बाद में उससे मानसिक संबंध तथा कष्ट का उत्पन्न होना अनिवार्य था। कुछ अनिश्चित रूप से हम यह आशा करते रहे कि गांधीजी, जो प्रधानतः एक कर्मशील व्यक्ति थे और जिन पर बदलती हुई स्थितियों का बड़ा प्रभाव पड़ता था, उसी मार्ग पर बढ़ेंगे जिसे हम ठीक समझते हैं। कुछ भी हो, वह जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे थे वह उस समय तक ठीक था और यदि भविष्य में भत्तभेद हो भी तो उसकी पहले से ही आकांका करना मूर्खता होती।

इन सब बातों से सिद्ध हो जाता है कि हमारे विचार साक और विशिष्ट नहीं थे। हमारी भावना सदा यही थी कि अगर हम अधिक तरह संतुष्ट हैं तब भी गांधीजी भारत को हमसे ज्यादा जानते हैं और जो आदमी जनता की इतनी जड़दंस्त अद्भुता और घफालारी हसिल कर सकता है उसमें अवश्य ही उस जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से सामंजस्य रखने की कोई बात होगी। हम सोचते थे कि यदि हम उनको विश्वास दिला सकते हैं तो जनता को भी बदल सकते हैं और उन्हें विश्वास दिलाना सभव मालूम होता था, क्योंकि अपने कृषक-दृष्टिकोण के बाबजूद वह जन्म से ही विद्रोही थे। वह एक कांतिकारी थे, उन्होंने महान् परिवर्तनों के लिए कमर कस रखी थी और वह परिणाम से भयभीत होकर कभी हकते नहीं थे।

### 'दासों के प्यारे कर्णधार'

गांधीजी ने अल्सो और भ्रष्ट जनता को अनुशासित और कर्मच्य बनाया—  
किसी प्रकार का दबाव डालकर या आर्थिक प्रलोभन दिलाकर नहीं, बल्कि अपनी नम्र दृष्टि, अपने को मल बचन, और इनसे भी अधिक अपने व्यक्तिगत दृष्टांत से।  
मुझे याद है कि सन् १९१९ में अर्थात् सत्याग्रह के आरंभिक दिनों में बंबई के उमर सोबानी ने उन्हे 'दासों के प्यारे कर्णधार' कहकर पुकारा था। तब से १२ साल बाद के समय में बड़ी-बड़ी बातें हो गई थीं। उमर इन परिवर्तनों को देखने के लिए जीवित नहीं रहे थे, किन्तु हम, जो कि उनसे अधिक सौभाग्यशाली थे, १९३१ के उन आरंभिक महीनों से अतीत की नीना पर और अभिमान से देख रहे थे। १९३० का साल हमारे लिए सचमुच ही एक बड़ी आवश्यक जनक साल था और ऐसा मालूम होता था जैसे गांधीजी ने अपने जादू के डंडे से देश का रूप ही बदल दिया है। हममें से कोई भी आदमी यह सोचने की भूलता नहीं करता था कि हमने विदिश सरकार पर अंतिम विजय प्राप्त कर ली है। हमारे हर्ष की भावना का सरकार से

कोई सवंध नहीं था। हमे अपनो जनता पर अभिमान था—अपनो महिलाओं पर, अपने नौजवानी पर, और अपने बच्चों पर उनके उन कार्यों के लिए जो उन्होंने आंदोलन के दिनों में किये थे। वह एक ऐसा आत्मिक लाभ था जो किसी भी समय और किसी के लिए भी बहुमूल्य हो सकता था। हम गुलामों और पदवलितों के लिए तो उसका दुगुना मूल्य था और हम इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि कोई ऐसी बात न होने पाये जिससे यह लाभ हमसे छिन जाय।

जहा तक मेरा अपना सवाल है, गांधीजी की मुझ पर सबा बड़ी कृपा रहती थी और मेरे पिताजी की मृत्यु ने तो उन्हे विशेष रूप से मेरे निकट ला दिया था। मुझे जो कुछ भी कहना होता था उसे उन्होंने बड़े धैर्य के साथ सुना था और मेरी इच्छाओं को पूरा करने को भरसक चेष्टा की थी। इससे मं यह सोचने लगा था कि शायद मं और कुछ अन्य साथी उन्हे लगातार प्रभावित कर समाजवादी विश्वा में खींच कर ले जा सकें। उन्होंने खुद कहा था कि जैसे-जैसे उनकी समझ में आता जायगा वैसे-वैसे वह उधर धीरे-धीरे बढ़ते जायेंगे। उस समय मुझे यह बात प्रायः अनिवार्य-सी मालूम होती थी कि वह समाजवाद के बुनियादी सिद्धातों को अग्रीकार कर लेंगे, क्योंकि मुझे उस समय की हिसा, अन्याय, बर्बादी और विपदा से बचने की कोई और सूरत नहीं विलाई देती थी। समाजवाद की कार्य-पद्धति से वह असहमत हो सकते थे, किन्तु उसके आवर्ण से नहीं। उन दिनों मं ऐसा ही सोचा करता था, किन्तु अब समझ गया हूँ कि गांधीजी के विचारों और समाजवादी दृष्टिकोण में बुनियादी भेद हैं।

### दिल्ली की समझौतों

४ मार्च की रात को हम लोग आधी रात तक गांधीजी के बाइसराय भवन से लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। वह दो बजे लौटे और हमें जगाकर बताया गया कि समझौता हो गया है। हमने उस समझौते का मसविदा देखा। मं उसकी अधिकांश

धाराओं को जानता था, क्योंकि उन पर अक्सर वादविवाद हुआ था, किंतु ऊपर ही धारा २\* को देखकर मुझे जबर्दस्त धक्का लगा। उसमें संरक्षण आदि का उल्लेख था। मैं उसके लिए बिलकुल तैयार नहीं था। उस समय मैंने कुछ नहीं कहा और हम सब सो गये।

कुछ और कहने सुनने का सवाल ही नहीं था। काम हो चुका था और हमारा नेता अपना बच्चन दे चुका था। यदि हम उनसे असहमत भी थे तो कर क्या सकते थे? उन्हें हटा देते? उनसे संबंध तोड़ लेते? अपने मतभेद की घोषणा करते? ऐसा करने से किसी व्यक्ति विशेष को कुछ बैयक्तिक सतोष हो सकता था, किंतु उसका अतिम निर्णय पर कुछ असर नहीं पड़ता। कम-से-कम उस समय के लिए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर ही दिया गया था और जब कि सरकार यह कह सकती थी कि गांधीजी ने समझौता कर लिया है तो कार्य समिति उस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकती थी। अपने दूसरे साथियों की तरह मैं भी इस आंदोलन को स्थगित कर सरकार से अस्थायी समझौता करने के लिए तैयार था। हमारे लिए यह काम आसान नहीं था कि हम अपने साथियों को किर बेल भेज दें या जो हजारों लोग जेल में थे उनके बहीं रह जाने का कारण बनें। केंद्र कर्पोरेशन ऐसी

\*५ मार्च, १९३१ के दिल्ली समझौते की धारा २ इस प्रकार है—“जहाँ तक वैधानिक प्रश्नों का सवाल है, ब्रिटिश सरकार की अनुमति से भावी विचार-विनियम के क्षेत्र का इमलिए उल्लेख किया जा रहा है कि गोलमेज काफेस में वैधानिक भारत सरकार की जिस योजना पर विचार किया गया था, उस पर आगे विचार किया जा सके। उसमें जो योजना दी गई है, ‘सघ’ उसका अनिवार्य अंग है। यही बात भारतीय उत्तरदायित्व और भारत के हित में ऐसी बातों के सरकार के सबध में है जैसे सुरक्षा, विदेशी मामले, अल्पसम्बन्धों की स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति और उत्तरदायित्वों की पूर्ति।

सुन्दर जगह नहीं है जहा जिवाई जाय, पद्धति हममें से कुछ लोग अपने को उसके लिए तंयार कर सकते हैं और उसको धातक दिनचर्या की ओर से लापरवाही अवश्य कर सकते हैं। इसके अलावा गांधीजी और लाड इविन के बीच तीन सप्ताह या उससे भी अधिक दिनों तक बातचीत चलते रहने से देश भर को यह आशा होने लगी थी कि समझौता होने ही बाला है। इस अवस्था पर आकर अगर समझौते की बात्ता टूट जाती तो सब को बड़ी निराशा होती। इसलिए कार्यसमिति के सभी सदस्य निश्चय ही एक अस्थायी समझौते के पक्ष में थे—अस्थायी समझौते से अधिक वह हो भी क्या सकता था—बशर्ते कि उससे हमारी कोई महसूपूर्ण पराजय न होती।

दो बातें ऐसी थीं जिनमें मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी थीं। उनमें से एक यह थी कि हमारी स्वतन्त्रता की माग किसी तरह भी हीली न की जाय और दूसरी यह कि समझौते का युक्त प्राप्त के गांधों पर क्या असर पड़ेगा। गांधीजी ने यह बात लाड इविन से बिलकुल साफ कर दी थी। सरकार जो कर मागती थी उसे देने में किसान असमर्थ थे। गांधीजी ने कह दिया था कि यद्यपि कर-विरोधी आंदोलन बन्द कर दिया जायेगा तथापि हम किसानों को अपनी सामर्थ्य से अधिक देने की सलाह नहीं दे सकते।

हमारे लक्ष्य—अर्थात् स्वतन्त्रता का भी प्रश्न था। मैंने देखा कि समझौते की धारा २ के कारण यह उद्देश्य भी संकट में पड़ गया है। क्या यही चीज थी जिसके लिए हमारो जनता ने एक साल तक इतनी बहादुरी के साथ काम किया था? क्या वीरता से भरी हुई हमारी सारी बातों और हमारे सारे कार्यों का यही अत होने बाला था? क्या इसके लिए कांग्रेस का स्वतन्त्रता-विवाद प्रस्ताव पास किया गया था और क्या इसी के लिए २६ जनवरी की प्रतिक्षा इतनी बार दुहराई गई थी? उम रात में लेटा-लेटा इन्हों बातों पर विचार करता रहा और मुझे अपने हृदय में एक बहुत बड़े सूनेपन का अनुभव होता रहा, मानों कोई बहुमूल्य वस्तु खो गई है

और उसके बापस मिलने की आशा नहीं रह गई है ।

समार का अंत इसी ढग से होता है ।

धमाके के साथ नहीं बल्कि मद रुदन के साथ ।

किसी और जरिये से गांधीजी को मेरे इस क्षोभ का पता लग गया और उन्होंने मुझे अगले दिन टहलने के समय अपने साथ चलने को कहा । उस दिन हमारी उनकी बड़ी देर तक बातें हुईं और उन्होंने मुझे यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि हमने कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं खोई है और न हमारी कोई संदर्भातिक परायी ही हुई है । उन्होंने समझौते को धारा २ की व्याख्या एक ऐसे विशेष ढंग से की जिससे वह हमारी स्वतन्त्रता की मांग के अनुकूल प्रतीत होने लगे । उनका तर्क मुख्यतः 'भारत के हित में' शब्दों पर आधारित था । मुझे उनकी व्याख्या एक जबरदस्ती की व्याख्या मालूम हुई और मुझे संतोष नहीं हुआ, परन्तु उनकी बातों ने मुझे शांत अवश्य कर दिया । समझौते की अच्छाइयों की बात तो अलग रही भीने उनसे कहा कि हम लोगों को एकाएक अच्छाई में डाल देने की आपकी जो रीति है उससे मुझे भय लगता है । उनमें कोई ऐसी अकात वस्तु थी जिसे १४ साल के निकटतम संपर्क के बाद भी मैं बिलकुल नहीं समझ पाया था और जो मुझे भय-भीत कर दिया करती थी । उन्होंने स्वीकार किया कि उनमें ऐसी कोई वस्तु है, किन्तु कहा कि मैं खुद इसका कोई जवाब नहीं दे सकता और न यह भविष्यवाणी ही कर सकता हूँ कि उसका क्या परिणाम निकलेगा ।

एक दो दिन तक मैं इसी तरह विचलित रहा और समझ में नहीं आता था कि क्या कहूँ । उस समय समझौते का विरोध करने था उसे रोकने का कोई प्रश्न नहीं था । वह अवस्था तो बोत चुकी थी और मैं इतना ही कर सकता था कि व्यवहार में उसे स्वीकार करते हुए संदर्भातिक रूप से उससे अपने को अलग कर सूँ । उससे भेरा अपना अहंकार तो शांत हो जाता, किन्तु देश के बड़े प्रश्न के समाधान में कोई सहायता नहीं मिलती । इसलिए भीने सोचा कि क्या यह अच्छा नहीं होगा

कि जो कुछ हो चुका है उसे मैं शिष्टतापूर्वक स्वीकार कर लूँ और उसकी अधिक-से-अधिक अनुकूल व्याख्या करूँ जैसा कि गांधीजी ने किया था ? समझौते के फौरन बाद ही उन्होंने अद्वारनबीसो से मुलाकात करते हुए इसी व्याख्या पर जोर दिया था और कहा था कि हम अब भी अपनी स्वतन्त्रता की मांग पर बढ़ रहे हैं । लाड़ इविन के पास जाकर उन्होंने इस बात का स्पष्टोकरण भी कर लिया ताकि उस समय और भवित्व में कोई गलतफहमी न होने पाये । उन्होंने लाड़ इविन से यह भी कह दिया कि अगर कांग्रेस गोलमेज कांफ्रेस में अपना कोई प्रतिनिधि भेजेगी तो इसी आधार पर इसी मांग को प्रस्तुत करने के अभिप्राय से भेजेगी । लाड़ इविन इस दावे को स्वीकार तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने यह मान लिया कि कांग्रेस को उसे प्रस्तुत करने का अधिकार है ।

इसलिए मैंने समझौते को स्वीकार करने और उसके लिए पूरी लगन के साथ काम करने का निश्चय किया, यद्यपि ऐसा करने में मुझे काफी मानसिक सघर्ष और शारीरिक झोम का सामना करना पड़ा । मुझे कोई बीच का रास्ता ही नहीं दिखाई देता था ।

समझौते से पहले और उसके बाद भी गांधीजी को लाड़ इविन से जो मुलाकातें हुई थीं उनमें उन्होंने सविनय अवज्ञा से सबध न रखने वाले सभी राजनीतिक कंदियों को छोड़ देने पर जोर दिया था । सविनय अवज्ञा के कैदी तो समझौते की शर्त के अनुसार रिहा होने वाले थे ही, लेकिन उनके सिवा हजारों और कैदी भी थे, जिनमें से कुछ तो अदालती कारंबाई के बाद कैद की सजा मिली थी और कुछ ऐसे थे जो बिना किसी आरोप, अदालती कारंबाई या सजा के ही नजरबन्द थे । इनमें से अनेक तो कई बर्बों से ऐसे ही नजरबन्द चले आ रहे थे और इस तरह बिना मुकदमा चलाये हो कैद में रखने की प्रणाली पर सारे भारतवर्ष—और द्वास तौर से बंगाल में जहां कि इसका सबसे उपादा असर पड़ा था—अतिशय कोष की भावना फैली हुई थी । गांधीजी ने इनकी रिहाई को पंतवी की थी और कहा था कि सम-

भौति की शर्तों के मुताबिक न सही, कम-से-कम बंगाल में राजनीतिक तनाव को कम करने और वहां अधिक शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करने के लिए इन क्रेडिटों की रिहाई अत्यंत अपेक्षणीय है। किन्तु सरकार इसे मानने को तैयार नहीं थी।

### कराची-कांग्रेस

कराची की कांग्रेस गांधीजी के लिए पहले की सभी कांग्रेसों से बड़ी व्यक्ति-गत विजय थी। उसके अध्यक्ष, सरदार चलभाई पटेल, भारत के सबसे अधिक लोकप्रिय और शक्तिशाली व्यक्तियों में से थे और उन्हें गुजरात में सफल नेतृत्व की प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो चुकी थी; फिर भी उस अधिवेशन के प्रधान व्यक्ति महात्माजी ही थे।

इस अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव दिल्ली-समझौते और गोलमेज कानकेस के संबंध में था। चूंकि यैह प्रस्ताव कार्यसमिति की ओर से रखा गया था, इसलिए मैंने उसे स्वीकार कर लिया, किन्तु जब गांधीजी ने मुझसे उसे कांग्रेस के खुले अधिवेशन में उपस्थित करने को कहा तो मैंने आनाकानी की। यह मेरे स्वभाव के विरुद्ध था, इसलिए मैंने भना कर दिया। पर बाद में मैंने सोचा कि यह स्थिति तो एक दुर्बल और असंतोषजनक स्थिति है। मुझे या तो इसके पक्ष में रहना है या इसके विरुद्ध; इस मामले में जनता को अनिश्चय में छोड़ना उचित नहीं। अतः बिल-कुल अंतिम समय पर, प्रस्ताव के खुले अधिवेशन में प्रस्तुत किये जाने से कुछ ही मिनट पहले, मैंने उसे उपस्थित करने का निश्चय किया। अपने भाषण में मैंने उस विशाल जन-समुदाय के सामने अपने मन की बात साफ-साफ रख देने को कोशिश की। यह बताते हुए कि मैंने उस प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया है जनता से भी उसे स्वीकार करने की प्रार्थना की। वह भाषण, जो कि तात्कालिक आवेदन में दिया गया था और हृदय के अन्तर्मन प्रदेश से निकला था और जिसमें बहुत ही कम अल्कार और शब्दाढ़म्बर था, मेरे पहले के उन सभी भाषणों से अधिक सफल था जिन्हे मैंने ज्यादा सावधानी से तैयार करने के बाद दिया था। मैं बूसरे

प्रस्तावों पर भी बोला—विशेष रूप से भगतसिंह सबधी प्रस्ताव और बुनियादी अधिकारों तथा आर्थिक नीति के प्रस्ताव पर ।

किवदति यह है कि इस प्रस्ताव को—या कम-से-कम उसके एक बड़े भाग को—मास्यवाद से सहानुभूति रखनेवाले किसी रहस्यपूर्ण व्यक्ति ने तैयार किया था और कराची में उसे मुझ पर डाल दिया था, जिसके बाद मैंने गांधीजी को चुनौती दी थी कि या तो इसे स्वीकार कीजिये या दिल्ली समझौते के प्रश्न पर मेरे विरोध का सामना कीजिये और इस पर गांधीजी ने मुझे शांत करने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था तथा उसे विषय-समिति के थकेमादे सदस्यों के गले उत्तर कर आखोरी दिन कांग्रेस पर लाव दिया था ।

जहा तक गांधीजी का सबाल है, मुझे उन्हे काफी धनिष्ठता के साथ जानने का सौभाग्य मिला है और उन्हे चुनौती देने या उनसे सौदा करने का विचार मुझे पंशाचिक मालूम होता है । हम एक दूसरे के लिए अपने हृदय में स्थान निकाल सकते हैं या किसी विशेष मामले में एक दूसरे से पूर्यक् भी हो सकते हैं, किन्तु हमारे पारस्परिक व्यवहार में कभी बाजार तरीकों का प्रयोग नहीं हो सकता ।

: ४\*:

### जेल-जीवन मे बम-विस्फोट

सितंबर १९३२ के मध्य मे हमारे शात और नोरस जेल-जीवन मे सहसा बम-विस्फोट हुआ। समाचार मिला कि रैमजे मंडोनेल्ड ने अपने सांप्रदायिक निर्णय मे दलित जातियो को पृथक् निवाचन का जो अधिकार दिया है उसके बिरोध मे गांधीजी ने आमरण अनशन करने का निश्चय किया है। जनता के हृदय को एक-एक धक्का पहुंचाने की उनमे केसी अपूर्व क्षमता थी। सहसा मेरे मस्तिष्क मे सभी प्रकार के विचार दोड़ गये। मेरे आंखो के सामने सभी तरह की संभावनाएं और सकटकालीन आवश्यकताएं नाच उठी और उनसे मेरे चित्त का संतुलन बिल-कुल नष्ट हो गया। दो दिन तक मं पूर्ण अंधकार मे रहा और उससे बाहर निकलने के लिए मुझे कहीं प्रकाश नही दिखाई दिया। गांधीजी के इस कार्य के परिणामों को सोचकर तो मेरा दिल बैठने लगता था। व्यक्तिगत रूप से भी चिंता कुछ कम नहीं थी। मुझे यह सोचकर बड़ी मानसिक बेवना होती थी कि शायद अब मे उन्हें न देख सकूं। आखिरी बार मैंने उन्हे इंगलैण्ड जाते समय जहाज पर देखा था और उसको एक बर्ष हो गया था। क्या वही उनका अंतिम बर्जन सिद्ध होने वाला था ?

और तब मुझे इस बात पर बड़ी भुझलाहट हुई कि उन्होने अपने अतिथि उत्तरां के लिए एक गौण समस्या छुनी है। इसका हमारे स्वतन्त्रता संग्राम पर क्या असर पड़ेगा ? क्या इसके कारण, कम-से-कम कुछ समय के लिए, बड़े-बड़े प्रश्न पूछ-भूमि मे नहीं पड़ जायेंगे ? और यदि वह अपने तत्कालीन उद्देश्य मे सफल भी हो

गये और बलित जातियों के लिए संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली स्वीकार भी करा ली तो क्या उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी और लोगों में यह भावना जड़ नहीं पकड़ लेगी कि थोड़ा-बहुत तो मिल ही गया है, अब कुछ समय के लिए कुछ और करने को आवश्यकता नहीं ? और क्या उनका यह काम सरकार द्वारा समर्पित सांखदायिक निर्णय और दूसरी आम योजनाओं को नियमित भानाने या अंशतः स्वीकार करने के बराबर नहीं होगा ? क्या उनका यह कार्य असहयोग और सविनय अवज्ञा आदोलन से सामने स्थिर रखता है ? इतने त्याग और धीरतापूर्ण प्रयत्नों के बाद क्या हमारा आदोलन किसी अंशत वस्तु में विलीन हो जाने वाला है ?

गांधीजी के इस प्रकार एक राजनीतिक प्रश्न पर धार्मिकता और भावुकता के धरातल से विचार करने और उस संबंध में बार बार ईश्वर का उत्तेलन करने पर मुझे क्रोध आया । उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ईश्वर ने उनके उपचास की वास्तविक तिथि तक का संकेत कर दिया है । वह लोगों के सामने कैसा भयंकर दृष्टात रख रहे थे !

अगर बापू भर गये तो भारत का क्या रूप होगा ? और उसकी राजनीति कैसे चलेगी ? हमें अपने सामने एक भयावना और अधकारपूर्ण भविष्य दिखाई दिया और जब मैंने उस पर विचार किया तो मेरा मन निराशा से भर गया ।

इस प्रकार जब मेरे मस्तिष्क में हलचल मची हुई थी, मैं क्रोध और निराशा लिये और जिस व्यक्ति ने यह उच्च पुरुष मन्त्रीयों थे उसके लिए मन में प्रेम छिपाये बराबर सोचता रहा । मेरी समझ में नहीं आता था कि क्या कहं और मैं सबके साथ—सबसे अधिक अपने साथ—चिड़िचिड़ा बन गया था ।

### उपचास का जादू

और तब मेरे साथ एक अजीब बात हुई । जिस भानसिक संकट ने एकाएक मुझे घेर लिया था उसका शमन हो जाने पर मुझे अपेक्षाकृत शांति का अनुभव हुआ

और भविष्य मुझे उतना अंदकारपूर्ण नहीं दिखाई दिया। बापू में परिषक्त मनो-वकालिक अबसर पर समयोचित कार्य करने की अद्भुत कुशलता भी और संघर्ष वा कि उनके उपवास का—जिसका कि मैं उस कष में अपने दृष्टिकोण से संघर्ष नहीं कर सकता था—केवल उसके सीमित और संकुचित क्षेत्र में नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के व्यापक क्षेत्र में ही बड़ा महापूर्ण परिणाम निकलता। और, अगर बापू भर भी जाते तो हमारा स्वतन्त्रता-संभास आखिर चलता ही रहता। इसलिए जो भी हो हमें अपने को तैयार और स्वस्थ रखना था। गांधीजी की मूल्य तक का अविचलित रूप से सामना करने का निश्चय कर मैंने अपने को ज्ञात सुस्थिर और संसार तथा समय के गर्भ में छिपी हुई संभावनाओं का सामना करने को तयार पाया।

और तब देश भर में भवंकर उथलपुथल मचने का समाचार मिला; हिन्दू समाज में उत्साह की एक जादू-जैसी लहर दौड़ गई और अस्तुप्रता का अंत निकट दिखाई दिया। मैंने सोचा कि यरबदा जेल में बैठा हुआ यह सूक्ष्म सा व्यक्ति किसना बड़ा जाधार है और वह उस ढोरी को छोंचने में किसना प्रबोध है जो जनसाधारण के हृदय को हिला देती है।

मेरे पास गांधीजी का एक तार आया। जेल की सजा मिलने के बाद उनका यह पहला संदेश था और इतने दिनों बाद उनके पास से समाचार पाकर मुझे बड़ा सहारा मिला। तार में लिखा था—

“इन यातनापूर्ण दिनों में तुम सदा मेरी आंखों के सामने रहे हो। मैं तुम्हारी राय आनने को बड़ा उत्सुक हूँ। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी राय को किसना मूल्यवान समझता हूँ। स्वरूप के बल्लों और इन्हूं से दिला था। इन्हूं प्रसन्न और कुछ शोटी दिखाई देती थी। मैं भी टीक हूँ। तार से उत्तर दो। स्नेह।”

यह एक असाधारण किन्तु गांधीजी के स्वभाव के बिलकुल अनुकूल बात थी कि उपवास का कष्ट उठाते समय और अपने अनेक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी उन्होंने

मेरी लड़की का और मेरी बहन के बच्चों का अपने यहां आने का उल्लेख किया और यहां तक लिखा कि इन्विटेशन सोटी हो गई है। (मेरी बहन भी उन दिनों जेल में थी और ये सब बच्चे पूना में एक स्कूल में थे।) वह जीवन की उन बातों को कदाचित् नहीं भूलते जो देखने में तो छोटी लगती हैं, किन्तु वास्तव में जिनका अर्थ बहुत बड़ा होता है।

उसी समय मुझे यह भी समाचार मिला कि निर्वाचन प्रणाली के संबंध में कुछ समझौता हो गया है। जेल के सुवरिन्टेंडेंट ने कृपा करके मुझे गांधीजी को उत्तर में जाने की अनुमति दे दी और मैंने उन्हे यह तार दिया—

“आपके तार और साथ ही इस संक्षिप्त समाचार से कि किसी तरह का समझौता हो गया है, मुझे बड़ी राहत और खुशी हासिल हुई है। आपके उपचास के समाचार से पहले मुझे बड़ी मानसिक पीड़ा और उलझन हुई, किन्तु अन्त में आशा की विजय हुई और मेरे चित्त की शांति लौट आई। दमन के शिकार पदबलितों के लिए जो भी स्थान किया जाय थोड़ा है। स्वतन्त्रता की परीक्षा तो निम्नतम श्रेणी के लोगों की ही स्वतन्त्रता के आधार पर होनी चाहिए, किन्तु भय है कि कहीं दूसरे प्रश्न हमारे एकमात्र लक्ष्य को आच्छादित न कर ले। मैं इस प्रश्न पर धार्मिक वृष्टिकोण से निर्णय करने में असमर्पण हूं। खतरा है कि कहीं दूसरे लोग आपके तरीकों से कायदा न उठावें, किन्तु मैं एक जावूगर को सलाह देने की कल्पना भी कैसे कर सकता हूं : प्रेम !”

### हरिजन-आदोलन

पूना में जमा हुए विभिन्न लोगों ने एक पैक्ट (समझौते) पर हस्ताक्षर किये, जिसे लिटिश ग्रामन मन्त्री ने अवधारण स्कूल के साथ स्वीकार कर अपने पहले ‘निर्णय’ को पैक्ट के अनुसार बंश्वर विवा और गांधीजी का उपचास भेज हो गया। ऐसे पैक्ट और समझौते मुझे बहुत नापसन्द थे, किन्तु मैंने पूना-पैक्ट का हार्दिक स्वागत किया।

उत्तेजना कम हुई और हम एक बार फिर जेल के कम के अनुसार गीवन विताने लगे। हरिजन-आंदोलन के समाचार मिलते रहे और गांधीजी जेल ही में बैठे-बैठे जो काम किया करते थे उनका भी पता अलता रहा, किन्तु इनसे मुझे ज्ञान खुशी नहीं होती थी। यह तो ठीक है कि कुआँचूट को छूट करने और दुर्जी पब्लिक सेट से उतनी नहीं जितनी कि सारे देश में व्याप्त एक धार्मिक युद्ध की लहर से। इस स्थिति का हमें स्वागत करना चाहिए था। किन्तु यह भी स्पष्ट हो गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को अति पहुंची है। देश का ध्यान अन्य समस्याओं की ओर बढ़ गया था और कामेसी कार्यकर्ता हरिजन-आंदोलन में लग गये थे। शायद उनमें से ज्यादातर लोग इस तरह के अधिक सरक्षित कामों में लगने का बहाना चाहते थे। जिनमें जेल जाने या (जो कि इससे भी बुरा था) लाठियां लाने और जायदाद के जब्त होने का भय न हो। यह स्वाभाविक भी था और यह सोचना उचित नहीं था कि हमारे हजारों कार्यकर्ता हर समय अवर्द्धस्त तकलीफें उठाने और अपने घरों के तोड़े-फोड़े तथा नष्ट किये जाने के लिए तैयार रहेंगे। फिर भी अपने महान् आंदोलन को इस प्रकार धीरे-धीरे विनष्ट होते देखना हमारे लिए कष्टदायक था। सर्विन्द्र अवज्ञा का आंदोलन अब भी चल रहा था और कभी-कभी सामूहिक प्रदर्शन भी होते रहते थे; उदाहरण के लिए, कलकत्ता कांप्रेस, जो १९३३ के मार्च-अप्रैल के महीने में हुई थी। गांधीजी यरवदा जेल में थे, किन्तु उन्हें कुछ लोगों से मिलने और हरिजन आंदोलन के लिए हिंदायतें देने की कुछ विशेष रियायतें मिली हुई थीं। इससे उनका जेल में होना उतना नहीं अल-रता था, किन्तु इन सब बारों से मुझे खिलता होती थी।

### इक्कीस दिनों का उपवास ।

कई महीनों बाद, मई १९३३ के आरंभ में गांधीजी ने अपना इक्कीस दिनों का

उपचास आरंभ किया । इस घटना के प्रथम समाचार से मुझे फिर उसका स्था<sup>या</sup>, किंतु मैंने इसे एक अनिवार्य घटना के रूप में स्वीकार कर लिया और अपने को उसके लिए तैयार किया । मुझे इस बात पर भुझलाहट मालूम होती थी कि जब गांधीजी एक बार उपचास करने का निश्चय कर चुके हैं और साधारणिक रूप से उसको ओवणा भी कर चुके हैं तो लोग उन पर उसे त्यागने का जोर देंगे डालते हैं । उपचास की बात मेरी समझ में नहीं आया करती थी और यदि निश्चय करने से पहले मुझसे पूछा गया होता तो निश्चय ही मैंने उसका जोरो से विरोध किया होता । किंतु मैं गांधीजी के संकल्प को बड़ा महस्त्र दिया करता था और एक ऐसे निजी मामले में जिसका कि उनकी दृष्टि में बड़ा महस्त्र था, किसी का उनसे उस संकल्प को ठोड़ने के लिए कहना मुझे बड़ा गलत मालूम होता था । इसलिए दुःखी होते हुए भी मैंने उसे सहन कर लिया ।

उपचास आरंभ करने से कुछ दिन पहले गांधीजी ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसे पढ़कर मेरा भी भर आया । चूंकि उन्होंने उत्तर मांगा था, इसलिए मैंने उन्हे निम्नलिखित तार भेजा—

“आपका पत्र मिला । जिन मामलों को मैं नहीं समझता उनके सबध में क्या कह सकता हूँ । इस विचित्र देश में, जहां आप ही एकमात्र परिचित मार्गदर्शक हैं, मैं अपने को लोया-खोया-सा पाता हूँ । मैं अधिकार में अपने मार्ग को ढूँढ़ने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु ठोकर लाकर गिर पड़ता हूँ । जो हो, मेरा प्रेम और मेरे विचार आपके साथ होंगे ।”

मुझे उनका काम बिलकुल पसन्द नहीं था, किंतु मैंने अपनी इस भावना को भरसक बचाने का प्रयत्न किया । मैं उन्हें ठेस नहीं पहुँचाना चाहता था, फिर भी मैंने महसूस किया कि मेरा संदेश हृष्णपुक्त नहीं है और अब जब कि उन्होंने इस भयं-कर अग्नि-परीक्षा में से होकर गुजारने का संकल्प कर लिया है और संभव है कि इसमें उनकी आज तक चली जाय, मुझे भरसक उन्हें ढांडस बंधावा चाहिए ।

मेरे जानता था कि छोटी-छोटी बातों से मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है और जिस रहने के लिए गांधीजी को अपने एक-एक स्नायु पर जोर डालना होगा। मैंने यह भी महसूस किया कि वहाँ कोई भी घटना घटे—यहाँ तक कि यदि दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु तक हो जाय—तो भी हमें उसका विलेखी के साथ सामना करना चाहिए। इसलिए मैंने उन्हें एक दूसरा तार भेजा—

“अब चूंकि आपने अपने महान् कार्य को आरंभ कर दिया है, मैं आपको एक बार फिर अपना प्रेरणा और अपनी विश्वास्यां भेजता हूँ और इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि यह अनुभूति अब मुझे पहले से अधिक स्पष्ट हो गई है कि जो कुछ भी होया अच्छा हो होगा और उसमें आपकी विजय होगी।”

गांधीजी उपवास को पार कर गये। वह पहले ही दिन ज्वेल से छोड़ दिये गये थे और उनकी सलाह पर सविनय अवक्षा ऑफीसल द सप्ताह के लए स्थगित कर दिया गया।

### एक नई चुनौती

यह बात एक तरफ साफ-साफ विखाई दे रही थी कि लोगों में जांच-पढ़ताल करने, सबाल पूछने और वर्सेमान सस्थाओंको चुनौती देने की एक नई भावना आती जा रही है। इस मानसिक हृषा की आम दिशा स्पष्ट थी, किन्तु अभी वह एक धोमी बयार के ही रूप में थी और उसे अभी अपनी शक्ति में पूरा-पूरा विश्वास नहीं था। कुछ लोग फासिस्ट भावनाओं के साथ खेल रहे थे। निर्मल और निश्चित सूझौते की कमी विखाई दे रही थी। राष्ट्रीयता अब भी प्रधानविश्वास-धारा थी।

यह बात मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आ गई कि जब तक थोड़ी-बहुत राजनीतिक स्वतन्त्रता नहीं मिल जायेगी तब तक राष्ट्रीयता ही सब लोगों की प्रधान प्रेरणा बनी रहेगी। यही कारण था कि कांग्रेस भारत की सबसे उम्रेत और शक्ति-

शाली संस्था बनी रही थी (और कुछ मजदूर-सेवों को छोड़कर) अब भी थी। पिछले १३ वर्षों में गांधीजी के नेतृत्व में उसने जनता में एक आश्वर्यजनक जागृति उत्पन्न की थी और अपनी अनिवार्यत मध्यमवर्गीय विचारधारा के बाबूद उसने एक कांतिकारी उद्देश्य की पूर्ति की थी। उसकी उपरोगिता अभी कम नहीं हुई थी और जब तक राजनीतिक प्रेरणा का स्थान सामाजिक प्रेरणा न ले ले तब तक उसके कम होने की सभावना भी नहीं थी। इसलिए देश की भावी उन्नति—संद्वातिक और व्यावहारिक दोनों—अधिकतः कांग्रेस से ही संबद्ध मानी जानी चाहिए, यद्यपि इसके लिए अन्य मार्गों का भी प्रयोग किया जा सकता है।

किंतु उन दिनों कांग्रेस का अर्थ गांधीजी से था। वह क्या करेंगे? उनके विचार कभी-कभी बड़े ही पुराने जमाने के होते थे, किर भी व्यावहारिक दृष्टि से वह भारत में आधुनिक युग के सबसे बड़े कांतिकारी थे। उनका व्यक्तित्व एक विचित्र व्यक्तित्व था और उनका भूल्य साधारण मापदण्ड से नहीं आंका जा सकता था, यहां तक कि उन पर तर्कशास्त्र के साधारण नियम भी लागू नहीं किये जा सकते थे। किंतु चूंकि वह हृदय से कांतिकारी थे और उन्होंने भारत की स्वतन्त्रता का सकल्प ले रखा था, इसलिए स्वतन्त्रता की प्राप्ति तक उनका इस प्रकार दृढ़ता-पूर्वक कार्य करते रहना अनिवार्य था। मुझे आशा थी कि इसी क्रिया में वह जनता में महान् शक्ति उत्पन्न कर देंगे और धीरे-धीरे स्वयं भी सामाजिक लक्ष्य की ओर अप्रसर होंगे।

पिछले कितने ही वर्षों से भारत के और भारत से बाहर के कटूर साम्यवादी गांधीजी तथा कांग्रेस पर कटू आक्षेप करते रहे हैं और कांग्रेसी नेताओं पर हर तरह के नोच मन्त्रियों का आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस विचारधारा की जो संद्वातिक व्यालोचनाएं की हैं उनमें से कितने ही योग्यतापूर्ण और संगत थीं और समय ने अंशतः उनका समर्थन भी किया है। भारत की आम राजनीतिक स्थिति के उनके कितने ही प्रारंभिक विश्लेषण बाहर में आश्वर्यजनक रीति से सत्य सिद्ध

हुए। किन्तु जब वे अपने आम सिद्धांतों को छोड़कर विस्तार की बातों में प्रवेश करते हैं—और विशेष रूप से जब वे कांग्रेस के कार्य पर विचार करने बैठते हैं तो बुद्धी तथा से पश्चात्त हो जाते हैं। भारत में साम्यवादियों की कम संख्या और कम प्रभाव का एक कारण यह है कि यहाँ के साम्यवादियों ने साम्यवाद की वैज्ञानिक जानकारी कैसाने और जनता को विचारधारा को उसके पश्च में बदलने को चेष्टा करने के बजाय अपना इयाहातर दूसरों को शाली देने पर केन्द्रित रखा है। इसकी उन पर प्रतिक्रिया हुई है और उन्हें बड़ी अति पहुंची है। उनमें से अधिकांश लोगों को मजबूरों के बीच काम करने की आदत है, जिन्हें जीतने के लिए असर दो भार नारे ही काफी होते हैं। किन्तु पढ़ेलिखे आदमियों पर केवल नारे काम नहीं करते। साम्यवादी लोग इस बात को समझ नहीं पाये हैं कि आज भारत में मध्यम वर्ग के पढ़ेलिखे लोग ही सबसे अधिक कांतिकारी हैं। फिर भी साम्यवादियों की इन कटूरताओं के बाबजूद बहुत से सुशिक्षित लोग साम्यवाद की ओर आकर्षित हुए हैं। किन्तु तब भी वोनों के बीच एक खाई है।

साम्यवादियों का कहना है कि कांग्रेसी नेताओं का लक्ष्य सरकार पर जनता का दबाव डालकर भारतीय पूँजीपतियों और जमीदारों के हित में औद्योगिक और व्यावसायिक रियायतें प्राप्त करना रहा है। उनकी राय में कांग्रेस का काम ‘किसानों, मध्यम वर्ग के नीची श्रेणी के लोगों और औद्योगिक मजबूरों के आधिक और राजनीतिक असतोष पर साज डाल उसे बंदई, अहमदाबाद और कलकत्ते के मिल मालिकों और पूँजीपतियों के रथ में जोतना रहा है।’ उनका लक्ष्याल है कि भारतीय पूँजी-पति परदे के पीछे बैठे-बैठे कांग्रेस कार्य समिति को पहुँचे तो एक सार्वजनिक आंदोलन चलाने का आदेश देते हैं और जब वह आंदोलन विजात तथा संकटजनक रूप धारण कर लेता है तो वे उसे स्थगित करने या गौम बना देने को कहते हैं। इसके अलावा, साम्यवादियों का कहना है कि कांग्रेसी नेता वस्तुतः अंग्रेजों का भारत से जाना नहीं चाहते; क्योंकि भारत को भूमि भरती जनता को नियन्त्रण में रखने

और उनका शोषण करने के लिए उनकी ज़रूरत है और भारत के मध्यम ओणी के लोग अपने को इस योग्य नहीं समझते ।

ताज़ज़ुब की बात है कि योग्य साम्यवादी भी ऐसे भह्वे विश्लेषणों पर विश्वास करते हैं, किन्तु स्पष्ट है कि वे इनमें विश्वास करते हैं, इसलिए उनका भारत में इतना असफल होना कोई आश्वर्य की बात नहीं । उनकी बुनियादी गलती यह है कि वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को यूरोपीय मज़दूरों के माशिंड से नापते हैं और चूंकि मज़दूर नेताओं का मज़दूर आंदोलन के साथ बराबर धोखा करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, इसलिए वे यही उपमा भारत पर भी लागू करते हैं । ००

यह ख्याल भी बिलकुल गलत है कि सन् १९२१ और १९३० में जनता के दबाव के कारण गांधीजी को ऐसे आंदोलन आरंभ करने पड़े थे जो बाहर से देखने में आकमणकारी भालूम होते थे । यह तो ठीक है कि जनता में उथलपुथल भवी हुई थी; किन्तु दोनों बार कदम गांधीजी ने ही बढ़ाये । सन् १९२१ में उन्होंने प्रायः अकेले अपने बूते पर कांग्रेस का सचालन किया और उसे असहयोग आंदोलन में संलग्न कर दिया । सन् १९३० में अगर गांधीजी ने जरा भी विरोध किया होता तो सीधी कार्रवाई का कोई आकमणात्मक या कारगर आंदोलन कभी सभव न होता । ।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वैयक्तिक ढग की मूर्खतापूर्ण और अस्य जानकारी पर आधारित आलोचनाएं की जाती हैं । ऐसा करने से ध्यान असली समस्याओं पर से हट जाता है । गांधीजी की सचाई पर आधात करना अपने आपको और अपने हित को नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि भारत के लाखों सपूत्रों की आंखों में वह सत्य की प्रतिमूर्ति है । जो आदमी उन्हें जरा भी जानता है वह उनकी उस तीव्र लगन से परिचित है जिसके साथ वह सदा सत्य कार्य करने को चेष्टा करते रहते हैं ।

### प्राम-उद्योग और मशीन

गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत दिनों से प्राम-उद्योगों के पुनरुद्धार का समर्थन करती आई थी—विशेषकर हाथ की कलाई और बुनाई का। किन्तु कांग्रेस ने कभी बड़े उद्योगों के विकास का विरोध नहीं किया था और जब कभी उसे व्यावस्थापिका समाजों में या कहीं और भौका मिला तभी उसने उनकी बृद्धि को प्रोत्साहन दिया था।

तो क्या इन दोनों दृष्टिकोणों में कोई विरोध है? शायद अन्तर केवल और देने में है—कुछ उन मानवी और आर्थिक तथ्यों को समझने में है जिनकी पहले भारत में अपेक्षा की जाती थी। भारत के जिन उद्योगपतियों और राजनीतिज्ञों ने उनका समर्थन किया था वे १९ वीं सदी के यूरोप के पूंजीवादी उद्योगों के विकास से अधिक प्रेरित हुए थे और उसके उन अनेक कुपरिणामों को भूल गये थे जो २० वीं सदी में साफ साफ विखाई देते थे। भारतवर्ष में पिछले सौ वर्ष से साधारण उन्नति के मार्ग के अवरुद्ध रहने के कारण इन परिणामों का अधिक व्यापक होना अनिवार्य था। प्रचलित आर्थिक प्रणाली के अन्तर्गत भारतवर्ष में जिस तरह के भव्यम कोटि के उद्योग धन्वे आरंभ किये जा रहे थे, वे मजदूरों को अपने में लापा नहीं सके, बल्कि उनसे बेकारी और बढ़ गई। जहां एक छोर पर पूंजी जमा होती रही वहां दूसरे छोर पर गरीबी और बेकारी बढ़ती रही। संभव था कि यदि किसी दूसरी प्रणाली को अपनाया जाता, मजदूरों को लापा सकने वाले बड़े उद्योगों पर और दिया जाता और एक निश्चित योजना के अनुसार कार्य किया जाता तो ऐसा न हो पाता।

जनता का इस बढ़ती हुई निर्धनता का गांधीजी पर बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ा। नेरी समझ में यह बात ठीक है कि जीवन के संबंध में गांधीजी के दृष्टिकोण में जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण कह सकते हैं, बुनियादी अतंर है। आध्यात्मिक और नैतिक तत्वों के विकास के स्थान पर विन-पर-विन जीवन-मान में बृद्धि होना

और शौकीनी का बहुता गांधीजी को मुश्व नहीं करता। वह कोमल जीवन के पक्ष-पाती नहीं। उनके लिए सीधा मार्ग ही कठोर मार्ग है। उनकी समझ में शौकीनी के प्रेम के फलस्वरूप जीवन में कुरुपता आ जाती है और सद्गुणों का नाश होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरीबों और धनियों के बीच जो संबंध-बांध है, उनके रहन-सहन और विकास प्राप्त करने के अवसरों में जो अंतर है उससे उनके हृदय को आघात लगता है। अपने ध्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक संतोष के लिए वह इस खाई को पारकर गरीबों की ओर चले गए और थोड़े-बहुत सुधार के साथ, जो कि उन निर्धनों की सामर्थ्य की सीमा में था, उन्होंने उनके रहन-सहन और वेश-भूषा (या यो कहिये कि वेशभूषा के अभाव) को अपना लिया। कुछ गिने-चुने धनियों और असर्व निर्धन जनता में यह जो महान् अंतर था, उसके उनकी समझ में दो प्रबन्धन कारण थे—(१) विदेशी राज और उसके साथ का शोषण, और (२) पश्चिमी देशों की पूँजीवादी औष्ठोगिक सम्भता जिसकी प्रतिभूति बड़ी-बड़ी मशीनें थीं। उनकी प्रतिक्रिया दोनों के विरुद्ध थी। उन्होंने लालसापूर्ण दृष्टि से उस अतीत की ओर देखा जब कि गाय स्वतन्त्र और कम या अधिक मात्रा में स्वावलम्बी थे और जहां उत्पादन, विभाजन और उपभोग में स्वाभाविक सतुर्लन था, जहां राजनीतिक और आर्थिक शक्ति आज की तरह किसी एक स्थल पर केन्द्रीभूत न होकर सर्वत्र फैली हुई थी, जहा एक प्रकार का सरल जनतन्त्र प्रचलित था, जहां अमीरों और गरीबों में इतना अधिक अतर नहीं था, जहां बड़े-बड़े शहरों के दुर्गुण अनुपस्थित थे, जहां लोग जीवनदायिनी भूमि के संपर्क में रहते थे और खुले मैदान की खुली हवा में सांस लेते थे।

अतः जीवन के अर्थ के संबंध में गांधीजी और बहुत-से दूसरे लोगों के विचारों में बुनियादी अन्तर था और इस अतर का गांधीजी की भाषा और क्रियाओं पर प्रभाव पड़ा। उनकी भाषा, जो कि स्पष्ट और जोरवार होती थी, सुख्यतः भारत के किन्तु साथ ही अन्य देशों के भी युगों से ज़ले आये धार्मिक व नीतिक

सिद्धांतों से प्रेरित होती थी। नेतिक तस्वीरों का होना अनिवार्य है, साध्य के लिए कभी अयोग्य साधनों का समर्थन नहीं किया जा सकता, नहीं तो व्यक्ति और जाति का सर्वनाश हो जायेगा।

फिर भी वह जीवन और उसकी समस्याओं से अलग किसी स्वनिर्मित स्वप्न-सासार में नहीं बसते थे। उनका जन्म गुजरात में हुआ था, जो दृढ़ विद्वान्वाले व्यापारियों की निवास भूमि है। इसके अलावा, उन्हे भारतीय गांधों और बहुं की जीवन-स्थिति का अद्वितीय ज्ञान था। इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उन्होंने चरखा और प्राम-उद्घोरों की योजना बनाई थी। अगर देश के अन्यनित बेकारों और अद्यु-बेकारों को फौरन राहत पहुंचानी थी, अगर उस सड़न को, जो सारे देश में फैलती जा रही थी और जन साधारण को पंगु बनाती जा रही थी, दूर करना था, अगर गांववालों के जीवन-मान को सामूहिक रूप से थोड़ा-बहुत भी ऊपर उठाना था, अगर उन्हें परिस्थिति की भाँति दूसरों से राहत पाने की असहाय प्रतीक्षा में न रखकर आत्मनिर्भरता का पाठपढ़ाना था और अगर यह सब काम बिना पूँजी के होना था तो कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता था। बिदेशी राज और शोषण में जो बुराईयां निहित थीं वे तो थीं ही और बड़ी सुधार-योजनाओं को आरम्भ व संचालित करने की स्वतंत्रता का भी अभाव था, किन्तु इनके अलावा, भारत की और एक समस्या भी थी— वह थी पूँजी की कमी और मजदूरों की बहुतायत। प्रश्न यह था कि बर्बाद जानेवाले श्रम को अर्थात् उस मनुष्य-शक्ति को जो कुछ भी उत्पन्न नहीं कर रही थी कैसे प्रयोग में लाया जाय? मनुष्य-बल और मशीनों के बल में भूलंता-पूर्ण तुलनाएं की जाती हैं। इसमें तो संवेद् नहीं कि अकेली मशीन एक हजार या वस हजार आदमियों का काम कर सकती है। किन्तु यदि वे दस हजार व्यक्ति जाली बैठे रहें या भूखों मरें तो उस मशीन की स्थापना से कोई सामाजिक लाभ नहीं हो सकता, सिवा किसी ऐसी दीर्घकालीन योजना में जिसके लिए सामाजिक

अवस्थाओं में परिवर्तन आवश्यक है। यदि बड़ी मशीनें न हों तो तुलना का प्रश्न ही नहीं उठता। यह मनुष्य-बल को उत्पादन के काम में लगाने के लिए व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों दृष्टिकोणों से लाभप्रद होता है। इस अवस्था में और बड़े से बड़े पैमाने पर मशीनों की स्थापना में कोई विरोध नहीं, बदातें कि मशीन मुख्य रूप से मजदूरों को काम में लगाने के उपयोग में आये, न कि नई बेकारी पैदा करने के काम में।

### यरवदा ज़ेल में

जिस समय में ज़ेल से छूटने को प्रतीक्षा में था, बाहर व्यक्तिगत सविनय अवश्य के रूप में एक नये ढंग का आनंदोलन आरम्भ हो रहा था। इसमें भी गांधीजी ने ही पहल करने को ठानो और अधिकारियों को नोटिस देने के बाद वह १ अगस्त को गुजरात के किसानों को सचिनय अवज्ञा सिखाने के अभिप्राय से रवाना हुए। वह फौरन कंद कर लिए कहे, उन्हे एक साल की सजा हुई और वह यरवदा ज़ेल की अपनी कोठरी में भेज दिये गये। मुझे इससे खशो हुईं, किंतु जल्दी ही एक नई जटिलता उठ खड़ी हुई। गांधीजी ने पहले को ही तरह इस बार भी ज़ेलसे हरिजन कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं मांगी, किंतु सरकार ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। एकाएक हमें सूचना मिली कि इस प्रश्न पर गांधीजी ने अनशन आरम्भ कर दिया है। इतना बड़ा कदम उठाने के लिए यह एक बहुत ही साधारण-सी बात मालूम होती थी। सरकार से उनका तर्क चाहे पूरी तरह से सही क्यों न हो, उनकी अनशन करने की बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। पर हम कुछ कर नहीं सकते थे और भौतिक केवल प्रतीक्षा करते रहे।

अनशन के एक सप्ताह बाद उनकी अवस्था बड़ी तेजी से गिरने लगी। वह अस्पताल में भेज दिये गए थे, किंतु थे वह तब भी कंदी ही और हरिजन कार्य के लिए सुविधा देने के प्रश्न पर सरकार झुक नहीं रही थी। जीवित रहने की जो

आकांक्षा उनमें पहले के उपवासों में थी वह इस बार नहीं रह गई थी और उन्होंने अपने को बिलकुल ढोला छोड़ दिया था। उनका अंत समीय दिलाई देता था। उन्होंने सबसे अंतिम विवाह कही और आसपास पड़ी हुई अपनी निजी चीजें खोगों में बाट दीं और कुछ नसों को दे दीं। किंतु सरकार उन्हें अपने हाथों भरने देना नहीं चाहती थी और उसी शाम को वह रिहा कर दिये गए। यह बात ऐन मौके पर आकर हुई। अगर एक दिन की ओर देर हो गई होती तो शायद उन्हें न बचाया जा सकता। उनकी प्राण रक्षा का बहुत कुछ अध्य श्री सी. एफ. एन्ड्रूज को मिलना चाहिये, जो गांधीजी के मना करने पर भी भागते हुए भारत आये थे।

जेल से छूटने पर जब मैंने भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का सिहावलोकन किया तो मुझे बहुत ही कम उत्साह हुआ। भाताजी के स्वास्थ्य में सुधार होते ही मैं गांधीजी से मिलने पूला गया। उनसे फिर से मिलकर और यह देखकर कि कमजोरी के बावजूद उनकी अवस्था में संतोषजनक सुधार हो रहा है मुझे बड़ा सुख मिला। मेरी उनकी लम्बी-चौड़ी बाते हुईं। जीवन, राजनीति और अर्थ संबंधी विचारों में मेरा उनसे काफी मतभेद था, किंतु मेरे हृष्टि कोण के यथासाध्य स्वीकार करने में उन्होंने जो उदारता दिलाई उसके लिए मैं उनका बड़ा कृतता हुआ। मेरे मस्तिष्क में बड़ी-बड़ी समस्याएं उथलपुथल मचा रही थीं उनके संबंध में मेरा उनका पत्र-अवधार भी हुआ था, जो बाद में प्रकाशित कर दिया था। उनमें इन समस्याओं का उल्लेख हुआ तो बड़ी ही अनिश्चित भाषा में, किंतु आम दिशा स्पष्ट थी। मुझे गांधीजी की इस घोषणा से खुशी हुई कि स्वार्थ-रत हितों को समाप्त करना चाहिए, किंतु यह काम जबरदस्ती से नहीं, बल्कि परिवर्तन द्वारा होना चाहिए। चूंकि मैं जानता था कि उनके हृष्टि-परिवर्तन के अनेक तरीकों में एक प्रकार की विनीत और नम्म जबरदस्ती ही होती है, मुझे अपने और उनके हृष्टिकोण में कुछ विशेष अन्तर नहीं दिलाई दिया। उस समय भी उनके प्रति यही भावना थी कि अनिश्चित सिद्धांतों पर विचार करने

के वह चाहे कितने ही विश्वदृष्टि क्षयों न हों, वास्तविकता उन्हें धीरे-धीरे अनिवार्य रूप से आधारभूत सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जायगी ।

उस समय मैंने सोचा कि अभी तो इसका सवाल ही नहीं उठता । हमारा राष्ट्रीय संघर्ष मंभवधार में था और संदृष्टिक रूप से सविनय अवश्या अब भी कांग्रेस का कार्यक्रम था, यद्यपि अब वह व्यक्तियों तक ही सीमित कर दिया गया था । हमें उसी तरह चलते रहकर जनता में—विशेष रूप से कांग्रेस के कुछ अधिक राजनीतिक जाग्रति वाले कार्यकर्ताओं में—समाजवादी विचारधारा का प्रचार करना था, ताकि दूसरी नीति की धोखणा का समय आने पर हम एक उल्लेखनीय प्रगति के लिए तैयार रहे । इस बीच कांग्रेस एक अवैध संस्था घोषित कर दी गई थी और ब्रिटिश सरकार उसे कुचलने का प्रयत्न कर रही थी । हमें उस प्रहार का सामना करना था ।

### कांग्रेस से अवकाश

गांधीजी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वह एक व्यक्तिगत समस्या थी । वह सोच रहे थे कि खुद उन्हे क्या करना है ? वह उलझन में थे । वह सोचते थे कि अगर मैं जेल चला गया तो हरिजन कार्य के लिए सुविधा का प्रश्न फिर उठेगा जिसपर शायद सरकार फिर भुकेगी नहीं और मुझे फिर से उपवास करना पड़गा । तो क्या ये सब बातें ही फिर से दुहराई जायं ? उन्होंने ऐसी शिथिल नीति को स्वोकार करने से इन्कार कर दिया और कहा कि अगर मैंने इस प्रश्न पर फिर से उपवास किया तो वह रिहाई के बाद भी जारी रहेगा । इसका मतलब या आमरण अनश्वन ।

गांधीजी के सामने दूसरा संभव रास्ता यह था कि जब तक सजा की अवधि समाप्त न हो जाय—अभी उसे साक्षे वस महीने और बाकी थे—तब तक वह अपने को फिर से गिरवतार न करावें और हरिजन कार्य में संलग्न रहें । लेकिन साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलते रहें व आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सलाह भी दें ।

उन्होंने मेरे सामने जो तीसरा सुझाव रखा वह यह था कि वह कुछ समय के लिए कांग्रेस से बिलकुल अलग हो जावें और उसे 'नौजवानों' के हाथों में छोड़ दें।

पहला रास्ता, जिसका अन्त अनशन द्वारा गांधीजी की मृत्यु में विस्तार देता था, हमारे लिए कठबल्य प्राह्ल नहीं हो सकता था। तीसरा रास्ता भी, ऐसे समय में जब कांग्रेस स्वयं एक अवैध संस्था थी, बड़ा अनुचित प्रतीत होता था। उसका नतीजा यह होता कि या तो सविनय अवक्षा आंदोलन और सब तरह की सीधी कार्रवाइयां कीरण बन्द हो जातीं और कांग्रेस को फिर से अपनी पुरानी कानूनी और वैधानिक कार्रवाइयों का सहारा लेना पड़ता, या एक अवैध और परित्यक्त संस्था बनकर— यहां तक कि गांधीजी द्वारा भी ख्याती जाकर—सरकार द्वारा और भी अधिक कुचली जाती। इसके अलावा यह कब संभव था कि कोई एक दल एक दूसरे अवैध संस्था को संभालने का भार बहन करता जिसकी न बैठकें हो सकती थीं और न जो किसी नीति पर बादबिवाद ही कर सकती थी। इस प्रकार पहले और तीसरे रास्तों को अलग हटाकर हम गांधीजी द्वारा बताये गये दूसरे रास्ते पर पहुंचे। हममें से अधिकांश लोग उसे नापसन्द करते थे और जानते थे कि उससे सविनय अवक्षा आंदोलन के शेष अंश को बड़ा जबरदस्त घटका लगेगा। युद्ध के मैदान से सेनापति के हट जाने पर दूसरे उत्साही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के आगे बढ़कर आग में कूदने की बहुत ही कम संभावना थी; किन्तु इस झगड़े से बाहर निकलने का और कोई रास्ता विस्तार नहीं देता था, इसलिए गांधीजी ने उसी के अनुसार अपनी घोषणा कर दी।

### समाजवादियों की आलोचना

बंधई में मेरे किसने ही मिश्रों और साधियों से मिला। इनमें से कुछ हाल ही में जेल से छूटकर आये थे। वहां समाजवादी भावना का बोलबाला था और पिछले दिनों जो अट्टनाहीं थीं उनके प्रति कांग्रेस के उच्च वर्ग में बड़ा कोष फैला हुआ था। राजनीति को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने के लिए गांधीजी की बड़ी

तीव्र आलोचना को जाती थी। इनमें से अनेक बातों से मैं सहमत था; किन्तु मैं यह साफ़-साफ़ समझता था कि उस समय को स्थिति में हमारे लिए और कोई विकल्प ही नहीं था और हमें उसी तरह से काम करते रहना था। सविनय अवज्ञा आदोलन को बापस लेने से हमें कोई राहत नहीं मिल सकती थी, क्योंकि सरकार के प्रहार जारी रहते और कोई भी कार्रवाई करने पर जेल जाना पड़ता। हमारा राष्ट्रोदय आंदोलन एक ऐसी स्थिति पर पहुंच गया था जब सरकार द्वारा उसका दबाया जाना लाजिमी हो गया था, नहीं तो वह उस पर अपना अंकुश जमा लेता। इसका मतलब यह था कि हमारा आंदोलन उस अवस्था को प्राप्त कर चुका था जब कि उसके हर समय अबैध घोषित किये जाने की संभावना थी और एक आंदोलन के रूप में उसका, सविनय अवज्ञा को बन्द करने पर भी, बापिस लिया जाना असंभव था। अवज्ञा आदोलन को जारी रखने से कोई व्यावहारिक अंतर नहीं पड़ता। असली महत्व तो नैतिक विरोध का था। नये विचारों के प्रचार में जितनी आसानी संघर्ष के समय पड़ सकती थी उतनी संघर्ष के स्थगित कर देने पर और पतन आरंभ हो जाने पर नहीं। इसलिए संघर्ष का एकमात्र दूसरा विकल्प यह था कि जिट्ठा सरकार से समझौता कर लिया जाता और कॉन्सिलिंग में वैधानिक ढंग से कार्य किया जाता।

स्थिति बड़ी कठिन थी और विकल्प का निश्चय करना आसान नहीं था। अपने साथियों का यह मानसिक संघर्ष में खुब समझता था; क्योंकि मुझे स्वयं उनका समझना करना था। किन्तु मैंने वहाँ देखा—जैसा कि भारतवर्ष के अन्य स्थानों में देखा था—कि कुछ लोग उच्च समाजवादी सिद्धांतों को अपनी निषिक्षणता की आड़ बनाना चाहते थे। यह देखकर भुंकलाहट होती थी कि जो लोग स्वयं कुछ नहीं करते थे, वे दूसरे लोगों को, जिन्होंने आंधी और तूफान के समय संघर्ष का बोझ अपने कंधों पर बहन किया था, प्रतिगामी कहकर पुकारते हैं। घर में बैठे-बैठे बातें बनाने वाले ये समाजवादी गांधीजी से विशेष रूप से झुँझ हैं और उन्हें

वे सबसे बड़ा प्रतिक्रियावादी मानते हैं। वे जो तर्क देते हैं, वे तर्क की दृष्टि से अचूक होते हैं; किंतु असलियत यह है कि जिसे वे प्रतिक्रियावादी कहते हैं वह देश को जानता है, समझता है, स्वयं कुछक भारत का प्रतीक है और उसने भारत को इतना हिला दिया है, जितना कांतिकारी कहे जाने वाले किसी व्यक्ति ने नहीं हिलाया होगा। उनकी हरिजन-संबंधी कार्रवाइयों तक ने कहूँ हिंदू धर्म पर कोशलता के साथ किंतु दृढ़तापूर्वक आघात किया है और उनकी जड़ तक को हिला दिया है। सभी सनातनियों ने उनका यिलकर विरोध किया है और वे उन्हें अपना सबसे खतरनाक दुश्मन मानते हैं, यथापि गांधीजी उनके साथ अब भी बड़ी नज़रता और शिष्टता के साथ व्यवहार करते हैं। अपने छंग पर वह ऐसे शक्तिशाली तस्वीं का प्रसार करने में निपुण हैं जो पानी की लहरों की तरह फैल जाते हैं और लालों को प्रभावित करते हैं। वह प्रतिक्रियावादी हीं चाहे कांतिकारी, उन्होंने देश के रूप को बदल दिया है, भट्ट और चायलूस जनता को गर्व और चरित्र प्रदान किया है, उसमें बल और जेतना कूँकी है और भारतीय समस्या को एक विश्वसमस्या का रूप दिया है। अहंसात्मक असहयोग या सविनय अवश्या आंदोलन के उद्देश्य और आध्यात्मिक परिणामों को तो छोड़ दीजिये, एक पद्धति के रूप में ये दोनों आंदोलन भारत और संसार को गांधीजी की अनोखी तथा शक्तिशाली देन हैं और इसमें सबैह नहीं कि यह पद्धति भारतीय स्थितियों के विशेष अनकूल रही है।

### भारत की प्रतिमूर्ति

फिर भी गांधीजी कितने अद्भुत व्यक्ति थे ! उनमें कितना विस्मयकारी और प्रबल आकर्षण था और जनता पर उनके कितना विलक्षण अविकार था उनका ! लेखों और भाषणों से उनके भीतर छिपे हुए भावन का बहुत ही कम परिचय मिलता था। इन्हें पढ़ और सुनकर मनुष्य जितना सोच सकता है उससे कहीं विज्ञाल उमड़ा अविकित्त था। और जहाँ तक भारत के लिए उनकी सेवाओं का सबाल है, वे कितनी

महान् रही है ! उन्होंने देश की जनता में साहस और पौरुष भरा था, अनुशासन और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया था, एक हित के लिए हँसते-भँस हँसाग करने की शक्ति प्रदान की थी और अपनी समस्त नम्रता के बावजूद उसमें गर्व का प्रादुर्भाव किया था । वह कहा करते थे कि साहस चरित्र का एकमात्र निश्चित आधार है, साहस के बिना न कोई नैतिकता है, न धर्म और न प्रेम । “जब तक हम भय के पात्र बने हुए हैं तब तक सत्य या प्रेम का अनुसरण नहीं कर सकते ।” हिंसा के लिए अतिशय धृष्टा होते हुए भी वह हमसे कहा करते थे कि कायरता हिंसा से भी अधिक धृष्टास्पद है । और “अनुशासन इस बात का संकल्प और इस बात की गारंटी है कि मनुष्य में कार्य करने की लागत है । त्याग, अनुशासन और संथम के बिना कोई मुक्ति नहीं, कोई आशा नहीं । अनुशासन बिना कोरा त्याग निरर्थक है ।” आप कह सकते हैं कि ये केवल पवित्र शब्द थे, किन्तु इन शब्दों में एक शक्ति थी और भारत इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि यह सूक्ष्म-सा व्यक्ति वास्तविक कार्य करना चाहता है ।

गांधीजी भारत का प्रतिनिधित्व एक आश्चर्यजनक सीमा तक करने लगे थे । वह इस पुरातन और संतप्त भूमि की अन्तरात्मा की आवाज बन गये थे । एक प्रकार से वह स्वयं भारत थे और उनकी दुर्बलताएं भारतीय दुर्बलताएं थीं । उनकी उपेक्षा स्वयं उनके लिए तो शायद ही कोई महत्त्व रखती हो; किन्तु राष्ट्र के लिए वह अपमान स्वरूप होती थी । जो वाइसराय और दूसरे लोग ऐसे धृणित कार्य करते थे वे यह नहीं ममझते थे कि वे कितनी खतरनाक आग से खेल रहे हैं । मुझे याद है कि विसंवर १९३१ में जब गांधीजी गोलमेज कांफेस से लौट रहे थे और पोप ने उनसे मिलने से इन्कार कर दिया था तो इस समाचार से मुझे बड़ी चोट लगी थी मुझे ऐसा लगा था जैसे वह इन्कार भारत को एक चुनौती है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि पोप ने जानबूझकर इन्कार किया था, यद्यपि शायद उसने भारत को चुनौती देने की बात नहीं सोची थी । कैथोलिक मत वाले किसी दूसरे धर्म के

साधु या महात्मा को नहीं मानते और वूँकि कुछ प्रोटेस्टेंट मतावलम्बियों ने गांधीजी को एक महान् धार्मिक और एक सच्चा ईसाई कहकर पुकारा था, इसलिए पोप के लिए यह और भी अवश्यक हो गया था कि वह अपने को इस वालण्ड से अलग रखते ।

गांधीजी से इतने वर्षों के घनिष्ठतम् संपर्क के बाव भी में उसके लक्ष्य को बिल-कुल स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया हूँ । वह स्वयं भी इसे समझते हैं, इसमें मुझे संदेह है । वह कहते हैं कि मेरे लिए तो वह एक कहम काली है । वह न तो भविष्य में ही भाँकने का प्रयत्न करते हैं, न अपने सामने एक स्पष्ट लक्ष्य ही रखते हैं । वह यह कहते-कहते कभी नहीं यकते कि साधन की चिता रखो, साध्य अपनी चिता आप कर लेणा । अपने वैयक्तिक जीवन में अच्छे बने रहो, शेष बातें तो आपसे आए हो जायेंगी । यह कोई राजनीतिक या वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है और न साध्यद कोई आचार नीति ही है । उसमें अगर ओड़ी-बहुत पुट है तो वह नेतृत्वकाता की है । नेतृत्व क्या है ? यह एक वैयक्तिक वस्तु है या सामाजिक ? गांधीजी सारा बल अद्वित पर देते हैं और बौद्धिक शिक्षण तथा विकास को बहुत ही कम महसूब प्रदान करते हैं । चरित्र के बिना बुद्धि के लतरनाक होने की संभावना है, किन्तु चरित्रहीन बुद्धि क्या है ? आखिर चरित्र का विकास कैसे होता है ? गांधीजी की तुलना मध्य-कालीन ईसाई सन्तों से की गई है और उनकी बहुत-सी बातें इस तुलना में ठीक भी बंटती हैं । आधुनिक मनोवैज्ञानिक अनुभव और पढ़ति के साथ वे बिलकुल मेल नहीं खातीं ।

### पाप और मोक्ष

मैं समझता हूँ कि गांधीजी अपने लक्ष्य के संबंध में उसने अनिवार्यत नहीं है जितने कि वह कभी-कभी दिलाई पड़ते हैं । उनमें एक विशेष दिशा में खलने की उत्कृष्ट अभिलाषा है; किन्तु वह आधुनिक विचारों और अवस्थाओं से बिलकुल विद्ध है और अभी तक गांधीजी इन बोनों का भेल मिलाने या अपने लक्ष्य तक

पहुंचने की समस्त मध्यवर्ती सोडियो की निश्चित रूपरेखा बनाने में सफल नहीं हो पाये हैं। इसीलिए उसमें स्पष्टता का अभाव और अनिश्चितता का आभास मिलता है। फिर भी पिछले २५ वर्षों से अर्थात् उस समय से जबकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन-दर्शन की रूपरेखा तैयार करनी आरंभ की, उनकी विचार-धारा की आम दिशा काफी स्पष्ट रही है। मैं यह नहीं कह सकता कि उनके प्रारंभिक लेख उनके विचारों का अब भी प्रतिनिधित्व करते हैं। वस्तुतः मुझे इसमें संवेदन है कि वे ऐसा पूर्ण रूप से करते हैं। फिर भी वे हमें उनके विचारों की पृष्ठभूमि को समझने में सहायता अवश्य देते हैं।

गांधीजी ने सन् १९०९ में लिखा था—“भारत की मुक्ति इसी में है कि पिछले ५० साल में उसने जो सीखा है उसे भुला दे। रेलवे, तार, अस्पताल, बकील, डाकटर और ऐसे ही अन्य तस्वीरों को नहीं रहना है और तथाकथित उच्चबर्द्ध के लोगों को जानबूझकर और धार्मिक पवित्रता के साथ सरल कृषक जीवन सीखना है और यह जानना है कि यहीं जीवन सच्चे सुख का देने वाला है।” उन्होंने यह भी लिखा है—“जब-जब मैं रेल के डिब्बे या मोटर-बस में बैठता हूँ तब-तब यह अनुभव करता हूँ कि जिस वस्तु को मैं ठीक समझता हूँ उसके प्रति हिंसा कर रहा हूँ।” “संसार को अत्यधिक कृत्रिम और तीव्र साधनों से सुधारने का प्रयत्न करना एक असंभव बात के लिए प्रयत्न करना है।”

जहां हममें से अधिकांश लोगों को सामाजिक कल्याण का सबसे अधिक ध्यान रहता है, वहां गांधीजी सदा व्यक्तिगत मोक्ष और पाप को बात सोचते हैं। पाप को भावना का भेरी समझ में आना बड़ा मुश्किल है और शायद यही कारण है कि मैं उनके आम दृष्टिकोण को पसन्द नहीं कर पाता। वह समाज या सामाजिक दांचे को बदलना नहीं चाहते। वह अपना सारा ध्यान व्यक्ति में से पाप को निकाल आहर करने में लगते हैं। उन्होंने लिखा है—“स्वदेशी का अनुयायी अपने सिर पर सारे संसार का सुधार करने का निर्यक कार्य नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसे यह

विश्वास है कि यह संसार सदा इश्वर द्वारा बनाये गये नियमों से संबंधित होता है और होगा । वह जो सुधार करना चाहता है वह वैयक्तिक सुधार है । वह अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहता है और अपने को इन इन्द्रियों के भोग में लिप्त होने से, जो कि पाप है, बचाना चाहता है । शायद वह स्वतन्त्रता की उस परिभाषा से सहमत होगा जो एक सुपोषा रोमन कैथोलिक लेखक ने फासिज्म पर अपने एक लेख में को है—‘स्वतन्त्रता और कुछ नहीं, बल्कि पाप के बंधन से मुक्त होना है’ । ये शब्द उन इन्द्रियों से कितने मिलते-जुलते हैं जो कि लंबन के विशेष (बड़े पादरी) ने आज से २०० वर्ष पहले लिखे थे—‘ईसाई धर्म हमें जो स्वतन्त्रता देता है वह पाप व झेतान के बंधन से और मनुष्य की लालसाओं, विषय-काङ्क्षाओं और अमर्यादित इच्छाओं से मुक्ति है ।’

### धर्म का क्या अर्थ है ?

गांधीजी ने कहीं लिखा है कि “कोई भी आदमी धर्म के बिना नहीं रह सकता । कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो अपने तर्क के अहंकार में यह धोषणा करते हैं कि उनका धर्म से कोई संबंध नहीं, लेकिन यह बात तो उस आदमी के समान हुई जो कहता है कि मैं सांस लेता हूँ; लेकिन जिसके नाक नहीं है ।” गांधीजी ने यह भी कहा है—“मेरे सत्य-प्रेम ने ही मुझे राजनीति के क्षेत्र में खोचा है और मैं बिना किसी संकोच के, कितु पूर्ण नम्रता के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग यह कहते हैं कि राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं वे धर्म का मतलब ही नहीं जानते।” शायद ज्यादा सही होता, अगर गांधीजी यह कहते कि जो लोग जीवन और राजनीति से धर्म को दूर रखना चाहते हैं उनमें से अधिकांश ‘धर्म’ शब्द का वह अर्थ लगाते हैं जो उनके (गांधीजी के) अर्थ से बहुत भिन्न है । स्पष्ट है कि गांधीजी ‘धर्म’ शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं उसका संबंध और बातों से अधिक नीति तथा सदाचार से है और वह धर्मालोचकों के अर्थ से भिन्न है ।



जो लोग गांधीजी को स्वयं नहीं जानते और जिन्होंने केवल उनके लेख पढ़े हैं वे साधारणतः यह सोचा करते हैं कि गांधीजी एक पावरी जैसे हैं—अतिशय सनातनी, लब्जे चेहरेवाले कॉलिवनबाबी\* और उदासीन—“कुछ-कुछ उन पावरियों की तरह जो काले लबादे वहने अपनी ढूँढ़ी पर घूमा करते हैं।” किन्तु उनके लेख उनके प्रति अन्यथा करते हैं। जो कुछ भी वह लिखते हैं उससे वह कहाँ महान् हैं और उनके लेखों का उल्लेख करके उनकी आलोचना करना उचित नहीं है। वह कॉलिवनबाबी पावरी-जैसे नहीं, बल्कि उसके बिलकुल विरोधी हैं। उनकी मुसकराहट मनोरम और उनकी हुसी दूसरों को भी हसानेवाली होती है और वह अपने चारों ओर बिनोद का बातावरण फैला देते हैं। उनमें कुछ बच्चों जैसी बात है जो आकर्षण से परिपूर्ण होती है। जब वह किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो अपने साथ ताजी हवा का एक झोका लेते आते हैं और वहाँ एक प्रकाश-सा फैला देते हैं।

गांधीजी में एक जबरदस्त आत्मविरोध है। मैं समझता हूँ कि सभी विश्वात व्यक्ति कुछ सीमा तक ऐसे ही होते हैं। वर्षों तक मैं इस समस्या में उलझा रहा हूँ कि क्या कारण है कि पदवलितों के लिए इतना प्रेम और अपनी सहानुभूति रखते हुए भी वह एसी प्रणाली का समर्थन करते हैं, जो उनको जन्म देती है और पैरों तले कुचलती है? क्या कारण है कि अहिंसा के लिए इतनी तीव्र लगन होने के बावजूद वह ऐसे राजनीतिक और सामाजिक ढांचे का समर्थन करते हैं कि जो पूरी तरह से हिंसा और जोर-जबरदस्ती पर अवलबित है? शायद यह कहना ठोक नहीं होगा कि वह ऐसी प्रणाली के पक्ष में है। न्यूनाधिक मात्रा में वह एक दार्शनिक अराजकतावादी है। किन्तु चूँकि आदर्श अराजकता की स्थिति अभी बहुत दूर है और उनकी आसानी से कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए वह वर्तमान अवस्था को स्वीकार कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि परिवर्तन के लिए हिंसा के प्रयोग का विरोध वह साधन के दृष्टिकोण से नहीं करते। वर्तमान

\*इंग्लैण्ड के मुप्रसिद्ध प्रोटेस्टेंट सुधारक कॉलिवन (१५०९-६४) के मतावलम्बी

स्थिति को बदलने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली अण्टालियों की बात अगर छोड़ दी जाय तो भी एक ऐसे आवश्यक लक्ष्य का निश्चय किया जाना संभव है जिसकी उपलब्धि निकट भविष्य में ही हो जाय ।

### गांधीजी का समाजवाद

कभी-कभी वह अपने को समाजवादी कहते हैं, किंतु इस शब्द का प्रयोग वह बिलकुल वैयक्तिक रूप में करते हैं जिसका समाज की उस आर्थिक रूपरेखा से जो अक्सर समाजवाद के नाम से पुकारी जाती है, कोई संबंध नहीं या बहुत ही कम संबंध है । उनका अनुकरण करते हुए बहुत से प्रमुख कांग्रेस-जन भी इस शब्द का प्रयोग करने लगे हैं, जिससे उनका अर्थ ज्ञायद एक तरह की अस्तव्यस्त मानवीयता से है । मैं जानता हूँ कि गांधीजी इस विषय से अनभिज्ञ नहीं, क्योंकि उन्होंने अर्थ-शास्त्र और समाजवाद पर यहां तक कि मार्क्सवाद पर भी अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं और इस विषय पर दूसरों से विचार-विनियम भी किया है । किंतु मुझे इस बात का दिन-पर दिन अधिक विश्वास होता जा रहा है कि महत्वपूर्ण बातों में केवल भस्तिष्क हमारी अधिक सहायता नहीं करता ।

गांधीजी में, दर्शक अफीका के आरंभिक जीवन में, एक महान् पारबर्तन हुआ जिसने उन्हे बुरी तरह से झकझोर दिया और उनके जीवन संबंधी दृष्टिकोण को बिलकुल बदल दिया । उसके बाद से उनके समस्त विचारों का एक निश्चित आधार रहा है । किंतु उनके मन की बातें लोगों को आसानी से नहीं मालूम होतीं । नए सुझाव देने वाले लोगों को वह अधिक-से-अधिक धैर्य और ध्यान के साथ सुनते हैं, किंतु उनकी इस शिष्टतापूर्ण विलक्ष्यों के बाबजूद सुझाव देने वालों को ऐसा मालूम होता है कि मानो वे एक ऐसे व्यक्ति से बातें कर रहे हैं जिस पर कुछ असर ही नहीं होता । कुछ भावनाओं ने उनमें इतनी गहरी जड़ जमा रखी है कि शीर्ष बातें उन्हे महत्वहीन प्रतीत होती हैं । उनकी समझ में दूसरी या गौण बातों

पर जोर देना प्रमुख योजना पर से ध्यान बंटाना और उसे विकृत करना है। इसके विपरीत असली भुदे का सहारा लेने से सभी बातें आप से आप ठीक हो जाती हैं। यदि साधन ठीक हैं तो साध्य का ठीक होना अनिवार्य है।

मैं समझता हूँ कि उनकी विचारधारा को यही प्रधान पृष्ठभूमि है। वह समाजवाद—विशेष रूप से मार्क्सवाद—पर शंका भी करते हैं, क्योंकि उसका हिसासे साथ है। 'वर्गयुद्ध' शब्द में ही संघर्ष और हिसास की दुर्गम आत्मा है, इसलिए वह उनके लिए धृणास्पद है। इसके अलावा वह जनता के जीवन-मान को एक अत्यत साधारण क्षमता से आगे बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि उच्च जीवनमान और अद्वकाश से बासना तथा पाप की उत्पत्ति हो सकती है। कुछ थोड़े-से संपन्न लोगों का ही बासना में फसना काफी बुरा है, उनकी संख्या को बढ़ाना तो और भी बुरा होगा।

यह दृष्टिकोण समाजवादी या पूँजीवादी दृष्टिकोण से उतना ही भिन्न है जिनना किसी अन्य दृष्टिकोण से। हमारा यह कहना कि अगर विशेष हित बाले लोग हस्तक्षेप न करें तो हम आज विज्ञान और औद्योगिक कला की सहायता से सभी लोगों को अज्ञ, वस्त्र और शरण दे सकते हैं और उनका जीवन-मान बहुत ऊँचा सकते हैं, गांधीजी को अधिक नहीं रुचता, क्योंकि एक निविच्छित सीमा से आगे उन्हे इन बातों को चिता ही नहीं। इसलिए समाजवाद में विषे जाने बाले आश्वासन उन्हें आकर्षित नहीं करते और पूँजीवाद भी उन्हें केवल अंशतः सहय है, क्योंकि वह बुराई को एक स्थान में केन्द्रित कर देता है। वह दोनों प्रणालियों को नापसन्द करते हैं, किन्तु पूँजीवाद को इन दोनों में कम बुरा मानकर उसे अस्थायी रूप से सहन कर लेते हैं। वह एक ऐसी वस्तु है जो आज विद्यमान है और जिसकी विद्यमानता उन्हे स्वीकार करनी ही है।

हो सकता है कि गांधीजी पर इस प्रकार के मन्त्रमयों का आरोप करने में भूल कर रहा है, किन्तु मैं समझता हूँ कि वह निश्चय ही इसी ढंग से विचार करते

हैं और उनके भावणों में जो आत्मविरोध और भ्रमजाल हमें कष्ट देते हैं उनका असली कारण यह है कि वह एक बिलकुल ही भिन्न सूत्र से विचार करना आरंभ करते हैं। वह यह नहीं चाहते कि लोग सेवा बढ़ते हुए आराम को और फुर्सत को अपना आदर्श मान लें, बल्कि वह यह चाहते हैं कि लोग नैतिक जीवन की बातें सोचें, बुरी आदतें छोड़ें, अपने को बासनाओं में कम-से-कम फँसावें और इस प्रकार अपना वैयक्तिक तथा आत्मिक विकास करें। जो लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं उन्हें जनता को ऊपर उठाने की उत्तीर्णी आवश्यकता नहीं जितनी स्वयं अपने को। उनके स्तर तक उत्तारने और उनसे समान आशार पर मिलने-जुलने की। ऐसा करने में वे उन्हें अनायास थोड़ा-बहुत ऊपर उठा लेंगे। वही उनकी समझ में सच्चा जनतन्त्र है। उन्होंने १७ दिसंबर १९३४ को दिये गये अपने एक बक्सर्स्प्र में लिखा है—“बहुत-से लोगों ने मेरा विरोध करने में मायूसी प्रकट की है; मेरे लिए यह एक अपमानजनक जानकारी है, क्योंकि मैं जन्म से ही जनतन्त्रवादी हूँ।”

गांधीजी सदा सामन्तशाही राजाओं, बड़े जमींदारों और पूँजीपतियों की संरक्षकता पर जोर देते रहते हैं। ऐसा करने में वह पूर्ववर्ती धार्मिक व्यक्तियों का अनुकरण करते हैं। पोप ने कहा है—“धनिकों को चाहिए कि वे अपने को प्रभु के नौकर और साथ ही उसकी बौलत के अभिभावक तथा बितरणकर्ता समझें। इसा ने उन्हींके हाथोंमें गरीबों का भाग्य सौंपा है।” लोकप्रिय हिंदू-धर्म और इस्लाम भी इसी सिद्धांत को दुहराते हैं और धनिकों से बानी बनने की प्रार्थना करते हैं। घनी लोग इसके बदले में भंदिर, भस्त्रिय या धर्मशाला बनवा देते हैं या अपनी बहुल संपत्ति में से गरीबों को तांबे और चांदी के सिक्के दे देते हैं और इनके कारण अपने को बड़ा धर्मात्मा मानते हैं।

### गांधी जी का जीवन आधार

पर्ल बन्दरगाह और उसके बाद की आकस्मिक घटनाओं ने देश में एक नई ननातनी पैदा कर दी और एक नया दृश्य उपस्थित कर दिया। तनाव के इस नये वातावरण में काग्रेस कार्य समिति की फौरन बैठक बुलाई गई। उस समय तक जापानी बहुत ज्यादा नहीं बढ़े थे, किन्तु अनेक बड़ी-बड़ी और विस्मयकारी दुष्टिनाएं घट चुकी थीं। युद्ध अब दूर का दृश्य नहीं रह गया था और भारत की ओर बढ़ता हुआ उस पर भी गहरा प्रभाव डालने लगा था। इस सकटजनक स्थिति में कुछ सार्थक कार्य करने की आकाशका कांग्रेसियों में तीव्र हो उठी और नई परिस्थिति में जेल जाने की बात निरर्थक प्रतीत हुई। किन्तु जब तक किसी सम्मानपूर्ण सहयोग का रास्ता न खुलता और जनता को क्रियाशील बनने के लिए किसी निश्चित प्रेरणा का अनुभव न कराया जाता तब तक हम क्या कर सकते थे? केवल बढ़ते हुए सकट का नकारात्मक भय काफी नहीं था।

पहले जो कुछ भी हो चुका था उसके बावजूद हम युद्ध, विशेष रूप से भारत के रक्षा-कार्य, में योग देने को उत्सुक थे, बशर्ते कि एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाय जिसकी सहायता से हम देश के दूसरे तत्वों का सहयोग प्राप्त कर सकें और जनता को यह अनुभव करा सकें कि हमारा कार्य एक राष्ट्रीय कार्य है और हम पर हमें दास बनानेवालों द्वारा नहीं लादा गया है। इस व्यापक मसले पर कांग्रेसियों और अधिकाश दूसरे लोगों में भी मतभेद नहीं था, किन्तु एकाएक एक महत्वपूर्ण संदर्भात्मक भेद उठ खड़ा हुआ। बाहरी युद्ध के संबंध में भी गांधीजी अंहिसा के अपने बुनियादी सिद्धात को त्यागने को तेंयार नहीं थे। युद्ध की निकटता

उनके लिए एक चुनौती और उनके विद्वास के लिए एक कसौटी बन गई। इस अवसर पर असफल होने का अर्थ यह था कि या तो अंग्रेजों का सिद्धांत और कार्य-क्रम उसना व्यापक और आधारभूत नहीं था जिसना कि गांधीजी उसे समझते आये थे या उसका त्याग करने थे उसके साथ समझौता कर लेने में वह भूल करते थे। वह अपने संपूर्ण जीवन के उस विद्वास को नहीं त्याग सकते थे जिस पर कि उनका सारा कार्य आधारित था। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अंग्रेजों के आवश्यक परिणामों को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। \*

### यूरोप का युद्ध

इसी तरह की कठिनाई और संघर्ष पहली बार सन् १९३८ में स्थूनिक-संकट के समय उत्पन्न हुई थी, जब कि युद्ध सिर पर लड़ा था। उस समय में यूरोप में था और बादविवाद में भाग नहीं ले सका था। किन्तु संकट के हड्डने और युद्ध के स्वर्गित हो जाने से वह कठिनाई दूर हो गई थी। सितंबर १९३९ में जब युद्ध सचमुच छिड़ा तो ऐसा कोई सबाल नहीं उठा और न हमने उस पर विचार ही किया। किन्तु सन् १९४० की गर्मी के अतिम दिनों में महात्मा गांधी ने यह बात हमारे सामने किर से स्पष्ट कर दी कि वह हिसास्तक युद्ध में भागीदार नहीं जानेंगे और कांग्रेस द्वारा भी ऐसी ही प्रवृत्ति का अपनाया जाना स्वीकार करेंगे। सशस्त्र और हिसास्तक युद्ध में व्यावहारिक सहायता देने के अलावा वह नैतिक या और दूसरी हर तरह की सहायताएँ देने के लिए तैयार थे। वह चाहते थे कि कांग्रेस यह घोषणा कर दे कि वह स्वतन्त्र भारत के लिए भी अंग्रेजों के ही सिद्धांत का सर्वथन करती है। वह जानते थे कि देश में—यहां तक कि कांग्रेस में भी—ऐसे तस्वीर हैं जिनका अंग्रेजों पर विश्वास नहीं। उन्हें इस बात का भय था कि सभव है, रक्षात्मक प्रश्नों के उठने पर स्वतन्त्र भारत की सरकार अंग्रेजों के सिद्धांत को त्याग दे और सैनिक, समुद्री तथा हवाई शक्ति को वृद्धि करे। किर भी वह चाहते थे कि यदि संभव हो तो कांग्रेस

कम-से-कम अंहिंसा की पताका को ऊंचा उठाये रखे और जनता को शांतिपूर्वक प्रगाली से सोचने तथा कार्य करने की शिक्षा दे । भारत का सेनीकरण होते देखना उन्हे भयावह प्रतीत होता था । वह स्वप्न देखा करते थे कि भारत अंहिंसा का प्रतीक और दृष्टांत बनेगा और अपने आदर्श से दूसरे देशों को भी युद्ध तथा हिंसात्मक कार्यों से मुक्त रखेगा । इसलिए वह चाहते थे कि अगर समस्त भारत ने उनके इस निदांत को स्वीकार नहीं भी किया है तब भी परीक्षा का समय आने पर कांग्रेस को उसका परित्याग नहीं करना चाहिए ।

जहा तक मुझे पता है, सेना या पुलिस के संबंध में अंहिंसा के प्रश्न पर कभी विचार नहीं किया गया था । यह एक मानी हुई बात थी कि अंहिंसा का प्रयोग हमारे स्वतन्त्रता-संप्राप्ति तक ही सीमित था । यह सत्य है कि कई रोतियों से अंहिंसा ने हमारी विचारशक्ति पर बड़ा प्रबल प्रभाव डाला था और कांग्रेस को विश्व के निश्चास्त्रीकरण का तथा सभी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थक बना दिया था ।

जिन दिनों प्रांतों में कांग्रेसी सरकारें थीं, कई प्रातीय सरकारें विश्वविद्यालयों और कालेजों में किसी-न-किसी रूप में सैनिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तुक थीं, किन्तु केवलीय सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया और रास्ते में रोडे अटका दिये ।

### कम बुराई

निस्संदेह गांधीजी को ये प्रबृत्तियां मान्य नहीं थीं, किन्तु उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया । वह तो दंगों को दबाने तक के लिए पुलिस का सशस्त्र प्रयोग प्रसन्न नहीं करते थे और ऐसी घटना घटने पर दुःख प्रकट किया करते थे । किन्तु वह उसे एक न्यूनतर बुराई समझकर सह लेते थे और आशा करते थे कि कमज़ा: उनके उपदेश भारतीय जनता के मस्तिष्क में जड़ जमा लेंगे । कांग्रेस की इन प्रबृत्तियों को नाप्रसन्द करने के कारण ही वह सन् १९३४ के आसपास कांग्रेस की साधारण

सदस्यता से भी हट गये, यद्यपि उसके पश्चात भी वह कांग्रेस के असंविष्ट नेता और सलाहकार बने रहे। हमारे लिए यह एक नियम-बिश्व है और असंतोषजनक स्थिति थी, लेकिन जहाँ तक गांधीजी का सवाल है उन्हें जायद यह अनुभूति होती थी कि कांग्रेस के सदस्य न रहने के कारण उन पर कांग्रेस द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले उन विभिन्न निर्णयों का, जो उनके सिद्धांतों और विश्वासों से पूरी तरह मेल नहीं खाते थे, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं रह गया। उनमें सदा एक राजनीतिक संघर्ष चलता रहा है और हमारी राष्ट्रीय राजनीति में भी नेता गांधी और मनुष्य गांधी में, जो भारत ही नहीं बल्कि समस्त मानव-जाति और सारे संसार के लिए दोनों संवेदन लेकर अवलित हुआ है, निरन्तर संघर्ष होता रहा है। इस सिद्धांत को स्वीकार करना आसान नहीं कि जीवन—विशेष रूप से राजनीतिक जीवन—की संकटकालीन आवश्यकताओं और तात्कालिक बांछनीयताओं के अवसर पर भी सत्य का कट्टरता के साथ पालन किया जा सकता है। साधारण रूप से सो लोग इसकी चिंता ही नहीं करते। यदि वे सत्य को अपने जीवन में कोई स्थान देते भी हैं तो उसे मस्तिष्क के किसी कोने में पड़े रहने देते हैं और तात्कालिक बांछनीयता को ही कार्य का आधार मानते हैं। राजनीति में सर्वत्र यही नियम रहा है। इसका एकमात्र कारण यही नहीं है कि राजनीतिक दुर्भाग्यवश एक विचित्र ढंग के अवसरवादी होते हैं, बल्कि यह भी कि वे शुद्ध वैयक्तिक धरातल पर कार्य नहीं कर सकते। उन्हे दूसरों से काम करना पड़ता है और इसलिए दूसरों की कमियों का ध्वन रखना पड़ता है और यह भी देखना पड़ता है कि वे सत्य को कहाँ तक समझ और प्रहृण कर सकते हैं। इसके कारण उन्हें सत्य के साथ समझौता करना पड़ता है और उसे तात्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ता है। यह किया अनिवार्य हो जाती है, फिर भी इसके साथ खतरे लगे रहते हैं। सत्य की अद्वेलना और परिवार्य की प्रवृत्ति वह जाती है और तात्कालिक बांछनीयता कार्य की एकमात्र क्षमता बन जाती है।

यद्यपि गांधीजी कुछ सिद्धांतों पर चट्टान की तरह अटल रहते हैं, तथापि उन्होंने अपने को दूसरे व्यक्तियों और परिवर्तनशील परिस्थियों के अनुकूल बनाने की अपूर्व क्षमता प्रदर्शित की है। वह दूसरों—विशेष रूपसे जनसाधारण—को शक्ति और निर्बलता का ध्यान रखते हैं और यह भी देखते हैं कि उनमें सत्य के अनुसार कार्य करने की किसी सामर्थ्य है। लेकिन समय-समय पर वह सचेत हो उठते हैं मानो उन्हें इस बात का भय हो गया हो कि उन्होंने लोगों के साथ आवश्यकता से अधिक समझौता कर लिया है और तब वह फिर से अपने सिद्धांतों पर बृद्ध हो जाते हैं। कार्य करते समय वह जनता की विचारधारा से सहमत प्रतीत होते हैं, उसकी सामर्थ्य का ध्यान रखते हैं और इसीलिए कुछ सीमा तक अपने को उसके अनुकूल बना लेते हैं। किन्तु कभी-कभी वह अधिक सैद्धांतिक बन जाते हैं और उनकी अपने को दूसरों के अनुकूल बनाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। यही अन्तर उनके कामों और लेखों में दिखाई देता है। इससे खुद उनके अनुयायी भ्रम में पड़ जाते हैं और जो लोग भारत की पृष्ठभूमि को नहीं जानते उनको तो बात ही क्या !

एक अकेला आदमी जनसाधारण के सिद्धांतों और विचारों पर कहां तक प्रभाव डाल सकता है, यह कहना कठिन है। इतिहास में कुछ लोग ऐसे हुए हैं, जिन्होंने जनता पर बड़ा जबरवस्त प्रभाव डाला है; किन्तु संभवतः उन्होंने उन्हीं बातों पर जोर दिया हैं और उन्हीं तथ्यों का विवरण कराया है जो कि जनता के मस्तिष्क में पहुँचे से हो थे, या उन्होंने अपने ही युग के अनिश्चित विचारों की स्पष्ट व्याख्या की है। वर्तमान युग की भारतीय विचारधारा पर गांधीजी का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। आगे वह कब तक और किस रूप में रहेगा, यह तो भविष्य ही बता सकता है। उनका प्रभाव उन लोगों तक ही सीमित नहीं है जो उनसे सहमत हैं या उन्हे राष्ट्रीय नेता स्वीकार करते हैं। उनका प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ता है जो उनसे असहमत होते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। भारत में ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति

हैं जो गांधीजी के अहिंसा के सिद्धांत या उनके आर्थिक मतों को पूरी तरह से भानसे हों, किर भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जिन पर इन सिद्धांतों और मतों का कुछ-न-कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा है। साधारणतः आर्थिक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि उन्होंने राजनीतिक और दैनिक जीवन की समस्याओं के नैतिक समाधान पर जोर दिया है। आर्थिक पृष्ठभूमि का प्रभाव तो उन्हीं पर पड़ा है जिनकी उधर प्रवृत्ति थी, किन्तु नैतिक दृष्टिकोण ने दूसरों को भी प्रभावित किया है। कितने ही लोगों के नैतिक और सदाचार संबंधी कार्यों का स्तर ऊँचा उठ गया है और उनसे भी अधिक लोगों को कम-से-कम नीति और सदाचार के दृष्टिकोण से सोचने पर विवश होना पड़ा है और यह भानना पड़ा है कि विचार का कार्यों और व्यवहारों पर कुछ-न-कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। राजनीति अब केवल समयानुकूलता और अवसरावादिता नहीं रह गई है, जैसी कि वह साधारणतः सभी जगह रही है; बल्कि अब सोचने और कार्य करने से पहले लगातार एक नैतिक मध्यवर्द्ध चलता रहता है। तात्कालिक बांधनोयता की उपेक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात् जो बात तत्काल संभव और उचित प्रतीत होती है, उसे आंखों से ओझल नहीं किया जा सकता। फिर भी दूसरे कारणों से और दूरवर्ती परिणामों के फल-स्वरूप उसकी उप्रता कम हो जाती है।

इन विभिन्न दिशाओं में गांधीजी का प्रभाव सारे भारत में फैल गया है और अपनी छाप छोड़ गया है। किन्तु उनके भारत के सर्वप्रमुख और सर्वोच्च नेता बनने का कारण उनका अहिंसात्मक या आर्थिक सिद्धांत नहीं है। भारत की बहुसंख्यक जनता के लिए वह उस भारत के प्रतीक है जिसने स्वतन्त्र होने का बृहद् संकल्प कर रखा है। उसकी नजरों में वह युद्ध के लिए तत्पर राष्ट्रीयता के, अहंकार पूर्ण-बल के समक्ष सिर न झुकाने की बृहद् प्रतिज्ञा के और राष्ट्रीय अपनान की किसी घटना को स्वीकार न करने के निश्चय के प्रतीक है। भारत के जनकानेक लोग उनसे संकड़ों बातों पर असहमत क्यों न हों, वे उनकी आलोचना क्यों न करते

हों और कुछ भसलों पर उनसे पृथक् भी क्यों न हो जाते हों, भारत की स्वतन्त्रता की बाजी लग जाने पर कार्य और संघर्ष के समय सब लोग फिर से उन्हें घेर लेते हैं और उनकी ओर अपने अनिवार्य नेता के रूप में निहारते हैं।

### अंहिंसा का प्रश्न

सन् १९४० में जब गांधीजी ने युद्ध और स्वतन्त्र भारत के भवित्व के संबंध में अंहिंसा का प्रश्न उठाया तो कांग्रेस कार्यसमिति ने उसका पूरी तरह से सामना किया। समिति के सदस्यों ने साफ-साफ कह दिया कि जितनी दूर आप हमें ले जाना चाहते हैं उतनी दूर जाने में हम समर्थ नहीं और न हम विदेशी मामलों में अंहिंसा के प्रयोग के लिए देश या कांग्रेस को बचनबढ़ ही कर सकते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि इस प्रश्न पर गांधीजी और कार्य समिति में एक निश्चित और स्पष्ट फूट पड़ गई। दो महीने बाद फिर से विचार-विनियम करने पर एक सर्व-सम्मत युक्ति निकली जिसे बाद में कांग्रेस महासमिति ने अपने एक प्रस्ताव का अंग बना लिया। यह युक्ति गांधीजी की प्रवृत्ति का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। वह तो केवल उस बात का प्रतिनिधित्व करती है जिसका उन्होंने इस संघर्ष में कांग्रेस द्वारा कहा जाना बड़ी अनिच्छा के साथ स्वीकार कर लिया था। उस समय तक डिटिश सरकार कांग्रेस के उस प्रस्ताव को ठुकरा चुकी थी जिसमें उसने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के आधार पर युद्ध-प्रयत्न में भाग लेने की तपतरता घक्त की थी। किसी-न-किसी तरह का संघर्ष होने बाला था जैसा कि स्वाभाविक था, गांधीजी और कांग्रेस ने एक-दूसरे की तरफ देखा और उनमें आपसी गतिरोध को दूर करने की आकांक्षा उत्पन्न हुई। जो युक्ति सर्वसम्मति से स्वीकार की गई थी उसमें युद्ध का उल्लेख नहीं था; क्योंकि तभी-तभी कांग्रेस का सहयोग प्रस्ताव असम्मान के साथ और पूरी तरह से ठुकरा दिया गया था। उसमें संद्वातिक रूप में अंहिंसा के संबंध में कांग्रेस-नीति का उल्लेख किया गया था और पहिली बार बताया

यथा या कि किस प्रकार कांग्रेस की रथ में स्वतन्त्र भारत को अपने विदेशी संघर्षों में अंहिंसा का प्रयोग करना चाहिए । प्रस्ताव का वह भाव इस प्रकार था—

“न केवल स्वराज्य के संघर्ष के लिए बहिक जहाँ तक व्यमल में आ सकने की संभावना हो, स्वतन्त्र भारत के लिए भी कांग्रेस नाहसविति अंहिंसा की ही नीति और अपवाहार में दृढ़ विद्वास करती है । समिति को इस बात का विद्वास है, और हाल की अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रदर्शित कर दिया है कि यदि संसार अपने को विनष्ट करना नहीं चाहता और फिर से पाश्चात्यकाम की ओर नहीं जाना चाहता तो पूर्ण निश्चास्त्रीकरण और एक नई तथा अधिक व्याप्तपूर्ण राजनीतिक व आर्थिक अवस्था की स्थापना आवश्यक है । इसलिए स्वतन्त्र भारत अपना सारा जोर निश्चास्त्रीकरण के पक्ष में लगायेगा और इस दिशा में उसे संसार का स्वयं नेतृत्व करने के लिए तंयार रहना चाहिए । निश्चय ही यह नेतृत्व देश की आन्तरिक अवस्था और बाहरी तस्वीरों पर निर्भर होगा, किन्तु राज्य निश्चास्त्रीकरण की इस नीति को क्रियात्मक रूप देने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा । सफल निश्चास्त्रीकरण के लिए और राष्ट्रीय युद्धों का अन्त करके विद्वान्नाति की स्थापना करने के लिए युद्ध और राष्ट्रीय संघर्षों का दूर किया जाना आवश्यक है । एक देश पर दूसरे देश के प्रभुत्व और एक जाति या दल द्वारा दूसरी जाति या वल के घोषण का अन्त करके इन कारणों को निर्मूल कर देना चाहिए । इस उद्देश्य की दृति के लिए भारत शांतिपूर्वक प्रयत्न करेगा और इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर भारतीय जनता एक स्वतन्त्र राष्ट्र का अस्तित्व प्राप्त करना चाहती है । यह स्वतन्त्रता विद्वान्नाति और विद्व-उन्नति के लिए दूसरे स्वतन्त्र देशों के साथ निकट संपर्क की भूमिका होगी ।”

आप देखेंगे कि इस घोषणा में जहाँ एक और शांतिपूर्ण कार्य और निश्चास्त्रीकरण के लिए कांग्रेस की लाकारका का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया गया है वहाँ दूसरी ओर कितने ही जातियों पर भी जोर डाला गया है ।

### दूसरी फूट

कांग्रेस का भीतरी संकट सन् १९४० में दूर हो गया और उसके बाद जो साल आया उसमें कांग्रेसियों की घड़ाघड़ गिरफतारियाँ हुईं। किन्तु जब विसंवर, १९४१ में गांधीजी ने पूर्ण अंहिंसा का आग्रह किया तो फिर वही संकट उत्पन्न हो गया। एक बार किर लोगों में फूट और मतभेद उत्पन्न हो गया और कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तथा किसने ही दूसरे लोगों ने गांधीजी के दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की। स्पष्ट या कि इस मामले में कांग्रेस सामूहिक रूप में गांधीजी से असहमत थी। उसमें गांधीजी के कुछ कहूर अनुयायी भी शामिल थे। परिस्थितियों और तीव्र वेग से घटनेवाली नाटकीय घटनाओं ने हम सब पर—यहाँ तक कि गांधीजी पर भी—प्रभाव डाला और यद्यपि उन्होंने कांग्रेस के मंत्र को स्वीकार नहीं किया तथापि उससे अपनी बात मनवाने का आग्रह छोड़ दिया।

इसके बाद गांधीजी ने इस प्रश्न को कांग्रेस में करनी नहीं उठाया। बाद में जब सर स्टैफ़र्ड क्रिस अपने प्रस्ताव लेकर भारत आये तो अंहिंसा का कोई सवाल ही नहीं था। उनके प्रस्तावों पर शुद्ध राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार किया गया। इसके बाद के अन्हींनो में—अभस्त, १९४२ तक—गांधीजी देशप्रेम और स्वतन्त्रता की उत्कट अभिलाषा से प्रेरित होकर कांग्रेस के युद्ध में शामिल होने तक के लिए तैयार हो गए, जिसने कि भारत स्वतन्त्र बना दिया जाय। उनके लिए यह एक अद्भुत और आश्चर्यजनक परिवर्तन था, जिसके कारण उनके मस्तिष्क और उनकी आत्मा दोनों को पीड़ा हुई। उनकी अन्तरालमा में अंहिंसा के सिद्धांत और भारत की स्वतन्त्रता के बीच जो सर्वथं चल रहा था उसमें स्वतन्त्रता का पक्ष भारी रहा। अंहिंसा उनकी जीवनी-जक्षित थी, उनके जीवन-न्यायन का अर्थ थी और स्वतन्त्रता उनकी सबसे बड़ी, सबसे उत्कट आकांक्षा थी। किन्तु स्वतन्त्रता की ओर अधिक झुकाव का यह अर्थ नहीं था कि अंहिंसा में उनका विश्वास कम हो गया था।

हो, इसका यह अर्थ अवश्य या कि वह इस बात के लिए तेवार हो गये थे कि युद्ध में कांग्रेस अंगिहसा का प्रयोग न करे। ध्यावहारिक राजनीतिश ने दुड़-प्रतिश देवदूत पर विचार पाई।

### युद्ध भारत के निकटतर

बुद्ध के भारत के निकट आ जाने से गांधीजी बड़े विचलित हुए। इस नई स्थिति के साथ अंगिहसा की नीति और कार्यक्रम का मेल मिलाना आसान नहीं था। आक्रमण के लिए आती दुई किसी सेना के सम्मने या दो विरोधी सेनाओं के बीच सविनय अवश्य का कोई सवाल ही क्या हो सकता था? चूप ढंठे रहना या आक्रमण के स्वीकार करने का भी कोई प्रहन नहीं था। तो किर क्या किया जाय? ऐसे अवसर के लिए कांग्रेस और गांधीजी के अपने साधियों ने भी अंगिहसा को अस्वीकार कर दिया था और उसे आक्रमण के सशत्र विरोध का विकल्प नहीं माना था। स्वयं गांधीजी ने भी इतना तो मान लिया था कि इन्हें ऐसा करने का अधिकार है। फिर भी वह दुःखी थे और अविकल रूप से किसी हिंसात्मक कार्यक्रम में जाग नहीं ले सकते थे। किंतु वह एक अविक्षित से कहीं अधिक थे। राष्ट्रीय अद्वैलन में उन्हें किसी अधिकारी का पद प्राप्त रहा हो या न रहा हो, उनसे उनका स्थान निश्चय हो अद्वितीय और सर्वप्रमुख था और उनके बचनों का बहुत बड़ी जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता था।

भारत को—विजेषतः भारत के जनसाधारण को—जितना गांधीजी जानते थे उतना जायद ही किसी ने जाना हो या जानता हो। उन्होंने न केवल भारत के कोने-कोने की यात्रा की थी और वह न केवल लालों के संपर्क में आये थे, बल्कि उनमें कोई और भी ऐसी बस्तु थी जिसने उन्हें जनसाधारण के भावपूर्ण संपर्क में जाने के समर्थ बनाया था। वह अपने को जनता में विलीन कर सकते थे और उसके ही समान अनुभव भी कर सकते थे और चूंकि जनता इससे अनभिज्ञ नहीं थी इसलिए वह उनके प्रति अद्वा और अविक्षित विश्वासी थी। किर भी उनके भारत

संबंधी विचार कुछ सीमा तक उनके उस दृष्टिकोण के रंग में रंगे हुए थे जो उन्होंने गुजरात में अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में बना लिये थे। गुजराती जातिप्रिय व्यापारी और सौदागर थे और उन पर जैन धर्मके अहिंसा के सिद्धांत का प्रभाव था। भारत के दूसरे भागों पर इस सिद्धांत का बहुत कम असर पड़ा था और कुछ पर तो बिलकुल ही नहीं। दूर-दूर तक फैली हुई योद्धा क्रिय जाति ने इस सिद्धांत को युद्ध या जंगलों जानवरों के विकार के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करने दिया था। दूसरों जातियां, जिनमें ब्राह्मण भी शामिल थे, इससे बहुत ही कम प्रभावित हुई थीं। किंतु भारतीय विचारधारा और इतिहास के विकास के संबंध में गांधीजी के विचार स्वतन्त्र और अनेक सूत्रों पर आधारित थे। उन्हें इस बात का विश्वास था कि अहिंसा ही इस विकास का आधारभूत सिद्धांत थी, यद्यपि कितनी ही बार उसका अतिक्रमण अवश्य हुआ था। यह दृष्टिकोण एक दूरबर्ती दृष्टि कोण था और कितने ही भारतीय विचारक तथा इतिहासकार इससे सहमत नहीं थे। इसका मानव-जीवन की वर्तमान अवस्था में अहिंसा की उपयोगिता से कोई संबंध नहीं था, फिर भी इससे गांधीजी के चितन की ऐतिहासिक प्रवृत्ति का पता लगता था।

भूयोल का अब भी महत्व है और भविष्य में भी रहेगा, किंतु अब दूसरे तस्वीरों की उससे भी अधिक महत्ता हो गई है। पर्वत और समुद्र अब बाधक नहीं रह गये हैं, किंतु वे अब भी मनुष्य के चरित्र और देश को राजनीतिक तथा अर्थिक स्थिति को क्रपरेश्वा निर्णायित करते हैं। विभाजन, पूर्वकरण या विलय की नई योजनाओं पर विचार करते समय इनको अवहेलना नहीं की जा सकती, सिवा उस अवस्था में जब ये योजनाएं किसी विश्वव्यापी आधार पर बनाई गई हों।

गांधीजी का भारत और भारतीय जनता का ज्ञान बड़ा गहरा है। यद्यपि उन्हें इतिहास में इतनों कहचिनहीं हैं और यद्यपि उनमें उस ऐतिहासिक घटनाएँ का अभाव है जो कुछ सोगों में होती हैं तथापि वह भारतीय जनता के ऐतिहा-

तिक उद्गमों के प्रति पूर्वतः सचेत हैं और उन्हें उनकी निकट जामकारी भी है। सामयिक घटनाओं का उन्हें अच्छा ज्ञान है और उनका वह सावधानी के साथ अनुशोलन करते हैं, यद्यपि अनिवार्य रूप से अपना ध्यान आजकल की भारतीय समस्याओं पर ही केन्द्रित रख कर निस्तार बातों को छोड़ किसी समस्या या स्थिति के सार को समझ लेने की उनमें अपूर्व कमता है। वह सभी चीजों को उनके नैतिक पहलू से जांचते हैं, इसलिए उन्हें ये चीजें विस्तृत रूप में विज्ञाई हैं जातीं हैं और वह उन्हें निश्चयपूर्वक राहण कर लेते हैं। बरनार्ड शा ने कहा है कि यांवीजो ने युक्ति संबंधी चाहे कितनी भी भूलें की हों, उनको आधार भूत युद्ध-नीति अब भी ठोक ही होती है। किंतु अधिकांश लोग दूर की बातें नहीं सोचते। वे उपस्थित क्षण से कुशलतापूर्वक लाभ उठाने में ही ज्यादा विलक्षणी लेते हैं।

### आजादी की पुकार

भारत में कुछ ऐसे लोग भी थे जो युद्ध को विभिन्न युद्धरत देशों के राजनी-तिजों की लघु महत्वाकांक्षाओं से कहीं बड़ा और व्यापक समझते थे। वे उसकी कांतिकारी महत्ता का अनुभव करते थे और इस बात को समझते थे कि युद्ध और उसके परिणाम इस संसार की अंततः सेनिक विजयों और राजनीतिज्ञों के समझौतों व कथनों से कहीं आगे ले जायेंगे। किंतु निश्चय ही ऐसे आदमियों की सत्या बहुत कम थी और जैसा कि दूसरे देशों में भी होता है, अधिकांश लोग इस प्रश्न पर सकीर दृष्टिकोण से विचार करते थे (जिस वे यथार्थवादी दृष्टिकोण कहते थे) और केवल वर्तमान को दृष्टि में रखकर काम करते थे। अवसरवादी प्रवृत्ति के कुछ लोगों ने अपने को विट्ठ नीति के अनुकूल बना लिया, जैसा कि वे किसी भी दूसरे अधिकारी या नीति के साथ करते। कुछ लोगों में इस नीति के विवर प्रबल प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने अनुभव किया कि ऐसी नीति के आगे सिर झुकना भारत ही नहीं, बल्कि समस्त संसार के हित के

साथ धोखा करना है। अधिकांश लोग निश्चेष्ट, निषिक्षय और मौत पड़े रहे। ये ही भारतीय जनता की वे पुरानी कमियाँ थीं जिनके बिल्ड हम इतने दिनों से लड़ते आ रहे थे।

जब कि भारतवासियों के मस्तिष्क में यह संघर्ष चल रहा था और निराशर की भावना बढ़ती जा रही थी, गांधीजी ने कई लेख लिखे जिनसे लोगों की विचारधारा को एकाएक नई दिशा मिली या, जैसा कि अक्सर होता है, इन लेखों से उनके अनिश्चित विचारों को एक निश्चित रूप मिला। उस संकटजनक स्थिति में निषिक्षय रहना या जो कुछ भी हो रहा था उसके आगे सिर झुकाना गांधीजी को असह्य हो गया था। उस स्थिति का सामना करने का एकमात्र उपाय यह था कि भारत की स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली जाय और मित्र राष्ट्रों के सहयोग से आक्रमण और युद्ध का मुकाबला किया जाय। इस स्वीकृति के न मिलने पर प्रचलित प्रणाली को चुनौती देने और जिस तन्द्रा में पड़कर जनता अशक्त व हर तरह से आक्रमण का आसान शिकार बन गई थी उससे उसे उठाने के लिए कुछ-न-कुछ करना जरूरी था।

यह माय कोई नहीं थी, क्योंकि इसमें वे ही बातें दुहराई गई थीं जो हम सदा से कहते आये थे। किन्तु गांधीजी के भाषणों और लेखों में एक नई प्रेरणा और एक नया आधार था और या कार्य करने की ओर इशारा। उस समय वह जो कह या लिख रहे थे वही निस्सदेह सारे भारत की भावना थी। राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता के संघर्ष में विजय राष्ट्रीयता की हुई थी और गांधीजी के नये लेखों ने सारे भारत में हलचल मचा दी। फिर भी वह राष्ट्रीयता कभी अन्तर्राष्ट्रीयता के बिल्ड नहीं रही और सच प्रृथिव्ये तो अपने में और अन्तर्राष्ट्रीयता में किसी प्रकार मेल-मिलाप का रास्ता ढूँढ़ने का अधिक-से-अधिक प्रयत्न कर रही थी, बश्ते कि उसे यह काम सम्मानपूर्वक और कारगर तरीके से करने का अवसर दिया जाता। दोनों में कोई आवश्यक अंतर नहीं था, क्योंकि यूरोप की राष्ट्रीयताओं की तरह उसका

ध्येय दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि समाज हित के लिए सहयोग करना था। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता सच्ची अन्तर्राष्ट्रीयता का आकृत्यक आधार थानी जाती थी और इसलिए वह अन्तर्राष्ट्रीयता तक पहुंचने का मार्ग तथा फासिस्ट-वाद व नास्तीबाद के विरुद्ध समाज संघर्ष में सहयोग देने की दास्तिक नींव समझी जाती थी। इबर जिस अन्तर्राष्ट्रीयता की इतनी चर्चा थी वह सामाजिकवादियों को पुरानी नीति की भाँति एक नये भेष में (बहुत ज्यादा नये नहीं) संविधान दिलाई देने लगी थी। सच पूछिये तो वह स्वयं आक्रमणकारी राष्ट्रीयता थी, जो सामाजिक या राष्ट्रसमूह या शासनादिष्ट प्रदेश के नाम में दूसरों पर अपनी तत्त्व लाव रही थी।

### अन्तर्राष्ट्रीय विचार .

इस नई स्थिति से हममें से कुछ लोग चिंतित और विचलित हुए, क्योंकि काम जब तक कारणर न हो तब तक उसका होना न होना बराबर था; और जो काम कारणर होता उसका—एक ऐसे समय में जब स्वयं भारत पर आक्रमण का सतरा था—युद्ध-प्रयत्न में बाधक होना अनिवार्य था। गांधीजी की विचारधारा में भी महस्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय तस्वीरों की अवहेलनाकी गई दिलाई देती थी और वह राष्ट्रीयता के संकीण दृष्टिकोण पर आधारित मानूम होती थी। युद्ध के पिछले तीन साल में हमने जानबूझकर तंग न करने की नीति का अनुसरण किया था और अगर वैसा कुछ किया भी था तो केवल सांकेतिक विरोध के रूप में। सन् १९४०-४१ में जब हमारे देश के ३० हजार प्रमुख स्त्री-युरुष जेली में ठूस दिये गये तो इस सांकेतिक विरोध ने विशाल रूप धारण कर लिया। यह जेल-यात्रा भी कुछ चुने हुए व्यक्तियों ने ही की। सामूहिक हलचलें और सरकारी दण्डस्था में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने की चेष्टा नहीं की गई। हम इन बातों को दुहरा नहीं सकते थे और इनके अलावा जो कुछ भी करते उसका लिख हुंग का और अधिक कारणर होना अनिवार्य था। क्या इससे भारत के सीमांत पर होने वाले युद्ध में बाधा नहीं

वडती और दुष्मन को प्रोत्साहन नहीं मिलता ?

हमारे सामने ये स्पष्ट कठिनाइयां थीं और उनपर हमने गांधीजी के साथ विस्तारपूर्वक विचार-विनिमय किया, किन्तु न हम उन्हें अपने मत के अनुकूल बना सके, न वह हमें अपने मत की ओर लौंच सके। कठिनाइयां बनी रहीं और हम कुछ करते या न करते हमें हर स्थिति में संकट दिखाई दे रहा था। अतः हमें उनका सतुलन करना और उनमें से कम बुरे मार्ग को अपनाना था। हमारे पारस्परिक विचार-विनिमय से बहुत-सी बातें, जो पहले अनिश्चित और अंशली थीं, स्पष्ट हो गईं और जिन अन्तर्राष्ट्रीय तस्वीरों की ओर गांधीजी का ध्यान आकर्षित किया गया उनमें से अनेक को उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने जो कुछ लिखा उसमें परिवर्तन दिखाई दिया। उन्होंने स्वयं इन अन्तर्राष्ट्रीय तस्वीरों पर जोर दिया और भारत की समस्या पर एक अधिक विस्तृत दृष्टिकोण से विचार किया। फिर भी उनकी बुनियादी प्रकृति बदलो नहीं। अंग्रेजों की स्वेच्छाभारी और दमन-कारी नीति के सामने निश्चेष्ट भाव से आत्मसमर्पण करने की भावना का विरोध करने तथा उसे चुनौती देने के लिए कुछ करने की उनकी उत्कृष्ट अभिलाषा बनी रही। उनका कहना था कि इस समय घुटने टेकने का अर्थ यह होगा कि भारत का आत्मिक बल टूट जायगा और युद्ध चाहे कोई भी रूप धारण करे और उसका चाहे कुछ भी अन्त हो, लोग दासों जैसा व्यवहार करने लगेंगे और स्वतन्त्रता बहुत समय तक अलभ्य हो जायगी। इसका एक अर्थ यह भी होगा कि आक्रमणकारी के सामने तिर झुकाना पड़ेगा और अस्थायी रूप से उसकी संनिक हार होने या उसके पीछे हटने पर भी हम विरोध जारी नहीं रख सकेंगे। इसका अर्थ जनता का पूर्ण नैतिक पतन और उसके उस बल का ह्रास होगा जो उसने एक-बार्थाई सभी तक लगातार स्वतन्त्रता-संग्राम लड़ते रहने के बाद अंजित किया है। इसका यह भी अर्थ होगा कि बुनिया भारत की आजादी की मार्ग को भूल जायगी और युद्ध के बाद जो समझौता होगा वह पुरानी साम्राज्यवादी प्रेरणाओं और महस्वाकांक्षाओं से प्रभावित

होया। बूँकि गांधीजी की भारत को स्वतन्त्र देसने की अभिलाषा बड़ी उत्कृष्ट थी इसलिए भारत उनके लिए केवल एक प्रिय मातृ-भूमि ही नहीं था; वह संसार के सभी उपनिवेश-निवासियों और पदवलितों का प्रतोक था और यो वह कसीटी जिस पर कसकर हो किसी भी विश्वनीति की ओच की जा सकती थी। यदि भारत परतन्त्र रहता तो दूसरे उपनिवेश और दास राष्ट्र भी गुलामी की अपनी वर्तमान अवस्था में पड़े रहते और युद्ध निरर्थक सिद्ध होता। युद्ध के नैतिक आधार को बदलना आवश्यक था। यह संभव था कि जल, घल और आकाश-सेनाएं अपने-अपने झेत्र में कार्य करती हुई अधिक श्रेष्ठ हिंसात्मक व्युक्तियों का प्रयोग कर विजयी बनतीं, लेकिन आखिर उनको इस विजय का उद्देश्य क्या था? और सशस्त्र युद्ध के लिए भी तो नैतिक समर्थन की आवश्यकता है। क्या नैयोलियन ने यह नहीं कहा था कि 'युद्ध में नैतिक शक्ति और शारीरिक शक्ति का वही अनुपात है जो तीन और एक का?' संसार भर के जो करोड़ों गुलाम और शोषित नर-नारी वह समझते थे कि यह युद्ध वस्तुतः उनकी आजादी के लिए लड़ा जा रहा है, उनका नैतिक विश्वास युद्ध के संकीर्णतर दृष्टिकोण से भी बड़े महसूब का था। अनेकालों शांति के लिए तो उसका अधिक महत्वपूर्ण होना स्वाभाविक था ही। युद्ध के अंत का अनिविच्छिन्न हो जाना ही एक ऐसी घटना थी जिसके कारण दृष्टिकोण और नीति में परिवर्तन आवश्यक हो गया था और जो लाखों व्यक्ति उसकी ओर से उदासीन और सशंक हो गये थे उनमें उत्साह भरकर युद्ध का समर्थक बनाना जल्दी था। अगर यह जाहू बल सकता तो धुरी राष्ट्रों की सारी संनिक शक्ति निरर्थक हो जाती और उनका पतन निश्चित हो जाता। इतना ही नहीं, बल्कि धुरी राष्ट्रों में से ही बहुतों की जनता इस विश्वव्यापी शक्तिशाली भावना से अनुग्रामित हो उठती।

### आक्रमणकारी का विरोध

भारत में जनता की उदासीन निश्चेष्टता को विरोध और आत्म समर्पण न करने की भावना में परिवर्तित करना ही ज्यादा अच्छा था। यद्यपि आरंभ में

आत्मसमर्पण न करने की इस भावना का लक्ष्य डिटिश अधिकारियों के स्वेच्छा-चारितापूर्ण आवेदन ही होते, तथापि बाह में उसका प्रयोग आक्रमणकारी के विरोध में किया जा सकता था। किसी एक के सामने सिर झुकाने और गुलामी स्वीकार करने का परिणाम यह होता कि दूसरों के सामने भी ऐसा ही करना पड़ता और इस प्रकार अपना अपमान और पतन होता।

हम इस प्रकार के सभी तर्कों से परिचित थे। हम उनमें विवास करते थे और स्वयं हमने उनका अक्षर प्रयोग भी किया था। किन्तु दुःख की बात यह थी कि डिटिश सरकार की नीति ने इस जादू को पूरा होने से रोक दिया था और भारतीय समस्या को अस्थायी रूप से युद्धकाल तक के लिए भी सुलभाने की हमारी सारी चेष्टाएं असफल हो चुकी थीं और बराबर कहने पर भी डिटिश सरकार ने अपने युद्ध उद्देश्यों की घोषणा नहीं की थी। यह निश्चित था कि आगे भी हम इस प्रकार के जो प्रयत्न करेंगे वे निष्कल रहेंगे। तो फिर क्या करना था? अगर हमारे आंदोलन को संघर्ष का रूप लेना था तो नेतिक और दूसरी दृष्टियों से वह चाहे कितना ही उचित क्यों न होता इसमें संबंध नहीं था कि ऐसे समय में जब कि भारत पर आक्रमण का काफी खतरा था उस संघर्ष से भारत के युद्ध-प्रयत्न में काफी हस्तक्षेप होता। हम लोग इस सत्य से बच नहीं सकते थे। फिर भी किलनी अजीब बात थी कि इसी खतरे के कारण हमारे मस्तिष्क में उथल-पुथल हुई थी! हम इन बातों के मौन दर्शक नहीं बन सकते थे और अपने देश को ऐसे व्यक्तियों द्वारा कुप्रबन्धित या नष्ट होते नहीं देख सकते थे जो हमारी दृष्टि में अयोग्य और जनता के विरोध के बोझ को बहन कर सकने में बिलकुल असमर्थ थे। हमारी सारी अवश्य इकित और स्फूर्ति बाहर निकलने—कुछ कार्य करने—का मान चाहती थी।

गांधीजी बूढ़े होते जा रहे थे। वह सत्तर को पार कर चुके थे और निरन्तर कार्य तथा कड़े मानसिक एवं ज्ञानीरिक श्रम ने उनकी काथा को दुर्बल बना दिया

था। किंतु उनमें अब भी वीरत्व था और वह महसूस करते थे कि अपर इस समय भौंने परिस्थितियों के सामने सिर झुका बिधा और जिस बस्तु को मैं सबसे बहुमूल्य समझता हूँ उसे प्रकाश में लाने के लिए कुछ नहीं करता तो उनके जीवन का लारा कार्य ही निरर्थक हो जायेगा। भारत और सभी दूसरे शोधित देशों की स्वतन्त्रता के लिए उनके हृदय में जो प्रेम था उसने उनके कहर अहिंसाबाद तक पर विजय पाई। पहले जब कांग्रेस ने देश की रक्षा और राज्य के संकटकालीन कालों में अहिंसा की नीति का पालन न करने का निष्पत्ति किया था तो गांधीजी ने उसे बड़े अनिष्टिता और असंतोष के साथ स्वीकृति दी थी और उससे वह अपने को सदा अलग रखते आये थे। उन्होंने देखा कि इस सामने में इस तरह की विविधपूर्ण नीति से बिटेन और अमरीका से समझौता करने में बाधा पड़ेगी। इसलिए उन्होंने और आगे कदम बढ़ाया और कांग्रेस की ओर से खुद एक प्रस्ताव रखा जिसमें इस बात की घोषणा की गई कि स्वतन्त्र भारत की अस्थायी सरकार का पहला काम स्वतन्त्रता के पक्ष में और आक्रमणकारी कार्यों के विरोध में अपने समस्त भगान् साधनों को जुटा देना होगा और अपनी सशास्त्र तथा दूसरी तरह की समस्त शक्तियों से भारत की रक्षा में संयुक्त राष्ट्रों के साथ सहयोग करना होगा। इस प्रकार अपने को वर्चनबद्ध कर लेना उनके लिए आसान नहीं था, किंतु भारत को ऐसे स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में आक्रमणकारी का विरोध करने में समर्थ बनाने के लिए किसी-न-किसी प्रकार का समझौता कर लेने की उनकी आकांक्षा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने यह कड़वी घूंट पी ही ली।

जो सैद्धांतिक और अन्य भेद हममें से कुछ लोगों को अक्सर गांधीजी से अलग रखते आये थे, उनमें से अधिकांश अदृश्य हो गये। किंतु अब भी यह बड़ी कठिनाई रह ही गई कि हम कोई भी काम करें उससे युद्धप्रयत्न में बाधा अवश्य पड़ेगी। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि गांधीजी तब भी अपने इसी विश्वास पर अटल थे कि ब्रिटिश सरकार से समझौता संभव है और उन्होंने कहा कि इसे पूर्ण करने

के लिए वह भरतक प्रयत्न करेंगे। इसलिए यद्यपि वह 'कार्य करो' 'कार्य करो' को रट लगाते रहे तथापि उन्होंने उसकी ध्यान्या नहीं की और न यही संकेत किया कि वह क्या करना चाहते थे।

### भारत की मनःस्थिति में परिवर्तन

इस प्रकार जब हम अका और तर्क-वित्क कर रहे थे, देश की मनःस्थिति बदल गई और उदासीन निष्ठेष्टता के गर्त से निकलकर वह उत्सेजना और आशा के लोक में पहुंच गई। घटनाएं कामेस के निर्णय या प्रस्ताव की प्रतीक्षा में नहीं रहीं, यांत्रोजो के बक्तव्यों और भावनों ने उन्हे आगे बढ़ा दिया था और वे अपने ही बल पर आगे बढ़ रही थीं। यह बात स्पष्ट थी कि गांधीजी ठीक हीं या गलत, उन्होंने जनता को तत्कालीन मनोवैज्ञान को पाषाण जैसा बता दिया था। उसमें एक प्रकार की व्यपत्रता थी—एक प्रकार की भावुकतापूर्ण प्रेरणा, जिसने तर्क और विचार-शक्ति को तथा परिणामों पर शांत रूप से विचार करने की आवश्यकता को गौण बना दिया था। इन परिणामों की अवहेलना नहीं की गई और यह बात हमने समझ ली थी कि किसी काम में सफलता मिले या न मिले, मानवीय यातना के रूप में जो कोमल चुकाई जायेगो वह बहुत बड़ी होगी। किन्तु मानसिक पीड़ा के रूप में जो कोमल चुकाई जा रही थी वह कम बड़ी नहीं थी और उससे बचने की कोई सूखत नहीं दिखाई दे रही थी। ज्यादा अच्छा यही था कि दुर्भाग्य का कमज़ोर शिकार बनने की बजाय हम कार्य के अथाह सागर में कूव पड़े। यह किसी राजनीतिज्ञ का समाधान नहीं था, किन्तु एक ऐसे राष्ट्र का समाधान था जो निराशा और परिणामों को ओर से लापरवाह हो गया था। फिर भी विवेक से कार्य किया जा रहा था, संघर्षशोल भावनाओं को तर्कसंगत बनाने की चेष्टा की जा रही थी और मानव चरित्र को बुनियादी असरगतियों में एक प्रकार की संगति ढूँढ़ने का प्रयत्न किया जा रहा था। लड़ाई लंबो दिलाई देती थी, वह कई सालों तक चलनेवाली थी। कितनी ही बर्बादिया हो चुकी थीं और कितनी ही होने वाली थीं; किन्तु इन सब

आतों के आवक्षद युद्ध का उस समय तक चलता रहता अनिवार्य था जब तक कि वे दुर्बासिनाएं, जिन्होने उस युद्ध का जन्म दिया था और जिन्हें स्वयं उस युद्ध में प्रोत्साहन दिया था काढ़ में न आ जातीं। इस बार यहाँ सकलताएं नहीं मिलनी आहिए थीं जो असर असफलता से भी अधिक कष्टदायक होती है। युद्ध में सेनिक किया के ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि उन अधिक दुनियादी लक्ष्यों के क्षेत्र में भी, जिनके लिए कि युद्ध लड़ा जा रहा था, गलत दिशा प्रहण कर ली थी। हम जैसा भी कार्य करते उससे शायद दुनियादी लक्ष्यों की असफलता की ओर जबरवस्ती व्याप आकृष्ट हो जाता और वह कार्य उस असफलता को एक नया तथा आशाप्रद रूप प्रदान करने में सहायता देता। और अगर इस समय सकलता न भी मिलती तो उससे आवे चलकर बचाने का ध्येय पूरा होता और इस प्रकार अविष्य में सेनिक कार्रवाई को शक्तिशाली समर्थन प्रदान करने में भी सहायता मिलती।

जनता के साथ-साथ सरकार की भी सरगर्मी बढ़ी। इसके लिए किसी प्रकार की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं थी; क्योंकि यह तो सरकार की स्वाभाविक सरगर्मी थी, उसके कार्य करने का आम तरीका था—एक गुलाम भुलक पर सत्ता जमाये औंठी एक विदेशी सरकार का छग था। ऐसा मालूम होता था जैसे वह अपनी इच्छा का विरोध करने वाले इस देश के सभी तत्वों को सदा के लिए कुचल देने के इस अवसर का स्वागत कर रही हो और तबनुसार उसने अपने को इसके लिए तैयार कर लिया।

### समझौते के लिए अपील

घटनावक्त लेजी से चलता रहा। फिर भी ताज्जब हूँ कि जो गांधीजी इसना कहा करते थे कि हमें कुछ-न-कुछ करना आहिए जिससे भारत की मर्यादा की रक्षा हो और उसे स्वतन्त्र बनाने तथा एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में आकर्मण के विरुद्ध लड़ी जाने वाली लड़ाई में सहयोग देने का अधिकार मिले, वही इस कार्य की रूप-देश के संबंध में कुछ नहीं बोले। कार्य का शांतिपूर्ण होना तो ज़फरी था ही,

कितु इसके अलावा ? मांधोजी लिटिज सरकार के साथ समझौते की संभावना पर चराचा और देने लगे और उससे लिखा पढ़ी करके समझौते का रास्ता निकालने के लिए अधिक-से-अधिक प्रयत्न करने की अपनी इच्छा प्रकट करने लगे । कांग्रेस महासभिति के सामने उन्होंने जो अतिम भाषण दिया था उसमें उन्होंने समझौते के लिए हाविक अवोल की थी और इस सबव में बाइसराय से लिखा पढ़ी करने के संकल्प की घोषणा की थी । एक बार को छोड़कर उन्होंने न तो सार्वजनिक रूप से और न कांग्रेस कार्यसभिति की बैठकों के भीतर खाली तौर पर ही इस बात का संकेत किया कि वह जो कार्य सोच रहे हैं उसकी रूपरेखा क्या होगी । निजों तौर पर उन्होंने यह सुझाव रखा था कि आगर समझौते के सभी प्रयत्न निष्कल रहे तो वह किसी किस्म के असहयोग और एक दिन की विरोधात्मक हड्डताल या एक दिन की आम हड्डताल के रूप में सारे देश में काम बन्द करने की अपील करेंगे जो कि राष्ट्र के विरोध का संकेत होगा । यह भी एक अनिश्चित-सा ही सुझाव या जिसको विस्तृत बातें उन्होंने नहीं बताईं ; क्योंकि समझौते के लिए जेष्ठा किये बगैर वह कोई नई योजना नहीं बनाना चाहते थे । इसलिए न तो उन्होंने और न कांग्रेस ने ही निजों या सार्वजनिक रूप से किसी प्रकार का निर्देश दिया, सिवा यह कहने के कि अनता को हर तरह की स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और शांतिपूर्ण तथा अंहिसात्मक कार्य का नीति का पालन करना चाहिए ।

यद्यपि गांधीजी को अब भी गतिरोध के दूर होने की कोई सूरत निकल आने की आशा थी, तथा औरो में यह आशाबादिता बहुत ही कम थी । इस बीच में जो घटनाएं हुई थीं, वे भी अनिवार्य रूप में सघर्ष की ओर ही इशारा कर रही थीं । ऐसी स्थिति में बीच की बातों का महस्त्र जाता रहता है और प्रत्येक व्यक्ति को यह निश्चय कर लेना पड़ता है कि उसको इधर रहना है या उधर । जहाँ तक कांग्रेस का सदाल है, उसके जो सदस्य इस दृष्टिकोण से सोचते थे उनके लिए और कोई चारा हो नहीं था । यह बात अकल्पनीय थी कि एक शक्तिशाली सरकार

अपने पुरे बल के साथ जनता को अलग का प्रयत्न करे और हम लोग उस संघर्ष को, जिसमें भारत की स्वतन्त्रता निहित थी, चुपचाप निश्चेष्ट करने देखते रहें। यह तो सच है कि बहुत-से लोग सहानुभूति रखते हुए भी निश्चेष्ट ही बने रहे, लेकिन अपने पहले के कामों के परिणामों से इस प्रकार बदलने का प्रयत्न करता किसी भी प्रभुत्व कांप्रेसी के लिए लज्जा और अपमान की बात होती। इतने पर भी उनके सामने और दूसरा रास्ता नहीं था। भारत का सारा विषय इतिहास उनकी आंखों के सामने था और वर्तमान की ओड़ाएं तथा भविष्य की आशाएं भी प्रत्यक्ष थीं। ये सब बातें उन्हें भविष्य की ओर ढकेल रही थीं तथा उनके कामों को प्रभावित कर रही थीं। बंगालों ने अपनी ‘कियेटिंग इबोल्यूशन’ (राजनीतिक विकास) नामक पुस्तक में लिखा है—“अतीत का अतीत पर जमा होने रहने का कम निरन्तर चलता रहता है। सब पूछिये तो अतीत अपने आप और अनायास ही संचित होता रहता है। अपने संपूर्ण रूप में वह शायद हमारा हर कदम पर पीछा करता है। . . . . यह तो ठीक है कि विचार करते समय अतीत का एक छोटा भाग ही सामने रहता है, किन्तु इच्छा करते समय, संकल्प करते समय और कार्य करते समय हमारा सारा भूत—जिसमें हमारी आत्मा की मौलिक प्रवृत्ति भी शामिल है—हमारे सामने रहता है।”

‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव

७ और ८ अगस्त, १९४२ को बंबई में कांग्रेस महासमिति ने सार्वजनिक रूप से उस प्रस्ताव पर विचार किया जो ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ के नाम से पुकारा जाता है। वह एक लंबा और विस्तृत प्रस्ताव था, जिसमें भारत की स्वतन्त्रता को फोरन स्वीकार करने और केवल भारत के ही हित में नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्रों के हित की सफलता के लिए भी भारत से ब्रिटिश राज उठा लेने के लिए विचारपूर्व तर्क दिये गये थे। उसमें कहा गया था कि भारत में ब्रिटिश राज के जारी रहने से

भारत का पतन हो रहा है, वह कमज़ोर बनता जा रहा है और उसकी अपनी रक्षा करने तथा विश्व-स्वतन्त्रता के पक्ष में योग देने की शक्ति दिन-पर-दिन घटती जा रही है । . . . सम्भाल्य का स्वामी बनना शासकों की शक्ति को बढ़ाने के बाय उनके लिए एक बोझ और एक शाय बन गया है । आधुनिक साम्राज्यवाद का आदर्श उदाहरण भारत ही सारी समस्या का केन्द्र बन गया है; क्योंकि भारत की स्वतन्त्रता को ही कस्टोटी पर बिटें और अमरीका परन्ते जायेंगे और उसीसे एशिया तथा अफ्रीका को जनता को आशा तथा उत्साह प्राप्त होगा । प्रस्ताव में विभिन्न दलों के सहयोग से निर्मित एक देसी अस्थायी सरकार की स्थापना का सुझाव रखा गया था जो जनता के सभी प्रभुत्व वर्गों का प्रतिनिधित्व करे और जिसका मुख्य कार्य अपनी समस्त सशस्त्र और अर्द्धसात्मक शक्तियों और भित्रराष्ट्र के सहयोग से भारत की रक्षा करना तथा आक्रमण का विरोध करना होगा । यह सरकार विधान परिषद् की ओजना तंथार करेगी और यह विधान परिषद् भारत के सभी दलों द्वारा स्वीकृत किये जाने योग्य विधान बनायेगी । यह विधान एक संघीय विधान होगा जिसकी विभिन्न इकाइयों को अधिक-से-अधिक स्वराज्य और अवशिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे । “स्वतन्त्रता भारत को इस योग्य बना देगी कि वह जनता की संयुक्त इच्छा-शक्ति और बल की सहायता से आक्रमण का सफलतापूर्वक विरोध कर सके ।”

प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत की यह स्वतन्त्रता एशिया के सभी दूसरे देशों को स्वतन्त्रता का प्रतीक और भूमिका होनी चाहिए । इसके अलावा सभी स्वतन्त्र राष्ट्रों का एक विश्व-संघ बनाने का प्रस्ताव रखा गया था और कहा गया था कि इसका सूत्रपात संयुक्त राष्ट्र करें ।

महासमिति ने अपने प्रस्ताव में यह आइवासन दिया था कि वह चीन और उस की रक्षा के मार्ग में किसी प्रकार की लकाबट ढालना नहीं चाहती; क्योंकि उनकी स्वतन्त्रता कीमती है और उनकी रक्षा अवश्य होनी चाहिए (उस समय

सबमें अधिक खनरा चीन और रूस को ही था)। महासमिति ने संयुक्त राष्ट्रों की रक्षात्मक शक्ति को भी आधात न पहुंचाने का आश्वासन दिया था किंतु कहा था—“लेकिन खतरा इन दोनों देशों के साथ-ही-साथ भारत के लिए भी बढ़ता जा रहा है और इस अवसर पर किसी विदेशी शासक के आगे घुटने ढेकने और निश्चेष्ट बने रहने से न केवल भारत का पतन हो रहा है और उसकी अपनी रक्षा करने व आक्रमण का विरोध करने की शक्ति कम होती जा रही है, बल्कि निश्चेष्टतासे बढ़ते हुए संकट का सामना करने में कोई भी अद्व नहीं मिल सकती और न संयुक्त राष्ट्रों की ही कोई सेवा हो सकती है।”

विद्वन्स्वतन्त्रता के हित में समिति ने एक बार फिर लिटेन और संयुक्त राष्ट्रों से अपील की, किंतु उसने कहा कि “जो साम्राज्यवादी सरकार भारतीय जनता पर प्रभुत्व जमाये बैठी है और उस जनता को अपने तथा मानवता के हित में कार्य करने से रोकती है उसके लिलाफ अत्मबल लगाने से राष्ट्र को रोकना महासमिति अब उचित नहीं समझती। इसलिए यह महासमिति भारत के स्वतन्त्र होने के अभिष्ठ अधिकार को प्रकाश में लाने के लिए गांधीजी के अनिवार्य नेतृत्व में अहिंसात्मक प्रणाली पर जन-सद्गम आरंभ करने की अनुमति देने का निश्चय करती है।” इस कार्य के आरंभ करने का समय गांधीजी के निर्णय पर छोड़ दिया गया था और अंत में यह भी बताया गया था कि “महासमिति कांग्रेस के लिए शक्ति प्राप्त करना नहीं चाहती। वह शक्ति जब आएगी तो वह भारत की समस्त जनता की शक्ति होगी।”

अपने अतिम भावघोर में कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुलकलाम आजाद ने तथा गांधीजी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका अगला कदम लिटिडा सरकार के प्रतिनिधि वाइसराय से मिलना और संयुक्त राष्ट्रों के प्रमुख अधिकारियों से एक ऐसे सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना होगा जिसमें भारत की स्वतन्त्रता स्वीकार की गई होगी और जो आक्रमणकारी भुटी-राष्ट्रों के विरुद्ध संयुक्त-राष्ट्रों

के प्रयत्न को हित-बूँदि करेगा ।

यह प्रस्ताव अंतिम रूप से ८ अगस्त, १९४२, को काफी रात गये पास हुआ । कुछ ही घंटों बाद अर्थात् ९ अगस्त को बड़े तड़के बंदी में और देशभर में बहुत-सी गिरफ्तारियाँ की गईं ।<sup>१</sup>

### आजादी के बाद

हमारी चिर आकर्षित स्वतन्त्रता हमें मिल गई और कम-से-कम हिंसा के साथ मिल गई; किन्तु उसके फौरन बाद ही हमें लहू और आंसुओं के पाराबार में से होकर गुजरना पड़ा । उस लहू और उन आंसुओं से भी दूरी वह शर्म थी और अप्य-मान था, जिनकी अनुभूति हमें उनके कारण हुई ।

हमारे नेतृत्व के द्वारा और मापदण्ड उस समय कहां चले गये थे? उस समय हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी मानवीयता और हमारी वह आध्यात्मिकता कहां चली गई थी, जिसका समर्थन भारत इतने दिनों से करता आया था? एकाएक देश पर अधिकार छा गया और लोग पागल हो उठे । भय और धूणा ने हमें अंधा बना दिया और संस्कृति हमें जितने भी संघर्ष के पाठ पढ़ाती है वे सब भुला दिये गए । भयंकरता पर भयंकरता की तह लगती गई और मानवों की क़ूर पात्र-विकास ने हमें एक आकस्मिक शून्यता से भर दिया । सारा प्रकाश बुझता हुआ प्रतीत हुआ—नहीं, सारा नहीं; क्योंकि उस तूफान के हाहाकार में भी कुछ ज्योतिया टिमटिमाती हुई दिखाई दीं । जो मर चुके थे और मर रहे थे और जिनकी यातना मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी थी उनके लिए हम शोक कर रहे थे । इससे भी अधिक हम शोक कर रहे थे भारत के लिए, जो सबकी माता थी और जिसकी

<sup>१</sup> गांधीजी ६ मई, १९४४ तक नजरबन्द रखे गये । उसके बाद सख्त बीमार हो जानेपर वे रिहा कर दिए गए ।



स्वतन्त्रता के लिए हम इतने बचों से अपना खून और पसीना एक करते आये थे ।

सारे प्रकाश बुझते हुए दिखाई दिये; किन्तु एक उजबल ज्योति तब भी जलती रही और चारों ओर फैले हुए अंधकार में अपना प्रकाश फैलाती रही । उस विद्युत ज्योति को देखकर हमने शक्ति और आशा का फिर से संचार हुआ और हमने भाष-सूत किया कि हमपर कितनी ही अणिक विपद्धाएं क्यों न पड़ें, भारत की शक्तिमय और अविद्युलित आत्मा वर्तमान उपद्रवों से ऊपर उठकर विन-प्रतिवन के छोटे-छोटे संकटों की अवहेलना करती रहेगी ।

इस बात को कितने लोग समझते हैं कि इन दिनों महात्मा गांधी की उपस्थिति का भारत के लिए कितना महसूब रहा है । पिछले पचास साल या इससे भी ज्यादा से वह देश और स्वतन्त्रता के लिए जो महान् सेवाएं करते आये हैं उनसे हम सब परिचित हैं; किन्तु जो सेवाएं उन्होंने पिछले चार महीनों में कीं वे निःसंदेह अतुलनीय हैं । इस विनष्ट होते हुए संसारमें वह संकल्प की बहान और सत्य के आकाश-दोप की भाँति खड़े रहे हैं और उनकी मन्द किन्तु बढ़ आवाज भोड़ के होहले से ऊपर उठकर सत्कार्य के मार्ग दिखाती रही है ।

यह इसी दिव्य-प्रकाश का प्रभाव था कि भारत और भारतीय जनता में हमारा विचार नष्ट नहीं होने पाया । फिर भी आरों तरफ छाया हुआ अंधकार स्वयं एक संकट था । जब स्वतन्त्रता के सूर्य का उदय हो चुका था तो उस अंधकार ने हमें फिर क्यों ग्रसित किया ?

इसलिए यह आवश्यक है कि हम कुछ दक्कर इन आधारभूत तत्वों पर थोड़ी देर विचार करें; क्योंकि इस समय भारत के भविष्य का निर्माण हो रहा है और यह भविष्य जैसा ही होगा जैसा हमारे लालों नौ जवान स्त्री और पुरुष बनाना चाहते हैं ।

### युद्ध से शिक्षा

आज हममें संकीर्णता और असहिष्णुता आ गई है और साथ ही जैतनता

तथा सावधानी का असाव दिखाई देता है। इन बातों से मुझे भय होता है। 'अभी-अभी हम एक विश्वव्यापी महासमर में से होकर गुजर रहे हैं। वह युद्ध हमें शांति और स्वतन्त्रता तो नहीं दे सका है, किन्तु उससे हम कितनी ही शिकाए प्रहृण कर सकते हैं। जो बस्तु कासिस्टबाद और नात्सीबाद कहकर पुकारी जाती थी उसका उसने सहार किया। ये दोनों ही सिद्धात संकीर्ण और कूर थे और धृणा तथा हिंसा पर आधारित थे। मैंने उनके विकास का उनके अन्वयाता देशों में और बाहर भी अध्ययन किया। कुछ समय के लिए तो उन्होंने जलता की प्रतिष्ठा बढ़ाई; किन्तु साथ ही उनकी आत्मा का हनन भी कर दिया और विचार तथा आचार-व्यवहार के समस्त मूल्य और भाष-दण्ड को नष्ट कर दिया। जिन देशों का वे उत्कर्ष करना चाहते थे उनका अत में सर्वनाश कर डाला।

आज में भारत में भी कुछ ऐसे ही तस्वीरों को फलते-फूलते देख रहा हूँ। बातें तो वह तत्त्व राष्ट्रीयता के नाम में करता है—कभी-कभी धर्म और संस्कृति की भी दुहाई देता है, किन्तु करता है वह राष्ट्रीयता, सच्ची नैतिकता और सच्ची संस्कृति के बिलकुल विपरीत। इस सबंध में यदि किसी को कुछ सदैह या तो पिछले महीनों की घटनाओं ने हमें नगर सत्य का दिग्दर्शन करा दिया है। कुछ बर्षों से हमें अपने देश के एक संप्रदाय की धृणा, हिंसा और संकीर्ण साप्रदायिकता को इस नीति के बिरुद्ध लड़ते रहना पड़ा है। अब उस साप्रदाय को भारत के ही कुछ हिस्सों में से अपना अलग राज्य बनाने में सफलता मिल गई है।

मुस्लिम साप्रदायिकता, जो भारत की स्वतन्त्रता के लिए एक सकट और एक बाधा रही है, अब अपने को एक राज्य कहकर पुकारती है। भारत में एक जीवित प्रेरणा के रूप में आज उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है; क्योंकि उसकी शक्ति अब दूसरे स्थानों में कोदित हो गई है। किन्तु उसने हमारे देश के अन्य बर्गों को पतित बना दिया है, वे उसकी नकल करना चाहते हैं और उसमें सुधार तक करने की चेष्टा करते हैं।

भारत में अब हमें इस प्रतिक्रिया का सामना करना है। आज यहाँ भी शास्त्र-दार्शिक राज्य की पुकार उठाई जाती है, यद्यपि उसके लिए दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है। और केवल सांख्यिक राज्य की ही भाग नहीं उठाई जाती, बल्कि सभी राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में इसी प्रकार की सकीर्ण और धातक भाग उपस्थित की जाती है।

यदि हम भारत के लंबे इतिहास पर दृष्टिपात करें तो देखेंगे कि जब कभी हमारे पूर्वजों ने इस संसार की ओर निर्मल और निर्भय दृष्टि से देखा और अपने मस्तिष्क की खिड़कियों को आदान-प्रदान के लिए खुला रखा तभी उन्होंने आश्चर्य-जनक उश्मति की। बाद में जब उनका दृष्टिकोण संकीर्ण हो गया और वे अपने को बाहरी प्रभावों से अलग रखने लगे तो भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक अवनति हुई। जिस परम्परा को आज हमने उत्तराधिकार में प्राप्त किया है, वह सचमुच कितनी महान् थी, यद्यपि हमने अक्सर उसका तिरस्कार किया है। बाबजूद अपनी विपदाओं और यातनाओं के भारत सदा एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्र रहा है और अब भी है। रचनात्मक और निर्माणात्मक क्षेत्रों की उसकी यह महत्ता एशिया के कितने ही और भागों में तथा अन्यत्र फैल गई और सर्वत्र उसकी शादान-दार विजय हुई। ये विजयें तलवार की नहीं, बल्कि मस्तिष्क और हृदय की ओं जो शातिदायक और चिरस्मरणीय होती है, जब कि तलवार का सहारा लेनेवाले आदमी और उनके काम विस्मृत हो जाते हैं। किन्तु यदि उसी महत्ता का उचित और रचनात्मक ढंग से प्रयोग न हो तो वह घुन की तरह भीतर-ही भीतर देश को खा जाती है और उसे नष्ट तथा पतित कर देती है।

अपने संक्षिप्त जीवन में भी हम इन दोनों—रचनात्मक और विनाशात्मक—शक्तियों को केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारे संसार में कियाशील रूप में देख चुके हैं। अंत में किसकी विजय होगी? और हम किस ओर हैं? यह प्रश्न हममें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए और विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए—

जिनमें से हम अपने नेता चुनते हैं और जिन पर भविष्य का भार निर्भर होता है— एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह संभव नहीं कि हम सामने बढ़े रहें और समस्या का मुकाबला करने से इन्कार कर दें। यह भी संभव नहीं कि आज जब कि स्पष्ट विचार और प्रभावशाली कार्य की आवश्यकता है, हम अपने मस्तिष्क को दुर्बासना और घृणा के पंक में फंसने दें।

### कैसा भारत?

हम किस तरह के भारत और किस तरह के संसार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? क्या हमारे भविष्य का निर्माण, घृणा, हिंसा, भय, सांप्रदायिकता और संकीर्ण प्रातीयता द्वारा होगा? यदि हममें और हमारे पेशे में कलमात्र भी सचाई है तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इलाहाबाद के इस शहर में, जो मुझे केवल इसलिए प्यारा नहीं कि उसके साथ मेरा घनिष्ठ संबंध रहा है, बल्कि इसलिए भी कि उसका भारत के इतिहास में बड़ा महत्व है, मेरा बचपन और युवावस्था भावी भारत के स्वप्न देखने तथा कल्पना करने में ही बीते हैं। इन स्वप्नों में कोई तथ्य था या वे केवल एक उत्तेजित मस्तिष्क की कोरी कल्पनाएं ही थीं? इन स्वप्नों में से कुछ तो सत्य सिद्ध हो चुके हैं; किन्तु उस रूप में नहीं जिस रूप में मैंने कल्पना की थी। कितने ही स्वप्न अभी अधूरे हैं और अपनी सफलताओं पर विजय की अनभूति के बजाय हम अपने चारों ओर फैले हुए शोक पर एक झून्यता और निराशा का अनुभव कर रहे हैं। हमें लाखों की आखों के आंसू पोछने हैं।

इसलिए हमें अपने राष्ट्रीय लक्ष्य के संबंध में कोई भ्राति नहीं रहनी चाहिए। हमारा उद्देश्य एक शक्तिशाली, स्वतन्त्र और जनतन्त्रीय भारत है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान स्थान और विकास व सेवा के लिए समान अवसर प्राप्त होगा, जिसमें आजकल की धन और सामाजिक मर्यादा संबंधी असमानताएं नहीं रह जायेंगी और जहाँ हमारी प्रमुख प्रेरणाएं रचनात्मक एवं सहयोगात्मक प्रयत्नों में लगी

रहेंगी। ऐसे भारत में सांप्रदायिकता, पृथक्काद, अलग रहने को नोति, छुआछूत, हठघर्मी और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को कोई स्थान नहीं होगा, उसमें पूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता होगी और धर्म को राष्ट्रीय जीवन के राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जायगा।

यदि बात ऐसी है तो कम-से-कम राजनीतिक जीवन में हँड़ और मुसलमान और ईसाई और सिल की चर्चाएं बन्द होनी चाहिए और हमें एक ऐसे संयुक्त तथा सम्प्रिलित राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता दोनों हो सुरक्षित होंगी।

हम बड़ी जबरदस्त अग्नि-परीक्षाओं में से होकर गुजरे हैं। हम उन्हे पार तो कर गये हैं, किन्तु इसके लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इन परीक्षाओं ने हमारे उत्तीर्ण भूस्तरों और हमारी पंग आत्माओं पर जो छोड़ी है वह बहुत समय तक नहीं मिटेगी। ये परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। स्वतन्त्र और अनुशासनशील व्यक्तियों की तरह हमें इनका मजबूत दृदय और बृद्ध संकल्प के साथ सामना करना चाहिए और न सत्य मार्ग से विचलित होना चाहिए, न धर्मने आदर्शों और लक्षों को ही भुलाना चाहिए। हमें जल्म भरने का यह कार्य आरंभ करना है और रचना तथा निर्माण कार्य करना है। भारत की धायल काया और धायल आत्मा पुकार-मुकार कर हमें अपने को इस महान् कार्य में संलग्न कर देने को कह रही है। ईश्वर करे, हम इस कार्य और भारत के योग्य बनें।

## : ६ :

**‘चिराग गुल हो गया’ !**

मित्री और साथियों, हमारे जीवन से प्रकाश निकल गया और सबंत्र अंधकार हो अंधकार है।<sup>१</sup> मेरी समझ में नहीं आता कि आपसे क्या कहूँ और कौसे कहूँ। हमारा प्यारा नेता, जिसे हम बापू कहा करते हैं, हमारे राष्ट्र का वह पिता, अब नहीं रहा। शायद में ऐसा कहने में गलती कर रहा हूँ। फिर भी अब हम उन्हे किर नहीं देख सकेंगे जैसे कि इतने वर्षों से देखते आये थे। अब हम दौड़े-दौड़े उनके पास सलाह लेने नहीं जायेंगे, उनसे सान्त्वना नहीं पा सकेंगे। यह एक जबरदस्त चोट है—मेरे लिए ही नहीं, बल्कि देश के लाखों-करोड़ों निवासियों के लिए। उस चोट को किसी भी दूसरी सलाह से, जो मैं पा कोई भी दूसरा आदमी आपको दे, कम करना कुछ कठिन मालूम होता है।

मैंने कहा कि प्रकाश बुझ गया, लेकिन यह ठोक नहीं, क्योंकि जो प्रकाश इस देश को आलोकित करता था वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। जो प्रकाश देश को इतने वर्षों से आलोकित करता आया है वह उसे अनेक वर्षों बाद भी आलोकित करता रहेगा। आज से हजार वर्ष बाद भी वह प्रकाश भारत में बिल्लाई देगा, उसे सारा सासार देखेगा और उससे अनगिनत हृदयों को शाति मिलेगी; क्योंकि वह प्रकाश निकट बृत्तमान मात्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, वह मूर्तिमान सत्य का प्रतिनिधित्व करता था—उन अमर सत्यों का जो हमें शुद्ध मार्ग का स्मरण

<sup>१</sup> ३० जनवरी १९६८ को गांधीजी की हत्या के तत्काल बाद आल इंडिया रेडियो, नई दिल्ली से दिया गया भाषण।

करते थे—हमें भूल से अलग हटाते थे और इस प्राचीन देश को स्वतन्त्रा की ओर ले जाते थे ।

यह सब एक ऐसे समय में हुआ जब उन्हे और भी अधिक कार्य करना था । हम यह कभी सोच ही नहीं सकते थे कि वह हमारे लिए अनाबद्यक है या उनका काम समाप्त हो चुका है । किन्तु विशेष रूप से अब जबकि हमारे सामने इतनी सारी कठिनाइयां हैं, उनका हमारे साथ न होना एक भीषण और असहनीय आघात है ।

एक पागल अद्वित ने उनके जीवन का अत कर दिया है—जिसने ऐसा किया है उसे मैं पागल ही कह सकता हूँ; किर भी पिछले कुछ वर्षों में देश में बहुत काफ़ी विष कंला है और उस विष ने हमारी जनता के मस्तिष्क पर भी असर किया है । हमें इस जहर का सामना करना चाहिए; उसे जड़मूल से नष्ट कर देना चाहिए साथ-ही-साथ हमें अपने चारों ओर फैले हुए सकटों का भी सामना करना चाहिए—पागलपन और बुराईके साथ नहीं, बल्कि उस ढग से जो हमारे प्रिय गुरु ने हमें सिखाया था । इस समय हमें सबसे पहले यह बात याद रखनी है कि हम कोष के आवेदन में दुर्बलवहार करने का दुस्साहम न करें । हमें बलवान और दृढ़प्रतिश्लोगों की तरह काम करना है—इस निश्चय के साथ कि हम अपने चारों ओर छाये हुए संकटों का सामना करेंगे, हमारे महान् नेता और हमारे महान् गुरु ने हमें जो आदेश दिया है उसे पूरा करेंगे और सदा यह याद रखेंगे यदि उनकी आत्मा हमें देखती और हमें सुनती है—जैसा कि मुझे विश्वास है—तो उसे सबसे ज्यादा दुःख यह देखकर होगा कि हमने कोई तुच्छता या हिस्सा का काम किया है ।

इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए । लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम कमज़ोर बनें, बल्कि यह कि हम ताकत और एकता के साथ अपने सामने आये हुए सारे कष्टों का सामना कर । हमें एक-दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए और इस महान् विपत्ति के समय अपनी छोटी-छोटी कठिनाइयों, घरेशानियों और मनमुटावों का अत कर देना चाहिए । बड़ी विपरीतियां हमें संसार के बड़ी-बड़ी

बातों को याद रखने और उन छोटी-छोटी बातों को भुला देने का इशारा करती है जिनपर हम बहुत काफी सोचविचार कर चुके हैं।

कुछ मित्रों ने यह सुझाव रखा था कि महात्माजी का शब्द कुछ दिनों के लिए भसाला लगाकर रखा जाय, ताकि देश के लोकों नर-नारी उनके प्रति अपनी अंतिम अद्वाजलि अर्पित कर सकें; किन्तु गांधीजी ने बार-बार इच्छा प्रकट की थी कि ऐसो कोई बात नहीं होनी या की जानी चाहिए। वह अपने शब्द को भसाले में रखने के बिलकुल खिलाफ थे।

कल का दिन हम सब के लिए उपदास और प्रार्थना का दिन होना चाहिए। जो लोग दिल्ली से बाहर और देश के दूसरे भागों में रहते हैं उन्हें भी अंतिम अद्वां-जलि भेट करने के इस काल में यथा संभव भाग अवश्य लेना चाहिए। उनके लिए भी यह दिन उपदास और प्रार्थना का दिन होना चाहिए। दाह-संस्कार के लिए निश्चित किए गए समय पर, अर्थात् कल तीसरे पहर बार बजे, सब लोगों को नदियों और समुद्रों के किनारे जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करते समय सबसे बड़ी प्रार्थना जो हम कर सकते हैं वह इस बात का संकल्प करना है कि हम अपने को सत्य और उस हित की सेवा में समर्पित कर देंगे जिसके लिए हमारे देश का यह महान् सपूत जिया और मरा।

### विगत गौरव

अपनी व्यक्तिगत हैसियत से और भारत सरकार का प्रधान होने के नाते मुझे इस बात पर धोर लज्जा आती है कि हम अपने सबसे बड़े खजाने को बचाने में असफल रहे। निश्चय ही यह हमारी असफलता है, बैसी ही जैसी पिछले कई महीनों में हमें अनगिनत निर्दोष पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की रक्षा करने में मिली है। हो सकता है कि वह भार और वह काम हमारे लिए या किसी भी सरकार के लिए अहुत बढ़ा रहा हो, फिर भी यह एक असफलता है और आज यह बात कि जिस महान् अधित के लिए हमारे हृदय में अगाध प्रेम था और सम्मान था वह हमारे बीच से

इसलिए उठ गया कि हम उसकी पूरी-मूरी रक्षा नहीं कर सके, हम सब के लिए एक लज्जा की बात है। एक भारतीय होने के नाते में इस बात से लज्जित हूँ कि एक भारतीय ने उनपर अपना हाथ उठाया; एक हिंदू होने के नाते में शमिदा हूँ कि यह काम एक हिंदू ने किया और एक ऐसे व्यक्ति के साथ किया जो आजका सबसे बड़ा भारतीय और सबसे बड़ा हिंदू था।

हम लोगों की प्रशंसा चुने हुए शब्दों में किया करते हैं और महानता को पर-खने के लिए हमारे पास कोई-न-कोई कस्टोटी होती है, किन्तु न हम गांधीजी की प्रशंसा कर सकते हैं, न उन्हे परख ही सकते हैं, क्योंकि वह उस साधारण मिट्टी के नहीं बने थे, जिसके हम सब बने हैं। वह आये, काफी लंबी आयु तक जीवित रहे, और चले गए। इस सभा में उनके लिए प्रशंसा के शब्दों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में जितनी प्रशंसा मिली थी उतनी इतिहास के किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं मिली होगी और उनकी मृत्यु के बाद के इन दो-तीन दिनों में तो उन्हे सारे संसार ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसमें हम और क्या जोड़ सकते हैं? हम उनकी किस तरह प्रशंसा कर सकते हैं? —हम, जो उनके बच्चे बने रहे हैं, हम जो शायद उनके शरीर से उत्पन्न बच्चों से भी अधिक उनके निकट संपर्क में रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग कम या अधिक मात्रा में उनकी आत्मा के बच्चे हैं, और हम जो उनके अयोग्य बच्चे साबित हुए हैं।

एक गौरव था जो कि अब नहीं रहा और वह सूर्य जो हमारे जीवन को गरमी और रोशनी पहुँचाता था अस्त हो गया और हम ठंड तथा अंधकार में कांप रहे हैं। किन्तु गांधीजी कभी नहीं चाहते थे कि इतने गौरव को देख चुकने के बाद हम अपने हृदय में ऐसी अनुभूति को स्थान दें। दैबी ज्योतिषाला वह महापुरुष हमें लगतार बबलता रहा और आज हम जैसे हैं उसीके ढाले हुए हैं। उस दैबी ज्योति में से हममें से भी बहुतों ने एक चिनगांधी ले ली, जिसने हमारी भुक्ती हुई पीठ सीधी कर दी और हमें कुछ सीमा तक उनके द्वारा निर्मित मार्ग पर चलने के बोग्य

बनाया। इसलिए यदि हम उनकी प्रशंसा करते हैं तो हमारी प्रशंसा के ज्ञान उनके लिए बहुत छोटे मालूम देते हैं और उनकी प्रशंसा करने में कुछ-कुछ अपनी ही प्रशंसा कर बैठते हैं। बड़-बड़े और प्रसिद्ध लोगों की स्मृति में कांसे या सगभरमर की मूर्तियाँ बनती हैं; किन्तु दैवी यथोत्ति वाले इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में ही लाखों और करोड़ों के हृदय में स्थान पा लिया, जिसके फलस्वरूप हम सब भी कुछ-कुछ उसी धातु के बन गए हैं जिस धातु के बह बने थे, यद्यपि उनसे बहुत ही कम भावा में। उनका विस्तार सारे भारतवर्ष में था—केवल महलों मा चुनी हुई जगहों या असेम्बलियों में ही नहीं, बल्कि नीचों और पीड़ितों की हर घोषणों और हर कुटिया में। वह लाखों के हृदय में बसते हैं और अनन्त युगों तक बसे रहेंगे।

अतः इस अवसर पर सिर झुकाने के सिवा हम और दशा कह सकते हैं ? जिनका हम पूरी तरह से अनुकरण नहीं कर सके, हम उनकी प्रशंसा करने के योग्य नहीं हैं। जब कि वह हमसे अत्यधिक कार्य, श्रम और त्याग करने को कहा करते थे, हमारा उनके लिए कुछ शब्दों भर का प्रयोग करना उनके प्रति अन्यथा करना होगा। पिछले तीस साल या उससे कुछ अधिक में उन्होंने भारत को त्याग के उच्च शिखर पर पहुँचा दिया जिसको बराबरी आज तक कहीं भी नहीं हो सकी है। इस कार्य में उन्हें सफलता मिली, किर भी अन्त में ऐसी घटनाएँ घटीं जिनके कारण उन्हें बड़ी तकलीफ हुई, यद्यपि उनके चेहरे पर से मुसकराहट की एक भी रेखा नहीं मिट्टने पाई और उन्होंने किसी के प्रति एक भी कठोर शब्द का प्रयोग नहीं किया। किर भी जिन लोगों को उन्होंने सिखाया-पढ़ाया था उनकी ही कमियों के कारण उन्हें कठट अवश्य हुआ होगा। उन्हें यह कष्ट इसलिए सहना पड़ा कि जो मार्ग उन्होंने हमें दिखाया था उससे हम हट गये और अन्त में उनके ही एक बच्चे ने उनका अन्त कर दिया—निश्चय ही वह भी उनका उतना ही बच्चा है जितने कि हम।

जिस युग में हम रहते हैं उसका मूल्याकन इतिहास नुगों बाद करेगा। वह इस युग की सफलताओं और असफलताओं का निर्णय करेगा। हम इस युग के इतने निकट हैं कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं इसको न हम समझ सकते हैं न उसके उचित पारखी ही बन सकते हैं। हम केवल इतना जानते हैं कि एक शौश्रव या जो अब नहीं रहा। हम केवल इतना जानते हैं कि इस समय अधिकार है— किर भी अधिक गहरा अधेरा नहीं, क्योंकि जब कभी हम अपने हृदय में भाककर देखते हैं हमें वह ज्योति विलाई देनी है जो हमने वहां जलाई थी। यदि ये जीवित ज्योतियां अमृत्यु रहीं तो इस भूमि में कभी अधिकार नहीं होगा और हम गांधीजी के साथ प्रार्थना करते हुए और उनके मार्ग का अनुकरण करते हुए अपने प्रयत्न से इस उनकी भूमि को किर से आलोकित कर सकेंगे—हम, जो छोटे तो हैं, किन्तु जिनमें जलाई हुए ज्योतिया आज भी जल रही हैं। अतीत भारत के वह शायद सबसे बड़े प्रतीक थे। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि वह भावी भारत के भी सबसे बड़े प्रतीक थे। आज हम उसी अतीत और भविष्य के बीच इर्त्तमान के सकट-जनक युग में खड़े-खड़े सभी तरह के सकटों का सामना कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा सकट विश्वास का अभाव, निराजा की भावना और हृदय तथा आत्मा का वह पतन है जो हमसे उस समय उत्पन्न होता है जब हम आदर्शों को ढुकराये जाते देखते हैं, जब हम उन बड़ी-बड़ी बातों को जिनकी हम चर्चा किया करते थे, शून्य शब्दों का रूप लेते देखते हैं और जब हम जीवन को एक दूसरा मार्ग ग्रहण करते पाते हैं। किर भी मैं विश्वास करता हूँ कि यह समय शीघ्र ही बीत जायगा।

प्रभु का यह प्यारा जितना महान् अपने जीवन में था उससे महत्तर उसकी मृत्यु थी और मुझे इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि जिस महान् हित की वह अपने जीवन में सेवा करता आया था, उसकी उसने अपनी मृत्यु से भी सेवा की है। आज हम उस महापुरुष के लिए शोक मनाते हैं; हम उसके लिए सदा शोक मनायेंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं और अपने सम्माननीय भूम को नहीं भूल सकते; किन्तु

हम जानते हैं कि वह यह नहीं चाहते कि हम उनके लिए शोक मनावें। अपने निकट-से-निकट और प्रिय-से-प्रिय व्यक्ति के भी इस संसार से जले जाने पर उन्होंने आंखों से आंसू नहीं बहाये। उनके सामने बस एक बुढ़ा संकल्प था—काम करते रहना और जिस हित को उन्होंने बुना था उसकी सेवा में संलग्न रहना। इसलिए यदि हम केवल शोक मनायेंगे तो वह हमसे खुश नहीं होंगे। उन्हे अद्वान्जलि अपित करने का यह एक बहुत ही घटिया तरीका है। उसका एकमात्र तरीका यह है कि हम अपनी दृढ़प्रतिज्ञा की घोषणा करें, नये सिरे से संकल्प लें, इसी तरह से अवधार करते रहे और जिस महान् कार्य को उन्होंने अपने कंधों पर लिया था और जिसे उन्होंने बड़ी भाँति भूरा कर लिया था उसकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दें। हमें काम करना है, हमें मेहनत करनी है, हमें त्याग करना है और कम-से-कम कुछ सीमा तक अपने को उनका योग्य अनुयायी लिद्द करना है।....

यह घटना, यह दुःखद घटना, किसी एक पाण्डल का काम नहीं है। हिंसा और धूणा के उस वातावरण का कल है जो पिछले कितने ही वर्षों से, और बिजेष रूप से पिछले कुछ महीनों से, देश में फैला हुआ है। वह वातावरण आज हमें घेरे हुए है और यदि हमें उस हित की सेवा करनी है जो उन्होंने हमारे सामने रखा था तो हमें इस वातावरण का सामना करना है, इसे रोकना है, इससे युद्ध करना है और धूणा तथा हिंसा के दुर्गुण को निर्मूल करना है। जहां तक इस सरकार का सबाल है, मैं समझता हूँ कि वह इसे दूर करने के लिए कोई भी कसर नहीं उठा रखेगो, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, यदि हम अपनी कमज़ोरी के कारण या किसी दूसरे ऐसे कारण से जिसे हम पर्याप्त समझते हैं, इस हिंसा को रोकने और बचन, लेख या कर्म द्वारा प्रसारित की जाने वाली धूणा को बुद्धि को नहीं रोकेंगे तो इसका भतलब यह है कि हम इस सरकार में रहने के योग्य नहीं हैं, हम उनके अनुयायी बनने के योग्य नहीं हैं और जो महान् आत्मा जली गई है उसकी प्रशंसा में दो शब्द कहने के योग्य नहीं हैं। इसलिए इस अवसर पर

या जब कभी हमें यह याद आये कि हमारा वह महान् गुरु नहीं रहा तब हमें कर्म, भेदभाव और स्थान के आधार पर उनका स्मरण करना चाहिए हमें यह सोचकर उसका स्मरण करना चाहिए कि जहाँ कहीं भी बुराई विलाई देशी कहीं हम उससे संघर्ष करेंगे, सत्य का उसी रूप में अनुगमन करेंगे जिस रूप में उन्होंने उसे हमारे सामने रखा था। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम आहे कितने ही अयोग्य क्षणों न हों, कम-से-कम अपने कर्तव्य का पालन कर चुके होंगे और उनकी आत्मा को उचित अद्वांजलि अपित कर चुके होंगे।

वह चले गये हैं और आज सारे भारत में ऐसा लग रहा है जैसे हम अकेले और अनाथ रह गये हैं। यह भावना हम सब में है और मैं कह नहीं सकता कि हम उससे कब तक मुक्त हो पायेंगे। इसके अलावा हम परमात्मा के कृतज्ञ भी हैं कि इस महान् अविक्षित के संपर्क में रहने का सौभाग्य वर्तमान पीढ़ी के हम लोगों को ही भिला है। आगे के यगां में—हो सकता है कि सदियों और हजारों वर्ष बाद—लोग इस पीढ़ी की बातें सोचा करेंगे कि प्रभु का यह प्यारा पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। वे हमारी भी याद किया करेंगे—हम जो छोटे होते हुए भी उनके मार्ग का अनुगमन कर सके और जिस पवित्र भूमि पर उनके पश्च पड़े उस पर शायद हम भी चले। हमें उनके योग्य होना चाहिए, सदा उनके योग्य होना चाहिए।<sup>1</sup>

#### \* बापू

सन् १९१६ की बात है—आज से ३२ साल से भी पहले को, जब कि मैंने बापू को पहली बार देखा था। तब से अब तक एक युग बीत गया। स्वभावतः हम अतीत की ओर देखते हैं और स्मृतियाँ एक के बाद एक चली आती हैं। भारत के इतिहास में यह भी एक कैसा आश्चर्यजनक काल रहा है। इस युग को कहानी

<sup>1</sup> विधान परिषद् में २ फरवरी १९४८ को दिया गया भाषण।

अपनी जय और पराजय के साथ एक कविता और रोमांचकारी कथा-सी लगती है। हमारे नगण्य जीवन में भी उस रोमाच का स्पर्श हुआ है, क्योंकि हम इस काल में रहे हैं और छोटे या बड़े रूप में भारत के महान् नाटक के अभिनेता हैं।

इस काल में सारे समाज में लडाइया, उपद्रव और रोमांचकारी घटनाएं हुईं। किर भी भारत की घटनाएँ इन सबसे विशेष और भिन्न हैं, क्योंकि उनका आधार ही बिलकुल अलग है। यदि कोई व्यक्ति बापू के संबंध में अधिक जाने बिना ही इस काल का अध्ययन करे तो वह ताज्जुब करेगा कि भारत में यह सब कैसे और क्यों हुआ? इसकी व्याख्या करना कठिन है, तर्क के आधार पर यह समझना भी मुश्किल है कि हमसे से प्रत्येक आदमी ने ऐसा क्यों किया। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति और एक पूरा-का-पूरा राष्ट्र तक किसी भावना या अनुभूति के बाह्य में पड़कर एक विशेष ढंग के कार्य के पास जा पहुँचता है—कभी-कभी वह कार्य अल्प किन्तु अधिकत निम्नकोटि का होता है। पर धीरे-धीरे वह भावना और वह अनुभूति समाप्त हो जाती है और वह व्यक्ति जल्दी ही कर्मण्यता और अकर्मण्यता के अपने पुराने स्तर पर आ जाता है।

इस काल में भारत की आश्चर्यजनक घटना केवल यही नहीं थी कि सामूहिक रूप से देश का कार्य एक उच्च स्तर पर होता रहा, बल्कि यह भी कि वह कार्य उस स्तर पर प्राय लगातार बहुत लंबे समय तक चलता रहा। चिस्सदेह यह एक बहुत बड़ी सफलता थी। जब तक हम उस आश्चर्यजनक व्यक्ति की ओर नहीं देखेंगे जिसने इस युग को सांचे में ढाला, तबतक हम न तो इसे साफ-साफ समझ सकेंगे और न इसकी व्याख्या ही कर सकेंगे। एक महान् मूर्ति की तरह वह भारतीय इति-हास से पचास वर्ष आगे लड़े हैं—झारीर से ही महान् नहीं, बल्कि मस्तिष्क और आत्मा से भी महान्।

हम बापू के लिए शोक करते हैं और ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम अनाथ हो गये हों। यदि हम उनके भव्य जीवन पर दृष्टिपात करें तो हमें उसमें शोक करने

की बात हो क्या दिखाई देगी ? इतिहास में निस्संबोह ऐसे बहुत ही कम लेग मिलेंगे जिन्हे अपने जीवन में इतनी सफलता का सौभाग्य मिला हो । उन्हें हमारी असफलता पर गलानि होती थी और वह इस बात से हुँसी थे कि भारत को अधिक ऊंचा नहीं उठा सके । वह गलानि और वह दुःख बड़ी ही असानी में समझ में आ जाते हैं । फिर भी किसे यह कहने का साहस है कि उनका जीवन असफल था ? जिस चस्तु को भी उन्होंने स्पष्ट किया उसे ग्रहण करने थोग्य और बहुमूल्य बना दिया । उन्होंने जो कुछ भी किया उसका ठोस परिणाम निकला; यद्यपि उतना बड़ा परिणाम नहीं जितना कि वह आशा करते थे । उन्हे देखकर वह भावना होती थी कि ऐसा कोई कार्य नहीं जिसके लिए वह प्रयत्न करें और सफल न हों । गीता के उपदेश के अनुसार उन्होंने फल की चिता किये बिना ही निर्लिप्त भाव से कार्य किया और इसी लिए उनके कार्य फलीभूत हुए ।

उनके लघे जीवन में, जो कि कठोर श्रम और कियाशीलता तथा साधारण क्षेत्र में ही की गई नूतन साहसकिताओं से परिपूर्ण था, एक भी बेसुरी तान नहीं । उनकी सारी बहिर्मुखी कियाए धीरे-धीरे एक मिथित स्वर का रूप धारण करती गई और उनका एक-एक शब्द, एक-एक इशारा उससे मेल खाता था और इस प्रकार अनजाने ही वह एक निर्बल कलाकार बन गये । उन्होंने जीने की कला सीख ली थी, यद्यपि जिस तरह का जीवन उन्होंने अपनाया था वह संसार के साधारण जीवन से बहुत भिन्न था । यह बात स्पष्ट हो गई कि सत्य और अच्छाई का अनुशीलन करने से और बातों के साथ-साथ जीवन-यापन की यह कला भी मिल जाती है ।

जैसे-जैसे वह बढ़े होते गये वैसे-वैसे उनका शरीर उनके भीतर की महान् अत्मा का एक बाह्य भाव बनता था । उन्हे सुनते था उन्हे देखते समय लेग उनके शरीर को एक प्रकार से भूल जाते थे । इसलिए वह जहा बैठते थे वह मन्दिर बन जाता था और वह जहा चलते थे वह भूमि परिव्राज हो जाती थी ।

उनकी मृत्यु तक में एक भव्य और पूर्ण कला थी। वह हर तरह की एक उपयुक्त पराकार्षा थी। सब पूछिये तो उससे उनके जीवन की शिक्षा और भी श्रेष्ठ बन गई। उनकी मृत्यु उस समय हुई जब कि उनकी शक्तियाँ अपनी पूर्ण अवस्था में थीं और जब वह प्रार्थना के लिए जा रहे थे—निस्संबंध इसी समय वह स्वयं मरना पसंद करते थे। वह उस एकता के लिए शहीद बन मए जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया था और जिसके लिए वह निरन्तर अम करते आए थे—विशेषतः पिछले एक साल या उससे कुछ पहले से। उनकी मृत्यु एक-एक हुई जैसे कि सभी लोग मरना चाहते हैं। उनके शरीरका कोई स्फूर्त नहीं त्रुआ था, उन्हें कोई लंबी बीमारी नहीं भोगनी पड़ी थी और न उनके मस्तिष्क की चेतना ही मिटी थी जैसा कि अक्सर आयु के साथ हो जाता है। इसलिए हम उनके लिए क्यों शोक भनावें? हम उन्हें एक ऐसे गुह के रूप में याद करेंगे जिसका कदम अंत तक कोमल था, जिसकी मुस्कराहट दूसरों में भी मुस्कराहट जगा देती थी और जिसकी आँखें सदा हँसती ही रहती थीं। हम यह कभी नहीं कह सकेंगे कि उनके शरीर या मस्तिष्क ने काम करना बन्द कर दिया। वह अपनी शक्ति और अपने अधिकारों को पराकार्षा पर पहुंचकर जिये और मरे और हमारे तथा युग के सामने एक ऐसा चित्र छोड़ गये जो कभी मिट नहीं सकता।

वह चित्र कभी धुंधला नहीं पड़ेगा। किन्तु उन्होंने इससे भी अधिक किया। वह हमारे मस्तिष्क और हमारी आत्मा के तत्त्व में ही प्रवेश कर गये और उसे बदल-कर नये सांचे में ढाल दिया। गांधी-युग तो बीत जायेगा; किन्तु वह तत्त्व अक्षुण्ण रहेगा और बाद की प्रत्येक पीढ़ी पर असर करता रहेगा; क्योंकि वह भारत की आत्मा का एक अंग बन गया है। ठीक ऐसे समय में जब इस देश में हममें आत्मिक दुर्बलता आती जा रही थी वापू हमें बलवान बनाने आये और उन्होंने हमें जो शक्ति दी वह एक काण या एक दिमांग या एक वर्ष के लिए नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी वस्तु थी जो हमारे राष्ट्रकी परम्परागत संपत्ति में जुड़ गई।

बापू ने भारत ही नहीं बल्कि सारे संसार और हम मरीचों के लिए भी एक देव के समान—और वह भी बड़ी सुखादता के साथ—कार्य किया है—जब हमारी बारी है कि हम उनके साथ और उनकी स्मृति के साथ बोलता न करें, उनके कार्य को अपनी पूरी योग्यता के साथ जारी रखें और जो प्रतिकार हमने भारतार ली है उन्हें पूरा करें।<sup>1</sup>

### ‘महात्मा गांधी की जय’

[ १२ फरवरी १९४८ को प्रयाग मे त्रिवेणी-सगम पर पूर्ज्य बापू के अस्थि-विसर्जन के बाद दिया गया भाषण । यह भाषण आल इडिया रेडियो के सौजन्य से भूल हिन्दी मे ही प्राप्त हुआ है । ]

आखिरी सफर लक्ष्मण हुआ, अंतिम यात्रा समाप्त हो गई। ५० वर्ष से ऊपर हुआ, महात्मा गांधी ने हमारे इस देश मे बहुत चक्कर लगाये। हिमालय से, तीमां-प्रात से, बहुपुत्र से लेकर कन्याकुमारी तक सारे प्रांतों में, सारे देश के हिस्सों में घूमे। खाली तमाका देखने के लिए नहीं जाते थे, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए, जनता को पहचानने के लिए। और शायद कोई भी हिन्दुस्तानी नहीं होगा जिसने इतना, इस भारत देश में, भ्रष्ट किया हो, इतना यहां की जनता को पहिचाना हो, और जनता की इतनी सेवा की हो। तो उनकी इस दुनिया की यात्रा लक्ष्मण हुई। हमारी और आपकी यात्राएं अभी जारी हैं।

कुछ लोग शोक करते हैं। और शोक करना कुछ मुनासिब भी है, उचित भी है। लेकिन शोक किस बात का? गांधीजी के मुजरने का—महात्मा जी के लिए या किसी और के लिए? महात्माजी का जीवन और महात्माजी की मृत्यु ऐसी हुई हैं, जोनों कि, हमेशा के लिए हमारा देश उनकी बदह से बमरक्ता द्वारा ।

<sup>1</sup> हरिजन, २ फरवरी १९४८ ।

शोक किस बात का ! हां, शोक है; शोक अपने पर, महात्माजी के ऊपर नहीं । अपने ऊपर, अपनी दुर्बलता पर, हमारे दिल में जो द्वेष है, जो अदावतें, यह जो हम आपस में लड़ाइया लड़ते हैं उन पर । याद रखो, महात्माजी ने किस बात पर अपनी जान दी ? याद रखिये क्या बात पिछले चन्द महीनों से उन्होंने विशेषकर घकड़ी थी? अब हम जो उनका आदर करते हैं तो फिर आदर खाली नाम का तो नहीं, उनकी बातों का, उनके उपदेश का और विशेषकर इस बात का जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया । और फिर हम और आप यहां इस त्रिवेणी से, गगा तट से, घर जाकर जरा अपने-अपने दिलों से पूछें कि हमने अपना कर्तव्य कितना किया । हमें जो महात्माजी ने रास्ता बतलाया था उसमें कहा तक हम चले, कहां तक हमने आपस में मेल रखने की कोशिश की, कहा तक लड़ाई की । अगर इन बातों पर हम विचार करे और फिर सही रास्ते पर चलें तभी हमारे लिए भला हैं और हमारे देश के लिए भला है । एक महापुरुष हमारे देश में आये, दुनिया भर को उन्होंने चमकाया, हमारे देश को चमकाया और फिर हमारे देश के और हमारे एक भाई के हाथ से उनकी हत्या हुई । क्या बात है ? आप सोचें, एक आदमी पागल होता है या न हो; लेकिन क्या बात है कि इस आदमी ने हत्या की । इसलिए कि इस देश में इतना विष फैलाया गया है, ऐसा जहर फैलाया गया है, एक-दूसरे के दिलों में, एक-दूसरे के विरुद्ध, खिलाफ, दुश्मनी, लड़ाई-झगड़े का । उस विष में से यह सब जहरीले पौधे निकल रहे हैं । अब आपका हमारा काम है कि उस जहर को हम खत्म करें । हमने अगर महात्मा जी से कुछ सबक सीखा हूँ तो किसी एक व्यक्ति से, एक शख्स से, दुश्मनी का सबाल नहीं है । हम किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे; लेकिन जो बुरा काम है, जो जहरीली बात है, उससे दुश्मनी करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे और उसको हरायेंगे । यह सबक हमने सीखा महात्माजी से । हम तो कमज़ोर लोग हैं, फिर भी उनके साथ रहकर कुछ बड़पन हममें भी आ गया । उनकी साथा में हम भी कुछ लोगों

को लम्बे-बोड़े मालूम होने लगे। लेकिन असल में तेज उनका था, प्रताप उनका था, शक्ति उनको थी और रास्ता उनका था। कुछ लड़खड़ाते, ठोकर लाते हम भी उस रास्ते पर चले इसलिए कि हम भी कुछ सेवा कर सकें। देश का अब वह सहारा गया; लेकिन कैसे मैं कहता हूँ कि वह सहारा गया? क्योंकि जो यहाँ आज लाखों आदमी भौजूद हैं उनके अन्दर से और देश के करोड़ों आवश्यकों के बिलों में से क्या गांधीजी की तस्वीर हटेगी? आज नहीं, क्योंकि आज जिन करोड़ों लोगों ने उनको देखा है वे याद रखेंगे। आगे और नस्लें आयेंगी, पौधे आयेंगे, जिन्होंने अपनी आंखों से उन्हें नहीं देखा; लेकिन फिर भी उनके दिल में वह तस्वीर जारी रहेगी; क्योंकि देश के इतिहास में वह जम गई है। आज गांधी-युग एक तरह से कहा जाता है खत्म हुआ, जो ३०-४० वर्ष हुए भारत में शुरू हुआ था। लेकिन सत्य कैसे हुआ, समाप्त कैसे हुआ? वह तो एक तरह से, दूसरे ढंग से अब शुरू हुआ है। अब तक उनकी साधा में हम उनका सहारा लेते थे, बहुत उनसे मबद मिलती थी। अब हमें और आपको अपनी टांगों पर चलना है। हाँ, उनके उपदेश का सहारा लेना है, उनकी याद का सहारा लेना है, उनसे थोड़ा-बहुत जो सीखा है उसको सामने रखकर सहारा लेना है। और सहारा तो उनका काफी है; लेकिन अब अपनी टांगों पर चलना है और चिशेषकर जो उनका आखीरी उपदेश है, संदेश है, उसको याद रखना है और वह यह कि हमें डरना नहीं चाहिए। हमेशा वह सिखाते थे कि अपने दिल में से डर निकालना, अपने दिल में से द्वेष निकालना, लड़ाई-भगड़ा एक दूसरे से बन्द करना, अपने देश की आजाद करना। और उन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, स्वराज्य लिया। स्वराज्य लिया और उन्होंने ऐसे तरीके से लिया कि सारी दुनिया में आइचर्च हुआ। वह हमें मिला तो, लेकिन मिलते बहत पर हम उनका सबक भूल गये, बहक गये और लड़ाई-भगड़ा किया और देश का नाम बदनाम किया। आजकल कितने नौजवान हमारे यहाँ हैं जो बहके हुए रास्ते से न जाने क्या-क्या नारे उठाते हैं, गलत बातें कहते हैं। तो वे नौजवान तो हमारे हैं, इस देश के,

उन्हें हमें बनाना है। लेकिन मं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह जो जहर द्वेष का फैला हुआ है, लोगों के दिलों में, जो कहता है कि हिन्दू को मुसलमान से लड़ना, मुसलमान को हिन्दू से लड़ना, या सिल्ह को और किसी से, जो हममें शामिल भगड़े पंदा करता है या धर्म के नाम पर राजनीतिक भगड़ा पंदा करता है, जो कुछ हो वह जीज बुरी है, वह जहर बुरा है। उसने हमारे देश को नीचा दिखाया है और हमारे देश को और अगर देश को आजादी को तबाह करेगा, अगर हम होशियार नहीं होते। इसलिए हिन्दुस्तान को होशियार करने के लिए महात्माजी ने अभी कितने दिन हुए, दो-तीन सप्ताह ही सो हुए, उपवास किया कि जनता जाये, जिसर देश यह यहा है, उधर रहे। कुछ जनता जायी, कुछ हम लोगों ने और जनता के प्रतिनिधियों ने आकर उनसे इकरार किया, प्रतीक्षा की कि हां, हम इस गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। उन्होंने अपना द्रवत, उपवास सत्त्व किया। किसको भालूम था उस समय कि थोड़े ही दिन में यह एक ज्यादा लंबा सिलसिला शुरू होगा उपवास का, मौन का। एक दिन वह मौन रखते थे सप्ताह में, पर आज हमेशा के लिए हमारे और आपके लिए वह मौन हो गये। तो आखिरी सबक उनका यह था इस लड़ाई-भगड़े को रोकना। और बहुत कुछ लोग उस सबक को समझे, आप और हम भी सब समझे और देश भी समझा; क्योंकि आप यह याद रखिये कि अगर ऐसा लड़ाई-भगड़ा जारी हुआ और अगर ये बातें हमारे देश में हुईं, जिनका एक नमूना और बहुत ही लतरनाक नमूना महात्माजी की मौत है, यानी क्या कि हमारे देश में लोग हाथ उठायें, दूसरे की हत्या करें; दूसरे की, और कंसे की, ऐसे महा-पुरुष की, इसलिए कि उसकी राय से वह नहीं सहमत था, इसलिए कि वह राजनीति में उसको सही, नहीं समझता था, तो यह बड़ा लतरनाक रास्ता है, अगर हमारा देश इसमें पड़ा, एक दूसरे को मारने के लिए। इसलिए क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे देश में जनता का राज्य हो, स्वराज्य हो, उसके माने क्या है? हम एक-दूसरे को समझें, सारी जनता अपना प्रतिनिधि चुनें और जो बात वे निश्चय करें

वह बात की जाय। अगर इस तरह हम एक-दूसरे को समझकर नहीं करते और हर एक आदमी एक दूसरे से लड़ता है तो देश क्या? वह देश तो तबाह हो जाता है। यहां बहुत सारे सिपाही बढ़े हैं, हमारे देश के फौज के सिपाही, हिन्दुस्तानी फौज के सिपाहियों को अपने देश की आजादी और देश के लिए गफर करना उनका कर्तव्य है। देश की सेवा करें, देश की रक्षा करें। अगर वह सिपाही एक-दूसरे से लड़ा करें तो फौज की झाँज खत्म हो जायगी। फिर फौज की जश्नित तो नहीं रही, ताकत तो नहीं रही। इस तरह से देश की ताकत और देश की जश्नित एक दूसरे से लड़ने से गिरती है। जो बातें हों उनको मिस्त्र करना, एक-दूसरे को समझकर, यही ठीक स्वराज्य होता है, ठीक जनता का राज्य होता है। तो इस राय में जो लोग नहीं चलता था हृते वह दूसरे रस्ते पर चलते हैं, किन्तु जब वह हमें और आपको नहीं समझा सकते तो वह फिर तलबार और बन्धूक लेकर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, अपने भाइयों को, कर्वांक जनता उनके बिरद है। अगर जनता उनके बिरद न हो तो वह फिर जनता के बल पर हुकूमत की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। लेकिन जब वह जानते हैं कि जनता इसके बिरोध में है और जनता को इस तरफ नहीं ला सकते तब ऐसी बातें करते हैं, भगद्दा-कराय करके ताकि उसमें उलटफेर हो तो उससे वे कोई कायदा उठायें। लेकिन यह तो ऐसे बचपन की बात है कि कोई लोग इस तरीके से मारपीट करके यहां की हुकूमत को बदल सकते हैं या यहां भारत में उलटफेर कर सकते हैं। यह तो कोई आदमी जो बिलकुल समझता नहीं है वह ऐसी बात कह सकता है। फिर भी ऐसी बात हुई तो क्यों हुई? इसलिए कि काफी लोग हमारे देश में और ऐसे लोग जो ऊंची पदवियों पर हैं, नीचे हैं और हर जगह हैं उन्होंने इस किंजा को, जहारीले बिल की छिंजा को, देश में बढ़ाया। अब हमारा और आपका काम है कि इस जहर को याक़ड़े और इस जहर को खत्म करें, नहीं तो याद रखिए यह देश इस जहर में दूष जायगा। मुझे विश्वास है कि हम इसका बिरोध पूरी तरह करेंगे और अगर

हमारे हाथ, परं जरा कमजोर थे, दिल कमजोर था तो यह देखकर कि महात्माजी को मृत्यु हुह है, आपमें और मुझमें से कितने ऐसे आदमी हैं जो इस बात की प्रतिक्रिया नहीं करते कि हम इस बात को नहीं होने देंगे, भगड़े-फसाद को, जिसके लिए महात्माजी मरे और जिससे हमारे देश का, दुनिया का महापुरुष मरा। इस बात को जहां तक हममें ताकत है पूरा करेंगे।

तो आप हम सब यहां इस गगा के तट से बापस जायेंगे। और दिल उदास है, अकेलापन है, विचार आता है कि अब कभी हम गांधीजी को नहीं देखेंगे। दौड़-दौड़ कर हम उनके पास आते थे जब कोई दिल में परेशानी हो, जब कोई बड़ा प्रश्न हो और समझ में न आये कि क्या करें, उनसे सलाह लेते थे। अब कोई सलाह देने वाला नहीं है। न कोई हमारे बोझों को उठानेवाला है। मेरे नहीं, आपके और हम सबों के। हमारे देश में जाने कितने हजार या लाख पुरुष उनको अपना मित्र समझते थे, उनके पास दौड़-दौड़कर जाते थे। सभी उनके एक बच्चे से हो गये थे। इसलिए उनका नाम हो गया 'राष्ट्रपिता'। और वह तो हमारे देश के पिता है और देश के घर-घर में, लाखों करोड़ों घरों में, आज उतना ही ज्ञोक है जितना कि पिता के जाने से होता है। तो हम यहा से जायेंगे उदास होकर, अकेले होकर। लेकिन उसके साथ हम यहा से जायेंगे एक गहर लेकर—इस बात का कि हमारे देश में, हमारा नेता ऐसा एक महापुरुष था कि उसने समूर्ण देश को कितनी दूर तक पहुंचाकर सच्चाई के रास्ते पर लगाया और हमें जो लडाई का तरीका बताया वह भी हमेशा सच्चाई का था। याद रखिये यह जो रास्ता उन्होंने हमें सिखाया वह लडाई का था, वह चुपचाप हिमालय की चोटी पर बैठनेवाले महात्मा का नहीं था। वह हमेशा अच्छे कामों के लिए लडाई करने वाले थे; लेकिन लडाई उनकी सच्चाई, सत्य, अहिंसा और जांति की थी, जिसमें उन्होंने ४० करोड़ आदमियों को आजाद कराया। तो हमें शांत नहीं रहना है, इस तरह से कि चुपचाप हम जाकर छिप जाय। हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है और जो कुछ हमारा एक फर्ज है उसको अदा करना

है। और कर्वं हमारा यह है कि जो हमने उससे प्रतिक्रिया की है, जो हमारे देश में वह विष फैला है, सारांशियाँ पैदा हुई हैं उनको हटाकर हम सच्चाई के रास्ते पर, अर्थ के रास्ते पर चलें। हम इस देश को ऐसा बनायें, स्वतन्त्र और आवाद हिंदुस्तान, जिसमें हर एक आदमी, हर एक धर्म का सुझी से रहे, मिलकर रहे और एक दूसरे की सहायता करे और दुनिया को भी हम रास्ता दिखायें। यह प्रतिक्रिया करके हम यहाँ से जायं तो हमारे लिए भला है। हमने एक बड़ा सबक तो सीखा और अगर हम इस बात को नहीं कर सकते, दुर्बलता में पड़ते हैं तो किर यह कहा जायेगा कि एक महापुरुष आया, लेकिन जनता उसके पोषण नहीं थी, बहकती थी, छोटी थी और उसके बड़े पन को भी नहीं समझती थी।

‘महात्माजी की जय’ आपने और हमने इस तीस-चालोस वर्ष में कितनी बार पुकारी। सारे देश में वह आवाज गूजी। वह आवाज सुनकर महात्माजी का दिल दुखता था। क्योंकि वह अपनी जय कथा चाहे। वह तो विजयी पुरुष थे। उनकी जय आप कथा करेंगे? जय हमारी और आपकी होने वाली है और इस देश, बदकिस्मत देश की, जो जय कहकर ऐसी बात करते हैं जिससे देश कीचड़ में गिर जाता है! उनकी जय तो है, हमेशा के लिए, हजार दस हजार वर्ष तक उनका नाम लिया जायेगा एक विजयी पुरुष की हैसियत से। जय हमारी और आपकी वह चाहते थे। इसलिए देश की, जनता की और विशेषकर देश की गरीब जनता की। किसान बिचारे, “हमारे हरिजन भाई, जो कोई दरिद्र हो, जो कोई गरीब हो, जो गिरे हुए हो, उनको वह सेवा करते थे, वह उनको जाकर उठाते थे। उनके ढंग से उन्होंने अपना रहन-सहन बनाया और कोशिश की कि देश में कोई नीचा न हो। दरिद्रनाराधर की वह जरूरी करते थे। इस तरीके से उन्होंने आपकी और हमारी जय चाही थी। देश की जय चाही थी, लेकिन हमारी और आपकी, देश की जय और कोई तो नहीं कर सकता। वह तो हम अपने बाहुबल से कर सकते थे। तो उन्होंने हमें मन्त्र पढ़ाया, सिखाया कि

क्या हम करें और क्या न करें। किसी जय वह चाहते थे, साली ऊंचरी जय नहीं, जैसो कि और देश में होती है कि जरा युलदोर मचाकर, हुल्लु, बेइनामी करके, या कुछ तलबार बन्दूक भी चलाकर हमारी जीत जरा-नो हो जाए। वह जीत बहुत दिनों तक चलती नहीं और जिस और देश भी हल्के-हल्के सीख रहे थे कि विजय एक देश की ऐसी बड़ी बुनियाद पर, सच्चाई पर अटल है, जिसके अंदर हम आज बड़ी इमारत बनायें, तो वह कभी गिर नहीं सकती; क्योंकि बुनियाद मजबूत है। आजकल की दुनिया में कांति होती है, इनकलब, डलट-मलट, किसी देश नीचे है, कभी ऊचे, फरेब है, भूठ है, दगड़ाजी है, यह आजकल की राजनीति है। उन्होंने हमें दूसरी राजनीति तिलाई, सच्चाई और अंहसा की, एक दूसरे से प्रेम करने की। उन्होंने हमें यह बतलाया कि यह जो भारत देश है, इसमें बहुत सारे धर्म, भजाहब हैं, बहुत दिनों से रहते हैं, वह सब भारत के हो गये हैं, विदेश के नहीं। वह सब हमारे हैं, यह सब हमारे भाई है, हमें मिलकर रहना है, किसी को अधिकार न हो कि वह दूसरे के अधिकार पर कछा करे, किसी को अधिकार न हो कि वह किसी दूसरे का हिस्सा ले। हमारी जनता का राज्य हो, उसमें सारे ३०-४० करोड़ हिन्दु-स्त्रीनियों का बद्रबर का भाग हो। यह नहीं कि बड़े से अमीर लोग उसके बड़े हिस्सेदार हो जायें और सारी हमारी जनता गरीब हो। यह स्वराज्य महात्माजी का नहीं था। आम जनता का स्वराज्य एक कठिन बात है। लेकिन हल्के-हल्के हम इस तरफ जा रहे हैं और उनका सबक सीखकर और उनकी जाकित और तेज सेकर हम भी हल्के-हल्के बढ़ते हैं। लेकिन यदि उनका यह आखीरे सबक देखकर समझ आ गया है कि हम ज्यादा बुस्ती से आगे बढ़े और सभभें और उसकी खस-कियों को सात्म करें और फिर आगे बढ़े। तब असल में हम और आप बहुत जोरों से सच्चाई से कह सकेंगे कि

‘महात्मा गांधी की जय।’

### उनका योग्य स्मारक

[जाल इडिया रेडियो से १४ फरवरी १९४८ को दिया गया भाषण]  
मिश्र और साक्षियों !

दो सप्ताह हो गये जब हिन्दुस्तान और संसार के एक ऐसी बात का सुनाई दी जिससे हिन्दुस्तान अनेक बुरों तक व्यक्ति रहेगा । इन दो हस्तों में ललेश रहा, हृष्ण की छात्र-जीन हुई, प्रबल और दूषि हुई भावनाएं प्रवाहित हुई । करोड़ों आंखों से आँख गिरे । क्या अच्छा होता अगर इन आँखों से हमारी तुलसा और कमज़ोरी घुल जाती, और हम उस महानुष के किसी कदर योग्य बन जाते, जिसके लिए हम अफसोस कर रहे हैं । इन दो सप्ताह में, संसार के कोने-कोने से बाबकाहों, बड़े-बड़े राजाओं और अधिकांश व्यक्तियों से लेकर, साधारण आदमियों तक ने, जिन्होंने उस महानुष को अपना साथी, मिश्र और नेता समझा था, अभिवादन और नम बन्दना अप्स्ति की ।

भावनाओं का यह जल-प्रवाह धीरे-धीरे मन्द हो जायगा, जैसे सब भावनायें ठंडी पढ़ जाती हैं । यद्यपि हम उस प्रकार के नहीं हो सकते जैसे पहले थे, किर भी वह हम लोगों के मन और प्राणों में समा गया है ।

लोग कहते हैं कि उसकी स्मृति में संगमरमर या धातु की मूर्तियाँ बनाई जायं या स्तम्भ खड़े किये जायं । उस प्रकार वे उस महानुष का तिरस्कार करते हैं और उसके संदेश को भुलाते हैं । हम उनका किस प्रकार आवर या अभिवादन करें, जिसे वह पसन्द करते । उन्होंने हमें जिवा रहने का रास्ता बताया और मरने का भी । अगर हमने यह सबक नहीं सीखा तो बेहतर है कि हम उनके लिये कोई स्मारक न बनायें; क्योंकि उनका उचित स्मारक यही है कि हम आदरपूर्वक उनके बताये हुए रास्ते पर चलें और जीवन और मरण में अपने कर्तव्य का पालन करें ।

वह हिन्दू थे और भारतीय थे । इतने महान कि उनसे बड़ा कई पुस्तों से इस देश में पैदा नहीं हुआ । उन्हें हिन्दू होने और भारतीय होने का अनिमान

था, उन्हे हिन्दुस्तान प्यारा था; क्योंकि हिन्दुस्तान पुगयुगान्तर से कुछ अटल सत्यों का प्रतिनिधि रहा है। यद्यपि वह बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति थे और राष्ट्रपिता कहलाये—जिस राष्ट्र को उन्होंने बन्धनों से छुड़ाया—लेकिन किसी सकीर्ण धार्मिक या राष्ट्रीय बन्धन से उनको आत्मा बंधी नहीं थी। इस प्रकार वह महान् अन्तर्राष्ट्रीय-वादी हो गये, जो मनुष्यमात्र की भौलिक एकता में विद्वास रखते और सब धर्मों के मूल में एकता देखते। वह मनुष्य की आवश्यकताओं को समझते थे और दीन-दुखी और करोड़ो पद-दलित लोगों की सेवा में अपने को लगाते थे।

इतिहास में कोई दूसरा मनुष्य ऐसा नहीं हुआ जिसके मरने पर इतने अभिवादन आये हों जितने इनके। उनके लिए तो वह शोक-सन्देश सबसे प्रिय होता जो पाकिस्तान के लोगों ने स्वतः भेजा है। इस दारण दुर्घटना के दूसरे दिन हम सब लोग थोड़ी देर के लिए उस कटुता को भूल गये जो पैदा हो गई थी और पिछले कुछ महीनों का लिचाव और संघर्ष भी जाता रहा। और गांधीजी इस जीवित कौम के दो टुकड़े होने के पहले बाले भारत के प्रिय नेता के रूप में प्रदर्शित हो गये।

लोगों के विल और दिभाग के ऊपर उनके इस प्रभाव का क्या कारण था? आने वाला युग इसका जवाब देगा। हम लोग उनके इतने निकट हैं कि उनके सम्पन्न और असाधारण व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं को नहीं समझ सकते। लेकिन हम इतना समझते हैं कि सत्य उनका प्रधान आराध्यदेव था। इसी सत्य से प्रेरित होकर उन्होंने निरन्तर इस बात की धोषणा की कि बुरे साधनों से अच्छा लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सकता। अगर साधन बुरे हैं तो लक्ष्य बिंगड़ जाता है। इसी सत्य से प्रेरित होकर उन्होंने जब कभी समझा कि उनसे गलती हो गई तो अपनी गलती खुल्लमखुल्ला जनता के सामने स्वीकार कर लेते। वह अपनी कुछ गलतियों को हिमालय की तरह महान् कहते थे। इसी सत्य की प्रेरणा से प्रभावित होकर वह बुराई और असत्य से, जहा कहीं वे उनको मिलते, लड़ते। परिणाम की

वह कोई परब्रह्म नहीं करते थे। इसी सत्य से दीन और मुख्यों की सेवा उनके जीवन की प्रबल प्रेरणा बन गई थी; क्योंकि जहाँ असमानता है, भेद-भाव है, दूसरों के दबाने की व्यवस्था है वहीं अन्धान्य, पाप और असत्य है। इस तरह वह सामाजिक या राजनीतिक अत्याचारों से धीकृत लोगों के खिलाफ़ हो गये। वे अदर्श मनुष्यता के एक बड़े प्रतिनिधि बन गये। इसी सत्य के कारण जहाँ कहीं वह बैठते मन्दिर हो जाता और जिस जगह पदार्पण करते वह पवित्र स्थल बन जाता।

उनका स्थूल शरीर चला गया। अब हम उसे नहीं देख सकते और न उनकी नम्र वाणी सुन सकते हैं, न उनके पास सलाह-ममत्विरा के लिए ही दौड़कर जा सकते हैं। लेकिन उनकी अभिट स्मृति और अमर सचेत हमारे पास अभी तक हैं। हम उनका आदर कैसे करें और उनके अनुसार अपना जीवन कैसे बनायें?

वह भारत में एकता पैदा करने वाले महान् पुरुष थे, जिन्होंने हमें केवल दूसरों के प्रति सहिष्णुता ही नहीं सिखाई; बल्कि यह भी बताया कि हम दूसरों को अपना मित्र और साथी मानें, जो एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने हमें यह समझाया कि हम अपनी तुच्छ आत्मा और पक्षपात से ऊचे ऊर्छे और दूसरों में भलाई देखने का प्रयत्न करें। उनके जीवन के पिछले चन्द महीनों में और उनकी मृत्यु में, हम उनके एकता के सन्देश का, सहिष्णुता का और विशाल हृदय की स्मृति का दर्शन कर सकते हैं। उनकी मृत्यु के कुछ दिन पहले हम लोगों ने उनके सामने इसी बात की प्रतिज्ञा ली थी। हमको इस प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिये और याद रखना चाहिए कि भारत उन सबका है जो इसमें रहते हैं चाहे उनका भज्जब कुछ भी बद्यो न हो! हमारी महान् धाती में सब बराबर के हिस्सेदार हैं और इनके कर्तव्य और अधिकार भी बराबर हैं। हमारी क्रौम संयुक्त है, बड़ी क्रौमें अनिवार्य रूप से इसी प्रकार की होती हैं। अगर हमने अपनी दृष्टि संकुचित कर ली और इस महान् राष्ट्र के एक हृद तक सीमित करने की कोशिश की तो हम उनकी अंतिम सीख के प्रति विद्यासधात करेंगे और निस्संदेह भयंकर गड्ढे में जाकर मिरेंगे और

उस आजादी को सो बैठेंगे, जिसके लिए उन्होंने परिश्रम किया था और बहुत हद तक प्राप्त कर लिया था ।

भारत में साधारण जन को सेवा बहुत भवित्व की चीज़ है। इसने विनाश कालमें बहुत कष्ट सहा है। पहला स्थान साधारण जन का है और कोई भी अधिक जो इसकी भलाई के रास्ते में लड़ी होती है दूसरा स्थान रखती है। केवल नैतिक या परोपकार की दृष्टि से ही नहीं; बल्कि राजनीतिक सूझबूझ के आधार पर भी यह अस्तिंत आवश्यक हो गया है कि साधारण जन का स्तर बढ़ाया जाय और उसे उपरित करने का पूरा अवसर दिया जाय। कोई सामाजिक अवस्था जिसमें साधारण जन को यह अवसर नहीं मिलता स्वतः निष्कृष्ट है और उसे बदल देना चाहिए ।

गांधीजी तो गये; लेकिन उनकी दैदीप्यमान आत्मा हमको आच्छादित किये हुए हैं। वो अब हम पर हैं और हमारी सात्कालिक आवश्यकता यह है कि इस बोझ को हम अपनी पूरी ताकत और योग्यता लगाकर सम्भालने की कोशिश करें। हमें मिलकर रहना चाहिए और भोजन सांप्रदायिकता के उस विष का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे इस युग के सबसे भानून् पुरुष को मार डाला। हमें इसको जड़ से खोदकर उसाढ़ डालना चाहिए। बहके हुए अधिकारियों के प्रति द्वेष की भावना से नहीं, बल्कि इस द्वेष के बिरुद्ध प्रयत्न-शील होकर। गांधीजी को हत्या से यह दोष समाप्त नहीं हुआ, इस हत्या पर कुछ लोगों का अनेक प्रकार से समारोह करना और भी लज्जा की बात थी। जिन्होंने ऐसा किया या जिनकी ऐसी भावना थी उन्हें भारतीय कहलाने का हक जाता रहा ।

मैंने अभी कहा है कि हमें इस राष्ट्रीय संकट के अवसर पर संगठित रहना चाहिए और बहस-मुवाहसों से जहां तक संभव हो दूर रहना चाहिए। हमें उन भौलिक सिद्धांतों पर जोर देना चाहिए जिन पर हम सहमत हैं। मैं समाजार-पत्रों से विशेष रूप से अपील करता हूँ कि वे इस आवश्यक काम में मदद दें और

व्यक्तिगत या दूसरे प्रकार के आदेशों से दूर रहें, जिससे देश में फूट चढ़ा होने वाली भ्रेणाओं पैदा होती हैं। मेरे विद्येय रथ से अपने उन कानूनों के लालों साथियों और सहयोगियों से भी अपील करूँगा जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व का अनुकरण किया है—वहाँ उनकी जल्द मर्द ही कर्मों न रही हो।

मुझे अत्यन्त दुख हुआ कि समाजाद-यत्रों में और कानां-फूटी करके यह कहा जाता है कि मुझमें और सरदार पटेल में भत्तमेव हैं। इसमें शक नहीं कि अनेक समस्याओं के संबंध में हमारा और उनका बहुत दिलों से भत्त-भेद रहा है—मिलाज में और दूसरे तरह का भी। लेकिन हमारे देश-वासियों को यह समझना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन के अनेक भ्रष्टव्यपूर्ण पहलुओं के संबंध में हम लोगों में बोलिका भत्तक्षय इतना है कि जितके सामने यह भत्तमेव बड़ गया और हम दोनों ने बड़े-बड़े काम छोड़ाई शताब्दी तक मिलजुल कर किये हैं। सुख और दुःख में हम दरावर के साथी रहे हैं। क्या यह मुझकिन है कि अपने राष्ट्रीय भविष्य के इस संकट के अवसर पर हम दोनों में से कोई भी इतनी तुच्छता दिखाये कि राष्ट्रीय हित के अलावा किसी दूसरी बात का विचार करे? राष्ट्र के प्रति उनको आजीवन सेवा के लिए और उन महान कार्यों के लिए जो उन्होंने इस दरभियाल में जब से हम दोनों भारत सरकार में हैं—संपादित किये हैं। मेरे सरदार पटेल को सम्मान और प्रशংসा की भेट पेश करता हूँ। युद्ध और शान्ति दोनों में वह बहादुर सेनापति रहे हैं। जब दूसरे लड़खड़ाते थे तो उनका दिल मजबूत रहता था। वह बड़े संगठनकर्ता हैं इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि इतने सालों से मेरा और उनका संपर्क रहा और ज्यों-ज्यों समय बीता मेरा उनके प्रति सराहनीय भाव बढ़ता गया।

अभी हाल ही में कुछ अल्पारों में यह रिपोर्ट छपी है, जो कि बिलकुल अप्रमाणित है और जिससे लोगों को विश्वास होने लगा है, कि मैंने अपने पुराने मित्र और साथी जयप्रकाश नारायण के खिलाफ कड़े शब्द इस्तेमाल किये हैं। यह सबार गलत है मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि मुझे इतका गहरा दुःख है कि भारत

की सोशलिस्ट पार्टी भेरे विचार में, घटनाओं के दबाव से या आवेद्ध में गलत काम या गलत बयान देने के लिए विवश हो गई है। लेकिन मुझे कभी अवश्यकाकाश नारथण की योग्यता और इमानदारी में सन्देह नहीं रहा, जिनको मैं मित्र की हैंसियत से क्रद करता हूँ और मुझे विश्वास है कि एक समय आयेगा जब कि भारत के भाष्य-निर्माण में वह महत्वपूर्ण काम करेंगे। बदाकिस्मती से सोशलिस्ट पार्टी बहुत दिनों से निषेधात्मक नीति पर चल रही है और उन बड़े-बड़े सवालों की जिनको प्रथम स्थान देना चाहिए उपेक्षा करती रही है।

मैं सार्वजनिक जीवन में सहिष्णुता और सहयोग के लिए तथा उन तमाम शक्तियों के एकत्रित करने के लिए जो भारत को एक महान् उत्तरांशील राष्ट्र बनाना चाहती हैं प्रेरणा करता हूँ और मकीर्ण अंतर्विषयता और सांप्रदायिकता के विष के खिलाफ सर्वव्यापी प्रथल की प्रेरणा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि व्यावसायिक सघर्ष बन्द हो और भारत के निर्माण में सब लोग, जिनका इससे संबंध है, भिल-जुल कर कोशिश करें। मैं इन महान् कार्यों में वक्तचित रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ और मुझे विश्वास है कि इस युग के लोगों को यह सौभाय प्राप्त हो जायगा कि गांधीजी के सपनों को साकार रूप दे सकें। इसमें उनकी स्मृति का आदर है और यही उनका योग्य स्मारक है।

### गांधी ने हमें क्या सिखाया ?

[गांधी जयन्ती २ अक्टूबर १९६८ के दिन आल इंडिया रेडियो पर दिया गया राष्ट्र के नाम मदरा]

मित्रो और साथियो !

आज के दिन जो विशेष रूप से उनकी स्मृति के लिए समर्पित है, जिन्हे हम राष्ट्र-पिता कहते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ ? मैं इस समय आपके सामने प्रधान मन्त्री की हैंसियत से नहीं बल्कि जबाहरलाल की हैंसियत से बोलूँगा, जो आपके समान ही

भारत की स्वतन्त्रता की समझी बातों का भूतानुकूल सह है और जिनके बहुत सीभाषण जिला था कि भारत की और भारत की सेवा का सबक उस सुध के चरणों में बेळकर सीखे । अवश्यकता की समझदारों के बारे में भी जो हमारे मस्तिष्क में छाई हुई है और हमारे ज्ञान को बढ़ावह अवश्यकता करती रहती है में यथादा नहीं कहूँगा । पर में उस गौविलिक वस्तुओं के संबंध में जर्जर कर्णपा जिन्हें गांधीजी ने हमें सिखाया और जिनके जिन जीवन सेवकों और छिड़तम जब जाता है ।

उन्होंने हमें केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं वास्तुक सार्वजनिक जीवन और अन्तर्राष्ट्रीय अवधार में भी स्वयं से प्रेम व सक्ष और सरा अवधार रखना जिखाया । उन्होंने हमें अनुमता का और ज्ञान का औरक सिखाया । हमारे आभ्यं इस पुराने सबक को फिर से रखा कि यूका और उद्दंडता से सिखाय यूका, उद्दंडता और जिनास के कुछ और नहीं जिक्र रखता । इस अवधार उन्होंने हमें निर्भयता, एकता, सहिष्णुता, और आमित का रखता सिखाया ।

उनकी जिला पर हम जिस हर तरह जल्द जल्द हैं ? यकृत हूर तक नहीं—फिर भी उनके नेतृत्व में हमने यकृत कुछ लोकों और ग्रामिणों द्वारा से अपने देश की स्वतन्त्रता प्राप्त की । लेकिन तीक युक्त याने के समक हम यूक भये और अहंकार रखते राहते पर जाल लिये, जिनसे हर जिनका हूम्बड़ था, जो सबल भारत के लिए और उस सम्बाहरों और जिहांतों के लिए जो ग्रामीण काम से भारत के रहे हैं, फड़कता था, अग्राम दुख चुकता ।

अब क्या बात है ? जिस समय हम उनकी बात करते हैं, उन्हें सराहते हैं और बच्चों की तरह उनकी भूर्तियाँ स्वास्थित करने की बात करते हैं, क्या उस समय हम यह सोचते हैं कि उनके सिहांत क्या वे जिनके लिए हर हर जीवित थे और जिनके लिए उन्होंने प्राण दिये । मेरा स्वाम है कि उनके लोकों के अनुसार जीवन बनाने के सदय से हम अभी काफी दूर हैं । लेकिन येरह यह जिनका है कि वे महान् शक्तियाँ जिन्हें उन्होंने (गांधीजी ने) प्रचलित किया था, युद्धवाय किन्तु औरों के साथ काम

कर रही है और भारत को उस ओर ले जा रही है जिवर ले जाने की उन्हें इच्छा थी। दूसरी शक्तियाँ भी हैं जैसे असत्य की, विनाश की, उद्घट्तत की, सकीर्णता की, जो हमें विपरीत दिशा में ले जा रही है। जिस प्रकार सारे संसार में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष चल रहा है उसी तरह इन दोनों शक्तियों में भी निरन्तर युद्ध जारी है। अगर हम गांधीजी की स्मृति का आदर करें तो हमें कियात्मक क्षम्य से ऐसा करना होगा और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिसके कि वह प्रतिनिधि थे, निरन्तर प्रयत्नशील होना पड़ेगा।

मुझे अपने देश पर, अपनी राष्ट्रीय वाती पर और अनेक वातों पर बड़ा गौरव है। लेकिन मैं यह अभिभानवश नहीं, न अत्याधूर्वक फूह रख हूँ; क्योंकि घटनाओं ने मुझे अपमानित और अक्सर लज्जित किया है और भारत का यह स्वप्न जो मैंने बना रखा था कभी-कभी बीमा पड़ गया है। मैंने भारत से प्रेम किया, मैंने भारत की सेवा करने की कोशिश की। इसलिए नहीं कि यह भौगोलिक बृहिं से विश्वास है, या इसलिए कि इसका अतीत महान् था, बल्कि इसलिए कि मुझे वर्तमान भारत में विश्वास है और यह मेरी अटल धारणा है कि भारत सत्य, स्वतन्त्रता और जीवन के ऊंचे आदर्शों पर काथम रहेगा।

क्या आप चाहते हैं कि भारत उन्हीं भाहान् उद्देश्यों और आदर्शों का अनुगामी हो जिन्हें गांधीजी ने हमारे सामने रखा है? यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आपको भी उसी प्रकार सोचना और काम करना होगा। तब आप अधिक आदर्शों के प्रवाह में वह नहीं सकते और न छोड़-छोटे गलोभरों के बद्धभूत हो सकते हैं। आपको ऐसी सब प्रेरणाओं को जड़ से क्षेत्रकर फेंक देना होगा, जिससे राष्ट्र निर्बल होता हो चाहे वह प्रेरणा सांप्रदायिकता की हो, भेदभावना की हो, मजहबी तासुज या प्रान्तीयता की हो या वर्ग-भेद की हो।

हम कई बार कह चुके हैं कि इस देश में हम सांप्रदायिकता बरदाश्त नहीं कर सकते। हम स्वतन्त्र धर्म-निरपेक्ष राज्य बना रहे हैं जहाँ हरएक मजहब और हर

प्रकार के विद्वासों को बराबर की आवश्यकी और इच्छित हैं, जहाँ प्रत्येक नामांकित को बराबर की स्वतन्त्रता और बराबर के अवसर द्वापत्ति है। इसके होते हुए भी कुछ लोग अभी तक सांख्यायिक और भेदभाव की भाषा का प्रयोग करते हैं। मेरे आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे इसके विस्तृत विलाप हैं और मुझे आवश्यक है कि यदि आप गांधीजी के विचारों पर विश्वास रखते हैं तो आप कोई भी इसी तरह अपनी पूरी शक्ति से इसका विरोध करेंगे।

दूसरी बुद्धाई प्राप्तीयता है और आवश्यक यह बहुत बिल्डाई देती है और छूट जोरों से है। बड़े-बड़े प्रदन भुला दिये जाते हैं। इसका भी विरोध करना है और इसके विलाप लड़ाई करना है।

हाल में कुछ लोगों ने हिन्दुस्तान को आत्मायी कहा है। मेरे केवल यही कह सकता हूँ कि यह उनकी बेंसमझी है। अगर भारत किसी दूसरी क्रौंच के विलाप जबरदस्ती का रास्ता लेने लगे तो भारत सरकार में ऐसा या ऐसे साथियों का कोई स्थान नहीं रह जाता। अगर हम जबरदस्ती करने लगे तो हम अपने सिद्धांतों के और गांधीजी की शिक्षा के प्रति विश्वासघात के अपराधी होंगे।

हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने पिछले हफ्तों में एक आश्वर्यजनक जबर का प्रदर्शन किया, बहाँ के अस्तवारों को और बहाँ के नेताओं के सार्वजनिक भाषणों को पढ़कर मुझे आश्वय हुआ। इन भाषणों का असलियत से कोई संबंध नहीं; बल्कि इससे बेतुका डर और बुरी कल्पनायें पैदा होती हैं। अगर पाकिस्तान के रहनेवालों को धूमा और भय से भरा हुआ साहित्य हर रोज़ पढ़ने को मिलता है तो कोई आश्वय नहीं कि वे अपने सामने भारत का ऐसा चित्र बना लें जिसका असलियत से कोई संबंध न हो। मुझे इसका बहुत दुःख है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा है, मैं पाकिस्तान के रहनेवालों को गैर नहीं समझता। ये हमारे देशवासी रह चुके हैं और वे या हम न तो पहले के बन्धनों से मुक्त हो सकते और न अपना गहरा स्विता भूल सकते हैं, क्योंकि आवेद्ध से हम आहे कितने ही अलग क्यों न हो

जायें। मैं सच्चे हृदय से और नित्रता के भाव से उन लोगों को, जो पाकिस्तान में हिन्दुस्तान के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं, जेतावनी देना चाहता हूँ कि इस प्रकार वे अपने देश और अपनी जीम को कुसेवा ही कर रहे हैं।

मैं पाकिस्तान निवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारत किसी भी देश से जबर्दस्ती नहीं करना चाहता, पाकिस्तान के खिलाफ तो सबसे कम। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान शान्ति से रहे, उत्तरि करे और हमारे साथ उसका सबन्ध घनिष्ठतम हो। हमारी ओर से कोई जबर्दस्ती न होगी।

लेकिन जबर्दस्ती ही है आत्म और पाश्चात्य। काश्मीर निवासियों के खिलाफ और भारतीय धूनिधन के खिलाफ। हमने इस जबर्दस्ती का उसी प्रकार भुकाला किया जैसा किसी भी आत्म-सम्मानी राष्ट्र के लिए चाहरी था। बात बहुत दिनों तक याद नहीं रहती, काश्मीर में आज से ११ महीने पहले यथा हुआ यदि हम याद कर दें तो अच्छा हो। पाकिस्तान ने इन्कार कर दिया कि वह उस मामले में किसी प्रकार फंसा है। अकांध प्रभागों के सामने भी उससे इन्कार करता रहा। इसमें सुरक्षा परिषद के सामने अपने भुकाले की सफाई इसी इन्कार के आधार पर येज की ओर अब उसे स्वीकार करना पड़ रहा है कि उसकी फौजे काश्मीर में, जो भारत का एक अंग है, लड़ रही है। इतिहास में शायद ही इस किसी का दूसरा कोई उदाहरण हो जहां सत्य से एकदम इन्कार करने के आधार पर कोई भुकाला तैयार किया जया हो। संयुक्तराष्ट्र के कमीशन ने समझौते का प्रस्ताव येज किया। हमने उसे स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान ने अपने अभिभाव और अहंकार में आकर उसे अस्वीकार कर दिया।

मैं आपको और पाकिस्तान में रहने वालों को जलाना चाहता हूँ कि जाहे जो हो, किसी भी तरह हम जबर्दस्ती के सामने भर भुकाने वाले नहीं हैं। हम भालीर यथा तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि इसमें तिर्क काश्मीर की आजादी का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि भारतवासियों के आत्मसम्मान और राष्ट्रीय कानून की इच्छा

का भी सवाल आ जाता है ।

पिछले साल और उसके पहले भी बहुत-सी बातें ऐसी हुई हैं कि जिनसे मुझे गहरी चोट पहुँची है, क्योंकि वे बुरी भी और यह प्रमाणित करती थीं कि हम अपने पूज्य गुरु की शिक्षाओं से गिर गये हैं, लेकिन हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं कि हम काश्मीर में या हैदराबाद में क्या कर रहे हैं या क्या किया है । जो कुछ काश्मीर और हैदराबाद में हमने किया या कर रहे हैं, यदि न करते, तो इसले कहीं अधिक परेशानी, उद्दंडता और मुसीबत पैदा हो जाती । अगर भारत काश्मीर को बचाने के लिए न जाता या हैदराबाद के निवासियों की सहायता के लिए न दौड़ता तो जिन्हें एक सिद्धांत-हीन गुट पस्त कर रहा था तो हमें भारत के ऊपर लकड़ा आती ।

दूसरे वेशों में, आहे जो कुछ भी हो जाये, हमें शान्ति से रहना चाहिए और गांधीजी हारा बताये सत्य-पथ पर चलना चाहिए । अगर हम गांधीजी पर अद्वा और विश्वास रखें तो इसी में भारत की सेवा है और भात्म-विश्वास भी और इसी में इस देश का, जो हमें इतना प्रिय है, कल्पण भी है ।

जय हिन्द !

### एक साल बाद

[३० जनवरी १९४९ को गांधीजी की पहली बरसी पर भाल इंडिया रेडियो से दिया गया भाषण]

दोस्तों और साथियों, एक साल पहले इसी जगह से बोलते हुए मने कहा था कि जिस दोशनी ने हमारी जिहानी को दौशन किया था वह बुझ गई है और देसा जास घड़ता है कि अंधेरा हमें चारों तरफ से धेर लेना । मुसीबतों से भरे हुए उस बाल के बोझ को आपने और मने बड़ी हिम्मत के साथ उठाया और आज वे फिर आपके सामने बोल रहा हूँ ।

वह दोशनी बुझी नहीं है; क्योंकि वह पहले से कहीं स्वादा लेनी से

रही है और हमारे प्यारे नेता का संदेश हमारे कानों में गूँज रहा है। किर भी किस तरह हममें से बहुत-से लोग आपसी बैर की बजह से अक्सर उस दोषनी की तरफ से अपनी आँखें और उस संदेश की तरफ से अपने कान बन्द कर लेते हैं। आज हमें अपनी आँखें, अपने कान और अपने दिल खोलने चाहिए और पूरी अद्वा के साथ यांधीजी की याद करनी चाहिए। सबसे ज्यादा हमें यह सोचना चाहिए कि वह किन-किन बातों के हामी थे और हमसे क्या-क्या करने को कहते थे।

आज जाम को हममें से बहुत-से लोगों ने—सुल्क भर के शहरों, कस्बों और गांवों में—गांधीजी के संदेश को दुहराये जाते सुना है और उसकी रोशनी में नये किरे से काम करने का बत लिया है। इस संदेश को जितनी ज़करत आज की पारल और बिल्ली हुई दुनिया में है उतनी पहले कभी नहीं थी। बारबार इस दुनिया ने अपनी गुत्तियों को हिला और नफरत से सुलभाने की कोशिश की है और बारबार उसे बाकामयादी और बरबादी का रामना करना पड़ा है।

इसलिए जब हमें अपने कड़े अनुभव से सबक सीखना चाहिए। वह सबक यह है कि हम निवारी में नैतिक बातों को नहीं भुला सकते और अभर भुलायेंगे तो खुद ही जोखिम उठायेंगे। वह सबक यह है कि अपने सुल्क और दुनिया की बुराईयों को हम लड़ाई-झगड़े और नफरत से नहीं, बल्कि अमन के तरीकों से, एक-दूसरे के कंबे से कंबा भिड़ाकर और बिना किसी स्वार्थ के आजादी व सचाई की सेव करके दूर कर सकते हैं। वह सबक यह है कि हमें अपने मुल्क के सभी लोगों में एकता और मुहब्बत बढ़ानी चाहिए और जन्म, जाति या धर्म से पैदा होने वाले सभी भेदभावों को मिटा देने की कोशिश करनी चाहिए, यहां तक कि जो लोग हमारी बुराई चाहते हैं उनके आगे भी हमें दोस्ती काहाय बढ़ाना चाहिए और उनकी मुहब्बत जीतने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया के मुल्कों से हम कहते हैं कि दूसरों से हमारा कोई झगड़ा नहीं; हम तो दुनिया के सभी लोगों की आजादी और सुशहासी को भजबूत बनाने के बड़े काममें सिर्फ़ आपका दोस्ताना हाथ चाहते

हैं। हम दूसरों पर हुक्म खलाना या उन पर से कोई कायदा उठाना नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी आजादी की पूरी ताकत के साथ इसा करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी कीमत वयों न चुकानी पड़े। हो सकता है कि आज हमारी आजाद कमज़ोर हो, लेकिन वह जो संवेदा सुनाती है वह कोई कमज़ोर संवेदा नहीं है। उसमें सत्य की ताकत है और वह अमर रहेगा।

आइये, इसी खयाल और इसी प्रण के साथ आज हम अपने गुह और अपने उस प्यारे नेता को अद्वांजलि भेट करें, जो हमें छोड़ तो गया है, लेकिन फिर भी हर वक्त हमारे साथ है। हमें चाहिए कि हम अपने को उसके, अपने मुल्क के, अपनी प्यारी मातृभूमि के काबिल बनावें—वह मातृभूमि जिसकी सेवा का आज हमने फिर बत लिया है।

‘एक खयाल’

[दिल्ली में राजधान पर सर्वोदय दिवस समिति द्वारा आयोजित ‘गांधी महण प्रदर्शनी’ का उद्घाटन करते हुए ३१ जनवरी १९४९ को दिया गया भाषण।]

आप लोगों ने पहले भी नुमायश देखी होंगी—बहुत बड़ी-बड़ी और शानदार नुमायशों। लेकिन आज जिस नुमायश को देखने के लिए आप लोगों को दावत दी गई है वह नुमायश के लिहाज से कोई बड़ी चीज नहीं है। इस नुमायश में आपको कोई अजीब चीज देखने को नहीं मिलेगी; कुछ तस्वीरें, कुछ किताबें और कुछ पत्र हैं, जो आप लोग यहां देखेंगे। जरूरत है इस बात को कि हम इन चीजों को देखकर उनकी याद ताजा करें। गांधीजी ने कितना बड़ा असर किया था इस मुल्क पर, उसे देखकर हँसत होती है। चाहे जैसे अच्छी तस्वीरें हों, चाहे जैसे अच्छे चित्र हों, महस्तमाजी को क्या कोई चीज व्यक्त कर सकती है? गांधीजी से मिलने के बाद, नज़रों से उनका रूप ओङ्कल हो जाने के बाद, एक खयाल रह जाता था। गांधीजी एक खयाल थे—कमज़ोर शरीर में एक जबरदस्त आत्मा थे। असलः

नुभायश तो होगी करोड़ों दिलों की, करोड़ों विभागों की। गांधीजी इसने यहान् थे कि उनकी जान का अन्वाजा नहीं लगाया जा सकता। उनकी महानता को हम किन बजों से नापें? दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिनकी जान का अन्वाज़ उनके जीवन से कूटा जाता है—उनके ओरहों से और भरने के बाद उनकी मूर्तियों और तस्वीरों से। कम ऐसे होते हैं जिनकी नायतोल मामूली गजों से नहीं होती—इसलिए उनकी जान का सबाल ही नहीं उठता। कहना पड़ेगा कि जो हुआ वही शानदार है :

जब अंदर आप नुभायश देखने जायेंगे तो वहां आपको एक झोपड़ी का नमूना दिखाई देगा। यह झोपड़ी हर पहलू से सेवाप्राप्ति में बाधु की झोपड़ी की तरह है। एक मामूली-सी झोपड़ी जहां वह रहते थे, लेकिन मुल्क के कोने-कोने से लोग वहां यात्रा के लिए जाते थे। तमाम दुनिया की निगाहें उसकी ओर हो गई थीं। इसकी बजाह थी वह आत्मा जो उसमें निवास करती थी। आजकल के विज्ञान ने जो सहूलियतें हँसान के लिए सोची हैं उनमें से वह वहां बहुत कम का इस्तेमाल करते थे। वह हमेशा ऐसी ही जगहों में रहना चाहता करते थे। भौगोलिक साथ रहना उन्हें अच्छा लगता था। कभी-कभी उनके दोस्त उन्हें अपने साथ रहने के लिए भी खींच ले जाते थे। उनके बड़े-बड़े महल होते थे, लेकिन झोपड़ी हो या महल, सेवाप्राप्ति हो या लंबन—गांधीजी का काम हमेशा एक-सा लक्ष्यता था। कोई रुकावट, कोई दाढ़ा उसमें उपस्थित नहीं होती थी।

यह नुभायश एक धास-फूस की इमारत में रखी गई है—ऐसी इमारत जो किसी भी गांव में बन सकती है। लेकिन इसके अन्वर औ सूबसूरती है, जो कला है, वह हमें एक सबक देती है और वह यह कि सूबसूरती सिर्फ इंट-पत्थर से ही नहीं आती। आप लोग नुभायश देखेंगे तो कुछ को खुशी होगी और कुछ को रंज होगा। मुझे उम्मीद है कि नुभायश देखकर उनका जसली खयाल—वह खयाल जो असलियत में गांधी था—आपके सामने आयेगा।



बीर सेवा मन्दिर

काल नं० २८१ (ग्रन्थ) नं०६८

लेखक चौहाजवाहरलाल  
शीर्षक राठइ-पित ४४९७  
संषड क्रम संख्या

---